सत्यमेव जयते

- हेवी इंजीनियरिंग
- मशीन टूल्स
- हेवी इलेक्ट्रिकल्स
- ऑटोमोबाइल
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

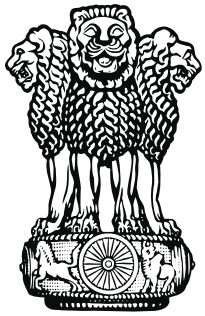

वार्षिक रिपोर्ट

2017–18

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली–110 011

वेबसाइट : dhi.nic.in/dpe.nic.in

विषय वस्तु

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का सिंहावलोकन 1–3

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), विजन, मिशन 5

1.	परिचय	7–12
2.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	13–36
3.	हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी, हेवी इंजीनियरी और मशीन टूल्स उद्योग	37–41
4.	ऑटोमोटिव उद्योग	42–50
5.	प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अनुसंधान और विकास	51–71
6.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./विकलांगों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	72–73
7.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	74
8.	सतर्कता	75–76
9.	हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	77–78
10.	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	79–85
11.	सूचना का अधिकार	86
	अनुबंध (I-XI)	87–100
	संकेताक्षर	101–102

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) विजन, मिशन 103

	प्रस्तावना	105–106
1.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	107–109
2.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को स्वायत्तता	110–111
3.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्डों का कारपोरेट अभिशासन एवं व्यावसायिकता	112–114
4.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	115–117
5.	स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए)	118
6.	मजदूरी नीति और श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण	119–120
7.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वर्गीकरण	121–122
8.	रूग्ण/घाटा उठाने वाले सीपीएसईज़ का पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन	123–126
9.	परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सीआरआर)	127–136
10.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)	137
11.	कार्यपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम	138
12.	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं सततता	139–140
13.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट	141

14.	राजभाषा नीति	142
15.	महिलाओं का कल्याण	143
16.	योजनागत निधि व्यय का विवरण	144
17	सीपीएसईज़ में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य हेतु सेवा में आरक्षण	145–146

डीएचआई अनुबंध (I-XI)

I	भारी उद्योग विभाग के कार्य का आबंटन	87–88
I (क)	भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची (विनिवेश/बंद किए जाने की स्थिति के साथ	89
II	भारी उद्योग विभाग का संगठन चित्र	90
III	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सामान्य सूचना	91
IV	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अजा, अजजा और अपिव सहित कर्मचारियों की स्थिति	92
V	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन निष्पादन	93
VI	भारी उद्योग विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का (कर पूर्व) लाभ (+) हानि (–)	94–95
VII	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय	96
VIII	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ऑर्डर बुक की स्थिति	97
IX	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात निष्पादन	98
X	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रदत्त पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ (+)/हानि(–) अनुसार प्रदत्त पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ(+)/हानि(–)	99
XI	2017 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां	100

डीपीई अनुबंध 1–11

1.	लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक ढांचा	147
2.	वर्ष 2015–16 के दौरान केंद्रीय सरकारी उद्यमों का कार्य निष्पादन	148
3.	महारत्न योजना की प्रमुख विशेषताएं	149
4.	नवरत्न योजना की प्रमुख विशेषताएं	150–153
5.	मिनीरत्न योजना की प्रमुख विशेषताएं	154–156
6.	मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची	157–159
7.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन पर दिशा–निर्देशों की मुख्य–मुख्य बातें	160–161
8.	वर्ष 2017–18 और उसके बाद समझौता ज्ञापन के लिए दिशा निर्देश	162–180
9.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की श्रेणी–वार सूची	181–186
10.	"रूग्ण/ शुरूआती तौर पर रूग्ण एवं कमजोर केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार और पुनः रचना हेतु तंत्र को युक्तिसंगत बनानाः पुनर्संरचना हेतु सामान्य सिद्धांत एवं तंत्र" के लिए दिशानिर्देश	187–191
11.	रूग्ण/घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) को समयबद्ध तरीके से बंद करने और उनकी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान हेतु दिशानिर्देश।	192–203

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का सिंहावलोकन

1.1 भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, जिसमें भारी उद्योग विभाग तथा लोक उद्यम विभाग शामिल हैं, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री के अधीन कार्य करता है। यहां एक भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री है। यह मंत्रालय देश में तीन क्षेत्रों अर्थात् पूंजीगत माल, ऑटो और हेवी इलेक्ट्रिकल उपकरणों के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देता है, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 31 उद्यमों और 5 स्वायत्त संगठनों को प्रशासित करता है तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) एवं इनके सम्पूर्ण प्रशासन हेतु नीतिगत दिशानिर्देश बनाता है।

क. भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)

1.2 भारी उद्योग विभाग के कार्य–आबंटन में मशीन टूल्स, हेवी इलेक्ट्रिकल, औद्योगिक मशीनरी और ऑटो उद्योग जैसे इंजीनियरी उद्योग को बढ़ावा देना तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 31 प्रचालनरत उद्यमों एवं 5 स्वायत्तशासी संगठनों का कार्य देखना शामिल है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची और उनका मौजूदा स्टेटस अनुबन्ध–I (क) पर दिया गया है। इस विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विनिर्माण तथा परामर्शी और संविदाकारी सेवाओं में लगे हुए हैं। इस विभाग के अधीन आने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बॉयलर, गैस/स्टीम/हाइड्रो टर्बाइन, औद्योगिक मशीनरी, टर्बो जेनरेटर, थ्री व्हीलर्स, ट्रैक्टर से लेकर कागज, नमक और घड़ियों जैसे उपभोक्ता उत्पादों का व्यापक रूप से विनिर्माण करते हैं। यह मंत्रालय मशीन निर्माण उद्योग की भी देखरेख करता है और इस्पात, खनन, अलौह धातुओं, पावर, उर्वरक, तेल शोधक कारखानों, पेट्रोरसायन, पौत–परिवहन, कागज, सीमेंट, चीनी आदि जैसे बुनियादी उदयोगों के लिए उपकरणों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह विभाग कास्टिंग, फोर्जिंग, डीजल इंजनों, औद्योगिक गियर्स और गियर बाक्सों जैसे मध्यस्थ इंजीनियरिंग उत्पादों की एक विस्तृत श्रेणी के विकास में सहयता प्रदान करता है। यह विभाग निम्नलिखित को भी प्रशासित करता है:

i. 1966 में स्थापित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) और 2006 में स्थापित एआरएआई–फोर्जिंग उद्योग प्रभाग, (एआरएआई–एफआईडी), पुणे, महाराष्ट्र।

ii. जुलाई, 1987 में स्थापित फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई), पलक्कड़, केरल जो कैलीब्रेशन के लिए फ्लो उद्योग की आवश्यकता पूरी करता है।

iii. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) के कार्यान्वयन के मार्गदर्शन हेतु जुलाई, 2005 में स्थापित नेट्रिप कार्यान्वयन सोसाइटी (नेटिस)।

iv. ऑटोमोटिव क्षेत्र में सरकार के सभी प्रयासों के संचालन, समन्वय और तालमेल के लिए 2012 में स्थापित राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी)।

v. सेन्ट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट (सीएमटीआई), जो एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है, देश में प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास करने और

प्रौद्योगिकीय वृद्धि में सहायता करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सीएमटीआई का प्रशासनिक नियन्त्रण जनवरी, 2017 से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से भारी उद्योग विभाग के पास आ गया है।

भारी उद्योग विभाग का कार्य–आबंटन **अनुबंध–I** पर दिया गया है।

1.3 यह विभाग विभिन्न उद्योग संघों के साथ निरंतर परामर्श करता है और उद्योग के विकास के लिए पहलों को प्रोत्साहित करता है। यह नीतिगत पहलों, प्रशुल्कों और व्यापार की पुनर्संरचना के लिए समुचित उपाय, प्रौद्योगिकीय सहयोग के संवर्धन और उन्नयन तथा अनुसंधान और विकास आदि के माध्यम से उद्योग की विकास योजनाओं की प्राप्ति में भी उनकी सहायता करता है।

1.4 भारी उद्योग विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता तीन संयुक्त सचिव, आर्थिक सलाहकार, निदेशक/उप सचिव तथा एक तकनीकी स्कंध करता है। इस विभाग की सहायता अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में एकीकृत वित्त स्कंध द्वारा भी की जाती है। इस विभाग के स्वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या (01.01.2018 की स्थिति के अनुसार) 233 है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध–II** में दिया गया है।

ख. लोक उद्यम विभाग (डीपीई)

1.5 तीसरी लोकसभा (1962–67) की प्राक्कलन समिति ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में एक ऐसे केन्द्रीयकृत समन्वयकारी एकक की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया था, जो सरकारी उद्यमों के कार्य–निष्पादन का निरंतर मूल्यांकन कर सके। इसके परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय में वर्ष 1965 में लोक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। सितम्बर, 1985 में संघ सरकार में मंत्रालयों/विभागों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, बीपीई को उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया। मई, 1990 में बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया जिसे लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के रूप में जाना जाता है। इस समय, यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का एक हिस्सा है।

1.6 लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों (सीपीएसई) के लिए एक नोडल विभाग है तथा यह सीपीएसईज से संबंधित नीति तैयार करता है। यह विशेष तौर पर सीपीएसईज में कार्य–निष्पादन में सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता और वित्तीय प्रत्यायोजन, कार्मिक प्रबंधन में नीतिगत दिशा–निर्देश निर्धारित करता है। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित कई क्षेत्रों के बारे में लोक उद्यम सर्वेक्षण के रूप में जानकारी का संग्रहण और अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है।

1.7 अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए, यह विभाग अन्य मंत्रालयों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है। सरकार की कार्य–आबंटन नियमावली के अनुसार, लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं:

- औद्योगिक प्रबंधन पूल सहित तत्कालीन लोक उद्यम ब्यूरो से संबंधित अवशेष कार्य।
- सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों को प्रभावित करने वाली सामान्य नीति से संबंधित मामलों का समन्वयन।
- समझौता ज्ञापन प्रक्रिया सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन और प्रबोधन।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए स्थायी मध्यस्थता कार्यतंत्र से संबंधित मामले।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन कर्मचारियों को परामर्श देना, प्रशिक्षण देना और उनका पुनर्नियोजन करना।

- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में प्रमुख परियोजनाओं और व्यय की समीक्षा करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य–निष्पादन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की क्षमता–निर्माण संबंधी अन्य पहलों में सुधार लाने के उद्देश्य से उपाय करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार, पुनर्गठन अथवा क्लोजर तथा उसकी प्रक्रिया के संबंध में सलाह देना।
- लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन से संबंधित मामले।
- अंतर्राष्ट्रीय लोक उद्यम संवर्धन केन्द्र से संबंधित मामले।
- "रत्न" का दर्जा देने सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उद्यमों का वर्गीकरण।
- लोक उद्यमों का सर्वेक्षण।

1.8 लोक उद्यम विभाग भारत सरकार के सचिव के नेतृत्व में कार्य करता है जिनकी सहायता 119 अधिकारियों/कार्मिकों की स्वीकृत संख्या वाली संस्थापना द्वारा की जाती है। लोक उद्यम विभाग की संगठनात्मक संरचना **अनुबंध–I** पर दी गई है।

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)

विजन

वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धी, विकासोन्मुख और लाभकर भारी उद्योग; और विभाग के अधीन आत्म–निर्भर तथा विकासोन्मुख केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम।

मिशन

ऑटो, हेवी इलेक्ट्रिकल तथा केपिटल गुड्स सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, विकासोन्मुख और लाभकर होना, सुसाध्य बनाना तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने समग्र निष्पादन में सुधार कर सकें।

अध्याय 1

परिचय

1.1 उद्योग का कार्य–निष्पादन

1.1.1 सरकार ने देश में औद्योगिक विकास, पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य के साथ–साथ "मेक इन इंडिया", "स्टार्ट–अप इंडिया पहल", "कारोबार करने की सहूलियत" जैसे कदम शामिल हैं। कारोबार करने की सहूलियत में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में मौजूदा नियमों को सरल और युक्तिसंगत बनाना तथा सूचना प्रौद्योगिकी की शुरूआत, निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना, ई–बिज पोर्टल की शुरूआत और रक्षा उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु नीति को उदार बनाना शामिल है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और उनका उत्तरोत्तर उदारीकरण किया गया है। औद्योगिक उपनगरों के विकास के लिए विकसित भूमि और गुणतायुक्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने देशभर में औद्योगिक गलियारों के पेंटागन–निर्माण का कार्यक्रम आरंभ किया है।

1.1.2 राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) में 2016–17 में 5.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग के भीतर विनिर्माण क्षेत्र में 2016–17 में जीवीए में 7.9% की वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका–I)। वर्ष 2017–18 की पहली दो तिमाहियों के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र में जीवीए में क्रमशः 1.2% और 7.0% की वृद्धि–दर दर्ज की गई है।

तालिका 1: मूल कीमत पर जीवीए की वृद्धि–दर (स्थिर कीमतों पर परिकलित) (2011–12) (% में)

उद्योग	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (आ.प्रा.)
I. कृषि	1.5	5.6	-0.2	0.7	4.9
II. उद्योग	**3.3**	**3.8**	**7.5**	**8.8**	**5.6**
खनन और उत्खनन	0.6	0.2	11.7	10.5	1.8
विनिर्माण	**5.5**	**5.0**	**8.3**	**10.8**	**7.9**
विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	2.7	4.2	7.1	5.0	7.2
निर्माण	0.3	2.7	4.7	5.0	1.7
III. सेवाएं	8.3	7.7	9.7	9.7	7.7
व्यापार, होटल, परिवहन, प्रसारण से संबंधित संचार एवं सेवाएं	9.8	6.5	9.0	10.5	7.8
वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	9.7	11.2	11.1	10.8	5.7
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	4.3	3.8	8.1	6.9	11.3
मूल कीमत पर जीवीए	**5.4**	**6.1**	**7.2**	**7.9**	**6.6**
पीई: अनंतिम प्राक्कलन					

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1.1.3 औद्योगिक निष्पादन का आकलन 2011–12 को आधार–वर्ष मानते हुए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर किया जाता है, चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल–अक्तूबर, 2017–18 के पहले सात माह में इसमें 2.5% वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र 2.1% बढ़ा और खनन और विद्युत सेक्टरों में क्रमशः 3.4% और 5.3% की वृद्धि दर्ज की गई।

1.1.4 आईपीपी के उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, 2017–18 (अप्रैल–अक्तूबर) में, उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुओं ने निरन्तरता दर्शाई है और 7.5% वृद्धि दर्ज की है। प्राथमिक वस्तुओं के सूचकांक की वृद्धि दर में इस अवधि के दौरान 3.5% की गिरावट मुख्य रूप से खनन सेक्टर और उर्वरक उद्योग के इष्टतम से कम निष्पादन की वजह से देखी गई है। सीमेन्ट सेक्टर के 2017–18 (अप्रैल–अक्तूबर) में खराब निष्पादन के लिए अवसंरचना/निर्माण वस्तुओं की धीमी वृद्धि दर मुख्य रूप से जिम्मेदार है, चूंकि इस सेक्टर ने 2016–17 में दर्ज की गई 3.9% की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 2.5% की वृद्धि दर्ज की है। केपिटल गुड्स के निराशाजनक निष्पादन की मुख्य वजह 2017–18 की पहली तिमाही में जीएसटी की घोषणा हो जाने के बाद वस्तुओं का भण्डारण न करना है।

1.1.5 चालू वित्त वर्ष के दौरान केपिटल गुड्स की वृद्धि समग्र रूप से 0.8% रही; तथापि दूसरी तिमाही के दौरान इस सेक्टर के निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जिसमें क्रमशः अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर के महीने में 5.2%, 8.2% और 6.8% वृद्धि दर्ज हुई। विशेष रूप से, कृषि ट्रैक्टरों, वाणिज्यिक वाहनों, ट्रांसफार्मरों और फैब्रीकेटेड धातु उत्पादों ने बहुत बढ़िया निष्पादन किया है, जो विनिर्माण के पुनरुद्धार को भी इंगित करता है। वर्ष 2017–18 के दौरान, आईपीपी की वृद्धि (उपयोग आधारित वर्गीकरण) **तालिका–2** में दी गई है।

तालिका 2 : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर (आईपीपी) (% में)

(आधार : 2011-12)

सेक्टर/ग्रुप	महत्व	2015-16	2016-17	अप्रैल–अक्तूबर 2016-17	अप्रैल–अक्तूबर 2017-18
		3	4	5	6
सेक्टरवार वर्गीकरण					
खनन	14.3725	4.3	5.3	2.7	3.4
विनिर्माण	77.6332	2.8	4.4	5.9	2.1
इलेक्ट्रिसिटी	7.9943	5.7	5.8	5.9	5.3
समग्र आईआईपी	100.00	3.3	4.6	5.5	2.5
उपयोग आधारित वर्गीकरण					
मूलभूत सामान	34.0486	5.0	4.9	5.1	3.5
पूंजीगत वस्तुएं	8.2230	3.0	3.2	4.6	0.8
अर्धनिर्मित वस्तुएं	17.2215	1.5	3.3	3.4	0.2
अवसंरचना/निर्माण सामग्री	12.3384	2.8	3.9	5.2	2.5
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	12.8393	3.4	2.9	6.0	-1.9
उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुएं	15.3292	2.6	7.9	9.5	7.5
समग्र आईआईपी	100.00	3.3	4.6	5.5	2.5

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1.2 भारी उद्योग विभाग को निम्नलिखित विषय/औद्योगिक क्षेत्र भी आबंटित किए गए हैं:

(क) भारी इंजीनियरिंग उपस्कर एवं मशीन टूल्स उद्योग।

(ख) भारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग।

(ख) ऑटोमोटिव क्षेत्र, ट्रैक्टर्स और अर्थ मूविंग उपस्कर सहित।

1.3 मद 1.2 में दर्शाए गए 3 मुख्य क्षेत्रों के अधीन 19 औद्योगिक उप–क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

i. बॉयलर
ii. सीमेंट मशीनरी
iii. डेयरी मशीनरी
iv. विद्युत भट्ठी
v. माल कंटेनर
vi. सामग्री हेंडलिंग उपस्कर
vii. धातुकर्म मशीनरी
viii. खनन मशीनरी
ix. मशीन टूल्स
x. तेल क्षेत्र उपस्कर
xi. मुद्रण मशीनरी
xii. लुगदी और कागज मशीनरी
xiii. रबड़ मशीनरी
xiv. स्विचगियर और कंट्रोल गियर
xv. शंटिंग लोकोमोटिव
xvi. शुगर मशीनरी
xvii. टर्बाइन और जेनरेटर सेट
xviii. ट्रांसफॉर्मर
xix. वस्त्र मशीनरी

1.4 भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम:

1.4.1 इस विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 31 उद्यम हैं, जो विनिर्माण, परामर्शी और संविदा सेवाओं में लगे हुए हैं।

1.4.2 **अनुबंध–III** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, इस विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 31 उद्यमों में से प्रचालनरत 22 उद्यमों में कुल निवेश (सकल ब्लॉक) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 9564.85 करोड़ था। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में कर्मचारियों की कुल संख्या 64698 है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. और पी. डब्ल्यू. डी. कर्मचारियों की संख्या **अनुबंध–IV** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार क्रमशः 11961, 7826, 21591 और 1099 है।

1.4.3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचालनरत 22 उद्यमों में से 11 उद्यम लाभ अर्जित कर रहे हैं और शेष 11 उद्यम घाटे में हैं। तथापि, समग्र आधार पर भारी उद्योग विभाग के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 22 उद्यमों ने वर्ष 2016–17 में(–) ₹ 357.62 करोड़ का कर–पूर्व निवल लाभ दर्शाया है। वर्ष 2017–18 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (लक्ष्य)
उत्पादन		34290.91
लाभ (+)/हानि(-)	(-) 357.62	(-)51.16

(उत्पादन, लाभ/हानि का केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यमवार ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध–V** और **VI** पर दिया गया है।)

1.4.4 घाटे में चल रहे उद्यम वस्तुओं की लागत में वृद्धि के अलावा, कम क्रयादेश, कार्यशील पूंजी की कमी, अधिशेष जनशक्ति और पुराने संयंत्र और मशीनरी, परिवर्तित हो रहे बाजार उत्पादों/प्रौद्योगिकी/प्रतिस्पर्धा के अनुरूप ढलने में कठिनाई सहित कई

कारणों से ग्रसित हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश हानि उठा रहे उद्यमों में औद्योगिक मानदंडों से कहीं अधिक कर्मचारीगण और अत्यधिक उपरिव्यय की समस्याएं हैं। इस संदर्भ में, कारोबार की प्रतिशतता के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय **अनुबंध–VII** में दिए गए हैं।

1.4.5 दिनांक 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार, विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के क्रयादेश ₹ 113714.65 करोड़ के हैं **(अनुबंध–VIII)**। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य निर्यातक उद्यम भेल है और भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निर्यात संबंधी कार्य निष्पादन का ब्यौरा **अनुबंध–IX** पर दिया गया है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सरकारी इक्विटी, निवल मूल्य और संचित हानि/लाभ **अनुबंध–X** पर दिए गए हैं। भारी उदयोग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए दिया गया लाभांश निम्नानुसार है:–

बीएचईएल	₹	465.00 करोड़
बीएंडआर	₹	4.87 करोड़
बीबीजे	₹	6.36 करोड़
आरईआईएल	₹	2.49 करोड़

1.5 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन/विनिवेश/बंद करने के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा उठाए गए कदम:

1.5.1 भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 31 उद्यम हैं जो विनिर्माण, परामर्शी तथा संविदा सेवाओं में लगे हुए हैं। भारी उद्योग विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के हानि में चल रहे उद्यमों के पुनरुद्धार की संभावनाओं का आकलन करने के लिए हानि में चल रहे प्रत्येक उद्यम का मूल्यांकन कर रहा है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, जिन उद्यमों का कायाकल्प होने की संभावना है, उनका पुनरुद्धार किया जाता है और जो क्रमिक रूप से रुग्ण पाए जाते हैं उनके कर्मचारियों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के पश्चात् उनका विनिवेश अथवा उनको बंद कर दिया जाता है। इस संबंध में भारी उद्योग विभाग द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

1.5.2 सरकार ने, तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, होस्पेट, कर्नाटक के कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक वीआरएस/वीएसएस की पेशकश तथा चल एवं अचल आस्तियों का निपटान और बकाया देयताओं का परिसमापन करते हुए 22.12.2015 को कंपनी को बंद करने का अनुमोदन दिया। इसके सभी कर्मचारियों ने वीआरएस ले लिया है और उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा चल आस्तियों का निपटान कर दिया गया है। अचल आस्तियों का निपटान किया जा रहा है।

1.5.3 सरकार ने एचएमटी वाचिज लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड और एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज की पेशकश करके तथा उनकी चल एवं अचल आस्तियों का निपटान सरकारी नीति के अनुसार करते हुए, 6 जनवरी, 2016 को इन्हें बंद करने का अनुमोदन दिया। तद्नुसार, इन कंपनियों को बंद करने की कार्रवाई प्रगति पर है।

1.5.4 सरकार ने पिंजौर स्थित एचएमटी लिमिटेड की ट्रैक्टर इकाई के कर्मचारियों के लिए आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज की पेशकश करते हुए 27.10.2016 को कंपनी को बंद करने का अनुमोदन दिया।

1.5.5 सरकार ने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज की पेशकश तथा चल एवं अचल आस्तियों का निपटान सरकारी नीति के अनुसार करते हुए, 28.09.2016 को इसे बंद करने का अनुमोदन दिया। तद्नुसार, इन कंपनियों की चल एवं अचल आस्तियों का निपटान करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

1.5.6 सरकार ने 30.11.2016 को इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड की कोटा इकाई को बंद करने और इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड की पलक्कड़ इकाई का अंतरण केरल सरकार को करने का अनुमोदन दिया। इस संबंध में, सरकार ने इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड की कोटा इकाई के कर्मचारियों के लंबित वेतन, सांविधिक देयताओं आदि के भुगतान सहित कर्मचारियों को 2007 के नोशनल वेतनमानों पर आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज का अनुमोदन दिया।

1.5.7 सरकार ने 21 सितम्बर, 2016 को रिचर्डसन एंड क्रूडास कंपनी लिमिटेड को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के दायरे से बाहर आने में समर्थ बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन दिया। इस प्रयोजनार्थ, सरकार ने कंपनी को दिए गए भारत सरकार के ₹ 101.78 करोड़ के ऋण को इक्विटी में बदलने और इस ऋण पर प्रोद्भूत ₹ 424.81 करोड़ के ब्याज को इक्विटी में बदलने का अनुमोदन दिया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने इस कंपनी की नागपुर और चेन्नई इकाइयों के रणनीतिक विनिवेश और प्रचालन को मुंबई से कंपनी के किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया। तथापि, कंपनी की मुंबई स्थित भूमि को लीजहोल्ड से "आक्यूपेशन क्लास II" में तब्दील किया जाएगा ताकि कंपनी सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार भूमि के इस टुकड़े के सर्वोत्तम उपयोग का पता लगाने में समर्थ बन सके।

1.5.8 सरकार ने, 27 अक्तूबर, 2016 को निम्नलिखित का अनुमोदन दिया:

- ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड और भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड का 100% विनिवेश।
- हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड में संबंधित सीपीएसई की 100% शेयरधारिता का द्विस्तरीय नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से रणनीतिक क्रेता को विनिवेश।
- सीसीआई की इकाइयों का विनिवेश वहां किया जाएगा जहां ऐसा किया जाना द्विस्तरीय नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से रणनीतिक क्रेता को वैधानिक रूप से अनुमत्य है।
- इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का इसके जैसे कार्य करने वाले सीपीएसई के साथ विलय।

दिनांक 27 अक्तूबर, 2016 के सरकार के उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित करने की आवश्यक कार्रवाई इस विभाग में जारी है।

1.6 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वायत्तता/नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा

विभाग में बीएचईएल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक महारत्न उद्यम है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न उद्यमों को पूंजीगत व्यय, कार्यनीतिक गठबंधन करने और मा.सं.वि. नीतियां तैयार करने आदि के संबंध में व्यापक स्वायत्तता प्रदान की गई है। नवरत्न कंपनी बीएचईएल के अलावा, भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सात उद्यम, नामतः बीपीसीएल, बीएंडआर, ईपीआई, एचएमटी (आई), एचएनएल, एचपीसी और आरईआईएल को मिनीरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के मिनीरत्न उद्यमों को भी कुछ और अधिक अधिकार प्रदान करते हुए सशक्त किया गया है।

1.7 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को व्यापक स्वायत्तता प्रदान किए जाने और उन्हें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जवाबदेह बनाए जाने के दृष्टिगत, विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों ने वर्ष 2017–18 के लिए भारत सरकार/धारक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

1.8 राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप)

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) भारत में अत्याधुनिक ऑटोमोटिव परीक्षण, आधिकारिक प्रमाणन और अनुसंधान एवं विकास अवसरंचना सुविधाओं को स्थापित करने के लिए पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसी ऑटोमोटिव परीक्षण अवसंरचना को स्थापित करना है जो सुरक्षा उत्सर्जन विनियम मानक पर खरी उतरे और जिससे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भारत की ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं का भी विकास हो:

(क) अत्यंत जरूरी ऑटोमोटिव परीक्षण संबंधी अवसंरचना तैयार करना ताकि सरकार वैश्विक वाहन सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्य–निष्पादन संबंधी मानकों को हासिल करने में समर्थ हो सके;

(ख) भारत में विनिर्माण को सुदृढ़ करना, बृहत मूल्य वर्द्धन को प्रोत्साहन देना, जिससे रोजगार क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो तथा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की सुदृढ़ता को ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के साथ जोड़ना।

(ग) निर्यात संबंधी बाधाओं को दूर करके इस क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहुंच, जो काफी कम है, को बढ़ाना।

(घ) ऑटोमोटिव उद्योग के लिए मूल उत्पाद परीक्षण, प्रमाणीकरण और विकास अवसंरचना संबंधी भारी कमियों को दूर करना।

1.8.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजनाएं (एनपीपीसी, सीसीआई और एवाईसीएल)

भारी उद्योग विभाग के अधीन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यम/इकाइयां स्थित हैं:–

(i) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) (नगांव और कछाड़ पेपर मिल्स), असम।

(ii) नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी), नगालैंड।

(iii) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) (बोकाजन इकाई), असम।

(iv) एंड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) (चाय बागान), असम।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के ये उद्यम/इकाइयां कागज, सीमेंट और चाय के विनिर्माण में लगी हुई हैं। सरकार की नीति के अनुसार, इस विभाग के बजट का 10% बजट अनिवार्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आबंटित किया जा रहा है।

1.9 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

सीएजी द्वारा निर्धारित अपेक्षा के अनुरूप, भारी उद्योग विभाग के कामकाज के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार **अनुबंध–XII** में दिया गया है।

अध्याय 2

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

यह विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 31 उद्यमों को (सीपीएसई) प्रशासित करता है। इन सीपीएसईज ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सीपीएसईज भारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्करों से लेकर सिविल निर्माण, भारी मशीनरी, परिशुद्ध औजारों, परामर्शी सेवाओं, चाय बागान आदि सहित अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। विभाग के अधीन प्रचालित सीपीएसईज के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

2.1 एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड (एवाईसीएल) ने समझौता ज्ञापन में किए गए ₹ 313.28 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में ₹ 263.48 करोड़ मूल्य का उत्पादन हासिल किया है। ₹ 283.08 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बिक्री ₹ 237.40 करोड़ की रही तथा समझौता ज्ञापन में निर्धारित ₹ 44.28 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में नवंबर, 2017 तक ₹ 30.96 करोड़ का निवल लाभ (पीबीटी) हासिल किया। एवाईसीएल ने माह नवम्बर, 2017 तक 84.10% उत्पादन लक्ष्य और 83.87% बिक्री लक्ष्य हासिल किया। माह नवम्बर, 2017 तक आर्डर बुक की स्थिति ₹ 110.14 करोड़ है, जबकि लक्ष्य ₹ 104.58 करोड़ का था। इस सीपीएसई ने पिछले वित्तीय वर्ष की तद्नुरूपी अवधि के दौरान उत्पादन और कर–पूर्व लाभ में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की।

2.2 हुगली प्रिन्टिंग कम्पनी लिमिटेड

हुगली प्रिन्टिंग कम्पनी लिमिटेड (एचपीसीएल), एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) की पूर्ण स्वामित्व वाली एक लाभ–अर्जक कम्पनी है। यह कम्पनी मुद्रण व्यवसाय में लगी हुई है, जिसमें बहुरंगी न्यूजलेटर, लीफलेट्स, फोल्डर, कैलेण्डर, पुस्तक आदि जैसे मुद्रण कार्य शामिल हैं। इस कम्पनी का उत्पादन और निवल लाभ (पीबीटी) नवम्बर, 2017 तक क्रमशः ₹ 6.07 करोड़ और ₹ (–)1.34 करोड़ है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में उत्पादन लक्ष्य ₹ 6.60 करोड़ और निवल लाभ का लक्ष्य ₹ (–)0.83 करोड़ था। पिछले वित्त वर्ष की तद्नुरूपी अवधि के दौरान हासिल की गई उत्पादन वृद्धि की तुलना में (–)23.79% की सकारात्मक/ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

2.3 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), भारी विद्युत उपस्करों के स्वदेशी विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भारत की शानदार सफलता का उत्सव है। कंपनी ने राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा दिए गए मूल दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह किया है। कंपनी एक एकीकृत, भारी और उन्नत श्रेणी की उपस्कर विनिर्माता है, जो कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने वाले 180 से अधिक उत्पादों के प्रोफाइल के साथ पावर, ट्रांसमिशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, तेल और गैस और रक्षा एवं एयरोस्पेस उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और सर्विसिंग में संलग्न है।

श्री अनंत गीते, माननीय केन्द्रीय मंत्री, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, श्री बाबुल सुप्रियो, माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री और तत्कालीन सचिव, डी एच आई, श्री गिरीश शंकर, भेल दिवस 2017 समारोह में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल के साथ

कंपनी का 17 विनिर्माण इकाइयों, 2 मरम्मत इकाइयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों, 8 सेवा केन्द्रों, 1 सहायक कंपनी, 3 विदेशों में स्थित कार्यालय, 6 संयुक्त उद्यम, 15 क्षेत्रीय विपणन केंद्रों का व्यापक नेटवर्क हैं।

भारत और विदेशों में 150 से अधिक परियोजना स्थलों पर चल रहे परियोजना निष्पादन अपने परिचालनों के विशाल स्तर और आकार की पुष्टि करता है।

डॉ. आशा राम सिहाग, सचिव, डीएचआई के साथ बीएचईएल के निदेशकगण

भेल दुनिया की उन कुछेक कंपनियों में से एक है, जिनके पास विद्युत संयंत्र के संपूर्ण उपकरणों के विनिर्माण की क्षमता है और इसने अवधारणा से कमीशनिंग तक विद्युत परियोजनाओं को कार्यांवित करने वाली टर्नकी क्षमताओं को साबित किया है। अब तक, बीएचईएल ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 180 गीगावॉट के विद्युत संयंत्रों के उपस्करों की आपूर्ति की है।

कंपनी का पॉवर सेक्टर थर्मल, गैस, पनबिजली, परमाणु और सौर ऊर्जा संयंत्रों का व्यापार करता है। भेल के पास भाप टर्बाइन, जनरेटर, बॉयलरों और उनकी सहायक इकाइयों को 1000 मेगावाट सेट तक की आपूर्ति करने की क्षमता के साथ 800 मेगावाट तक आपूर्ति और कमीशनिंग करने का अनुभव है। बीएचईएल को स्टीम टर्बाइन, जनरेटर, बॉयलरों और उनके सहायक उपकरणों का 1000 मेगावाट सेट तक की आपूर्ति करने की क्षमता के साथ 800 मेगावाट तक आपूर्ति और कमीशनिंग करने का अनुभव है।

बीएचईएल, हरिद्वार में 800 मेगावॉट का एलपीरोटर असेंबल हो रहा है

बीएचईएल 660 / 700 / 800 मेगावाट रेटिंग्स के सुपरक्रिटिकल सेटों सहित ईपीसी आधार पर परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

बेल्लारी एसटीपीएस, कर्नाटक में भेल की पहली 700 मेगावाट सुपरक्रिटिकल इकाई का टर्बाइन हॉल

उद्योग खण्ड में ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, एयरोस्पेस, रीन्यूएबल और वाटर बिजनेस में विविधीकरण, प्रस्तावों का एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाए रखने के लिए अपनाई गई रणनीति है।

एनई–आगरा एचवीडीसी टर्मिनल पर दुनिया का पहला + 800 केवी पूर्व–इंजीनियरिंग इंडोर डीसी हॉल

पिछले कुछ वर्षों में, बीएचईएल ने रणनीतिक उपकरणों के आपूर्तिकर्ता के रूप में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें नौसेना के जहाजों के लिए सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) और एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन सिस्टम (आईपीएमएस), थर्मो प्रेस्ड कम्पोनेंट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए हीट एक्सचेंजर्स (एलसीए), टी 72 टैंकों के लिए बुर्ज कास्टिंग, जहाजों और सिमुलेटरों के लिए कास्टिंग आदि शामिल हैं। इसके अलावा, बीएचईएल रक्षा क्षेत्र में **'मेक इन इंडिया'** के तहत पहल करते हुए फील्ड बंदूकों, पनडुब्बियों इत्यादि में बड़े अवसरों को सक्रिय रूप से तलाश रहा है।

बीएचईएल की सबसे बड़ी ताकत उसके लगभग 39,000 अत्यधिक कुशल और प्रतिबद्ध कर्मचारियों की है, जो इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की ओर भेल की यात्रा के मुख्य आधार हैं। भेल ने सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और प्रतिभा उन्नयन/कौशल विकास के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक कार्य भी किए हैं।

उभरते अवसरों का उपयोग करना और विकास की गति को दोबारा हासिल करना, ''कल का ऐसा बीएचईएलबनाने''जो अपने पणधारियों की आवश्यकताओं के लिए 'उत्तरदायी, ऊर्जावान और उन्नतिशील है, की दिशा में एक मजबूत संकल्प रहा है।

निष्पादन संबंधी विशेषताएं

बीएचईएल ने वर्ष 2016–17 में ₹ 28,840 करोड़ का कारोबार किया और इसने पिछले तीन वर्षों के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति को उलटते हुए पिछले साल के मुकाबले 10.7% की वृद्धि दर्ज की।

वर्ष 2016–17 में ₹ 10,111 करोड़ का मूल्य वर्धन रहा, जो सकल कारोबार का 37.97% निवल उत्पाद शुल्क है। वर्ष 2016–17 में प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य ₹ 25.39 लाख था।

वर्ष 2015–16 में ₹ 1164 करोड़ की हानि की तुलना में (इंड–एएस पुनर्सूचित) बीएचईएल ने वर्ष 2016–17 में ₹ 628 करोड़ का कर–पूर्व लाभ कमाया। वर्ष 2015–16 में ₹ 710 करोड़ (इंड–एएस पुनर्सूचित) की हानि की तुलना में वर्ष 2016–17 में टैक्स के बाद लाभ ₹ 496 करोड़ रहा। वर्ष 2016–17 के लिए कुल निवल आय (टीसीआई) ₹ 467 करोड़ रही।

वर्ष 2017 बीएचईएल का सार्वजनिक क्षेत्र की एक सूचीबद्ध कंपनी बनने का 25 वां वर्ष है और शेयरधारकों के लिए यह यात्रा बहुत लाभप्रद रही है। भेल ने वित्त वर्ष 2016–17 के लिए 79% कुल इक्विटी लाभांश अदा किया, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक है। मूल्य के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2016–17 के लिए कुल लाभांश ₹ 465 करोड़ (लाभांश वितरण कर सहित) है। निवेशकों को लगातार फायदा पहुँचाने संबंधी प्रयासों को जारी रखते हुए, कंपनी ने प्रत्येक 2 मौजूदा शेयरों के लिए 1 बोनस शेयर के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की भी सिफारिश की है।

सीएमडी, बीएचईएल श्री अनंत गीते, माननीय केन्द्रीय मंत्री, भा.उ. और लोक उद्यम को वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अंतिम लाभांश का चेक सौंपते हुए

बाजार परिदृश्य और ऑर्डर बुकिंग

हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा का सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ रहा स्रोत है, फिर भी तेल, गैस और कोयला से कम से कम कुछ और दशकों के लिए प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है।

घरेलू और विदेशी बाजारों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के साथ पॉवर और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कमजोर कारोबारी परिस्थितियों के बावजूद बीएचईएल ने 2016–17 के दौरान ₹ 23,489 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए।

2016–17 में प्राप्त हुए मुख्य ऑर्डर

पॉवर सेक्टर

2016–17 में 3,622 मेगावाट विद्युत परियोजनाओं के लिए बीएचईएल के पावर सेक्टर को ₹ 7,261 करोड़ के ऑर्डर मिले। इनमें आर एंड एम सहित पुर्जों और सेवाओं के व्यापार से ₹ 2,686 करोड़ (2015–16 तक 48% की वृद्धि) के ऑर्डर शामिल हैं।

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर हैं :

- पलामूरू रंगारेड्डी एलआईएस स्टेज 2 और 3 (9x145 मेगावाट +9x145 मेगावाट पंप मोटर सेट) क्रमशः ₹ 1,051 करोड़ और ₹1050 करोड़ की अब तक की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) का ऑर्डर। यह भारत में आपूर्ति के लिए निर्धारित पंप मोटर सेटों की सबसे बड़ी रेटिंग है। इन ऑर्डरों के फलस्वरूप, भेल ने 2016–17 के दौरान एलआईएस सेगमेंट में 78% बाजार हिस्सेदारी हासिल की है।
- 1x250 मेगावाट राउरकेला द्वितीय विस्तार के लिए एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल) से ₹1,612 करोड़ का ईपीसी ऑर्डर।
- संशोधित पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने के लिए 1x800 मेगावाट की एपीजेनको/विजयवाड़ा,1x800 मेगावाट की एपीडीसीएल/कृष्णपट्टनम, 1x800 मेगावाट टीएएनजीईडीसीओ/उत्तरी चेन्नई स्टेज–III आदि के लिए बॉयलर रूपांतरणों के ऑर्डर।

उद्योग क्षेत्र

बीएचईएल, उद्योग क्षेत्र ने कैप्टिव पावर, रेल ट्रांसपोर्टेशन, पावर ट्रांसमिशन, ऑयल एंड गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और जल व्यापार, रक्षा एवं एयरोस्पेस और अन्य औद्योगिक उत्पादों में विविध प्रकार के उत्पादों और प्रणालियों के लिए 2016–17 में विभिन्न ग्राहकों से ₹ 6,181 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त किए।

वर्ष के दौरान प्राप्त प्रमुख ऑर्डर हैं:

- नयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (एनएलसी) से 65 मेगावाट के सर्वोच्च एकल ऑर्डर सहित 131 मेगावाट के लिए ग्राउंड माउंटिड एसपीवी पावर प्लांट का ऑर्डर।
- एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड, वेल्लूर से समुद्री जल उपचार के लिए 57.6 एमएलडी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट पैकेज।
- 326 ट्रैक्शन मोटर टाइप आईएम4507 और 199 ट्रैक्शन अल्टरनेटर टीए 9901 के लिए डीएलडब्ल्यू, वाराणसी से उच्चतम मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया।

- आरसीएफ, कपूरथला से एमईएमयू (कर्षण मोटर रहित) के लिए ट्रैक्शन उपकरणों के 94 सेटों के लिए उच्चतम मूल्य के ऑर्डर प्राप्त किए।
- दिल्ली क्लास शिप के लिए 3 सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) का अब तक का उच्चतम एकल ऑर्डर।
- एयरोस्पेस क्षेत्र में इसरो सैटेलाइट सेंटर से स्पेस क्वालिटी लिथियम आयन बैटरियों के निर्माण, असेंबली परीक्षण और आपूर्ति के लिए आर्डर।
- पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पगलुरु, तमिलनाडु) – पावरग्रिड से उत्तर त्रिचूर (केरल) के बीच एचवीडीसी बिपोले लिंक से जुड़ी 800 के.वी., 6000 मेगावाट का एचवीडीसी टर्मिनल।
- विभिन्न ग्राहकों से 100 से अधिक उच्च वोल्टेज वाले पावर ट्रान्सफ़ॉर्मर्स (लगभग 13000 एमवीए) और 3400 मध्यम वोल्टेज स्विचगियर्स।

अंतरराष्ट्रीय प्रचालन

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर हैं:

- एनटीपीसी, भारत और बीपीडीबी, बांग्लादेश की 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी, बांग्लादेश भारत मैत्री पावर कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड (बीआईएफपीसीएल) से टर्नकी आधार पर बांग्लादेश में 2x660 मेगावॉट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए ₹10,000 करोड़ से अधिक का अब तक का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर।
- परियोजना में भेल के कार्य के क्षेत्र में टर्नकी आधार पर डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और 2x660 मेगावाट तापीय सेटों की कमीशनिंग शामिल है। कार्यक्षेत्र में एक जेटी और एक नदी–जल प्रवेश प्रणाली की स्थापना भी शामिल है। कड़े पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने के लिए, भेल एक अत्याधुनिक एफजीडी संयंत्र और ड्राई ऐश हैंडलिंग प्रणाली को भी स्थापित करेगा।
- चार नए देशों में प्रवेश।
- मोटर्स के लिए बेनिन और टोगो से प्रथम ऑर्डर।
- ट्रांसफॉर्मर बुशिंग के लिए चिली से प्रथम ऑर्डर।
- इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के लिए एस्टोनिया से प्रथम ऑर्डर।

उपर्युक्त ऑर्डरों के फलस्वरूप, 2016–17 के दौरान बीएचईएल के पाँव दुनिया के 82 देशों में फैल गए हैं।

2017–18 के दौरान सितंबर, 2017 तक प्राप्त मुख्य ऑर्डर

(₹ 3617 करोड़ के कुल ऑर्डर प्राप्त हुए)

पॉवर सेक्टर

पावर सेक्टर ने सितंबर, 2017 तक ₹ 1,382 करोड़ के ऑर्डर बुक किए।

- संशोधित पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने के लिए 1x250 मेगावाट एनएसपीसीएल/राउरकेला और 1x800 मेगावाट टीएएनजीईडीसीओ/उप्पूर के लिए बॉयलर सुधारों के लिए सुरक्षित परिवर्तन ऑर्डर।

उद्योग क्षेत्र

सितंबर, 2017 तक विभिन्न ग्राहकों से, सोलर पावर, रेल ट्रांसपोर्टेशन, डिफेन्स एंड एयरोस्पेस, पावर ट्रांसमिशन, ऑयल एंड गैस और विभिन्न औद्योगिक उत्पादों और प्रणालियों के लिए ₹ 2,222 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त किए।

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर हैं:

- रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय से 6000 एचपी के 30 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स डब्ल्यूएजी–9 एच टाइप की आपूर्ति तथा एएमसी के लिए एक प्रतिष्ठित विकास ऑर्डर प्राप्त किया। इन लोकोमोटिवों को अत्याधुनिक आईजीबीटी आधारित प्रपल्शन उपकरणों से लैस किया जाएगा।
- डीएमडब्ल्यू, पटियाला से 939 ट्रैक्शन मोटर टाइप टीएम 4907।

- सीएलडब्ल्यू, चित्तरंजन से 3 फेज़ इलेक्ट्रिक लोको के लिए एएमसी सहित आईजीबीटी आधारित पूरी प्रपल्शन प्रणाली वाले 66 सेट।
- सीएलडब्ल्यू, चित्तरंजन से 7775 केवीए के ट्रांसफार्मरों के 74 सेट।
- सीएलडब्ल्यू, चित्तरंजन से 297 ट्रैक्शन मोटर टाइप 6 एफआरए6068 ।
- कच्छ केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात से 60 मेगावाट एसटीजी के ई एंड सी की आपूर्ति और पर्यवेक्षण।
- उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसीज लिमिटेड से 60 मेगावाट के सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की आपूर्ति।
- टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टीपीएल) से 14 ट्रांसफॉर्मर।
- आईओसीएल, हल्दिया से 2.5 मेगावाट के मोटर चालित रीसायकल गैस कंप्रेसर।
- केएसईबी, केरल से 200 एमवीए के 3 और 160 एमवीए का एक, 220 केवी के ऑटो ट्रांसफॉर्मर।

अंतरराष्ट्रीय प्रचालन

बीएचईएल अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों को लक्ष्य करेगा जिनके भविष्य में विकास केंद्र होने की उम्मीद है और जिनका आने वाले वर्षों में भेल का निर्यात बढ़ाने में बड़ा योगदान होगा ।

सितंबर, 2017 तक प्राप्त प्रमुख ऑर्डरों में शामिल हैं:

- मैसर्स एफआईएमए जर्मनी (मौजूदा बाजार में नया उत्पाद) से 435 किलोवाट मोटर के लिए प्रथम ऑर्डर।
- दुनिया के विभिन्न हिस्सों, जिनमें बेलारूस, भूटान, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, केन्या, म्यांमार, नाइजीरिया, ओमान, सेनेगल, श्रीलंका, सूडान, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, से उत्पादों और बिक्री पश्चात सेगमेन्टों के लिए प्राप्त ऑर्डर।

विद्युत उत्पादन क्षमता वर्धन

2016–17 में बीएचईएल ने 8,570.55 मेगावाट के विद्युत उत्पादन करने वाले उपकरणों को कमीशन/सिंक्रनाइज़ किया। इसमें 6,977.25 मेगावाट वाले यूटिलिटी सेट, 1,515.30 मेगावाट वाले कैप्टिव/औद्योगिक सेट और विदेशी बाजारों में 78 मेगावाट वाले सेट शामिल हैं।

बीएचईएल ने अप्रैल, 2017 से सितंबर, 2017 की अवधि के दौरान, क्षमता में 1909 मेगावाट की वृद्धि हासिल की है और इसके अलावा, 800 मेगावाट को सिंक्रनाइज़ किया है।

इसके साथ ही, बीएचईएल द्वारा आपूर्तित बिजली उत्पादन उपकरणों का विश्व भर में स्थापित बेस 180 गीगावॉट तक हो गया है।

31 मार्च, 2017 तक भारत की कुल स्थापित क्षमता में भेल का 54% हिस्सा और देश के कुल विद्युत उत्पादन में थर्मल यूटिलिटी सेट (कोयला आधारित) से 58% हिस्सेदारी राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने बहुमूल्य योगदान की गवाही देती है।

साथ ही, बीएचईएल ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान, भारत सरकार द्वारा बीएचईएल के लिए निर्धारित 41,661 मेगावॉट के लक्ष्य को 9% से पार करते हुए 45,274 मेगावाट क्षमता हासिल की। इस के साथ ही बीएचईएल 12वीं योजना में 46% हिस्से के साथ देश की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा एकल योगदानकर्ता बना रहा।

जनरेशन, प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) और प्रचालन उपलब्धता (ओए) – वित्त वर्ष16–17

बीएचईएल सेटों के बेहतर प्रदर्शन की पुष्टि करते हुए, थर्मल यूटिलिटी सेटों (कोयला आधारित) से की गई देश की कुल जनरेशन 945 अरब यूनिट (बीओयू) का 58% बीएचईएल द्वारा आपूर्तित सेटों से हुआ है।

- 2016–17 में 18 सेटों ने 90% से अधिक और 60 सेटों ने 80% से 90% के बीच प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) दर्ज किया।

- बीएचईएल के 222 थर्मल सेटों ने 2016–17 के दौरान प्रचालन उपलब्धता (ओए) 90% से अधिक या बराबर हासिल की।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- बीएचईएल ने केपीसीएल, बीएचईएल और आईएफसीआई के एक संयुक्त उद्यम आरपीसीएल के 2x800 मेगावाट येरामारस टीपीएस के वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ के साथ विद्युत उत्पादन शुरू किया।

बीएचईएल ने अपनी जेवी परियोजना 2X800 मेगावाट येरामारस टीपीएस के साथ विद्युत उत्पादन शुरू किया

- बीएचईएल ने अफगानिस्तान में सुरक्षा चिंताओं और बड़ी रसद बाधाओं के बावजूद, 3x14 मेगावाट की प्रतिष्ठित सलमा हाइड्रो पावर परियोजना (अफगान भारत मैत्री बांध) की सभी तीनों इकाइयों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया।

- आईएनएस चेन्नई पर 76/62 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) और आक्ज़ीलरी कंट्रोल सिस्टम (एसीएस) की कमीशनिंग के साथ, भारतीय नौसेना के स्टील्थ मार्गदर्शित मिसाइल विध्वंसक कोलकाता–क्लास के सभी तीन जहाज अब भेल निर्मित एसआरजीएम और एसीएस से सुसज्जित हैं।

- अप्रैल 2017 में आरडीएसओ इंजीनियरों की मौजूदगी में आईजीबीटी आधारित तीन फेज ड्राइव प्रपल्शन प्रणाली के साथ एयर कंडीशनिंग ईएमयू का स्टेटिक परीक्षण / कंपन परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है और डायनामिक परीक्षण चल रहे हैं।

मुंबई में परीक्षणरत बीएचईएल इलेक्ट्रिक्स से लैस वातानुकूलित एसीईएमयू

उत्कृष्टता की मान्यता

इनमें से उल्लेखनीय बिन्दुओं का नीचे उल्लेख किया गया है:

- भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने बीएचईएल को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए इसकी उत्कृष्ट सेवा को मान्यता प्रदान करते हुए 'व्योश्रेष्ठता सम्मान' 2017 प्रदान किया। बीएचईएल के सीएमडी ने बीएचईएल के निदेशक (मा.सं.) के साथ, "वरिष्ठ नागरिकों की खुशहाली और कल्याण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम'' का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार" प्राप्त किया।

'व्योश्रेष्ठता सम्मान' 2017

- इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) का महारत्न और नवरत्न सीपीएसई श्रेणी में, पीएसईज में अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार, मानव संसाधन प्रबंधन उत्कृष्टता और उनमें महिलाओं के योगदान के लिए पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 श्री बाबुल सुप्रियो, माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री (भा.उ. एवं लो.उ.), ने भेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रदान किया।

- बीएचईएल ने आईसीएआई नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट–2016 जीता। माननीय श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री (प्रभारी) ऊर्जा, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा ने यह पुरस्कार माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले की उपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल को निदेशक (वित्त) के साथ प्रदान किया।

- बीएचईएल ने सबसे लंबे समय तक दुर्घटना मुक्त अवधि और अपने कार्यस्थलों पर सबसे कम दुर्घटना आवृत्ति दर के मामले में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए छह 'राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार' जीते हैं। श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार (स्वतंत्र प्रभार), ने बीएचईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, को यह पुरस्कार प्रदान किया।

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (6)

- बिजली उत्पादन, पारेषण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों के विकास हेतु उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के विनिर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए बीएचईएल को "सर्वश्रेष्ठ विद्युत उपकरण विनिर्माण संगठन" का सीबीआईपी अवार्ड 2017, माननीय केन्द्रीय जल संसाधन और गंगा कायाकल्प मंत्री, श्री एस.के बलियान द्वारा निदेशक (पॉवर), बीएचईएल को प्रदान किया गया।

सर्वश्रेष्ठ विद्युत उपकरण विनिर्माण संगठन का सीबीआईपी अवार्ड

- बीएचईएल के 63 कर्मचारियों को लागत में कटौती, गुणवत्ता, उत्पादकता और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार आदि के लिए उनके नवीन सुझावों हेतु, सभी संगठनों में सबसे अधिक, 15 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार।

बीएचईएल के 63 कर्मचारियों को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (15)

- वर्ष 2015–16 और 2014–15 के लिए देश के निर्यात में 'स्टार परफ़ोर्मर–प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स' के रूप में योगदान के लिए 2016–17 के दौरान ईईपीसी इंडिया नेशनल अवार्ड जीता। माननीय केन्द्रीय रेल मंत्री, श्री सुरेश प्रभु ने बीएचईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को यह पुरस्कार प्रदान किया।

कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कार हैं:–

- सीएमडी–भेल को भारी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनकी विजनरी लीडरशिप, बुनियादी ढांचे और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यों और परियोजनाओं की सुपुर्दगी में कंपनी द्वारा उनके नेतृत्व में दिए गए असाधारण योगदान के लिए 6वें ईपीसी वर्ल्ड अवार्ड्स में उद्योग सम्मान से सम्मानित किया गया।
- दलाल स्ट्रीट जर्नल ऑफ इंवेस्टमेंट (डीएसआईजे) द्वारा "साल का सबसे दक्ष महारत्न – विनिर्माण" के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक उपक्रम 2016। प्रशस्ति पत्र जर्नल में प्रकाशित हुआ।
- स्कॉच ऑर्डर ऑफ़ मेरिट – स्टीम टरबाइन और टीएचआरआई कूल्ड टर्बो जनरेटर और स्कॉच द्वारा ऊर्जा दक्ष आर एंड एम कार्यों के माध्यम से पुराने थर्मल पावर प्लांट की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी परिनियोजन (डिप्लोयमेंट) के लिए बीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार।
- सीखने और विकास के क्षेत्रों में भेल की उत्कृष्ट पहल की कदर करते हुए साल 2016 के लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट के माध्यम से बिजनेस एक्सीलेंस के लिए 11 वां बीएमएल मुंजाल पुरस्कार।

क्षमता निर्माण

- बेंगलुरु की अपनी विनिर्माण इकाइयों में पूर्ण स्वचालन के साथ बीएचईएल ने सोलर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) मॉड्यूल के लिए अपनी विनिर्माण क्षमता 226 मेगावाट तक और सौर सेल के लिए 105 मेगावाट तक बढ़ा ली है।

माननीय केन्द्रीय मंत्री (भा.उ. एवं लो.उ.), श्री अनंत गीते ने भेल की उन्नत, अत्याधुनिक सौर पी वी विनिर्माण लाइन का उद्घाटन किया

- मेट्रो के लिए स्टेनलेस स्टील के डिब्बों और बोगी के विनिर्माण के लिए जापान की कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (केएचआई) के साथ एक तकनीकी सहयोग समझौता (टीसीए) किया। केएचआई के साथ प्रौद्योगिकी संधि भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल और बीएचईएल के शहरी परिवहन कारोबार में विविधीकरण की प्रक्रिया के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। दुनिया की सबसे अच्छी रोलिंग स्टॉक कंपनियों में से एक के साथ बीएचईएल की भागीदारी, भारतीय परिवहन व्यवसाय में बीएचईएल – केएचआई ब्रांड की स्थापना में काफी मददगार होगी। मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए हाई स्पीड ट्रेन सेट बनाने के लिए बीएचईएल पहले से ही कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (केएचआई) के साथ समझौता ज्ञापन कर चुका है।
- बीएचईएल भारत सरकार के तत्वावधान में एनटीपीसी और आईजीसीएआर के साथ संयुक्त रूप से उच्च दक्षता वाले ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) तकनीक विकसित कर रहा है।
- एयूएससी प्रौद्योगिकी के सफल विकास के बाद संयंत्र की दक्षता को 46% तक बढ़ाए जाने के अलावा, मौजूदा सुपर क्रिटिकल प्लांटों की तुलना में कोयले की खपत में 11% की कमी और CO^2 उत्सर्जन में 11% की कमी होगी। इस विशाल कोयला रिजर्व के सही उपयोग से देश की ऊर्जा सुरक्षा में काफी सुधार होगा।

2.4 बीएचईएल – इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

बीएचईएल–ईएमएल भेल की एक सहायक कंपनी है, जिसका गठन 2011 में बीएचईएल और केरल सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुआ था। इसका अभिज्ञात फोकस क्षेत्र विभिन्न घूर्णन विद्युत मशीनरी जैसे आल्टरनेटर्स, मोटर्स आदि का विनिर्माण करना है और ग्राहकों को डीजल जनरेटर सेट मुहैया कराए गए आल्टरनेटर्स का संयोजन करना है।

फिलहाल, बीएचईएल–ईएमएल डीजल जेनरेटरों (डीजी) के साथ–साथ 1500 केवीए क्षमता तक के आल्टरनेटरों और 37 किलोवॉट – 160 किलोवॉट तक की रेंज की इंडक्शन मोटर्स का विनिर्माण और उनका विपणन करता है।

कंपनी विभिन्न पावर स्टेशनों को स्टेंड़बाई जनरेटरों के अलावा इंडियन रेलवे को (ट्रेन लाइटिंग आल्टर्नेटर्स, रेक्टिफायर रेग्यूलेटिंग इकाइयां, पावर कार डीए सेट और ट्रैक्शन आल्टर्नेटर्स) मुहैया कराती है।

वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2016–17 में, कंपनी ने ₹ 3212.93 लाख का कारोबार किया।

कंपनी को 2016–17 में ₹ 379.26 लाख की हानि हुई।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

प्रमुख उपलब्धियां 2016–17

रिपोर्टाधीन अवधि के तहत निष्पादित किए गए प्रमुख ऑर्डर नीचे दिए गए हैं–

<u>रेलवे–पावर कारें</u>

बीएचईएल–ईएमएल ने पावर कारों के लिए 500 केवीए के 72 डीए सेट निष्पादित किए।

<u>आल्टर्नेटर्स</u>

भेल–ईएमएल ने भारतीय रेलवे को 81 ट्रेन लाइटिंग आल्टरनेटरों और अन्य ग्राहकों को सामान्य प्रयोजन वाले 82 आल्टरनेटरों की आपूर्ति की।

<u>स्वचालित दुर्घटना राहत ट्रेन (स्पार्ट) के लिए डीजी सेट</u>

कंपनी ने स्पार्ट के लिए 10 डी.जी. सेटों की आपूर्ति की है।

2017–18 में सितंबर, 17 तक प्रमुख उपलब्धियां

कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार, ₹ 3245 लाख मूल्य के ऑर्डरों की पुष्टि की थी, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के कुल बजट लक्ष्य का लगभग 44% है। मौजूदा ऑर्डर बुक (निष्पादन लंबित) ₹ 2132 लाख की है।

कार्यशील पूंजी की कमी के बावजूद, कंपनी ने इस वर्ष के कुल बजट लक्ष्य का लगभग 16.6% कार्य निष्पादित किया है।

कंपनी की 'पुनरुद्धार योजना' के अनुरूप, निम्नलिखित उत्पादों / विविध उत्पादों की योजना बनाई गई है और उन्हें निष्पादित किया जा रहा है –

क) सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए स्ट्रिंग मॉनिटरिंग यूनिट

ख) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी के लिए ऑग्जिलरी जेनरेटर (18 किलोवाट)

ग) भारतीय रेलवे के लिए 1600 एचपी वाली डीईएमयू के लिए ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर

घ) हरित ऊर्जा सार्वजनिक पारगमन प्रणाली के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रणाली

ङ) रेलवे अनुप्रयोगों के लिए स्थायी मैग्नेट (पीएमजी) ऑल्टरनेटर

च) रणनीतिक (रक्षा) अनुप्रयोगों के लिए साइक्लो / रोटरी कनवर्टर (60 केवीए)

छ) सामरिक (रक्षा) अनुप्रयोगों के लिए समुद्री अल्टरनेटर (490 किलोवाट)

ज) रेलवे अनुप्रयोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर सह रेग्यूलेटर यूनिट (ईआरआरयू)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के एक भाग के रूप में, बीएचईएल ईएमएल ने पहले ही ₹ 50.66 करोड़ के अनुमानित अनुदान के अनुरोध के साथ भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संबंधी एक परियोजना / प्रस्ताव भेज दिया है। संबंधित विभाग के साथ इस प्रस्ताव पर बातचीत की जा रही है। विशिष्ट मार्गों (जिनमें समतल, ढलान और स्टॉप / स्टार्ट यातायात परिस्थितियां निहित हैं) में इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता के प्रदर्शन के प्रस्ताव जो विभिन्न राज्य सरकारों (जैसे, केरल में तिरुवनंतपुरम सिटी सर्विस में, तमिलनाडु में कोयंबटूर–ऊटी सेक्टर और राजस्थान में जयपुर–उदयपुर सेक्टर में जयपुर सिटी सेवा) प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

निर्यात योजनाएं

नेपाल को माइक्रो हाइडल परियोजनाओं के लिए आल्टर्नेटर्स निर्यात किए गए भारतीय ग्राहकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्यात किया जाता है (उदाहरण के लिए विभिन्न विदेशी रेलवे के लिए आरआईटीईएस)। दुनिया भर में माइक्रो हाइडल परियोजनाओं के लिए अपने सर्वोत्तम निर्यात के लिए तोशिबा इंडिया के माध्यम से इसी तरह की अप्रत्यक्ष निर्यात की योजना बनाई गई है।

2.5 ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

द ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) को पूर्वी भारत की तीन मुख्य इंजीनियरी कंपनियों अर्थात् ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (40%), बर्न एंड कंपनी लिमिटेड (30%)और जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (30%) द्वारा किए गए अंशदान से भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत 26.01.1935 में निगमित किया गया था।

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के तहत अपने समस्त शेयर तत्कालीन धारक कंपनी नामतः भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) को हस्तांतरित करने के परिणामस्वरूप ''सरकारी कंपनी'' बनी और 13.08.1987 से बीबीयूएनएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

भारत सरकार के आदेश के परिणामस्वरूप, अंतरणकर्ता कंपनी के रूप में इस कंपनी (बीबीजे) का विलय 10.07.2015 को अंतरिती कंपनी के रूप में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड में कर दिया गया था। इसके बाद, बीबीयूएनएल का 18.11.2015 को द ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया है।

बीबीजे को बीआईएफआर को नहीं भेजा गया था। तथापि, कंपनी को स्थायी आधार पर एक अर्थक्षम उद्यम बनाने के लिए, बीबीजे के वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2005 में किया गया था। तब से, कंपनी निरन्तर बढ़ते हुए निवल लाभ और सकारात्मक निवल मूल्य को हासिल कर रही है। वित्त वर्ष 2009–10 से बीबीजे ने अपनी संचित हानि को पूरी तरह से समाप्त कर लिया।

बीबीजे ने 2012–13 और 2013–14 दोनों ही वित्त वर्षों के लिए ₹ 4.05 करोड़ (उस पर ₹ 0.69 करोड़ का लाभांश कर) का लाभांश और 2015–16 में ₹ 13.32 करोड़ (उस पर ₹ 2.71 करोड़ का लाभांश कर) का लाभांश भारत सरकार को अदा किया। बीबीजे ने वित्त वर्ष 2016–17 के लिए ₹ 6.36 करोड़ (उस पर ₹ 1.27 करोड़ का लाभांश कर) के लाभांश का प्रस्ताव किया जिसको बीबीजे की वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन होने के अध्यधीन 2017–18 में अदा किया जाना है।

बीबीजे ने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए हैं:–

- बीबीजे ने मार्च, 2011 में लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड से ''टर्नअराउंड सीपीएसई'' पुरस्कार प्राप्त किया।
- इंस्टिट्यूट ऑफ इक्नॉमिक स्टडीज, दिल्ली से उत्कृष्टता के लिए ''उद्योग रत्न अवार्ड'' प्राप्त किया।
- मुंगेर, बिहार राज्य में गंगा नदी के ऊपर ''रेल–सह–सड़क सेतु'' विशाल परियोजना के लिए नवंबर, 2014 में भारत की सर्वोत्कृष्ट परियोजनाएं–2014 के लिए ''स्कॉच अवार्ड'' उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया।
- टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की ओर से भारत में विभिन्न प्रतिष्ठित पुलों के निर्माण के लिए सितम्बर, 2016 में ''द इक्नॉमिक टाइम्स बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्रांड्स 2016'' पुरस्कार प्राप्त किया।
- केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित ''राजभाषा सम्मेलन'' में ''उत्कृष्ट राजभाषा श्री'' शील्ड सम्मान प्राप्त किया।
- ''नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू)'', कोलकाता द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2016–17 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए ''राजभाषा पुरस्कार स्कीम'' के अंतर्गत ''राजभाषा पुरस्कार'' प्राप्त किया।

2.6 भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड

भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) को उत्तर प्रदेश के नैनी, इलाहाबाद में विनिर्माण सुविधा सहित वर्ष 1970 में निगमित किया गया था। यह कंपनी तेल अन्वेषण और दोहन, तेल शोधन कारखानों, पेट्रो–रसायन, रसायन और उर्वरक और संबंधित डाउनस्ट्रीम उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हेवी ड्यूटी पंप्स एंड कंप्रेसर्स तथा उच्च दाब वाले सीवनरहित सीएनजी गैस सिलेण्डरों/कासकेड के विनिर्माण और आपूर्ति में लगी हुई है। यह कंपनी आईएसओ 9001–2000, आईएसओ 14001:2004 और ओएचएसएएस 18001–2007 के साथ एकीकृत प्रबन्धन प्रणाली

प्रमाणीकरण से प्रत्यायित है। यह कंपनी एपीआई 7के लाइसैंस अथवा स्लश पंप के कलपुर्जों का विनिर्माण करने के लिए भी प्रत्यायित है।

बीपीसीएल को दिसम्बर, 2006 में पुनरुद्धार पैकेज स्वीकृत किया गया था। यह कंपनी पहले बीआईएफआर को संदर्भित बीमार कंपनी थी जो फरवरी, 2007 में स्वयं ही बीआईएफआर के अधिकार–क्षेत्र से बाहर आ गई। अगले तीन वर्ष के दौरान बीपीसीएल ने अच्छा कार्य–निष्पादन किया। वर्ष 2016–17 के दौरान, कम क्रयादेश, आर्थिक मंदी, विदेशी कंपनियों के आगमन, घरेलू विनिर्माताओं की वृद्धि की वजह से कंपनी ने ₹ 73.99 करोड़ (अनंतिम) की निवल हानि दर्ज की जिसके फलस्वरूप बिक्री में गिरावट आई।

2.7 ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर) को जनवरी, 1920 में बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात्, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन वर्ष 1972 में सरकारी कंपनी बन गई। जून 1986 में, बीएंडआर का प्रशासनिक नियंत्रण भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय को सौंप दिया गया और बाद में इसे 1987 में धारक कंपनी, मैसर्स भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल), इलाहाबाद के नियंत्रण में लाया गया। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, बीवाईएनएल दिनांक 06.05.2008 से बीएंडआर की धारक कंपनी नहीं रही और यह सीधे भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन आ गई। कंपनी के पूंजी पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा दिनांक 02.09.2005 को अनुमोदित किया गया था।

ब्रिज एंड रूफ कंपनी हाइड्रोकार्बन, विद्युत, एल्यूमिनियम, इस्पात, रेलवे आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सिविल और मैकेनिकल निर्माण कार्यों तथा तैयारशुदा परियोजनाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख निर्माण और इंजीनियरी कंपनी है।

कंपनी 2007–08 से लाभ अर्जित कर रही है और 2010 में इसे मिनीरत्न श्रेणी–I का दर्जा प्रदान किया गया है। विगत कुछ वर्षों के दौरान बीएंडआर का कार्य–निष्पादन उल्लेखनीय रहा है और वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी का कारोबार ₹ 1751.33 करोड़ और कर–पूर्व निवल लाभ ₹ 27.25 करोड़ था। बीएंडआर ने नवंबर, 2017 में भारत सरकार को ₹ 4.87 करोड़ का लाभांश अदा किया।

2.8 रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड

रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी) को निजी क्षेत्र से वर्ष 1973 में अधिग्रहीत किया गया था। यह कंपनी अनुसूची 'ग' श्रेणी की भारत सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी चार इकाइयां हैं: मुंबई में भायखला और मुलुंड में दो, नागपुर और चेन्नई में एक–एक। यह इस्पात संरचनाओं के फेब्रिकेशन और इरेक्शन, प्रेशर वेसल्स के फेब्रिकेशन, बॉयलर ड्रम्स, हॉट प्रैस्ड डिश्ड एंड्स, ट्रांसमिशन लाइन टॉवर्स, पर्यावरण के अनुकूल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला सेवाएं मुहैया कराना और उप–नगरों के अनुरक्षण करने जैसे कार्यों में लगी हुई है। वर्ष 2016–17 में कंपनी का कुल कारोबार ₹ 46.17 करोड़ रहा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21 सितम्बर, 2016 को कंपनी का वित्तीय पुनर्गठन करने की स्वीकृति दी।

2.9 त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लिमिटेड

नैनी, उत्तर प्रदेश में अवस्थित त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लिमिटेड (टीएसएल) 1965 में निगमित की गई थी। कंपनी में विद्युत पारेषण, संचार और टीवी प्रसारण हेतु ऊंचे टावरों और खंभों, हाइड्रो मैकेनिकल उपस्कर,

प्रेशर वैसल्स आदि जैसे भारी इस्पात संरचना उत्पादों के विनिर्माण की सुविधा थी। कंपनी रुग्ण हो गई और बीआईएफआर को भेज दी गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 08.10.2013 के आदेश के अनुसरण में, कंपनी परिसमापनाधीन है।

2.10 तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

यह कंपनी होस्पेट (कर्नाटक) में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों के साथ भारत सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में 1960 में स्थापित की गई थी। यह कंपनी में हाइड्रोलिक संरचनाओँ, पेनस्टॉक्स, भवन संरचना, पारेषण, लाइन टावरों, ईओटी और गेन्टरी क्रेनों आदि के डिजाइन, विनिर्माण और इरेक्शन की सुविधाओं से युक्त है। सीसीईए ने दिनांक 22.12.2015 को हुई अपनी बैठक में इस कंपनी को बंद करने का अनुमोदन दिया। वर्तमान में टीएसपीएल ने अपना प्रचालन बंद कर दिया है और सभी कर्मचारियों ने वीआरएस स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है।

2.11 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

दिनांक 28.09.2016 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस कंपनी को बंद करने की कार्रवाई लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप की जा रही है।

2.12 हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) रांची को 31 दिसम्बर, 1958 में लौह और इस्पात उद्योग तथा खनन, धातुकर्म तथा इंजीनियरिंग उद्योगों जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उपस्करों और मशीनरी के डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रमुख उद्देश्य से निगमित किया गया था। इसकी तीन विनिर्माण इकाइयां और एक टर्नकी परियोजना प्रभाग है अर्थात्:–

- **हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एचएमबीपी)**

यह यूनिट इस्पात संयंत्रों के लिए उपस्करों की विस्तृत श्रृंखला जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस व रोलिंग मिल्स आदि, ईओटी क्रेन तथा वैगन टिपलर्स आदि जैसे मेटिरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, खनन उद्योगों के लिए 5 और 10 घन मीटर के उत्खनक जैसे उपकरण, क्रशर्स, ड्रेग लाइन्स और माइन विंडर्स आदि जैसे उपकरणों की व्यापक श्रृंखला का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न सेक्टरों से प्रौद्योगिकीय संरचनाओं के आदेशों को भी निष्पादित करती है।

- **हेवी मशीन टूल्स लिमिटेड प्लांट (एचएमटीपी)**

यह यूनिट सीएनसी हेवी ड्यूटी मशीन टूल्स सहित भारी मशीन टूल्स तथा रेलवे, रक्षा, पावर और अन्य क्षेत्रों के लिए अपेक्षित विशेष प्रयोजन वाले सभी प्रकार के मशीन टूल्स का निर्माण करती है।

- **फाउंड्री फोर्ज प्लांट (एफएफपी)**

यह रेलवे के लिए बी.जी. क्रैंक शाफ्ट के अलावा, विद्युत, नाभिकीय और अन्य क्षेत्र के लिए विभिन्न किस्म की भारी एवं मध्यम कास्टिंग्स, फोर्जिंग तथा रोल्स का निर्माण करती है। यह यूनिट, एचएमबीपी और एचएमटीपी के लिए फीडर यूनिट के रूप में भी कार्य करती है।

- **टर्नकी परियोजना प्रभाग**

यह कम तापमान कार्बनीकरण संयंत्रों, कोल हैंडलिंग संयंत्रों, कोल वॉशरीज, सिंटरिंग संयंत्रों, निरंतर कास्टिंग प्लांट्स और कच्चा माल देखरेख प्रणाली आदि क्षेत्रों में टर्नकी परियोजनाओं का कार्य देखता है।

उपस्करों/सुविधाओं की खराब होती स्थिति के साथ–साथ कार्यशील पूंजी की अत्यधिक कमी से 2013–14 से इसका कार्य–निष्पादन बुरी तरह

प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त, पुराने क्रयादेशों को पूरा करने से लागत पर और अधिक प्रभाव पड़ा और कंपनी ने प्रचालन हानि उठानी आरम्भ कर दी। क्रेताओं को समय पर भुगतान न किए जाने के मुद्दे की वजह से आउटसोर्सिंग जैसे प्रयासों से भी फायदा नहीं हुआ। नाभिकीय सेक्टर के लिए बेहतर मार्जिन और उच्च मूल्य वाले विशेष फोर्जिंग के कलपुर्जों के उत्पादन पर अधिक बल दिए जाने जैसे कार्यनीतिक उपायों से कंपनी को 2015–16 की तुलना में 2016–17 के दौरान अपनी प्रचालन हानि में कमी लाने में मदद मिली। 2016–17 के दौरान उत्पादन और सकल कारोबार क्रमशः ₹ 364.84 करोड़ और ₹ 390.11 करोड़ का रहा जबकि 2015–16 के दौरान यह क्रमशः ₹ 340.68 करोड़ एवं ₹ 374.48 करोड़ का था। कंपनी को 2016–17 में ₹ 82.27 करोड़ की प्रचालन हानि हुई जबकि 2015–16 के दौरान यह हानि ₹ 180.77 करोड़ की हुई थी।

निवल कारोबार और निवल लाभ के संदर्भ में इस कंपनी का वर्ष 2017–18 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य क्रमशः ₹ 695.00 करोड़ और (–) ₹ 32.12 करोड़ था।

2.13 एचएमटी लिमिटेड (एचएमटीएल)

एचएमटी लिमिटेड भारत की प्रमुख इंजीनियरी कम्पनी समूह में से एक है, जिसे भारत सरकार द्वारा 1953 में निगमित किया गया था। इसका उद्देश्य देश के लिए औद्योगिक इमारतों का निर्माण करने के लिए अपेक्षित मशीन टूल्स का उत्पादन करना था। स्विटजरलैंड के मैसर्स ऑरलिकोन के सहयोग से बंगलौर में एक विनिर्माण इकाई की स्थापना की गई थी। समय के साथ कम्पनी ने घड़ियों, ट्रैक्टरों, प्रिंटिंग मशीनों, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी, प्रेसों, बियरिंग्स आदि जैसे विभिन्न उत्पादों का विनिर्माण शुरू कर दिया तथा इन उत्पादों के लिए, सम्पूर्ण देश में अर्थात् बंगलौर, हैदराबाद, अजमेर, कोचीन के समीप कलमासेरी, चंडीगढ़ के नजदीक पिंजौर, बंगलौर के निकट तुमकुर, नैनीताल के निकट रानीबाग और कश्मीर में श्रीनगर जैसे स्थानों पर विनिर्माण कम्पनियां स्थापित कीं।

भारत सरकार की नई आर्थिक नीतियों की पहल के फलस्वरूप, वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने तथा समकालीन व्यापार मॉडल के साथ–साथ चलने के लिए कंपनी का पुनर्गठन वर्ष 2000 में कम्पनी की पुनर्गठित धारक कम्पनी के तहत अपने विभिन्न व्यापारिक पोर्टफोलियो के आधार पर सहायक कम्पनियों का निर्माण करके किया गया था।

एचएमटी लिमिटेड, धारक कंपनी, ट्रैक्टर कारोबार और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी कारोबार का स्वयं प्रबंधन करती है। हरियाणा के पिंजौर में अवस्थित एचएमटी का ट्रैक्टर विनिर्माण संयंत्र और हैदराबाद में अवस्थित ट्रैक्टर एसेम्बली इकाई को बंद किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी प्रभाग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और यह इकाई विभिन्न प्रकार की डेयरी मशीनरी तथा खाद्य प्रसंस्करण ऐप्लीकेशन्स का विनिर्माण करती है।

2.14 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी एमटीएल)

एचएमटी लिमिटेड के मशीन टूल्स कारोबार को वर्ष 2000 में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। घरेलू तथा निर्यात दोनों प्रकार के बाजारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचएमटी एमटीएल प्रिंटिंग मशीनों और डाई कॉस्टिंग तथा मोल्डिंग मशीनों सहित मेटल कटिंग एवं मेटल फॉर्मिंग मशीनों का विनिर्माण करती है। एचएमटी एमटीएल की विनिर्माण इकाइयां बेंगलुरू, पिंजौर, कलमासेरी, हैदराबाद और अजमेर में स्थित हैं। कंपनी एचएमटी तथा अन्य कंपनियों की मशीनों की मरम्मत तथा नवीनीकरण के लिए भी सेवाएं प्रदान करती है।

कंपनी को अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में विशेष उपयोग के लिए उपकरणों व मशीनों की आपूर्ति करने में विशेषज्ञता प्राप्त है। पूर्ववर्ती प्रागा टूल्स लिमिटेड, जो सीएनसी और गैर–सीएनसी मशीन टूल्स की निर्माता थी, वर्ष 1988 में एचएमटी लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई और वर्ष 2007–08 के दौरान इस कंपनी का एचएमटी एमटीएल के साथ विलय कर दिया गया था। एचएमटी एमटीएल का विपणन नेटवर्क उपभोक्ताओं की बिक्री तथा सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे देश में फैला हुआ है।

2.15 एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड (एचएमटीआई)

एचएमटी (इन्टरनेशनल) लिमिटेड को देश में सर्वोत्तम निर्यात घरानों में से एक घराने के रूप में जाना जाता है। यह एच.एम.टी उत्पादों के साथ–साथ अन्य भारतीय विनिर्माताओं के इंजीनियरिंग सामान का निर्यात करती है। टूल रूम्स और प्रशिक्षण केन्द्रों के क्षेत्र में टर्नकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर मुख्य बल दिया जाता है। सहायक कम्पनी का निर्माण वर्ष 1974 में किया गया था। एचएमटी (इन्टरनेशनल) को ''मिनीरत्न'' का दर्जा दिया गया है।

2.16 इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल), कोटा की स्थापना 1964 में एक पूर्ण स्वामित्व वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्रमुख औद्योगिक सेक्टरों नामतः विद्युत, इस्पात, तेल रिफाइनरी आदि की नियंत्रण एवं इंस्ट्रूमेन्टेशन (सीएंडआई) की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए की गई थी। कंपनी का अपना पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय कोटा, राजस्थान में है और डिजीटल नियंत्रण प्रणाली, दूरसंचार उत्पादों, रेलवे सिग्नल उत्पादों आदि के लिए कोटा में और कन्ट्रोल वॉल्व्स/एक्चुएटर्स के लिए पलक्काड, केरल में विनिर्माणकारी संयंत्र हैं। दोनों ही विनिर्माणकारी संयंत्र आईएसओ 9001:2008 श्रृंखला प्रमाण–पत्र से प्रत्यायित हैं। इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड एक रुग्ण इकाई थी और इसे 1994 में बीआईएफआर को भेज दिया गया था। सभी पहलुओं (पुनरुद्धार, विलय सहित) पर विचार करने पर भारी उद्योग विभाग ने आईएल, कोटा को बंद करने और आईएल, पलक्काड इकाई को केरल सरकार को अंतरित करने की सिफारिश के प्रस्ताव की पहल का निर्णय लिया। प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 30.11.2016 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया गया था। बंद करने के प्रस्ताव का अनुमोदन होने के पश्चात्, भारी उद्योग विभाग ने पूर्व कर्मचारियों की लंबित देयताओं का निपटान करते हुए कोटा इकाई के कर्मचारियों की वीआरएस/वीएसएस संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए ₹ 400.02 करोड़ की निधि मार्च, 2017 में और ₹ 164.14 करोड़ की निधि जुलाई/अगस्त, 2017 में उपलब्ध कराई।

इस कंपनी ने भारत सरकार द्वारा आईएल, कोटा को बंद करने के विरुद्ध राजस्थान, उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका दायर करने वाले केवल एक कर्मचारी को छोड़कर सभी कर्मचारियों से वीआरएस/वीएसएस के आवेदन प्राप्त किए। सभी कर्मचारियों को 18.04.2017 को कार्यमुक्त कर दिया गया और उस एक कर्मचारी का मामला भी न्यायालय द्वारा 17.11.2017 को हुई सुनवाई में खारिज कर दिया गया। उस कर्मचारी ने वीआरएस/वीएसएस के विकल्प का चयन किया और उसको भी अन्य कर्मचारियों की तरह 18.04.2017 को कार्यमुक्त कर दिया गया। आईएल, कोटा को बंद करने की प्रगति संक्षिप्त में निम्नवत है:–

1. कोटा इकाई के सभी कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस देने का कार्य पूरा कर लिया गया है।
2. लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कंपनी को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश के अनुसार चल आस्तियों के निपटान का कार्य समय पर पूरा कर लिया गया है।
3. जमानती ऋणदाताओं को भुगतान कर दिया गया है।

4. गैर–जमानती ऋणदाताओं के भुगतान और अचल आस्तियों के निपटान का कार्य प्रगति पर है।

5. आईएल, कोटा के पास 181.883 एकड़ भूमि कोटा में है और 10 एकड़ भूमि राजस्थान सरकार के साथ पट्टे पर सीतापुरा, जयपुर में है। इनको भारी उद्योग विभाग के अनुमोदन से राजस्थान सरकार को सौंपा जाना है।

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पलक्काड

पलक्काड इकाई को केरल सरकार को अंतरित करने की कार्य प्रणाली का निर्णय केरल सरकार और भारी उद्योग विभाग के बीच लिया जा रहा है। केरल सरकार और भारी उद्योग विभाग के बीच अधिग्रहण की कार्य प्रणाली और इकाई के मूल्यांकन पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 11.01.2017, 31.05.2017 और 21.11.2017 को बैठकें हुईं। अधिग्रहण पर देय राशि को अंतिम रूप देने के लिए निर्दिष्ट तारीख के संबंध में 21.11.2017 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इसके लिए 31.03.2017 अंतिम तारीख मानी जाएगी और आस्तियों और देनदारियों में बदलाव इसके पश्चात समुचित रूप से शामिल किए जाएंगे।

2.17 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जयपुर (आरईआईएल) की स्थापना इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आईएलके) और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (आरआईआईसीओ) के संयुक्त उद्यम के रूप में क्रमशः 51% और 49% की हिस्सेदारी के साथ 1981 में की गई थी **ताकि डेयरी इलेक्ट्रानिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा (सौर फोटोवोल्टिक) और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास विनिर्माण और प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर का परिनियोजन किया जा सके।** आरईआईएल भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन मध्यम और हल्के इंजीनियरी सेक्टर में वर्ग 'ग' मिनिरत्न तथा आईएसओ 9001 तथा आईएसओ 14001 प्रमाणित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है जिसका पंजीकृत और कार्पोरेट कार्यालय जयपुर में है।

राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, जयपुर को एक स्वतंत्र केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में, ₹ 10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर संपूर्ण 62,47,500 शेयरों की शेयरधारिता का अंतरण इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा (आईएलके) से करते हुए आरईआईएल की डी–लिंकिंग कर दी गई है, आरईआईएल में आईएलके द्वारा धारित 51% इक्विटी भारत के राष्ट्रपति की है। इसके परिणामस्वरूप, आरईआईएल इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा की अनुषंगी कंपनी नहीं रही।

आरईआईएल अपने दुग्ध विश्लेषण और ऑटोमेशन साल्यूशंस के माध्यम से **डेयरी उद्योग सेक्टर** के सभी स्तरों पर दुग्ध के गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण के लिए प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराती है; **सौर फोटोवोल्टिक** के माध्यम से ग्रामीण और संबंधित शहरी सेक्टर; और ई–गवर्नेंस, डेयरी वर्टिकल लघु व्यापार और सरकारी सेक्टरों के लिए **सूचना प्रौद्योगिकी** एवं सुरक्षा निगरानी अनुप्रयोगों की आवश्यकताओं का निवारण करती है। कंपनी का आदर्श वाक्य है, **"इलेक्ट्रोनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से ग्रामीण भारत का निर्माण"।**

आरईआईएल वर्षों से लगातार वृद्धि दर्ज कर रहा है। वित्त वर्ष 2016–17 में इसने ₹ 230.37 करोड़ का कारोबार कर ₹ 12.15 करोड का कर–उपरांत लाभ प्राप्त कर अच्छा कार्य निष्पादन दर्शाया है। कंपनी की निवल संपत्ति ₹ 204.00 करोड़ के क्रयादेश से वित्तीय वर्ष 2016–17 में 7% बढ़कर ₹ 103.83 करोड़ से ₹ 110.72 करोड़ हो गई है। पहली बार, कंपनी ने

सीधे ही भारत सरकार को लाभांश अदा किया है जो वर्ष 2016–17 के लिए अपनी इक्विटी शेयर केपिटल पर 48.16% की दर पर अब तक का उच्चतम है। कंपनी के मानद और प्रत्यक्ष निर्यात ₹ 0.22 करोड़ मूल्य के हैं।

कंपनी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अपने बाजार संचालित आंतरिक अनुसंधान एवं विकास (आरएंडी) के माध्यम से ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 100 से अधिक किस्में, जिनमें नए उत्पाद और वर्तमान उत्पादों का उन्नयन शामिल है, विकसित और काम में लगाई गई हैं।

वित्त वर्ष 2016–17 में शुरू की गईं प्रमुख विकास परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:–

क) स्मार्ट जीपीआरएस यूनिट(एसजीयू)।

ख) जीपीआरएस आधारित डीपीएमसीयू – परियोजना कार्यान्वयन

ग) जीपीआरएस आधारित डीपीएमसीयू के लिए मोडम

घ) हाइब्रिड सौर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर

वित्त वर्ष 2017–18 में चालू प्रमुख परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:–

क) आरएमयू – सौर जल पंपिंग प्रणाली के लिए रिमोट मॉनिटरिंग यूनिट

ख) अगली पीढ़ी वाले डीपीयू

ग) सोलर ईवी चार्जिंग स्टेशन (एसईपीसीएस)

घ) सौर पंप नियंत्रक

आरईआईएल ने राष्ट्रीय ख्याति की प्रतिष्ठित परियोजनाएं निष्पादित की हैं और इसके पास **देश भर में प्रॉडक्ट टू प्रोजेक्ट मोड में** कार्य पूरा करने की विशेषज्ञता है। कंपनी ने अपने उद्देश्यों को सरकार के मिशन और नीतियों के अनुरूप बनाया हैए जीपीआरएस एनेबल्ड मिक्स ऑटोमेशन सॉल्यूशनों के माध्यम से **राष्ट्रीय मिल्क ग्रिड और कोल्ड चेन** की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा किया है, **मेक इन इंडिया** पहल के तहत – इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एडल्ट्रेशन टेस्टरों के विनिर्माण हेतु उत्पादन लाइन स्थापित की तथा हेनोवर मैसी 2015 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के प्रत्युत्तर में कम लागत के मल्टी पैरामीटर मिल्क एनालाइजर का विनिर्माण भी प्रारंभ किया, **राष्ट्रीय सौर मिशन** के तहत, 765 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर विद्युत परियोजनाओं के रॉलआउट के लिए 10 मंत्रालयों हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा एक दक्ष परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में नामित किया, जयपुर और उदयपुर में सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा **स्मार्ट सिटी मिशन** के तहत सुरक्षा निगरानी समाधानों तथा **फेम इंडिया स्कीम** के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग हेतु सौर/इलेक्ट्रिक फास्ट–स्लो चार्जिंग स्टेशन लगाने हेतु यह नोडल एजेन्सी है।

राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत कंपनी के उद्देश्यों को ''मेक इन इंडिया'' के साथ मिलाते हुए और अपनी स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं के एक भाग के रूप में कंपनी ने स्वचालित स्ट्रिंगर मशीन स्थापित की है जिसकी क्षमता 700 सेल/घंटा सौर स्ट्रिंग संसाधित करने की है और यह 40 मि.मी. तक के कट सेल्स को संसाधित कर सकती है। आरईआईएल ने अपने परिसर में उच्च दक्षता मॉड्यूल के साथ 30 किलोवाट ग्रिड से जुड़ा रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र भी स्थापित किया है जिससे इसकी कुल स्थापित क्षमता 255 किलोवाट हो गई है।

2.18 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ की स्थापना इटली की मैसर्स इन्नोसेन्टी से पुराना संयंत्र खरीद कर 1972 में की गई थी। यह तिपहिया वाहनों के विनिर्माण और विपणन में लगी हुई है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को 11 अगस्त, 1992 को रुग्ण कम्पनी घोषित कर दिया गया था और तब यह औद्योगिक एवं वित्तीय

पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के क्षेत्राधिकार में आ गई। इसके पुनरुद्धार प्रस्ताव को दिनांक 31.01.2013 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया था।

बीआईएफआर, नई दिल्ली की माननीय बेंच ने 15.09.2015 को हुई अपनी सुनवाई के दौरान यह नोट किया कि 31.03.2013 और 31.03.2014 के लेखा–परीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार एसआईएल, लखनऊ के निवल मूल्य में पर्याप्त राशि में बढ़ी है और इस प्रकार, एसआईसीए की धारा 3(1)(0) के संदर्भ में यह रुग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं रह गई है। उन्होंने कंपनी को एसआईसीए के दायरे से बाहर कर दिया है।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) का निष्पादन निम्नानुसार रहा:–

(₹ करोड़ मे)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्री	209.82	193.66	167.72	152.04	108.55
लाभ / (हानि)	-6.00	13.60	11.09	5.48	-10.28

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 27.10.2016 को हुई अपनी बैठक में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) में भारत सरकार की 100% शेयरधारिता के विनिवेश की मंजूरी दी। तद्नुसार, आस्ति मूल्यांकनकर्ता, तकनीकी और कानूनी सलाहकार की नियुक्ति करके रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

2.19 सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) को 1965 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्रियों की स्थापना करना, सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना था। सीसीआई की 10 इकाइयां हैं, जो 8 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् छत्तीसगढ़ में मांधार और अकलतरा; मध्य प्रदेश में नयागांव, कर्नाटक में कुरकुंटा, असम में बोकाजन, हिमाचल प्रदेश में राजबन, तेलंगाना में अदिलाबाद और तांदुर, हरियाणा में चरखी दादरी और दिल्ली में ग्राइडिंग यूनिट स्थित हैं। कंपनी रूग्ण हो गई तथा 1996 में इसे रुग्ण कंपनी के रूप में माननीय बीआईएफआर को सौंप दिया गया। काफी विचार–विमर्श और चर्चा के बाद, सीसीआई का पुनरूद्धार पैकेज 2006 में अनुमोदित किया गया था, जिसमें तीन प्रचालनरत संयंत्रों नामतः हिमाचल प्रदेश में राजबन, असम में बोकाजन तथा तेलंगाना में तांदुर का विस्तार/उन्नयन करने तथा आधुनिकीकरण करने और अप्रचालनरत सात संयंत्रों को बंद करने/बेचने का प्रावधान था। राजबन यूनिट का 25% क्षमता विस्तार संबंधी कार्य पूरा हो गया है। सिल्वर में ग्राइडिंग यूनिट के साथ–साथ बोकाजन यूनिट के 100% क्षमता विस्तार हेतु टर्नकी आधार पर आर्डर जारी कर दिए गए हैं तथा तत्संबंधी कार्य प्रगति पर है। तांदुर यूनिट के प्रौद्योगिकीय उन्नयन का कार्य भी शुरू किया गया है।

स्वीकृत स्कीम के अनुसार, बिक्री प्रक्रिया को पूरा करने के लिए माननीय बीआईएफआर ने 7 अप्रचालनरत इकाइयों की आस्तियों के निपटान के लिए आईएफसीआई के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में आस्ति विक्रय समिति का गठन किया है। नीति आयोग के निदेशानुसार, सीसीआई की कुछ इकाइयों के लिए विनिवेश प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।

2.20 हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी)

देश में नई लुगदी और कागज एवं न्यूजप्रिंट मिलों की स्थापना करने और इन मिलों तथा कागज, पेपर बोर्ड, क्राफ्ट पेपर और न्यूजप्रिंट के विनिर्माण के बाद के प्रबंधन तथा देश में उचित और युक्तिसंगत आधार पर इनका वितरण करने के उद्देश्य से भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले एक उद्यम के रूप में दिनांक 29 मई, 1970 को हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निगमित किया गया था। एचपीसी को कागज उद्योग में निवेश का पर्याप्त स्तर सुनिश्चित करने और अभाव के समय मूल्यों को भी स्थिर रखने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना था।

एचपीसी एक मिनीरत्न अनुसूची 'क' कंपनी है। एचपीसी के प्रबंधन एवं नियंत्रणाधीन तीन सहायक कंपनियाँ और दो बड़ी एकीकृत लुगदी एवं कागज मिल हैं। ये हैं: (i) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (दिनांक 03.01.2007 से अनुसूची 'ग' से 'ख' में स्तरोन्नयन किया गया), (ii) नगालैंड पल्प एंड पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीपीसी लिमिटेड), नगालैंड और (iii) मांडया नेशनल पेपर मिल्स (दिनांक 20.10.2000 से परिसमापन के तहत दिनांक 05.09.2000 को बंद हो गई)। एचपीसी की दो यूनिटें नामतः नगांव पेपर मिल्स (एनपीएम) और कछाड़ पेपर मिल्स (सीपीएम) हैं।

एचपीसी पहले एक लाभ कमाने वाली कंपनी थी। वर्ष 2008–09 तक उपयुक्त रूप से अच्छा कार्य कर रही थी। लेकिन इसके बाद, प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर अनेक बाहरी कारणों से इसका क्षमता उपयोग कम होना आरंभ हो गया। मुख्यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस के बड़े पैमाने पर गुच्छों में पुष्पण के कारण बांस की कमी और मिजोरम से बाहर बांस की आपूर्ति पर मिजोरम सरकार द्वारा व्यापार प्रतिबंध लगाने के कारण भी वर्ष 2009–10 से कार्य निष्पादन में गिरावट शुरू हो गई। परिणामस्वरूप, सीपीएम यूनिट का क्षमता उपयोग लगभग 50% के आस–पास हो रहा है। बाद में, जब बांस की उपलब्धता सामान्य हो गई और एचपीसी ठीक से चलने वाला था तो एनजीटी ने मई, 2014 से मेघालय राज्य में कोयले के खनन और परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। जहां से सीपीएम और एनपीएम दशकों से अपनी कोयला आवश्यकताओं का क्रमशः 100% और 60% प्राप्त कर रहे थे और रिकवरी की प्रक्रिया फिर से पटरी से उतर गई। इस अस्थिर क्षमता उपयोग, वेतन और मजदूरियों का निरंतर बढ़ता भार तथा निश्चित खर्चों का निगम की समग्र कार्य प्रणाली पर बुरा असर पड़ा और इससे सभी संयुक्त लागतें बढ़ गईं जिसके परिणामस्वरूप, एचपीसी ने घाटा दिखाया और कंपनी की कार्यपूंजी में कमी आई। एचपीसी के पुनरुत्थान हेतु एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

2.21 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल), जो हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी)की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र का एक मिनिरत्न उद्यम है। हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड को तत्कालीन केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट (केएनपी), एचपीसी की इस इकाई के कारोबार का अधिग्रहण करने के मुख्य उद्देश्य से 7 जून, 1983 को निगमित किया गया था। एचएनएल का पंजीकृत कार्यालय न्यूजप्रिन्ट नगर, जिला कोट्टयम, केरल में है। न्यूजप्रिन्ट नगर, जिला कोट्टयम, केरल में स्थित एचएनएल 1,00,000 टन प्रतिवर्ष न्यूजप्रिन्ट (टीपीए) की स्थापित क्षमता के साथ भारत में सबसे बड़ी एकीकृत न्यूजप्रिंट मिलों में से एक है। एचएनएल की मुख्य विशिष्ट क्षमता इसकी उच्च कुशल तकनीकी जनशक्ति है, जिसे

स्वदेशी न्यूजप्रिंट उद्योग में सर्वाधिक सक्षम आंका गया है। एचएनएल 42 जीएसएम, 45 जीएसएम और 48.8 जीएसएम ग्रेड वाली क्वालिटी के अखबारी कागज का उत्पादन करता है, जोकि बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले अखबारी कागज के समान है।

एचएनएल 2008–09 तक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी थी। उसके बाद से इसको मामूली हानि हो रही है। एचएनएल वित्तीय वर्ष 2002–03, 2009–10 और 2012–13 को छोड़कर वित्तीय वर्ष 1988–89 से लाभ अर्जित कर रही थी। वर्ष 2014–15 के दौरान मिल कीकुल बिक्री ₹ 340.98 करोड़ की हुई।

2.22 नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)

एनपीपीसी नगालैण्ड सरकार और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार के एक उद्यम, हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में तुली, जिला मोकोकचुंग, नगालैंड में 14 सितम्बर, 1971 को निगमित की गई थी। इस मिल ने 01 जुलाई, 1982 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, लेकिन उसके बाद नगालैंड सरकार से ग्रिड पावर की अनुपलब्धता, पावर बॉयलर का खराब कार्य–निष्पादन और अप्रचलानात्मक रीड पल्पिंग स्ट्रीट के कारण क्षमता के कम उपयोग की वजह से इस कंपनी में लगातार हानि होनी शुरू हो गई तथा मिल ने 01 अक्तूबर, 1992 से कार्य करना बंद कर दिया।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने एनपीपीसी लिमिटेड के पुनरुद्धार संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और तद्नुसार एनपीपीसी के पुनरुद्धार हेतु एचपीसी को ₹ 100 करोड़ जारी कर दिए गए हैं।

2.23 नेपा लिमिटेड

नेपा लिमिटेड, नेपानगर, मध्य प्रदेश, सार्वजनिक क्षेत्र के इस उद्यम को न्यूजप्रिंट के उत्पादन के लिए मैसर्स नायर प्रैस सिंडिकेट लिमिटेड द्वारा ''द नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड'' के नाम से 26 जनवरी, 1947 को निजी उद्यम के रूप में निगमित किया गया था। वर्ष 1958 में कंपनी का नियंत्रण अधिकार भारत सरकार ने ले लिया। भारत सरकार का नेपा लिमिटेड की पूंजी में 97.82% इक्विटी शेयर है। तत्पश्चात् फरवरी, 1989 में कंपनी का नाम बदलकर नेपा लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी के पास अखबारी कागज तथा लेखन और प्रिंटिंग पेपर के उत्पादन का लाइसेंस है।

31 मार्च, 1997 के वार्षिक परिणामों के अनुसारए संचित हानियों की वजह से इसकी निवल सम्पत्ति पूरी तरह समाप्त हो गई थी। इसलिए 1998 में, इस कंपनी को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) में भेज दिया गया था।

यह कंपनी फिलहाल मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण योजना से गुजर रही है। इस कंपनी को और वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

2.24 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ)

देश को फोटो सेंसिटिव उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एचपीएफ 30 नवंबर, 1960 को निगमित की गई थी। इस कंपनी ने 1967 में वाणि ाज्यिक उत्पादन करना प्रारंभ किया। 1992–93 से यह कंपनी हानि में चलने लगी। 31.03.1994 को इस कंपनी की निवल संपत्ति के ऋणात्मक हो जाने पर इसे 1995 को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को भेज दिया गया। बीआईएफआर

ने अपने 30.01.2003 के अपने आदेश के द्वारा कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। बीआईएफआर के निर्णय को एएआईएफआर द्वारा बरकरार रखा।

यह मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में ले जाया गया जिसने बीआईएफआर/एएआईएफआर की कार्यवाही पर 27.06.2005 को स्थगन आदेश दे दिया। इन तथ्यों को देखते हुए कि एचपीएफ के पुनरुद्धार हेतु विगत में किए गए प्रयास विफल रहे, इसलिए बीआरपीएसई ने दिनांक 28.06.2013 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ–साथ, एचपीएफ के कर्मचारियों के लिए वीआरएस पैकेज और उसके बाद कंपनी को बंद करने की सिफारिश की और यह भी स्पष्ट किया कि सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय माननीय मद्रास उच्च न्यायालय/अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियों/मुकदमों को ध्यान में रखा जाए। सीसीईए ने दिनांक 28.02.2014 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ–साथ, एचपीएफ के सभी कर्मचारियों को 2007 के नोशनल वेतनमान पर वीआरएस पैकेज के लिए अनुमोदन दिया। सीसीईए ने 28.06.2013 को हुई अपनी बैठक में बीआरपीएसई की सिफारिश के अनुसार कंपनी को बंद करने हेतु आगे कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया।

कुल 466 कर्मचारियों को पहले ही कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा अभी 167 कर्मचारी शेष हैं।

कंपनी वेतन/मजदूरी/सांविधिक देयताओं के लिए सरकार की सहायता पर निर्भर थी। सरकार द्वारा कंपनी को 31.03.2015 तक का वेतन/सांविधिक देयताएं/मजदूरी मुहैया करा दी गई थी।

जहां तक कंपनी को बंद करने का संबंध है, बीआईएफआर के आदेशानुसार एसआईसीए के अंतर्गत कंपनी को बंद करने के बारे में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में एक विस्तृत याचिका दायर करने के लिए प्रशासनिक निर्णय विधिवत परामर्श करने के बाद लिया गया था। कंपनी से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। तद्नुसार, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में गए और 29.08.2016 को इस मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई करने के पश्चात् न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज किया और बीआईएफआर के आदेश को स्वीकार किया। तथापि, पृथक्करण के वीआरएस पैकेज के एक माह के भीतर भुगतान करने और वीआरएस पैकेज में से आयकर की कटौती न करने के संबंध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में विभाग द्वारा दायर रिट अपीलें माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हैं। इस विभाग ने विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के आदेश के विरुद्ध एक एसएलपी दायर करने का निर्णय लिया है। अब कंपनी 24.01.2017 से परिसमापनाधीन है और एक आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.25 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) कंपनी अधिनियम, 1956 के अतंर्गत 12.04.1958 को सरकारी साल्ट्स वर्क्स का अधिग्रहण करने के उद्देश्य से निगमित की गई थी जिसका स्वामित्व और विभागीय प्रबंधन उस समय राजस्थान में सांभर झील और खारघोडा (गुजरात) में भारत सरकार के पास था। एचएसएल की 100% शेयरधारिता भारत सरकार के पास है।

2.26 सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल)

सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जिसका निगमन 30.09.1964 में सांभर झील क्षेत्र पर नमक कार्यों को अधिग्रहित करने के उद्देश्यों के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत किया गया था जिसके स्वामित्व और प्रबंधन तब एचएसएल के पास था।

एचएसएल की एसएसएल में 60% शेयरधारिता है और शेष 40% की शेयरधारिता राजस्थान सरकार के पास है। यह कंपनी राजस्थान में सांभर झील स्थित अपनी प्रचालन इकाई के माध्यम से खाद्य और औद्योगिक नमक के उत्पादन और बिक्री में कार्यरत है।

2.27 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल)

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) को भारत और विदेश में टर्नकी परियोजनाएं और परामर्शी सेवाएं देने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1970 में निगमित किया गया था। ईपीआई विदेश में बड़ी सिविल और औद्योगिक परियोजनाओं को शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। ईपीआईएल भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा 100% शेयरधारिता वाला भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्शी सेवाओं में लाभ कमाने वाला, लाभांश देने वाला मिनीरत्न वर्ग–II केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। देश भर के साथ–साथ ओमान और श्रीलंका में फैले परियोजना–स्थलों के अतिरिक्त भारत में अपने प्रचालनों के लिए अखिल–भारतीय मौजूदगी सहित ईपीआईएल के पूरे भारत में अलग–अलग भौगोलिक स्थानों नामतः नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद में क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय हैं।

30.09.2017 के स्थिति के अनुसार, ईपीआईएल ने भारत में 550 परियोजनाएं और विदेश में 31 परियोजनांए पूरी की हैं।

प्रमुख उपलब्धियां

कारोबार

- ईपीआई ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 1621.45 करोड़ का रिकार्ड कारोबार किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है।

क्रयादेश

- वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, कंपनी ने ₹ 2000 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में ₹ 2449.37 करोड़ मूल्य की परियोजनाएं हासिल की हैं। इनमें ईपीआई–सीएंडसी के संयुक्त उद्यम द्वारा म्यांमार में हासिल की गई ₹ 607 करोड़ (ईपीआई के शेयर% को ध्यान में रखते हुए) की सड़क परियोजनाएं शामिल हैं।

अन्य उपलब्धियां

- ईपीआई और मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से हरियाणा के महत्वपूर्ण शहरों में कैशलैस लेनदेन पर सार्वजनिक जागरूकता के कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी द्वारा 17.12.2016 को मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद में किया गया।

- ईपीआई के परियोजना स्थलों पर कार्यरत कर्मचारियों, कामगारों को ईपीआई द्वारा कैशलैस लेनदेन पर जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया और हरियाणा के विभिन्न जिलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों, औद्योगिक कामगारों, ग्रामीणों तथा आम लोगों के लिए 100 से अधिक जगहों पर जागरूकता कैम्प लगाए गए। 3000 से ज्यादा व्यक्तियों को बिलों के भुगतान, खरीदारी की सुविधा, स्मार्ट फोन का प्रयोग करके वित्तीय लेनदेन का शेड्यूल बनाने सहित डिजीटल भुगतान के तरीकों के लाभ के बारे में जागरूक किया गया। उन्हें यह भी शिक्षा दी गई कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन से भ्रष्टाचार और कालेधन को रोकने में मदद मिलेगी, जिसके फलस्वरूप देश की आर्थिक प्रगति में मदद मिलेगी। ईपीआई में कर्मचारियों/विक्रेताओं को सभी भुगतान उनके खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाते हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र में वेगन टिपलर रूट की कमिशनिंग

फ्लाईओवर परियोजना, देहरादून

अध्याय

3

हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी, हेवी इंजीनियरी और मशीन टूल्स उद्योग

3.1 हेवी इंजीनियरी एवं मशीन टूल्स उद्योग

हेवी इंजीनियरी एवं मशीन टूल्स क्षेत्र में मुख्यतः पूंजीगत माल उद्योग शामिल है। पूंजीगत माल उद्योग के प्रमुख उप क्षेत्रों में मशीन टूल्स, वस्त्र मशीनरी, विनिर्माण और खनन मशीनरी और अन्य भारी उद्योग मशीनरी जैसे सीमेंट मशीनरी, रबड़ मशीनरी, धातुकर्म संबंधी मशीनरी, रसायन एवं उर्वरक मशीनरी, प्रिंटिंग मशीनरी, डेयरी मशीनरी, साज–सामान के प्रबंध उपकरण, तेल क्षेत्र उपकरण, पेपर मशीनरी आदि हैं। ये उद्योग लाइसेंस मुक्त हैं और सरकार से पूर्व अनुमति लिए बगैर 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ–साथ प्रौद्योगिकी सहयोग बिना रोक–टोक के अनुमत्य है। पुरानी और नई मशीनों का आयात स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति है।

इस विभाग ने मशीन टूल्स उद्योग, वस्त्र मशीनरी उद्योग तथा निर्माण, अर्थमूविंग और खनन मशीनरी विकास परिषदों का पुनर्गठन किया है। ये विकास परिषदें ऐसा मंच हैं जहाँ मशीनरी/उपकरण विनिर्माता, मशीनरी उपयोगकर्ता और सरकारी विभागों के नीति–निर्माता विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श करते हैं और स्थायी विकास के लिए फैसले लेते हैं।

भारी उद्योग विभाग केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और अधिग्रहण, साझा इंजीनियरिंग सुविधाओं और आधुनिक औद्योगिक पार्कों के संवर्धन को भी बढ़ावा देता है; जिसके फलस्वरूप, उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ रही है।

3.1.1 मशीन टूल्स उद्योग

मशीन टूल्स उद्योग एक रणनीतिक उद्योग है। इसमें संगठित क्षेत्र में लगभग 200 मशीन टूल विनिर्माता तथा साथ ही छोटे पैमाने की लगभग 400 इकाइयां हैं। इस उद्योग में बहुत उच्च परिशुद्धता वाली सीएनसी मशीनों का विनिर्माण करने के लिए विभिन्न प्रचालनों और डिजाइन और इंजीनियरी दक्षता का अभाव है। धातु काटने वाले मशीन टूल्स, मेटल फोर्मिंग मशीनों, विशेष प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण कलपुर्जों के विकास आदि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतर के कारण प्रौद्योगिकी के आयात के साथ–साथ अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि इस अंतर को पाटा जा सके।

ऐसे विशिष्ट क्षेत्र अभिज्ञात किए गए है जहां प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और इन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए आईआईटीएम के साथ कई बार चर्चा हुई। प्रौद्योगिकी में आए अंतर को समाप्त करने तथा विश्व स्तर के मशीन उपकरणों के विनिर्माण हेतु आईआईटीएम में उन्नत प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया गया है। उच्च–प्रौद्योगिकी मशीन उपकरणों की लगातार बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए विभाग द्व ारा कर्नाटक सरकार के सहयोग से बैंगलुरू के समीप टुमकुर में एक एकीकृत मशीन टूल्स पार्क

भी स्थापित किया जा रहा है। मशीन टूल उद्योग सहित केपिटल गुड्स सेक्टर के लिए यूनिडो और सीआईआई के सहयोग से सकल उत्पादक रखरखाव (टीपीएम) कार्यक्रम भी इस विभाग द्वारा शुरू किए जा रहे हैं।

3.1.2 वस्त्र मशीनरी उद्योग

वस्त्र मशीनरी उद्योग पूंजीगत माल उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस उद्योग में 1446 से अधिक मशीनरी और कलपुर्जों का विनिर्माण करने वाली इकाइयां शामिल हैं तथा संपूर्ण मशीनरी का उत्पादन कर रही 600 से कुछ अधिक इकाइयां तथा अन्य इकाइयां शामिल हैं जो मुख्यतः वस्त्र मशीनरी के कलपुर्जों और सहायक मशीनों का उत्पादन कर रही हैं। वस्त्र मशीनरी में छंटाई मशीनरी, कार्डिंग मशीनरी, धागा/कपड़ा प्रसंस्करण मशीनरी, बुनाई मशीनरी आदि मशीनरी शामिल हैं।

बुनाई, प्रसंस्करण, विशेष प्रयोजन वाली फिनिशिंग मशीन, बुनाई और गारमेंटिंग मशीनरी तथा ऑटोमेशन सहित ऑटो–कोनर और रोटर स्पिनिंग मशीनों, वाइडर विड्थ प्रोसेसिंग मशीनों आदि जैसे महत्वपूर्ण कलपुर्जों में प्रौद्योगिकीय अंतर है। अपर्याप्त घरेलू अनुसंधान एवं विकास के साथ–साथ बुनाई और प्रसंस्करण मशीनरी के क्षेत्र में बड़े विदेशी/घरेलू कंपनियों का अभाव एक मुख्य कमी है।

केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) को मध्यम एवं उच्च गति के शटल रहित करघों की प्रौद्योगिकी विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए दीर्घावधिक रणनीति के उद्देश्य से उद्योग को किसी एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के साथ जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ गुणतायुक्त उत्पादों को विनिर्मित करने के लिए वस्त्र मशीनरी की अनुषंगी इकाइयों के लिए साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र बनाने की भी योजना है।

3.1.3. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी उद्योग

इस उद्योग के संगठित क्षेत्र में 11 प्रमुख मशीनरी विनिर्माता हैं और करीब 200 छोटे एवं मझौले विनिर्माता हैं। देश में विनिर्मित प्रमुख प्लास्टिक मशीनरी में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ब्लो मोल्डिंग मशीन और एक्सट्रूजन मोल्डिंग मशीन शामिल हैं।

घरेलू विनिर्माता प्रोसेसिंग उद्योग की प्रौद्योगिकी और उत्पाद संबंधी 95% जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अथवा प्रौद्योगिकी लाइसेंस व्यवस्था के जरिए देश में विनिर्माण के क्षेत्र में विश्व की प्रमुख कंपनियां मौजूद हैं।

3.1.4 डाई, सांचे एवं उपकरण उद्योगः

भारतीय टूल रूम उद्योग बहुत ही खंडित है और देश में टूलिंग के डिजाइन, विकास और इसके विनिर्माण में रत 500 से अधिक वाणिज्यिक टूल मेकर्स शामिल हैं। वाणिज्यिक टूल मेकर्स के अलावा, 18 सरकारी टूल रूम सह ट्रेनिंग सेंटर भी देश में प्रचालनरत हैं। प्रमुख वाणिज्यिक टूल रूम स्थान हैं– मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। पुणे और उसके आस–पास के क्षेत्र में टूल रूम के लिए एक साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र भारी उद्योग विभाग से अनुदान प्राप्त करके चाकन, पुणे में स्थापित किया जा रहा है।

3.1.5 प्रोसेस प्लांट उपस्करः

देश में प्रोसेस प्लांट मशीनरी के विनिर्माण में संलग्न 200 से अधिक इकाइयां हैं जिनमें से 65% लघु और मझौले विनिर्माता हैं। प्रमुख प्रोसेस प्लांट मशीनरीज, जिनमें टेंक्स, प्रेशर वैसल्स, एवेपोरेटर्स, स्टिर्स, हीट एक्सचेंजर्स, टावर्स एवं कॉलम्स, क्रिस्टेलाइजर, फर्नेस आदि शामिल हैं, ऊर्जा क्षेत्र, गैस, तेल, रिफाइनरी, रसायन एवं पेट्रोरसायन, उर्वरक, कागज एवं लुगदी, चीनी, सीमेंट, डेरी उद्योग आदि में प्रयोग में लाई जाती है।

यह क्षेत्र आज निर्माण की अलग–अलग सामग्रियों के जटिल प्रोसेस उपकरणों के निर्माण और गढ़ने की अत्याधुनिक प्रक्रियाओं से सज्जित है। इन कंपनियों के संयंत्र आकार भी बढ़ गए हैं और समय–समय पर इनकी तुलना वैश्विक कंपनियों से की जाती है अथवा कहीं–कहीं तो ये उनसे बड़े हैं।

तथापि, घरेलू उद्योग में प्रोसेस प्रौद्योगिकी की तकनीकी जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र विदेशी प्रोसेस लाइसेंस धारकों पर निर्भर है। हालांकि, दूसरी तरफ चीन ने अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं की स्थापना करके तथा अन्य क्षेत्रों से इस प्रकार की विशेषज्ञता हासिल करके प्रोसेस प्रौद्योगिकी पर तकनीकी जानकारी हासिल करने का प्रयास किया है। प्रचालन स्तर पर, उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैल्डिंग, फोर्मिंग, मशीनिंग प्रौद्योगिकियों में सुधार किया जा सकता है। विकसित की जाने वाली लक्षित प्रौद्योगिकियों में उप समुद्र उपस्कर, तेल कुओं की ड्रिलिंग, एथलीन और गैस क्रैकर्स आदि के लिए प्रोसेस गैस बायलर्स शामिल हैं।

3.1.6 अर्थ मूविंग निर्माण एवं खनन उपकरण:

भारत में वर्तमान में अर्थ मूविंग एवं खनन मशीनरी के 20 बड़े एवं वैश्विक विनिर्माता और करीब 200 छोटे और मझौले विनिर्माता हैं। उत्पाद रेंज में बैकहो लोडर्स, कंपैक्टर्स, मोबाइल क्रेनें, पेवर्स, बैचिंग संयंत्र, क्राउलर क्रेनें, ट्रांजिट मिक्सर, कंक्रीट पंप, टावर क्रेनें, हाइड्रोलिक एक्सकावेटर्स, डंपर्स, खनन बेलचे, वाकिंग ड्रेगलाइन्स, डोजर्स, व्हील लोडर्स, ग्रेडर्स, ड्रिलिंग उपकरण आदि शामिल हैं। भारत में ओपन कास्ट माइनिंग, भूमिगत माइनिंग की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। इसलिए, भारत में ओपन कास्ट माइनिंग के लिए आवश्यक उपकरण जैसे डंपर्स, डोजर्स, शोवल्स, ड्रेगलाइन्स और एक्सकेवेटर्स का विनिर्माण किया जाता है।

अगले 20 वर्षों के लिए उद्योग के पूर्वानुमान के आधार पर, इलेक्ट्रिक डम्प ट्रक लगभग 190 टन–240 टन, रोप शोवेल्स लगभग 42 क्यूम, वाकिंग ड्रेगलाइन्स लगभग 72 एम–33 क्यूम; 150 एम–50 क्यूम, हाइब्रिड ड्राइव लोडर्स लगभग 10 क्यूम बकेट, 2500 एचपी इलेक्ट्रानिक तरीके से नियंत्रित उत्सर्जन के अनुरूप ईंजन, लोंग वॉल माइनिंग सिस्टम्स और भूमिगत खानों के लिए नियमित खनन कार्यों आदि के संबंध में स्वदेशी क्षमता का विकास किए जाने की आवश्यकता है ताकि बाजार की मांग को पूरा किया जा सके जिसका वर्तमान में अधिकतर आयात किया जाता है।

केपिटल गुड्स सेक्टर के उप–क्षेत्रों के उत्पादन, निर्यात और आयात संबंधी आंकड़े निम्नवत हैं:

उत्पादन **(₹ करोड़ में)**

उप–क्षेत्र	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	3 वर्ष सीएजीआर
मशीन टूल्स	3,481	4,230	4727	5803	18.6%
वस्त्र मशीनरी	6,775	6,960	6580	6650	(-)0.6%
अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी	16,000	17,000	19375	24945	16.0%
हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट	128,823	137198	144861	159221	7. 3%
प्लास्टिक मशीनरी	2,660	2.950	3300	3690	11.5%
प्रोसेस प्लांट उपकरण	18,000	18,900	19000	19500	2.7%
डाइज, मोल्ड्स एवं प्रेस टूल्स	13,793	14,647	15000	14750	2.3%

उप–क्षेत्र	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	3 वर्ष सीएजीआर
प्रिंटिंग मशीनरी	160,69	15748	16916	16424	0.7%
धातुकर्म मशीनरी	1,200	1,260	1386	1525	8.3%
खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	11,750	20,000	15000	13000	3.4%
योग	**218,551**	**238,893**	**246145**	**265508**	**6.7%**

आयात (₹ करोड़ में

उप–क्षेत्र	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	3 वर्ष सीएजीआर
मशीन टूल्स	4,672	5,318	5945	6173	9.7%
वस्त्र मशीनरी	7,546	7,814	10305	10098	10.2%
अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी	12,689	12056	12858	14520	4.6%
हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट	58,354	55,987	53986	55291	-1.8%
प्लास्टिक मशीनरी	1,250	1,350	1620	1863	14.2%
प्रोसेस प्लांट उपकरण	9,820	12,933	13360	11925	6.7%
डाइज, मोल्ड्स एवं प्रेस टूल्स	3,081	3,322	2800	1200	-27.0%
प्रिंटिंग मशीनरी	6,042	6,381	7051	7734	8.6%
धातुकर्म मशीनरी	3,817	2,593	2739	2202	-16.8%
खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	5,200	5,500	12053	12656	34.5%
योग	**112,471**	**113,254**	**122,717**	**123662**	**3.2%**

निर्यात (₹ करोड़ में

उप–क्षेत्र	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	3 वर्ष सीएजीआर
मशीन टूल्स	247	281	296	360	13.4%
वस्त्र मशीनरी	2,604	2,822	2351	2438	-2.2%
अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी	6,460	7,385	7543	7849	6.7%
हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट	29,227	35,418	38580	39280	10.4%
प्लास्टिक मशीनरी	821	901	750	810	-0.4%
प्रोसेस प्लांट उपकरण	7,194	7,684	8956	9291	8.9%
डाइज, मोल्ड्स एवं प्रेस टूल्स	2,694	2,869	2300	1700	-14.2%
प्रिंटिंग मशीनरी	1,421	1,255	1366	1332	-2.1%
धातुकर्म मशीनरी	1,137	1,104	1056	1358	6.1%
खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	2,050	13,659	8728	9165	64.7%
योग	**53,855**	**73,378**	**71,926**	**73583**	**11.0%**

3.2 केपिटल गुड्स स्कीम

''भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि'' के लिए एक स्कीम 2014 से प्रचालन में है। इस स्कीम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी समझ को बढ़ाने की समस्या का समाधान और साझा औद्योगिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना करके भारतीय केपिटल गुड्स उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। इस स्कीम का कुल परिव्यय ₹ 930.96 करोड़ है, जिसमें ₹ 581.22 करोड़ की सरकारी बजटीय सहायता भी शामिल है। इस स्कीम में उद्योग की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना की गई है और इसमें इसके एक घटक को छोड़कर सभी घटकों में उद्योग का योगदान भी जरूरी है। इस स्कीम के तहत प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई), एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधा (आईआईआईएफ), साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी) और जांच और प्रमाणन केन्द्र (टीएंडसीसी) की स्थापना के लिए अवसंरचनात्मक घटक हैं। इस स्कीम में केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण या अंतरण के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय उपायों की भी व्यवस्था की गई है। उक्त स्कीम के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत अब तक 27 प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है जो कि उद्योग की सक्रिय भागीदारी सहित क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

3.2.1 राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति

राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति का आरम्भ वर्ष 2016 में किया गया था। राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति के आरम्भ होने के बाद, भारी उद्योग विभाग नीति में निर्धारित लक्ष्यों, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, केपिटल गुड्स सेक्टर में उत्पादन को तीन गुना करना तथा इस सेक्टर में रोजगार के अवसरों को तीन गुना करना शामिल है, को पूरा करने के लिए उद्योग के साथ घनिष्ठता से मिल कर काम कर रहा है। राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारी उद्योग विभाग स्कीमों पर काम कर रहा है।

अध्याय

4

ऑटोमोटिव उद्योग

4.1 ऑटोमोटिव उद्योग का परिदृश्य

ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक रूप से सबसे बड़े उद्योगों में से एक और हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है। उद्योग के कई महत्वपूर्ण खंडों के साथ इसकी गहरी परस्पर आर्थिक निर्भरता की वजह से ऑटोमोटिव उद्योग का अर्थव्यवस्था पर मजबूत गुणक प्रभाव है। भारत का सुविकसित आटोमोटिव उद्योग यात्री कारों, हल्के, मध्यम और भारी व्यावसायिक वाहनों, बहु उपयोगी वाहनों, स्कूटरों, मोटर साइकिलों, मोपेड, तिपहिया आदि जैसे विभिन्न किस्मों का उत्पादन करते हुए उत्प्रेरक भूमिका बखूबी अदा करता है।

नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ ही ऑटोमोबाइल उद्योग जुलाई, 1991 में लाइसेंस मुक्त हो गया। तथापि, यात्री कार को वर्ष 1993 में लाइसेंस मुक्त किया गया। यात्री कार सहित वाहन विनिर्माता के लिए पिछले वर्षों के दौरान विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी आयात के मानदंडों का उत्तरोत्तर उदारीकरण किया गया है ताकि यह सेक्टर वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सके। इस समय यात्री कार सेगमेन्ट सहित इस क्षेत्र में सरकार से पूर्व अनुमति लिए बगैर 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत्य है। वर्ष 1991 से ऑटोमोबाइल क्षेत्र का धीरे–धीरे उदारीकरण किए जाने से भारत में विनिर्माण संबंधी सुविधाओं की संख्या प्रगामी रूप से बढ़ी है। समुचित रूप से, इस क्षेत्र को उच्च वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था (सनराइज सेक्टर) के रूप में प्रतिपादित किया गया था।

भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग, जो 21वीं शताब्दी की शुरुआत में अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, अब बहुत बड़ा उद्योग बन गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास में प्रमुख योगदान देता है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, ऑटो उद्योग का कारोबार समग्र जीडीपी के 7.1% के बराबर होने का अनुमान है। वर्तमान में ऑटो उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 32 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। ऑटो उद्योग, ओईएम फैक्टरी जो वाहनों का विनिर्माण करती है, भीतरी ऑटो कलपुर्जा तथा प्रचालन तंत्र उद्योगए जो कलपुर्जों और प्रणालियों को बनाता और वितरित करता है तथा बाहरी प्रचालन तंत्र और डीलर नेटवर्क जो कारों की बिक्री, उनका रखरखाव और वितरण करता है, का प्रमुख रोजगार प्रदाता है। उत्पादित प्रत्येक वाहन, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के रोजगार का सृजन करता है। यह उद्योग प्रत्येक ट्रक के लिए 13 व्यक्तियों, प्रत्येक कार के लिए 6 व्यक्तियों, प्रत्येक तिपहिया वाहन के लिए 4 व्यक्तियों तथा प्रत्येक दुपहिया के लिए एक व्यक्ति के लिए रोजगार का सृजन करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आर्थिक कार्यकलापों पर इस सेक्टर के गुणक प्रभाव को सराहा जाए। यदि उद्योग अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन करता है तो यह वर्ष 2026 तक 65 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक होगा। यदि सरकार का उद्देश्य मेक इन इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ऑटो उद्योग की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह उद्योग इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहले ही निवेश कर चुका है और इसने क्षमता को उन

स्तरों तक बढ़ा लिया है जिसकी आवश्यकता उद्देश्य को प्राप्त करने में पड़ेगी।

इस उद्योग में एक प्रमुख आर्थिक अंशदाता बनने का सामर्थ्य है। सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में ऑटोमोबाइल उद्योग के महत्व को स्वीकार भी करती है और इसलिए वर्तमान में ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016–26 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम भी कर रही है। भारी उद्योग विभाग भारत के सर्वांगीण विकास के लिए एक ऑटोमोटिव नीति का विकास कर रहा है।

उत्पादनः इस उद्योग ने **अप्रैल–सितंबर, 2017** की अवधि में यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों, तिपहियों और दुपहियों सहित कुल 14.7 मिलियन वाहनों का उत्पादन किया जबकि **अप्रैल–सितंबर, 2016** में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.4 मिलियन वाहनों का उत्पादन किया था **(वृद्धि दर की प्रतिशतता 9.18% है)**।

निर्यातः समान अवधि अर्थात **अप्रैल–सितंबर, 2016** तक की अवधि में 1.76 मिलियन ऑटोमोबाइल की तुलना में **अप्रैल–सितंबर, 2017** में समग्र ऑटोमोबाइल निर्यात 1.95 मिलियन है **(वृद्धि दर की प्रतिशतता 10.71% है)**।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक तथा वर्ष 2017–18 (सितम्बर, 2017 तक) के दौरान ऑटोमोबाइल उत्पादन, घरेलू बिक्री और विभिन्न ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

घरेलू ऑटोमोबाइल उत्पादनः

(सं. हजार में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 {अप्रैल–सितंबर}
उत्पादित वाहनों की संख्या	20,626	21,481	23,366	24016	25314	14675
वृद्धि%	1.20	4.04	8.68	2.82	5.41	9.18

(स्रोतः सिआम)

ऑटोमोबाइल निर्यातः

(सं. हजार में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 {अप्रैल–सितंबर}
निर्यात की संख्या	2,898	3,107	3,573	3643	3478	1945
वृद्धि%	(-)0.41	7.21	14.89	1.96	-4.53	10.71

(स्रोतः सिआम)

4.2 ऑटो कलपुर्जा उद्योग

ऑटो कंपोनेन्ट्स मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) 700 से अधिक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है जो संगठित क्षेत्र में ऑटो कलपुर्जों के कुल उत्पादन में 85% से अधिक का योगदान करते हैं। यह वाहन विनिर्माताओं को मूल उपकरणों तथा पहली पंक्ति के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में राज्य परिवहन उपक्रमों, रक्षा स्थापनाओं, रेलवे और रिप्लेसमेंट बाज़ार को भी कलपुर्जों की आपूर्ति करता है। विभिन्न प्रकार के कलपुर्जे ओईएम और विश्व भर के पश्च बाज़ारों को भी निर्यात किए जा रहे हैं।

भारतीय ऑटो कलपुर्जा उद्योग के निष्पादन ने दर्शाया कि इसने वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 29,2184 करोड़/43.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर

का कारोबार करते हुए 14.3% की अच्छी वृद्धि दर्ज की है। जबकि वित्तीय वर्ष 2016–17 में निर्यात में ₹ 73,128 करोड़/8.4 बिलियन अमेरीकी डॉलर दर्ज करते हुए 3.1% की वृद्धि दर्ज की है। पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 44,660 करोड़/6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में पश्चबाजार में निर्यात् ₹ 56,096 करोड़/8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 25.6% रहा है।

ऑटोमोटिव कलपुर्जा उद्योग के निष्पादन का सकल ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में

वर्ष @	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	सीएजीआर
कारोबार % वृद्धि	2047 15.70%	2161 5.60%	2118 -2.00%	2349 11.1%	2556 -8.8%	2922 14.3%	7%
निर्यात % वृद्धि	427 40.7%	527 23.30%	615 16.70%	685 11.4%	709 3.5%	731 3.1%	11%
आयात % वृद्धि	667 34.3%	744 11.60%	771 3.60%	829 7.5%	906 9.3%	905 -0.1%	6%

(स्रोतः एक्मा)

4.3. कृषि मशीनरी एवं ट्रैक्टर क्षेत्रः

कृषि मशीनरी में मुख्यतः कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी और उपकरण शामिल होते हैं। पावर टिलर, कंबाइन हारवेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी के नगण्य उत्पादन के कारण इस क्षेत्र पर मुख्यतः कृषि ट्रैक्टरों का प्रभुत्व है। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग वैश्विक उत्पादन में एक–तिहाई का हिस्सा रखते हुए विश्व में सबसे बड़ा (चीन में प्रयुक्त 20 अश्वशक्ति के उप बेल्ट–चालित ट्रैक्टरों को छोड़कर) है। विश्व में अन्य मुख्य ट्रैक्टर बाजार चीन और संयुक्त राज्य अमरीका हैं।

भारतीय ट्रैक्टरों का निर्यात अमरीका और मलेशिया, तुर्की आदि जैसे अन्य देशों को किया गया। भारतीय संगठनों ने सरकारी निविदा आवश्यकताओं के लिए बोली लगाकर अफ्रीकी देशों को तेजी से निर्यात करना प्रारंभ कर दिया है। इस तरह, भारतीय ट्रैक्टर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वीकार्य होते जा रहे हैं। चूंकि भारत में ट्रैक्टरों की कीमत विश्व में सबसे कम है, अतः भविष्य में ट्रैक्टरों के निर्यात में सुधार की जबर्दस्त संभावनाएं हैं।

4.4 भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा ऑटो क्षेत्र के संबंध में की गई महत्वपूर्ण पहलें:

भारी उद्योग विभाग ऑटोमोबाइल और ऑटो–संघटक उद्योग के लिए नोडल विभाग होने के नाते इसके विकास के लिए विभिन्न मंचों पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठाता है। इस संबंध में, भारी उद्योग विभाग ने विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित पैराओं में दिया गया है:

4.4.1 ऑटोमोटिव और संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद (डीसीएएआई):

इस विकास परिषद के अध्यक्ष सचिव, भारी उद्योग हैं। इस परिषद का ध्यान इस सेक्टर के विकास से संबंधित मुद्दों और एएमपी लक्ष्यों को हासिल करने पर केन्द्रित था। यह मंच सरोकार के ऐसे प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अवसर उपलब्ध करवाता है जिनके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उचित नीतियां बनाई जा सकें और

अन्य अभिज्ञात कार्य क्षेत्रों में कार्य शुरू किया जा सके। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अनुसार, *"विकास परिषद् दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे उन कार्यों का निष्पादन करेगा जो उसे केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे जाएंगे तथा जिन्हें अनुसूचित उद्योग में कार्य–क्षमता अथवा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मुहैया कराया जाना केन्द्र सरकार को समीचीन प्रतीत होगा अथवा जो कार्य उद्योग समूह करता हो अथवा कर सके अथवा ऐसे कार्य जिनसे ऐसे उद्योग अथवा उद्योग समूह समाज को ऐसी सेवाएं और अधिक किफायती ढंग से प्रदान करने में सक्षम हो सकें।"*

4.4.2 ऑटो उपकर समिति:

ऑटोमोबाइलों की बिक्री पर उपकर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अनुसार एक प्रतिशत के 1/8वें भाग की दर से 1983 में जारी अधिसूचना के अनुसार वसूला जाता है। कानून के अनुसार, यह उपकर निर्धारित उद्योग (इस मामले में ऑटोमोटिव उपकर) के लाभ और विकास हेतु विकास परिषद को उपलब्ध कराया जाता है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, इस उपकर की वसूली उत्पाद शुल्क संग्रहण के साथ की जाती है। परन्तु इस राशि को पृथक् लेखा शीर्ष में रखा जाता है। इस राशि का उपयोग सचिव, भारी उद्योग विभाग, की अध्यक्षता में ऑटोमोटिव एवं एलाइड उद्योग विकास परिषद द्वारा उद्योग के लाभ हेतु प्रतिस्पर्धा से पहले की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु उपकर समिति की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। उपकर समिति के अध्यक्ष सचिव, भारी उद्योग विभाग हैं। भेजे गए प्रस्तावों का मूल्यांकन एक जांच समिति और तकनीकी उप समिति द्वारा किया जाता है। उपकर समिति के सभी निर्णयों तथा विभिन्न वित्तपोषित परियोजनाओं की स्थिति से डीसीएएआई को अवगत कराया जाता है तथा डीसीएएआई में इन पर विचार–विमर्श भी किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, विभिन्न परियोजनाओं के निधियन के लिए ₹ 44.22 करोड़ (यूएनआईडीओ–एसीएमए परियोजना को जारी की गई राशि को छोड़कर) जारी किए गए। जीएसटी के लागू होने के बाद, ऑटो उपकर को शामिल किया गया है। तथापि, परियोजना को सतत रूप से सहायता प्रदान करने के लिए भारी उद्योग विभाग से ऑटो उपकर के अनुरूप बजटीय सहायता की मांग की गई है।

4.4.3 यूनिडो–एक्मा–डीएचआई क्लस्टर विकास परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमईज) को ऑटोमोटिव कलपुर्जा उद्योग में घरेलू एसएमईज के निष्पादन में वृद्धि हेतु प्रायोगिक सेवाएं प्रदान करना है ताकि उनका राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति आवश्यकताओं (गुणवत्ता, लागत और सqiqnZxh½ में समावेश सुगम हो सके, भारत में आपूर्ति श्रृंखला के साथ लोअर टीयर आपूर्तिकर्ताओं सहित लक्ष्य कंपनियों की बढ़ती संख्या की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और वृद्धि हो सके। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 320,895 अमेरिकी डॉलर जारी किए गए। यूनिडो और एक्मा 2014 से यूनिडो–एक्मा–डीएचआई परियोजना के चरण–I को क्रियान्वित कर रहे हैं और इसे मार्च, 2017 तक पूरा किया जाना है। इस कार्यक्रम का चरण–II विचाराधीन है।

4.4.4 ऑटोमोटिव क्षेत्र के संबंध में भारत–जर्मन संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी):

ऑटोमोटिव क्षेत्र के संबंध में भारत–जर्मन संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना भारत–जर्मन संयुक्त औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग आयोग (जेसीएम) के तत्वावधान में की गई थी। यह पांचवां

संयुक्त कार्य दल है; अन्य चार दल कृषि, कोयला, अवसंरचना और पर्यटन के क्षेत्र में हैं। (i) प्रौद्योगिकी, (ii) व्यावसायीकरण एवं रूपरेखा विकास और (iii) सांस्थानिक सहयोग, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के संबंध में गठित संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक 06.02.2009 को नई दिल्ली में हुई थी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना में सबसे बेहतर पद्धतियों के मूल्यांकन के लिए इस संयुक्त कार्य दल की पिछली बैठक 2 मई, 2017 को बर्लिन में संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता में हुई थी। 67वीं आईएए अन्तरराष्ट्रीय मोटर प्रदर्शनी का आयोजन 14 सितम्बर, 2017 को फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में किया गया था और इसका दौरा माननीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल द्वारा किया गया था। साथ ही जेडब्ल्यूजी की अगली बैठक को भारत में फरवरी, 2018 में आयोजित करने का निश्चय किया गया है।

4.4.5 ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी):

भारी उद्योग विभाग ने मशीन टूल्स, भारी इलेक्ट्रिकल, ऑटो उद्योग आदि जैसे क्षेत्रों के लिए पर्याप्त, प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से "कौशल विकास योजना तैयार करने" के लिए कदम उठाए हैं ताकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में और भविष्य में सुव्यवस्थित और उच्च वृद्धि दर सुनिश्चित की जा सके। जहां तक ऑटो क्षेत्र का संबंध है, उद्योग में कौशल खाई की पहचान का कार्य एएमपी 2006–16 तैयार करने के दौरान बनाए गए विशेषीकृत दल के जरिए संचालित किया गया, जिसके अनुसार उद्योग को 2016 तक 25 मिलियन अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता होगी। विभिन्न अवसरों पर विभाग में हुए विचार–विमर्श के आधार पर, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सिआम) ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। तद्नुसार, एनएसडीसी की देखरेख में एक ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी) की स्थापना की गई है। एएसडीसी मार्च, 2011 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में निगमित की गई थी।

एएसडीसी के कार्यकलाप

अनुसंधान करना

1. ऑटो सेक्टर में कौशल की कमी (स्किल गैप) का सतत अनुसंधान।
2. कौशल विकास हेतु चयन किए जाने वाले ट्रेडों की पहचान करना।
3. ऑटो उद्योग से इनपुट के साथ इस सेक्टर हेतु सक्षमता मानक विकसित करना।
4. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेंचमार्किंग।
5. मानव संसाधनों का उत्पादकता विश्लेषण।
6. ऑटो सेक्टर में कुशल जनशक्ति के डाटाबेस का रखरखाव करना।

डिलिवरी मैकेनिज्म

1. प्रशिक्षण देने वाले साझेदारों की संबद्धता।
2. एएसडीसी मानकों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए विषय वस्तु/पाठ्यक्रम को प्रमाणित करना।
3. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना।
4. विद्यार्थियों का करियर हेतु मार्गदर्शन करना तथा रोजगार प्राप्त करने में सहायता देना।

गुणवत्ता आश्वासन

1. प्रशिक्षकों/विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन क्रियाविधि विकसित करना।
2. व्यवसाय मानकों के अनुसार प्रमाणन रूपरेखा विकसित करना।

3. कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रमाणन।

4. प्रशिक्षण देने वाले साझेदारों तथा मूल्यांकन साझेदारों को मान्यता प्रदान करना।

5. प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों का मूल्यांकन और प्रमाणन।

4.4.6 वाहन की उपयोगिता समाप्त (ईएलवी) नीतिः

यद्यपि सूचित किया है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके वाहन की उपयोगिता समाप्त नीति के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने में संलग्न है, फिर भी इस मामले में भारी उद्योग विभाग की मुख्य भूमिका ऐसी नीति निर्धारित करने से पहले सभी संबद्ध पहलुओं पर विचार करते हुए एक उपयुक्त खाका उपलब्ध/तैयार करने की है। एक वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से वाहन के निस्तारण के लिए अवसंरचना तैयार किए जाने की जरूरत है। पुराने वाहनों को स्वेच्छा से विघटित करने के लिए देने हेतु लोगों में जागरूकता लाने और उनमें सहमति कायम करने की तत्काल आवश्यकता है, जिसके लिए प्रोत्साहन या कुछ नीतिगत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। कुछ अन्य संबद्ध मुद्दे भी हैं, जिनमें वाहन मालिकों के लिए प्रतिपूर्ति संरचना, स्क्रैपिंग के लिए पर्यावरण/सार्वजनिक स्वास्थ्य/संरक्षा प्राचलों की स्थापना, स्क्रैपिंग/निस्तारण केन्द्रों पर वाहनों के संग्रहण की व्यवस्था, कच्चे माल की पुनर्चक्रीकरण और स्क्रैपिंग केन्द्रों के बीच संपर्क आदि शामिल हैं।

4.4.7 स्वैच्छिक वाहन रिकॉल सूचनाः

वाहन रिकॉल सिआम के जुलाई, 2012 में घोषित दिशानिर्देश ''वालन्टरी कोड ऑन व्हीकल रिकॉल'' के अनुसार है। यह दिशानिर्देश विनिर्माण संबंधी खराबी के कारण सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले किसी मोटर वाहन में आने वाली संभावित समस्याओं का समाधान और तदुपरान्त उपचारात्मक कार्रवाई करता है। एक वाहन को सुरक्षा रिकॉल के अंतर्गत सात वर्षों के लिए कवर किया जाता है और यह सुविधा पहले क्रेता को मिलती है। रिकॉल का फैसला किसी भी निहित संभावित जोखिम की गम्भीरता और तीव्रता को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस डाटा का रखरखाव भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट पर एक लिंक के साथ सिआम द्वारा रखा जाता है जिसको नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है।

4.4.8 भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अंगीकरण और विनिर्माण हेतु स्कीम – फेम इंडिया स्कीम

भारत सरकार ने वर्ष 2011 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन को मंजूरी दे दी और तदुपरान्त तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री ने (2013 में) राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का उद्घाटन किया। मिशन के एक भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने एक स्कीम अर्थात् फेम–इंडिया (भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु स्कीम) निरूपित की है। इस सम्पूर्ण स्कीम को 6 वर्ष की अवधि में अर्थात् 2020 तक कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इसमें हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार के विकास और इसके विनिर्माण के पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में मदद करने का इरादा है ताकि निर्धारित अवधि के अंत तक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। सरकार उद्योग में विश्वास पैदा करने और उन्हें अपेक्षित निवेश की योजना बनाने तथा जरूरत के हिसाब से क्षमता का सृजन करने की अनुमति देने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे यह स्कीम ''मेक इन इंडिया'' की पहल के साथ चलने में समर्थ होगी। इस स्कीम के 4 फोकस क्षेत्र हैं अर्थात् प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजनाएं और चार्जिंग अवसंरचना। इस स्कीम का चरण–1, जो कि मूल रूप से 2 वर्ष की अवधि अर्थात्

1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2017 तक के लिए था, को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 तक कर दिया गया है।

यह स्कीम भारत सरकार की हरित पहलों में से एक है, जो निकट भविष्य में सड़क परिवहन सेक्टर से प्रदूषण को कम करने में सर्वाधिक योगदानकर्ता स्कीमों में से एक होगी। इस स्कीम का उद्देश्य सभी वाहन सेगमेंटों अर्थात दुपहिया, तिपहिया, ऑटो, यात्री–चौपहिया वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन देना है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, फेम–इंडिया स्कीम में निम्नलिखित संशोधन किए गए थेः–

(i) इस स्कीम के चरण–I को और 6 महीनों की अवधि अर्थात् 30.09.2017 तक बढ़ा दिया गया था और दिनांक 30.03.2017 की अधिसूचना का.आ. 1055(ई) द्वारा 10.04.2017 से प्रभावी फेम–इंडिया स्कीम के तहत ''माइल्ड – हाइब्रिड'' प्रौद्योगिकी के लाभों से वंचित कर दिया गया है।

(ii) दिनांक 04.07.2017 की अधिसूचना का.आ. 2199(ई) के द्वारा इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया (अधिकतम गति 25 किमी/घंटा से अधिक नहीं) को भी प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया है।

(iii) दिनांक 12.07.2017 की अधिसूचना का.आ. 2198(ई) के द्वारा एल5 श्रेणी को रिट्रो फिटमेन्ट श्रेणी में शामिल किया गया है।

(iv) दिनांक 12.09.2017 की अधिसूचना का.आ. 3013(ई) के द्वारा इस स्कीम के चरण–I को 30.09.2017 के बाद 6 महीनों की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2018 तक और बढ़ा दिया गया है।

(v) दिनांक 12.09.2017 की अधिसूचना का.आ. 3012(ई) के द्वारा पूर्णतः इलेक्ट्रिक बसों को भी इस स्कीम के तहत मांग प्रोत्साहन के लिए शामिल किया गया है।

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान, इस स्कीम के लिए ₹ 175 करोड़ की राशि (ब.प्रा.2017–18) आबंटित की गई थी, जिसमें से इस स्कीम के लिए ₹ 85.49 करोड़ की राशि (अनुमानित) का पहले ही उपयोग किया जा चुका है। इस स्कीम के माध्यम से 01 अप्रैल, 2015 को इस स्कीम के प्रारम्भ होने से लेकर 30 सितम्बर, 2017 तक लगभग 1,54,000 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को मांग प्रोत्सहान के जरिए प्रत्यक्ष सहायता (कुल प्रोत्साहन राशि ₹ 202.72 करोड़) दी जा चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 01 अप्रैल, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक लगभग 16,000 वाहनों को मांग प्रोत्साहन के जरिए सहायता दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान इस विभाग ने प्रायोगिक परियोजनाओं, चार्जिंग अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं तथा ₹ 17.50 करोड़ मूल्य की प्रौद्योगिकीय विकास संबंधी परियोजना का अनुमोदन किया है। कुछ अनुमोदित परियोजनाओं में दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ में 200 (150–एसीऔर 50–डीसी) चार्जिंग स्टेशन, एनसीआर में 75–एसी स्मार्ट चार्जर्स, 60 डीसी चार्जिंग अवसंरचना, आईजीआई एयरपोर्ट पर पांच इलेक्ट्रिक बसों के लिए प्रायोगिक परियोजना तथा संयुक्त एसी–डीसी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का डिजाइन और विकास शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान निधि उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

(₹ करोड़ में

वित्तीय वर्ष	आबंटित निधि	निधि का उपयोग
2015-16	75.00	75.00
2016-17	144.00	144.00
2017-18	175.00	85.49 (30/09/2017 तक)
योग	**394.00**	**304.49**

4.4.9 राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्डः

सरकार ने भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में नेशनल ऑटोमोटिव

बोर्ड (एनएबी) की स्थापना का अनुमोदन कर दिया था। एनएबी को एक शीर्ष निकाय बनाने का इरादा है, जिसमें ऑटो सेक्टर के तकनीकी और डोमेन विशेषज्ञ होंगे। यह संस्थान उन अनेक एजेन्सियों और मंत्रालयों जिनकी वर्तमान में ऑटोमोटिव सेक्टर को प्रभावित करने वाली नीतियों, विनियमों और हस्तक्षेपों को आकार देने में भूमिका है, को एक मंच पर भी लाएगा जिससे इस सेक्टर की वृद्धि होगी और विकास के लिए सर्वांगीण उपागम उपलब्ध होंगे। भारी उद्योग विभाग के अधीन एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अक्तूबर, 2012 में अनुमोदन देने के बाद, सोसाइटियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 का XXI, के तहत दिनांक 27 अगस्त, 2013 को पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013 के अनुसार एक स्वायत्त निकाय के रूप में एनएबी पंजीकृत कर लिया गया है। एनएबी के एमओए तथा नियम एवं विनियम भी पंजीकृत किए गए हैं।

मंत्रिमंडल नोट में दिए गए कार्यों के अनुसार नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड को सौंपे गए प्रमुख कार्य मुख्यतः तीन प्रकार के हैं, नामतः

क) **प्रमुख कार्य** जिनमें, अन्य के साथ–साथ, शामिल हैंः भारी उद्योग विभाग के अधीन परीक्षण केन्द्रों के कामकाज को प्रशासित करना, मॉनिटर करना, समन्वय करना, रेग्यूलेट करना तथा तालमेल बैठाना, क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, परीक्षण केन्द्रों द्वारा एनएबी को भेजी गई परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर परीक्षण और होमोलोगेशन प्रमाण–पत्र जारी करना, ऑटो नीति से संबंधित मामलों पर परामर्श देने, तकनीकी इनपुट और सचिवालयी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी आंकड़ा, डोमेन ज्ञान तथा दक्षता केन्द्र बनना, ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास तथा परीक्षण के क्षेत्र में कौशल सेटों तथा सक्षमताओं का विकास करना आदि।

ख) **प्रमुख कार्यः** जिनमें, अन्य के साथ–साथ, शामिल हैंः परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए नीतियां तैयार करना तथा मान्यता प्रदान करना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित पहलों और मामलों की संपूर्ण श्रेणी की देखभाल, न्यू व्हीकल एसेसमेंट प्रोग्राम (एनवीएपी) की डिजाइन और प्रशासन, ऑटोमोटिव सेक्टर से संबंधित आंकड़ों के राष्ट्रीय कोष के रूप में कार्य करना तथा विश्लेषण करना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन रोड सेफ्टी बोर्ड के साथ सहयोग करना, विभिन्न संगठनों द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं जैसे उपकर निधि सह–संबंध अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग, परीक्षण संबंधी किसी विवाद के लिए अपलीय निकाय।

ग) उभरती ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में जनशक्ति क्षमता का विकास, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ विनिमय को प्रोत्साहन देना (समझौता ज्ञापन तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम)।

घ) **सुविधा देने के कार्यः** जिसमें, अन्य के साथ–साथ, शामिल हैंः वाहनों और संघटकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड के रूप में कार्य करना तथा मान्यता प्राप्त परीक्षण एजेन्सियों द्वारा जारी की गई रिपोर्टों के आधार पर वाहनों और संघटकों के लिए प्रमाण–पत्र जारी करना, विनियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, मानदंडों का प्रकाशन, सार्वजनिक हित का प्रकाशन और विनियमन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑटोमोटिव परीक्षण के लिए भारतीय विनियमन प्रणाली को बढ़ावा देना आदि।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग सृजित करने एवं बढ़ावा देने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से एक प्रोत्साहन स्कीम, जिसे **"डिमांड इंसेंटिव डिलिवरी मेकेनिज्म (डीआईडीएम)"** के नाम से जाना जाएगा, प्रारंभ की है। भारी उद्योग विभाग के संपूर्ण पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड इस स्कीम के कार्यान्वयन तथा विभिन्न संघटकों के लिए निधियां जारी करने के लिए प्रचालन एजेन्सी होगा। अभी तक अर्थात सितम्बर, 2017 तक करीब 1,54,000 इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन दे दिया गया है तथा विभिन्न ओईएम को लगभग ₹ 202.72 करोड़ की प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

अध्याय

5

प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास

5.1 भारत ने व्यापक किस्म की बुनियादी और पूंजीगत सामग्रियों के उत्पादन के लिए सुदृढ़ और विविधीकृत विनिर्माण आधार स्थापित किया है ताकि भारी इलेक्ट्रिकल, विद्युत उत्पादन और पारेषण उद्योगों, प्रोसेस उपकरण, ऑटोमोबाइल्स, जहाजों, विमानों, खनन, रासायनिक, पेट्रोलियम आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तथापि, भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा अभी काफी कम है। इसमें विकास की काफी क्षमता है, जो वैश्वीकृत विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार से हो सकता है। प्रतिस्पर्द्धात्मकता में नवीनता और नई प्रौद्योगिकियों का अनुपालन प्रमुख कारक होते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, खुली अर्थव्यवस्था होने और इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के आने से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सामग्रियों और सेवाओं का उत्पादन और उनकी आवश्यकता काफी बढ़ गई है। भारतीय उद्योग ने तेजी से परिवर्तनशील वातावरण में ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई उपाय किए हैं। विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम भी सहयोग तथा अनुसंधान और विकास संबंधी आंतरिक प्रयासों के माध्यम से नई प्रोद्योगिकियां अपनाने और उनके अनुरूप अपनी योजनाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में की गई कुछ पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

5.2 ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) अब तक ऑटोमोटिव क्षेत्र में भारत सरकार की सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलों में से एक है और यह देश में अत्याधुनिक परीक्षण, वैधता और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना के सृजन हेतु भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग, राज्य सरकारों और भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के बीच एक विशिष्ट सहयोग का प्रतिनिधित्व करती है।

सैद्धांतिक रूप से परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार है:

i वैश्विक वाहन संबंधी सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्य निष्पादन मानकों में सरकार को सूत्रपात करने योग्य बनाने हेतु अत्यंत जरूरी ऑटोमोटिव परीक्षण अवसंरचना का सृजन करना।

ii भारत में विनिर्माण को बढ़ाना, अधिक मूल्य वर्धन को बढ़ावा देना जिससे रोजगार संभाव्यता में काफी बढ़ोतरी हो और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं के अभिसरण में मदद करना।

iii निर्यात की बाधाओं को दूर करके इस क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहुंच को बढ़ाना और ऑटोमोटिव उद्योग के लिए मूलभूत उत्पाद परीक्षण, वैधता और विकास अवसंरचना उपलब्ध कराना।

परीक्षण स्थापना करने हेतु प्राप्त अनुदान पर राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) के तहत निम्नलिखित केंद्र स्थापित किए गए हैं :

i. अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीएटी), हरियाणा राज्य में मानेसर स्थित ऑटोमोटिव उद्योग के उत्तरी हब के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और आधिकारिक प्रमाणन केन्द्र।

ii. वैश्विक ऑटोमोटिव अनुसंधान केंद्र (डीएआरसी), तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के समीप किसी स्थान पर ऑटोमोटिव उद्योग के दक्षिणी हब के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और आधिकारिक प्रमाणन केन्द्र (जीएआरसी)।

iii. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे और वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीई), डीआरडीओ, अहमदनगर, महाराष्ट्र में मौजूदा परीक्षण और आधिकारिक प्रमाणन सुविधाओं का उन्नयन।

iv. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण ट्रैक (एनएटीआरएएक्स), मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में विश्व–स्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण–स्थल, परीक्षण ट्रैक।

v. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव निरीक्षण अनुरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएआईएमटी), असम राज्य के धोलचोरा (सिल्चर) में राष्ट्रीय विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्र ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र तथा प्रचलित वाहन प्रबंधन केन्द्र।

vi. राष्ट्रीय वाहन अनुसंधान एवं सुरक्षा केन्द्र (एनसीवीआरएस), रायबरेली, जिसे बाद में सीसीईए के निर्णय के अनुसार बंद कर दिया गया और दुर्घटना आंकड़ा विश्लेषण और विशिष्ट ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (एडीएसी) की सुविधाएं आईसीएटी और जीएआरसी को पुनः सौंप दी गईं।

सभी नैट्रिप अनुसंधान एवं विकास परीक्षण केंद्रों में विश्व स्तरीय परीक्षण सुविधाएं होंगी और इसका उद्देश्य विश्व के अनेक भागों के उपभोक्ताओं को आकर्षित करना है। ये केंद्र प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहयोग के अलावा ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान में भी शामिल होंगे।

5.2.1 अनुमोदित वित्त पोषण पैटर्न

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने माह जुलाई, 2016 में विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव, सांविधिक करों, इनपुट लागतों में बढ़ोतरी, आपूर्ति की संभावना में परिवर्तन आदि जैसे अन्य कारकों के कारण ₹ 3727.30 करोड़ के द्वितीय संशोधित लागत अनुमान को निम्नलिखित वित्त पोषण पैटर्न के तहत अनुमोदित किया है:

(क)	सरकार से सहायता प्राप्त योजना	
	अनुदान के जरिए	₹ 2628.17 करोड़
	ऋण के जरिए	₹ 780.35 करोड़
(ख)	प्रयोक्ता प्रभार	₹ 50.00 करोड़
(ग)	उपार्जित ब्याज	₹ 264.43 करोड़
(घ)	निर्णीत हर्जाना	₹ 4.35 करोड़

कुल लागत : ₹ 3727.30 करोड़

संबंधित केन्द्रों पर नैट्रिप के अंतर्गत योजनाबद्ध विभिन्न सुविधाओं की वर्तमान स्थिति

अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र(आईसीएटी) :

(क) पॉवर ट्रेन लैब प्रचालन में है, जिसमें वाहन परीक्षण की सुविधा, इंजन परीक्षण की सुविधा, क्लाइमेटिक वाहन परीक्षण की सुविधा, दुपहिया और तिपहिया वाहनों तथा 4x4 पहिया वाहनों के लिए माइलेज एक्यूमुलेशन चेसिस डायनमोमीटर (एमएसीडी) लैब और दुपहिया वाहनों तथा यात्री कारों के लिए सील्ड हाउसिंग इवेपोरेशन डिटर्मिनेशन (एसएचईडी) की सुविधा है। यूरो VI तक के उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए इन सुविधाओं का उन्नयन किया गया है।

(ख) फटीग, जिनमें कंपोनेंट एवं क्लाइमेटिक चेम्बर्स के साथ वाइब्रेशन शेकर्स के लिए यूनिवर्सल टेस्ट बैंच एक्स–पोस्टर, एमएएसटी, की सुविधा में हैं।

(ग) पैडस्ट्रियन एवं क्रैश कोर सुविधाओं से युक्त पैसिव सेफ्टी लैब की सुविधा प्रचालन में है।

(घ) प्रमाणन लैब जिसमें प्लास्टिक फ्यूल टैंक्स, के लिए पेनडुलम टेस्ट रिंग की सुविधा हेड रेस्ट्रेन्ट टेस्ट रिंग और इंटीरियर फिटमेंट टेस्ट सिस्टम, विन्डो रिटेन्शन टेस्ट रिंग, नी कान्टेक्ट टेस्ट डिवाइस, प्रोजेक्शन मेजरमेन्ट डिवाइस, मनिकिन एवं यूनिवर्सल न्यूमेटिक एक्चूएटर, साइड डोर स्ट्रेन्थ टेस्ट रिग्स, हैजमीटर, डिमिस्टिंग एवं डीफ्रोस्टिंग, स्माल एन्वायरमेन्टल चेम्बर, एन्वायरमेन्टल चेम्बर्स, प्रमाणन लैब के अंतर्गत टिल्ट टेस्ट प्लेटफार्म की सुविधा प्रचालन में है। भावी सुविधाओं में सीटबेल्ट एनकोरेज टेस्ट रिंग, बस कपलिंग डिवाइसेस टेस्ट रिग्स के लिए सीट्स की प्रतिरोधकता, कैब पेन्डुलम टेस्ट रिंग, व्हीकल वर्टिकल ऑरिएन्टेशन टेस्ट व्यवस्था शामिल हैं।

(ङ) कंपोनेन्ट लैब के अंतर्गत धातु एवं प्लास्टिक प्रोटोटाइप्स के लिए रेपिड प्रोटोटाइपिंग की सुविधा है।

(च) अबेकस, हाइपरवर्क्स, सीएटीआईए, सिमन्स, एनएएसटीआरएएन, अल्टेयर, एमएससी फटीग एवं एडम्स जैसे साफ्टवेयर युक्त सीएडी–सीएई लैब प्रचालन में है।

(छ) एमएटीलैब, मेजरमेन्ट कैलीब्रेशन एवं डाइग्नोस्टिक टूल्स (एमसीडीएफ), पॉवर ट्रेन एवं चेसिस के वास्ते सिंगल ईसीयू टेस्ट बेंच के लिए हार्डवेयर इन लूप (एचआईएल) सिस्टम तथा इंफोट्रोनिक्स लैब के तहत ईसीयू की रेपिड प्रोटोटाइपिंग की सुविधा।

(ज) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पेटीबिलिटी हेतु आधिकारिक प्रमाणन की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते कंपोनेन्ट के लिए अर्ध अप्रतिध्वनिक (सेमी एनाकोइक) चेम्बर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पेटेबिलिटी (ईएमसी) लैब के अंतर्गत व्हीकल सेमी एनाकोइक चेम्बर।

(झ) शोर, कंपन और कठोरता (एनवीएच) लैब के लिए सिविल कार्य पूरा हो गया है। इस उपकरण की स्थापना और प्रारंभण संबंधी कार्य जारी है।

(ञ) टेस्ट ट्रैक इंस्ट्रूमेन्टेशन जैसे कि पास बाई नोइज मेजरमेन्ट डिवाइस, द डाटा एक्विजिशन सिस्टम, व्हीकल डायनेमिक्स सेन्सर्स, फ्यूल फ्लो मीटर, स्टेयरिंग व्हील सेन्सर्स तथा लॉन्जीट्यूडिनल स्पीड सेन्सर्स प्रारंभ कर दिए गए हैं।

(ट) होमोलोगेशन ट्रैक्स तथा संबद्ध जनोपयोगी सेवाएं आंशिक रूप में उपलब्ध हैं यद्यपि शेष कार्य जारी है।

वैश्विक ऑटोमोटिव अनुसंधान केंद्र (डीएआरसी)

(क) **पावरट्रेन लैबः** दुपहिया और तिपहिया वाहनों तथा 4x4 पहिया वाहनों में माइलेज एक्यूमुलेशन चेसिस डायनमोमीटर (एमएसीडी) की सुविधा है। पावरट्रेन लैब भवन का 95% सिविल कार्य पूरा हो गया है। एमएंडई तथा जनोपयोगी सेवा कार्य प्रगति पर है।

(ख) **फटीग लैबः** वाइब्रेशन शेकर्स तथा एनवायरमेन्टल चेम्बर्स, साइकल एक्चूएटर्स के लिए यूनिवर्सल टेस्ट बैंच (यूटीबी), क्लाइमेटिक चेम्बर्स के साथ मल्टी एक्सियल सिमुलेशन टेबल (एमएएसटी) तथा फोर पोस्टर युक्त सुविधा उपलब्ध हैं।

(ग) **प्रमाणन लैबः** इंटीरियर फिटिंग टेस्ट रिंग, हैड रिस्ट्रेन टेस्ट उपकरण, यूनिवर्सल टेनसाइल मशीन(यूटीएम) बंपर पेन्डुलम, फ्यूल टैंक पैन्डुलम, विन्डो रिटेन्शन टेस्ट उपकरण, रिट्रैक्टर्स की ड्यूरेबिलिटी, माइक्रोस्लिप, जी–लॉक टेस्ट रिग, न्यूमेटिक कपलिंग और बस विन्डो साइक्लिक एक्चूएटर्स, टिल्ट टेस्ट प्लेटफार्म, एनवायरमेंटल चेंबर्स, साइट डोर स्ट्रैंथ, डिमिस्टिंग सुविधा, हैजमीटर, रियर व्यू हेतु दबाव प्रतिरोधक टेस्ट रिग, फ्यूल टैंक ओवरटर्न टेस्ट रिग, वार्निश ट्राइंग्ल टेस्ट रिग से युक्त यह सुविधा उपलब्ध है। प्रमाणन लैब के अंतर्गत भावी सुविधाओं में साल्ट स्प्रे चैम्बर, डस्ट चैम्बर, ओजोन चैम्बर और यूवी चैंबर, सीट बैल्ट एनकोरेज टेस्टरिग, बालड्रोप, प्यूल टैंक के लिए आग प्रतिरोधी परीक्षण रिग, डिफ्रोस्टिंग उपकरण कपलिंग डिविस टेस्टरिग, और कैब पेंडुलम टेस्टरिग की सुविधा है।

(घ) **एपीएसएल:** पैसिव सेफ्टी लैब के अंतर्गत क्लाइमेटिक चैम्बर युक्त पैडेस्ट्रियन लैब एवं एयरबैग लैब की सुविधा है। फ्रंटल क्रैश, एंगुलर क्रैश और रोलओवर जैसे पूर्ण वाहन क्रैश परीक्षण के लिए सिविल कार्य जारी हैं।

(ङ) **ईएमसी लैब:** इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पेटेबिलिटी (ईएमसी) लैब के अंतर्गत टू, थ्री और फोर व्हीलर वाहनों के लिए कार्य जारी है। कम्पोनेंट सेमी एनाकोइक चेम्बर भावी सुविधा है।

(च) **सीएडी–सीएई:** सिमन्स एनएक्स, सीएटीआईए वी6, एमएससी फटीग और एल्टेयर हाइपर वर्क्स जैसी साफ्टवेयर युक्त सीएडी–सीएई लैब की सुविधा है।

(छ) **इंफोट्रोनिक्स लैब:** एमएटीलैब, मेजरमेन्ट कैलीब्रेशन डाइग्नोस्टिक एवं फ्लीट वेलीडेशन (एमसीडीएफ), पॉवर ट्रेन एवं चेसिस ईसीयू और रेपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए हार्डवेयर इन लूप (एचआईएल) की सुविधा है।

(ज) **परीक्षण ट्रैक:** एक्सटर्नल नाइज ट्रैक, स्टियरिंग पैड ट्रैक तथा हिल टेस्ट ट्रैक, हाई स्पीड ट्रैक और बैकिंग सरफेस ट्रैक पूर्ण हो गए हैं और इनकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्टियरिंग व्हील सेंसर, ब्रेक सेंसर, थर्मोकपल और प्रैसर गेज आरंभ हो गए हैं और इनकी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

पास बाई नॉइज मेजरमेन्ट डिवाइस, द डाटा एक्विजिशन सिस्टम, फ्यूल फ्लो मीटर व्हीकल डायनेमिक्स सेन्सर्स, लॉन्जीट्यूडिनल स्पीड सेन्सर्स, ब्रेक सेंसर, थर्मोकपल्स और प्रेशर गेजिज लगाए गए हैं और इनकी सुविधा प्रचालनरत है।

(झ) **फोटोमैट्री लैब:** जोनियोफोटोमीटर, इन्टिग्रेटिंग स्फेयर, रिफ्लैक्टेन्स एवं ट्रांसमिटेन्स मेजरमेन्ट और प्रोफाइल प्रोजेक्टर और रेटरो रिफ्लेक्टर से युक्त टेस्ट संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ञ) **रिसाइकिलिंग डेमो यूनिट:** व्हीकल डिसमेंटलिंग उपकरण, बेलिंग प्रैस और वायरिंग हारनेस रिसाइकिलिंग प्लांट युक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ट) **दुर्घटना डाटा विश्लेषण केंद्र:** जीएआरसी ने तमिलनाडु सरकार की मदद से ताम्बरम से चेंगलपेटु एनएच–45 तक दुर्घटना के आंकड़े एकत्र करने की योजना बनाई है।

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण ट्रेक्स (नेट्रेक्स)

(क) व्हीकल डायनामिक लैब में उपकरणों की स्थापना और शुरूआत अर्थात सिंगल एक्सल के एंड सी (सस्पेंशन पैरामीटर मापन मशीन) टेस्टरिंग, स्टीयरिंग टेस्टरिंग (स्टीयरिंग प्रणाली का टिकाउपन और कार्य निष्पादन), डैम्पर टेस्टरिंग (शॉक अबजोर्बर का कार्य निष्पादन), इलोस्टोमीटर टेस्टरिंग (सस्पेंशन बुशिंग और सिंगल माउंट का कार्य निष्पादन) पूर्ण कर ली गई है। व्हीकल डायनामिक लैब के अंतर्गत सुविधा मुख्यतः पूर्ण वाहन सस्पेंशन और अलग–अलग उपकरणों के विकासात्मक परीक्षण के लिए हैं। सभी परीक्षण उपकरणों का आयात किया जाता है और ऐसी परीक्षण सुविधाएं भारत में उपलब्ध नहीं हैं। जिनका राइड हैंडलिंग और सस्पेंसन प्रणाली की टयूनिंग के लिए सस्पेंशन डिजाइनरों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस लैब की सुविधा एलसीवी तक के विभिन्न वाहनों के परीक्षण के बाद दी गई है। यह लैब सीएडी/सीएई सुविधाओं से लैस है जो पहले से ही उपयोग में हैं।

(ख) **पावरट्रेन लैब:** 4x4 शैसीस डायनो (150 कि.वा और 4500 किग्रा तक का अधिकतम एक्सल भार) तथा उत्सर्जन विश्लेषक (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी आदि वाले लाइट डयूटी वाहन हेतु उत्सर्जन प्रणाली) की स्थापना और शुरूआत को पूर्ण कर लिया गया है और यह लैब उपयोग हेतु तैयार हैं।

(ग) अन्य ग्राहक वर्कशॉप, अनुरक्षण एवं सामान्य भंडारण भवन पूर्ण हो गए हैं और उपभोक्ताओं द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है।

(घ) परीक्षण ट्रैकों को दो संविधाओं में विभाजित किया गया है, एक, हाई स्पीड ट्रैक (ओटीटी) से इतर सभी अन्य ट्रैक और दूसरा, हाई स्पीड ट्रैक (एचएसटी) है।

i. **अन्य परीक्षण ट्रैकः** डायनामिक प्लेटफॉर्म, ब्रेकिंग ट्रैक, कम्फर्ट ट्रैक, 2 डब्लयू हैंडलिंग ट्रैक, फटीग ट्रैक, ग्रेवल एंड ऑफ रोड ट्रैक, ग्रेडियंट ट्रैक एक्सटर्नल नॉइज ट्रैक, सस्टेनेबिलिटी ट्रैक और वैट स्किड पैड, 24 माह की आरंभिक निर्माण अवधि के साथ दिसम्बर, 2014 से मैसर्स एलएंडटी को दिया गया है, जिसके अब नवंबर, 2017 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

ii. **हाई स्पीड परीक्षण ट्रैकः** हाई स्पीड ट्रैक के शेष कार्य को पूर्ण करने का कार्य मैसर्स एलएंड टी को दिया गया है और 36 माह की निर्माण अवधि के साथ मार्च, 2017 से कार्य आरंभ हो गया है।

5.2.2 ऑटोमोटिव रिसर्च एसोशिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) पुणे

(क) चाकन में नैट्रिप के अंतर्गत स्थापित एआरएआई का आधिकारिक प्रमाणन एवं प्रौद्योगिकी केंद्र ने उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण के साथ अपना प्रचालन आरंभ कर दिया है। इस केंद्र में तीन लैब अर्थात पैसिव सेफ्टी प्रयोगशाला, फटीग प्रयोगशाला और पावरट्रेन प्रयोगशाला ने उपभोक्ताओं के लिए और परियोजनाएं निष्पादित की हैं। उपभोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में उन्होंने अपनी क्षमताओं और सक्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इस केंद्र ने टेस्ट रिजल्ट प्रुविंग एंड इंटर लैब पारस्परिक संबंध पर परियोजनाओं के निष्पादन के साथ स्वयं को सफलतापूर्वक स्थापित किया है और स्लैड पर सीट के परीक्षण हेतु ओईएम विशिष्ट पद्धतियां भी कार्यान्वित की हैं।

(ख) पैसिव सुरक्षा प्रयोगशाला में क्रैश कोर परीक्षण सुविधा, स्लैड सुविधा, स्टेटिक रोल ओवर सुविधा और डम्मी केलिब्रेशन सुविधा स्थापित और आरंभ की गई हैं। फटीग लैब में सभी सुविधाएं अर्थात चैम्बर के साथ एक्स–पोस्टर और यूटीबी स्थापित और आरंभ की गई है। इसी प्रकार, पावर ट्रेन लैब सुविधाओं जैसे क्लाईमेटिक टेस्ट सेल व्हीकल टेस्ट सेल, एसएचईडी सुविधा और माइलेज एक्युमुलेशन शैसीस डायनोमीटर की स्थापना और कमीशनिंग पूर्ण कर ली गई है। पावरट्रेन टेस्ट सेल फायर मिटिगेशन सिस्टम तैयार है।

वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीई) डीआरडीओ, अहमदनगरः

(क) इलेक्ट्रो मेग्नेटिक कंपेटिबिलिटी (ईएमसी) प्रयोगशाला प्रचालनरत है।

(ख) एन्टी–लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) टेस्ट ट्रैक प्रचालनरत है।

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव निरीक्षण अनुरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएआईएमटी)

(क) आई एंड एम (निरीक्षण एवं अनुरक्षण) स्टेशन जिसमें नियत और मोबाइल लेन शामिल हैं, प्रचालनरत है।

(ख) मैकेनिक्स प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) प्रचालन में है और यह पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआई) भी प्रचालन में हैं इसमें एक हिल ड्राइविंग प्रशिक्षण ट्रैक के साथ 'ड्राइविंग सिमुलेटर' और एक फ्लैट रोड प्रशिक्षण ट्रैक है और यह नेट्रिप के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के तहत टाटा मोटर्स लिमिटेड के सहयोग से पाठ्यक्रम चला रहा है।

(ग) डीजल लैब, वेल्डिंग लैब, ऑटो इलैक्ट्रिक लैब, गैसोलीन लैब और डायग्नोस्टिक एंड रिपेयर लैब आरंभ हो गई हैं।

(घ) ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआई) में ड्राइविंग कौशल का उन्नयन करने हेतु असम राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल से ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया गया।

(ङ) हाल ही में, केंद्र ने व्हीकल्स (वाहन) फिटनेस सर्टिफिकेशन के लिए, एआईएस–128 और सुधार की गुंजाइश रोलर ब्रेक टेस्ट पास–फेल पात्रता पर अनुसंधान कार्य किया है और अनुसंधान पेपर को नवंबर, 2017 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिसंघ (आईआरएफ) द्वारा आयोजित वर्ल्ड रोड मीटिंग (डब्लूआरएम) – 2017 सम्मेलन में पोस्टर प्रस्तुतीकरण हेतु चुना गया है।

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) पद्धति पर नैट्रिप केंद्र की आगामी और प्रचालन संभावनाओं का पता लगाना।

(क) जुलाई, 2016 में लागत अनुमान के अंतिम संशोधन (आरसीई–II) को अनुमोदित करते समय सीसीईए ने निर्देश दिया कि सरकार पर नैट्रिप केंद्रों के प्रचालन के भार को कम किया जाना चाहिए। तदनुसार, दिनांक 18 जुलाई, 2017 को आयोजित नैट्रिप की 64वीं शासी परिषद की बैठक, जिसकी अध्यक्षता सचिव, भारी उद्योग विभाग ने की, में रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) पद्धति पर सभी चार नैट्रिप से पूर्णतः वित्त पोषित केंद्रों के प्रचालन की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया गया। नैट्रिप द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित चार केंद्र निम्नानुसार हैं

i. जीएआरसी–चैन्नई

ii. एनआईएआईएमटी–सिल्चर

iii. सीएटी–मानेसर

iv. नेट्रेक्स–इंदौर

(ख) तदनुसार, दिनांक 18 अगस्त, 2017 को रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई थी। निविदा–पूर्व बैठक दिनांक 22 सितंबर, 2017 को आयोजित की गई थी और निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 4 अक्टूबर, 2017 निर्धारित की गई। नैट्रिप मुख्यालय में संभावित निविदाकर्ताओं के साथ एक निविदा पूर्व बैठक दिनांक 22 सितंबर, 2017 को आयोजित की गई। अधिकांश निविदाकर्ताओं की मांग के कारण दिनांक 11 अक्तूबर, 2017 को निविदाएं खोली गई। प्राप्त निविदाओं का तकनीकी–वाणिज्यिक और वित्तीय आकलन करने के लिए दिनांक 16 अक्तूबर, 2017 को एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक आयोजित की गई। एचएलसी की सिफारिश पर, शासी परिषद, नैट्रिप ने परामर्शदाता (संपादन सलाहकार) के रूप में मैसर्स अर्नस्ट एंड यंग के प्रस्ताव की स्वीकृति अनुमोदित की जो कि इस निविदा में अपनाई गई संयोजित स्कोरिंग प्रणाली के अनुसार सबसे अच्छा प्रस्ताव था। शुरूआती बैठक दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 को आयोजित की गई और मैसर्स अर्नस्ट एंड यंग ने दिनांक 23.10.2017 का स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के बाद कार्य आरंभ कर दिया।

5.3.1 ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई)

पुणे, महाराष्ट्र, भारत के पश्चिमी भाग में सुरम्य स्थलों के बीच स्थित और करीब 15000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) में विभिन्न परीक्षण सुविधाएं हैं।

एआरएआई एक सहकारी अनुसंधान संगठन है जिसकी स्थापना 1966 में भारतीय वाहन एवं ऑटोमोटिव सहायक विनिर्माताओं और भारत सरकार द्वारा की गई थी। एआरएआई भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से संबद्ध और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग से मान्यता प्राप्त है। यह एक आईएसओ 9001–2008, आईएसओ 14001–2004 और ओहसास 18001–2007 प्रमाणित संगठन हैं और अपनी प्रमुख प्रमाणन सुविधाओं के लिए परीक्षण और जांच संबंधी प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा भी मान्यता प्राप्त है।

एआरएआई 1860 के XXI वें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है और प्रमुख ऑटोमोबाइल तथा सहायक विनिर्माता इसके सदस्य हैं। इसकी शासी परिषद में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से सदस्य और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

एआरएआई सुरक्षित, कम प्रदूषण करने वाले और अधिक दक्ष वाहन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, प्रमाणन, होमोलोगेशन और वाहन संबंधी विनियम तैयार करने में तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है।

एआरएआई में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास तथा परीक्षण सुविधाओं का बढ़ता हुआ उपयोग प्रायोजित और आंतरिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के साथ–साथ घरेलू सीएमवीआर टाइप अनुमोदन और होमोलोगेशन सुविधाओं के निर्यात के लिए किया जाता है।

एआरएआई के पास 685 (प्रशिक्षुओं सहित) अनुभवी और सुप्रशिक्षित मानव संसाधन हैं, जिनमें नियमित प्रशिक्षु और अस्थायी संविदात्मक कर्मचारी शामिल हैं। इनमें से 571 तकनीकी हैं और इनमें से अधिकतर को उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

5.3.2 एसआईएटी 2017

अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी संबंधी संगोष्ठी का पंद्रहवा भाग अर्थात (एसआईएटी 2017), का आयोजन एआरएआई, पुणे में दिनांक 18 से 21 जनवरी, 2017 के दौरान एसएई इंडिया, नैट्रिप और एसएई इंटरनेशनल (यूएसए) के सहयोग से एआरएआई द्वारा पुणे में किया गया। इसका उद्घाटन श्री संजय मित्रा, सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अन्य शिष्टमंडलों में डा. आर. के मल्होत्रा, अध्यक्ष, एसएई इंडिया; श्री संजय बंधोपाध्याय, सीईओ नैट्रिप, श्री टी. मुकय्या सह–निदेशक (आरएंडडी), वीएसएससी,और श्री मुरली अय्यर, कार्यकारी सलाहकार– ग्लोबल, एसएई इंटरनेशनल शामिल थे। एसआईएटी के इस भाग का विषय ''स्मार्ट सेफ एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी'' था ताकि ऑटोमोटिव उद्योग की नवीनतम प्रवृत्तियों और भावी चुनौतियों के साथ चला जा सके। इस उद्घाटन समारोह के दौरान, एसआईएटी 2017 की कार्रवाई, भारत उत्सर्जन विनियमन पुस्तिका और सड़क सुरक्षा पर स्व. श्री मंगेश तेदुंलकर के कार्टूनों संग्रह को जारी किया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता पर लघु फिल्म निर्माण प्रतिस्पर्धाओं के लिए एआरएआई स्वर्ण जयंती पुरस्कार भी वितरित किए गए। समारोह में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बैटरी में स्वदेशी रूप से निर्मित लिथियम का प्रयोग करके ''प्रायोगिक इलैक्ट्रिक वाहन'' का अनावरण था।

एसआईएटी 2017, 21 देशों से लगभग 1400 शिष्टमंडलों की भागीदारी के साथ सफल रहा। इस संगोष्ठी के दौरान 40 मुख्य पेपर प्रस्तुत किए गए और भारत तथा विदेश से विशेषज्ञों द्वारा 205 तकनीकी पेपर प्रकाशित किए गए। एक उल्लेखनीय विशेषता स्मार्ट, सेफ, सस्टेनेबल एंड फ्यूचर मोबिलिटी पर ''4 प्रारंभिक सत्र'' आयोजित करना था। इसने अनुसंधानकर्ताओं और ऑटोमोटिव क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही भारत की विशिष्ट और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने विचारों पर चर्चा करने के लिए एक आदर्श मंच उपलब्ध कराया है। इस संगोष्ठी का मुख्य बल सुरक्षा, उत्सर्जन, इंजनों, इलैक्ट्रिक मोबिलिटी इलैक्ट्रोनिक्स, कुशल परिवहन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी में हाल ही में हुई प्रगति पर था।

यह संगोष्ठी एसआईएटी एक्सपो 2017 की पूरक थी, जिसे साथ–साथ आयोजित किया गया था और नवीतम प्रौद्योगिकी समाधानों, उतपादों और

सेवाओं को प्रदर्शित करने वाले 178 स्टाल थे। इस कार्यक्रम के दौरान एक विद्यार्थी पोस्टर प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। एसआईएटी 2017 के विषय के आधार पर, स्थायी मोबिलिटी और स्मार्ट एंड सेफ व्हीकल्स विषयों पर यूजी, पीजी और पीएचडी छात्रों से पोस्टर आमंत्रित किए गए थे।

विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अनंत गीते, माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री, भारत सरकार तथा सम्मानित अतिथि के रूप में श्रीमती इवा मोलनार, निदेशक, सतत परवहन प्रभाग, यूएनईसीई उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान अनेक एसआईएटी पुरस्कार और एआरएआई यंग इंजीनियर पुरस्कार (जो ऑटोमोनस वाहन का विकास संबंधी एक परियोजना के भाग के रूप में मुकाबला था) प्रदर्शित किए गए।

5.3.3 कार्य–निष्पादन

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में एआरएआई की कुल आय ₹ 289.80 करोड़ थी जिसमें से प्रचालन आय ₹ 246.15 करोड़ थी। इस वर्ष 30 सितम्बर, 2017 तक कुल आय ₹ 150.19 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कुल अनुमानित आय ₹ 292.21 करोड़ है।

5.3.4 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

अपने अनुसंधान कार्यक्रम के तहत, एआरएआई उद्योग की संगत और वर्तमान आश्यकताओं के आधार पर कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं संचालित करता है जिनका उद्देश्य सक्षमता सृजन और प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण करना है। अक्तूबर, 2016 से सितम्बर, 2017 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई थीं:–

भारी उद्योग विभाग द्वारा सहायता प्राप्त सेस परियोजना:

- ईवी और एचईवी अनुप्रयोग के लिए ऑफ–लाइन और रीयल–टाइम सिमुलेटर का विकास।
- ऑटोमोटिव संघटकों के लिए हल्के वजन वाली फोर्जिंग प्रक्रिया का अध्ययन और विकास।
- भारतीय परिस्थितियों के अंतर्गत एक्सईवी अनुप्रयोग हेतु एसी/डीसी चार्जिंग स्टेशनों के लिए मसौदा विशिष्टीकरण और मानक की तैयारी।

आंतरिक रूप से वित्तपोषित:

- एडाप्टिव फ्रंटलाइटिंग सिस्टम (एएफएस) का विकास

भारी उद्योग विभाग द्वारा सेस वित्तपोषण के तहत वित्तपोषित चालू अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं:

क्र.स.	परियोजना का नाम	परियोजना के पूरा होने की संभावित तारीख
1	भारतीय नगर उपयोग के लिए बस बॉडी कोड (एआईएस:052) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले एल्यूमीनियम (एएल) सुपरस्ट्रक्चर के साथ बस के हल्के प्रोटोटाइप का विकास।	जून, 2018
2	पब्लिक एवं गुड्स परिवहन वाहनों (इंटरसिटी बस तथा ट्रक उपयोग) की ड्यूटी साइकिल का अलग–अलग विकास करना तथा पेवमेन्ट कंडीशंस में वाहन प्रचालन लागत मॉडल्स का अनुमान लगाने के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना।	दिसम्बर, 2017
3	कंपोनेन्ट्स के डिजाइन आप्टीमाइजेशन, सिस्टम्स पर ध्यान केन्द्रित करते हुए हल्के/निष्पादन सुधारों में बहु–विषयक दृष्टिकोणों/चुनौतियों का अध्ययन।	मार्च, 2018
4	उन्नत ईंधन मितव्ययिता के साथ उपचार के पश्चात् सरलीकरण की सुविचारित परिवर्तन दक्षताओं के साथ यूरो V और यूरो VI उन्नत लो टेमप्रेचर डीजल कंबश्चन (एलटीसी) सिस्टम का विकास।	दिसम्बर, 2018
5	छोटे (एक तथा दो सिलेण्डर) डीजल इंजनों की सुपरचार्जिंग।	अक्तूबर, 2017
6	प्रमुख स्रोतों की पहचान करने के लिए दिल्ली का पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्रोत–विभाजन।	अक्तूबर, 2017

भारी उद्योग विभाग द्वारा फेम–इंडिया स्कीम के तहत वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं:

क्र.स.	परियोजना का नाम	परियोजना के पूरा होने की संभावित तारीख
1.	एक्सईवी के प्रमाणन परीक्षण के लिए परीक्षण अवसंरचना की स्थापना करना।	अप्रैल, 2018

आंतरिक रूप से वित्तपोषित चल रही अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं:

क्र.स.	परियोजना का नाम	परियोजना के पूरा होने की संभावित तारीख
1	समानान्तर हाइब्रिड छोटे वाणिज्यिक वाहनों के लिए क्षमता विकास पार्ट 1: समानान्तर हाइब्रिड छोटे वाणिज्यिक वाहनों के लिए पावर कंट्रोल सिस्टम का विकास।	जनवरी, 2018
2	समानान्तर हाइब्रिड छोटे वाणिज्यिक वाहनों के लिए क्षमता विकास पार्ट 2: समानान्तर हाइब्रिड छोटे वाणिज्यिक वाहनों के लिए कंट्रोल स्ट्रेटेजीज एंड ट्रांसमिसन सिस्टम के लिए क्षमता विकास।	जुलाई, 2018
3	सीएनजी इंजन के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नालॉजी का विकास।	मार्च, 2018

5.4 फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई), पलक्कड़, केरल

5.4.1 फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई) केरल में स्थित भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। इसमें जल, तेल और एयर मीडिया में प्रवाह उत्पादों की केलिब्रेशन/परीक्षण के लिए पूर्ण रूप से विकसित एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं। यह उद्योग को औद्योगिक सेवाएं और समाधान प्रदान करने वाला प्रमुख संस्थान है।

प्रवाह मापन के लिए एफसीआरआई की फ्लूइड फ्लो प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान हैं और एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ये सुविधाएं प्रवाह इंजीनियरिंग के लिए काफी व्यापक हैं और भारत तथा विदेश में उद्योग के लिए एक विशिष्ट संसाधन उपलब्ध कराती हैं। प्रवाह उत्पादों के लिए केलिब्रेशन/मूल्यांकन के साथ–साथ प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए सभी सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। एनएबीएल की पात्रता के अनुपालन के आधार पर और आईएसओ मानक 17025–2005 के अनुसार मान्यता दी गई है। एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को स्वतः ही एशिया प्रशांत प्रमाणन निगम(एपीएलएसी) और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रमाणन निगम (आईएलएसी) से अनुमोदन मिल जाता है।

5.4.2 एफसीआरआई की प्रवाह प्रयोगशालाओं में सुविधाएं यूरोप में इसी प्रकार की प्रयोगशालाओं में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के समान हैं, जैसाकि नेशनल इंजीनियरिंग लेबोरेट्री – यूके, डेल्फी हाइड्रोलिक लेबोरेट्री – नीदरलैंड, डेनमार्क टेक, इंस्टिट्यूट – डेनमार्क, एनआईएसटी–यूएसए और चेक मेट्रोलॉजी इंस्टिट्यूट के साथ नियमित अंतर–प्रयोगशाला तुलना से साबित किया गया है।

5.4.3 संस्थान का प्रमुख उद्देश्य देश में प्रवाह उत्पाद उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता स्थापित करना और प्रवाह मापन तथा यंत्र विन्यास की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का उन्नयन करना है। उच्च स्तरीय कौशल विकास और औद्योगिक कर्मियों का प्रशिक्षण भी एफसीआरआई की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।

5.4.4 एफसीआरआई में प्रवाह उत्पादों का गुणवत्ता की गारंटी अधिकांशतः आईएसओ, आईएसए, एपीआई, एएसटीएम और ओआईएमएल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में की जाती है।

एफसीआरआई को अपनी सुविधाओं के लिए निम्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्रत्यायन प्राप्त हैं:–

- **एनएबीएल (नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फॉर लेबोरेट्रीज)** – फ्लूइड प्रवाह उत्पादों के अंशांकन/परीक्षण, यांत्रिक, विद्युत–तकनीकी और तापीय अंशशोधन के लिए आईएसओ 17025 मानकों के अंतर्गत एनएबीएल प्रमाणन।
- **बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो)** – बीआईएस प्रमाणीकरण मार्क योजना के अंतर्गत जल मीटरों जैसे उत्पादों के नमूने का परीक्षण करने के लिए।
- **डीएसटी (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)** – फ्लूइड प्रवाह मापन में अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में।
- **अंडर राइटर्स लैबोरेट्री इंक, अमरीका** – फायर फाइटिंग उपकरणों के परीक्षण और उत्पाद संरक्षा प्रमाणीकरण के लिए।
- **डब्ल्यू एंड एम (तोल और माप विभाग)** – प्रवाह और परिमाण मापन उपकरणों के लिए ओआईएमएल मानक के अनुसार "आदर्श अनुमोदन" परीक्षण करना।
- **केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** – पेट्रोल और मिट्टी के तेल से चलने वाले जनरेटर सेट की शोर करने की सीमा को लागू करने के लिए।
- **सीसीई (मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर)** – एफसीआरआई में सुरक्षा राहत संबंधी परीक्षण करना (एएसएमई/एपीआई के अनुसार)।
- **आईएफई (अग्नि अभियंता संस्थान), नई दिल्ली**– अग्निरोधी उपकरणों संबंधी हाइड्रोलिक योग्यता परीक्षण हेतु।
- **विदेश मंत्रालय** – कोलंबो प्लान की आईटीईसी स्कीम/एससीएएपी/टीसीएस के तहत फ्लूइड प्रवाह मापन और नियंत्रण तकनीक तथा तेल प्रवाह

मापन के क्षेत्र में विदेशी नागरिकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु।

- एनएमआई, नीदरलैंड द्वारा 20 बार क्लोज्ड लूप एयर टेस्ट फैस्लिटी प्रमाणित करता है।
- **भारतीय नाभिकीय विदयुत निगम लिमिटेड** – विद्युत संयंत्र उपकरणों के भूकंप संबंधी विश्लेषण हेतु।

5.5 सेन्ट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, तुमकुर रोड, बेंगलुरू

सेन्ट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्ट्टियूट (सीएमटीआई) वर्ष 1962 में स्थापित विनिर्माण प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन, सोसाइटी के रूप में पंजीकृत और जनवरी, 2017 से भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान प्रौद्योगिकी और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भारी उद्योगों की सहायता कर रहा है। यह संस्थान मेटल वर्किंग प्रौद्योगिकी में सक्रिय है, राष्ट्रीय रणनीतिक पहलों का समाधान कर रहा है और विनिर्माण प्रौद्योगिकी लगाने में समग्र (एंड–टू–एंड) समाधान के लिए वन–स्टॉप डेस्टिनेशन है। एक शासी परिषद इस संस्थान का मार्गदर्शन करता है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में उद्योगों, मशीन टूल विनिर्माताओं के प्रतिनिधि, सरकारी नामित व्यक्ति और अन्य स्टेकहोल्डर शामिल हैं।

सीएमटीआई विनिर्माण प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास/प्राप्ति की गतिविधियों में अपनी मूल्य वर्धित सेवाओं के माध्यम से भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग और अनेक क्षेत्रों में सहायता कर रहा है। यह संस्थान विनिर्माण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में एक उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह संस्थान डिजाइन, अनुसंधान, प्रोटोटाइप उत्पादन, विनिर्माण, परीक्षण, निरीक्षण केलिब्रेशन, उत्पाद विकास, प्रशिक्षण और तकनीकी सूचना के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति, उपकरण और सुविधाओं से युक्त है।

अपेक्षित उपकरण, सुविधाएं और विशेषज्ञता प्राप्त कर ली गई हैं और महत्वपूर्ण परियोजना नैनो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सैन्टर (एनएमटीसी) के लिए हीटिंग, वेंटीलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) के अलावा विशेष अवसंरचना सुविधाएं पूर्ण कर ली गई हैं। पूर्ण कर ली गईं अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं अब वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु तैनाती के लिए तैयार हैं। नौन–कांटेक्ट मापन आधारित विजन की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विजन लैब स्थापित की गई है। एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस एडवांस्ड मेन्यूफेक्चिरिंग टैक्नोलॉजी (एईएएमटी) के माध्यम से मानव संसाधन विकास (एचआरडी) गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नया ''कौशल विकास'' प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। राजकोट क्षेत्र की मेट्रोलॉजी आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए नई मापन सुविधाओं के साथ राजकोट में क्षेत्रीय केंद्र बनाया गया है।

मिनियेचर, माइक्रो और नैनो स्तर के सेंसरों के विकास के लिए ''सेंसर प्रौद्योगिकी विकास सुविधा (एसटीडीएफ)'' के भाग के रूप में अवसंरचना और पैकिंग उपकरण की अधिप्राप्ति की जा रही है।

हाई स्पीड शटल लैस रेपियर लूम टैक्नोलॉजी के प्रोटोपाइप विकास का डिजाइन पूर्ण कर लिया गया है और परीक्षण चल रहा है।

सीएमटीआई ने फेवले ट्रांसपोर्ट रेल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड (एफटीआरटीआईएल) होसुर के साथ एनडीए पर हस्ताक्षर किया।

वित्तीय वर्ष के दौरान भारी उद्योग विभाग द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित की गईं:

क) इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने संबंधी योजना के तहत कॉमन इंजीनियरिंग फेसिलिटीज सेंटर (सीईएफसी) के घटक के अंतर्गत सीएमटीआई एनकम्पासिंग इंडस्ट्री 4.0, सीएमटीआई बंगलूरू में आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) प्लेटफार्म में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डिमोस्ट्रेशन एंड डवलवमेंट सेल, एक स्मार्ट विनिर्माण (मशीन टूल केंद्रित) की स्थापना करना।

ख) इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और कर्नाटक सरकार से वित्तपोषण संबंधी योजना के तहत कॉमन इंजीनियरिंग फेसिलिटीज सेंटर (सीईएफसी) के घटक के अंतर्गत सीएमटीआई की मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रीसिजन मेट्रोलॉजी लेबोरेट्री।

ग) नैनो मैन्युफेक्चरिंग ऑफ टैक्नोलॉजी सेंटर (एनएमटीसी)

घ) सेंसर टैक्नोलॉजी डवलवमेंट फेसिलिटी (एसटीडीएफ)

5.6 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलें।

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुछ प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयासों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

5.6.1 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)

अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन

- 2016–17 के लिए कंपनी का आरएंडडी व्यय ₹ 793.62 करोड़ था जो कि कारोबार का 2.75% है। कंपनी के कुल टर्नओवर का कुल ₹ 6,025 करोड़ (20.89%) पिछले 5 वर्षों में शुरू किए गए अपने घरेलू उत्पादों से हासिल किया गया है। कंपनी ने वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी की बौद्धिक पूंजी को 3915 अंकों तक बढ़ाते हुए 508 पेटेंट और कॉपीराइट आवेदन दायर किए (दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)।

2016–17 के दौरान प्रमुख आरएंडडी/प्रौद्योगिकी उन्नयन उपलब्धियां

- एनएचपीसी की चमेरा परियोजना के लिए स्वदेश में तैयार की गई 420 केवी जीआईएस बे की आपूर्ति की जा रही है।
- भारतीय रेलवे के लिए प्रदूषित डीजी सेटों को बदलने हेतु 2x500 केवीए होटल लोड कनवर्टर (एचएलसी) विकसित किया गया। पहले 2x500 केवीए एचएलसी को चेन्नई–कोयम्बटूर शताब्दी एक्सप्रेस से जुड़े लोकोमोटिव में कमीशन किया गया था। इस सफल विकास के साथ, भेल ने प्रतिस्पर्धी बिडिंग द्वारा एचएलसी के 32 सेटों की आपूर्ति के लिए एक आदेश प्राप्त किया है।
- एक पोलर एक्सिस निष्क्रिय सौर ट्रैकर विकसित किया, जो एक ही एमडब्ल्यूपी रेटिंग के लिए अधिक ऊर्जा पैदा करेगा। वर्तमान में केपीसीएल के शिवसमुद्रम साइट पर 50 किवा. की प्रणाली काम कर रही है।
- भीमावरम, आंध्र प्रदेश में भारत का पहला 1 मेगावाट का मौसमी टिल्टेबल कैनाल टॉप सोलर पीवी प्लांट तैयार किया और कमीशन किया।
- तेलंगाना में नरसापुर झील (हैदराबाद के पास), पर 25 केडब्ल्यूपी फ्लोटिंग सौर प्लांट को डिज़ाइन, कमीशन और प्रदर्शित किया। उच्च दक्षता पर बिजली पैदा करने के अलावा, फ्लोटिंग सौर खेत वाष्पीकरण को कम करके मूल्यवान सिंचाई और पीने के पानी को बनाए रखता है।
- सौर ऊर्जा संयंत्रों के उच्च मेगावाट स्तर की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, भेल ने सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए अत्याधुनिक 1.25 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड पॉवर कंडीशनिंग यूनिट (जीसीपीसीयू) को सफलतापूर्वक विकसित किया है।

- बीएचईएल ने भारत सरकार के साथ एमओयू आर एंड डी परियाजना के रूप में थर्मल पावर प्लांट सिम्युलेटर के लिए जीयूआई आधारित मॉडलिंग उपकरण के बॉयलर और ऑक्सिलरीज के लिए मॉडल सॉफ़्टवेयर का विकास किया है और इसे 24 दिसंबर 2016 को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह जीयूआई उपकरण आधारित थर्मल पावर प्लांट सिमुलेटर देने के लिए उपयोग किया जाएगा, जिससे नकदी निर्गम में बचत होगी और बाहरी विक्रेताओं पर निर्भरता खत्म होगी। एनटीपीसी, गदरवारा के लिए सिम्युलेटर, टीएसजीएनसीओ के नालगोंडा (800 मेगावाट) को इस उपकरण के साथ आपूर्ति की जाएगी।

- बीचईएल ने भारत सरकार के साथ एमओयू आर एंड डी परियोजना के रूप में प्रक्रिया अनुप्रयोगों के लिए अक्षीय प्रवाह कंप्रेसर के एयरो मैकेनिकल डिजाइन का विकास किया है और इसे 31 अगस्त 2016 को सफलतापूर्वक पूरा करके अत्याधुनिक दक्षता स्तर हासिल कर लिया। यह क्षमता बीएचईएल को अक्षीय कंप्रेसर औद्योगिक खंड में एक ओ.ई.एम. बनने में सक्षम बनाती है।

- 70 मेगावाट की रेटिंग वाले औद्योगिक सेटों के लिए नए बैक प्रेशर एचपी मॉड्यूल के साथ दो सिलेंडर री–हीट स्टीम टरबाइन विकसित किए गए। इस टरबाइन में उन्नत ब्लेडिंग और ब्रश सील्स लगे हैं जिससे हीट रेट में सुधार हुआ है। इस टरबाइन की आपूर्ति मैसर्स निरमा, भावनगर (गुजरात) को की गई है।

- मैसर्स निरमा, भावनगर (गुजरात) को आपूर्ति किया गया कॉम्पैक्ट ओवरहंग ब्रशलेस एक्साइटर के साथ 80 मेगावाट, 11 केवी, 50 हट्र्ज, 3000 आरपीएम एयर कूल्ड टर्बो जेनरेटर का नया संस्करण विकसित किया।

- 3x660 मेगावाट उत्तरी कर्णपुरा एसटीपीपी के लिए कम शोर करने वाला और लो स्टार्टिंग करंट वाला संशोधित स्लॉट संयोजन और स्लॉट आकार के साथ, 5075 किलोवाट, 11 केवी, 10 पोल आईडी फैन मोटर का एक कुशल संस्करण विकसित किया गया।

- लिफ्ट सिंचाई अनुप्रयोगों के लिए एक नया 3250 किलोवाट, 11 केवी, 30 पोल, वर्टिकल, स्लो स्पीड केज इंडक्शन मोटर का विकास किया गया है जो 140 टन तक बाहरी दबाव सहने में सक्षम है। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएनएल पीएस–1) के लिए इसे मैसर्स एक्सलेम वॉटर सॉल्यूशंस इंडिया प्रा. लि. को सप्लाई किया गया।

- मैसर्स मैन टर्बो डीजल इंजन, कोमोरोस गणराज्य के निर्यात आर्डर के लिए 18 मेगावाट डीजल जनरेटर आधारित पॉवर स्टेशन के लिए टर्बो डीजल इंजनों की सघन आलंबन आवश्यकता के अनुरूप एक नया सघन 4061 केडब्ल्यू डीजल ऑल्टरनेटर विकसित किया गया।

- एडवांस अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) स्टीम टर्बाइन कंट्रोल वाल्व कांपोनेन्ट्स के लिए निकिल आधारित सुपर एलोय मैटीरियल (आईएन 617 सीसीए) पर लेजर क्लेडिंग द्वारा एचवीओएफ़ प्रोसेस एवं सेटेलाइट कोटिंग के माध्यम से हाई टैंपरेचर वियर रेजीस्टेंट कोटिंग का विकास किया गया। विकसित कोटिंग लैब पैमाने पर आधार सामग्री (आईएन 617 सीसीए) के ऊपर उच्च तापमान क्षरण प्रतिरोध के लिए चार से छह गुना सुधार दर्शाती है।

- एडवांस अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) बॉयलर एप्लिकेशन के लिए उच्च तापमान एवं दाब पर प्रचालन में सक्षम विशेष निकिल आधारित एलोय आईएन 617 सीसीए के लिए विशेष वेल्डिंग प्रक्रिया एवं आधुनिक एनडीटी तकनीक स्थापित करने की इन–हाउस क्षमता विकसित की गई।

- कोराडी आरएंडएम परियोजना के लिए नए घरेलू डिजाइन किए गए जनरेटर मॉड्यूल टीएचआरआई 108/40 का सफलतापूर्वक विनिर्माण, परीक्षण एवं

आपूर्ति की गई। यह आरएंडएम के आदेशों को लागू करने में स्वयं–निर्भरता के लिए बीएचईएल को प्रेरित करेगा।

2017–18 के दौरान सितंबर, 2017 तक प्रमुख आर एंड डी / प्रौद्योगिकी उन्नयन उपलब्धियां

- ब्लास्ट फर्नेस एप्लीकेशन के लिए बनाए गए आवरण डिजाइन में भेल द्वारा निर्मित सबसे बड़ा वायु कंप्रेसर (डीएमसीएल 1008) विकसित किया गया।
- भूमिगत आर.सी. संरचनाओं के सिविल डिजाइन के लिए 'वेब आधारित सॉफ़्टवेयर (यूजीएसडी)' विकसित किया।
- अक्षीय प्रवाह कंप्रेसर के लिए रोटर शाफ्ट, डिस्क, बियरिंग्स, सीलों और आवरण के यांत्रिक डिजाइन का विकास पूरा किया।
- औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए 20 मेगावाट, 11 केवी, 4 पोल अल्टरनेटर की सबसे बड़ी रेटिंग का विकास किया।
- स्टेनलेस स्टील कंडेनसर ट्यूबों में जैविक अशुद्धियों और जंग की समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त सुपरहाइड्रोफोबिक कोटिंग विकसित की गई है।
- टाटा स्टील, जमशेदपुर के आर एंड एम के ऑर्डर के लिए अत्याधुनिक हार्डवेयर का उपयोग करके स्टेटिक वीएआर कम्पेनसेटर के लिए रेगुलेटर के एक प्रोटोटाइप का विकास किया गया।
- फ्लू गैस डीसल्फराईजेशन (एफजीडी) प्लांट के घोल भंडारण टैंक के लिए एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल का विकास किया।
- 30,000 घन मीटर/घंटा से अधिक की क्षमता वाले परीक्षण पंपों के लिए शीतलक वाटर पम्प (सीडब्ल्यूपी) मॉडल टेस्ट ले–आउट को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया।
- लिफ्ट सिंचाई क्षेत्र के लिए प्रमुख पोल टाइप के निर्माण में 11.65 मेगावाट, 11 केवी, 12 पोल लम्बवत सिंक्रोनस मोटर की सबसे बड़ी रेटिंग विकसित की गई और परीक्षण किया गया।
- बंद टर्बो मशीनरी घटकों (कंप्रेसर इत्यादि) के लिए एक अपघर्षक प्रवाह पॉलिशिंग प्रक्रिया विकसित की गई जिसके परिणामस्वरूप सतह की फिनिशिंग और दक्षता में वृद्धि हुई।
- 9000 एचपी लोकोमोटिव के लिए तीन चरण एसी ट्रैक्शन मोटर टाइप आईएम 4802 एजेड विकसित की गई।
- एक विशिष्ठ 2 डी सेंटरीफ्यूगल कंप्रेसर स्टेज की दक्षता में सुधार के लिए डिज़ाइन ऑप्टिमाइज़ेशन प्रक्रिया की स्थापना।

सूचना प्रौद्योगिकी

- एक रणनीतिक और प्राथमिकताबद्ध तरीके से मॉडलों को डिजिटल तकनीकों में परिवर्तनों और अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने और व्यापार में उनके प्रभाव के लिए व्यापारिक गतिविधियों, प्रक्रियाओं, दक्षताओं और मॉडलों को बदलने के लिए कॉर्पोरेट डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन ग्रुप बनाया गया है।
- कंपनी की एकत्रीकरण, सरलीकरण और निष्पादन की नीति के साथ संरेखित नकद रहित लेनदेन की दिशा में एक कदम के रूप में, भेल ने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे और बीएचईएल के साथ इसके इंटरफेस की शुरुआत की, जैसे कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (आरईसीएचएस), भर्ती प्रणाली आदि।

मानव संसाधन विकास

संगठन की बदलती जरूरतों के अनुरूप, कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट (सीएलडी) और एचआरडीसी ने कर्मचारियों में विजयी रवैये के निर्माण के लिए जानकारी का आदन–प्रदान, कौशल विकास और व्यावहारिक हस्तक्षेपों की सुविधा प्रदान की है।

कर्मचारियों और कारोबारी मिश्रण की बदलती जनसांख्यिकी के जवाब में उठाए गए विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्रतिष्ठित पत्रिका बिजनेस टुड़े द्वारा भारत में 'शीर्ष 25

सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक के रूप में कार्य करने के लिए' कंपनी को व्यापार जगत में मान्यता दी गई है। इस विशिष्ट सूची में बीएचईएल ही एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री अतुल सोबती, सीएमडी–भेल को ₹ 1.79 करोड़ की उच्चतम राशि का चेक प्रदान किया, जो राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत, देशभर में बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं को नियुक्त करके बीएचईएल की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रशंसा का प्रतीक था, जो प्रधानमंत्री की 'कौशल भारत' पहल में संगठन के योगदान का प्रतिनिधित्व करती है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बीएचईएल के सीएमडी को ₹1.79 करोड़ का चेक प्रदान किया

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बीएचईएल ने बड़े पैमाने पर शेयर धारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और समाज सहित अपने विभिन्न हितधारकों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए नियमित नियामक ढांचा और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुनियादी आवश्यकताओं से आगे बढ़कर करने का प्रयास किया है। कंपनी ने सभी के लिए पारदर्शिता, प्रकटीकरण और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा विकसित की है, खासकर अल्पसंख्यक शेयर धारकों के लिए।

सामाजिक उत्तरदायित्व

वर्ष के दौरान बीएचईएल को "समाज के अच्छे स्वास्थ्य तथा देखभाल सेवा क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण" के लिए "स्कोच ऑर्डर ऑफ़ मेरिट" से सम्मानित किया गया था। बीएचईएल को 01 अक्टूबर 2016 को सुविधाओं से वंचित लोगों और विशेष रूप से देश के दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग लोगों को गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और प्रतिबद्धता के लिए हेल्पएज इंडिया से मान्यता प्राप्त हुई।

- हेल्पएज इंडिया, पीएचडीआरडीएफ़ और वॉकहार्ट फाउंडेशन के साथ साझेदारी में, भेल ने 2016–17 के दौरान परियोजना स्थलों और विनिर्माण इकाइयों के आसपास 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) के संचालन के लिए सहायता प्रदान की है जिससे एक लाख से ज्यादा मरीजों को लाभ मिला।
- 1021 हेमोफिलिक रोगियों को एंटी हेमोफिलिक फैक्टर (एएचएफ) के वितरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष के दौरान, 20 कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें 240 लाभार्थियों को शामिल किया गया था।
- रायवाला, ऋषिकेश, उत्तराखंड में गंगा प्रेम धर्मशालाओं का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। यहां गंभीर रूप से बीमार कैंसर के रोगियों की उपशामक देखभाल के लिए 30 बिस्तरों की सुविधा है।

उदघाटन समारोह – गंगा प्रेम धर्मशाला, रायवाला, ऋषिकेश

- भेल हरिद्वार और ऋषिकेश में जैविक शौचालयों के 25 समूहों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। कमीशन होने के पश्चात इस प्रोजेक्ट में प्रत्येक समूह में सुरक्षित पेय जल की सुविधा देना और 2 साल के लिए रख रखाव भी शामिल है।

हरिद्वार में गंगा के एक घाट पर जैविक शौचालय और पेय जल परिसर का उद्घाटन

- बीएचईएल की तीन इकाइयों अर्थात, हरिद्वार, झांसी और तिरूची (प्रत्येक इकाई में एक) के आस–पास मोबाइल साइंस लैब चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिससे एक वर्ष में 30,000 से अधिक छात्रों को लाभ मिला है।

झांसी में एक सरकारी विद्यालय के बच्चे प्रयोगों द्वारा विज्ञान सीख रहे हैं।

- रामकृष्ण मिशन आश्रम, नई दिल्ली में 75 किलोवाट क्षमता वाले सौर पीवी संयंत्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- बीएचईएल ने आंध्र प्रदेश के वाइजेग में विनाशकारी तूफान हुद–हुद से प्रभावित लोगों के लिए 96 आदर्श घरों (फ्लैट) का निर्माण किया है। लाभार्थियों में आवंटन के लिए इन फ्लैटों को जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है।

बीएचईएल द्वारा हुद–हुद से प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए फ्लैट

आगे की राह.....

कंपनी विकास और लाभप्रदता की गति को बनाए रखने के लिए, आदेशों के शीघ्र निष्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रही है और दक्षता बढ़ाने के लिए संरचनात्मक बदलावों को लागू कर रही है।

- अटके हुए/धीमी गति से चलने वाले ऑर्डरों को निष्पादन योग्य ऑर्डरों में परिवर्तित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2016–17 के दौरान लगभग ₹ 12,000 करोड़ के गैर निष्पादन योग्य आदेशों को निष्पादन योग्य बनाया गया है। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष (अक्तूबर 2017 तक) के दौरान ₹ 20,400 करोड़ की 4000 मेगावाट परियोजना को पुनर्जीवित किया गया है।
- विविधीकरण प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के लिए परमाणु, हाइड्रो, रक्षा एवं एयरोस्पेस और परिवहन के लिए ग्राहक केंद्रित व्यवसाय समूह बनाए गए।
- प्रोजेक्ट साइटों का शीघ्र पूर्ण होना सुनिश्चित करने, मानव शक्ति का अनुकूलन, विभिन्न पणधारियों के साथ बकाया मुद्दों को हल करने और नकदी को प्राप्त करने के लिए एक समर्पित 'परियोजना क्लोजर सिनर्जी ग्रुप' का गठन किया गया है।
- अपने कर्मचारियों के असाधारण प्रदर्शन को दोहराने और बनाए रखने के लिए बड़े परिवर्तन में निष्पादन

में सुधार, क्षमता निर्माण, और संगठनात्मक व्यवहार को मजबूत करने वाले बड़े बदलाव कार्यक्रम तैयार करने और कार्यान्वित करने के उद्देश्य से एक नया "प्यूपल स्ट्रेटजी ग्रुप" बनाया गया है।

- सरलीकरण और विकेंद्रीकरण पर कम मूल्य वाली गतिविधियों को खत्म करने और कार्यों की बहुलता पर फोकस कर कंपनी की विभिन्न नीतियां पुनरीक्षित की गई।
- प्रमुख व्यवसायों का विस्तार करने के प्रयासों कों पूर्ण करने हेतु उत्पादों और सेवाओं जैसे कि उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण, लिफ्ट सिंचाई प्रणाली, परमाणु शक्ति के लिए विस्तार शील पुर्जों और सेवाओं के कारोबार का विस्तार करना।
- व्यावसायिक अवसर के रूप में नैदानिक और पूर्वानुमानित रखरखाव सेवाओं में क्षमता विकसित करने और संचालन में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 'कॉर्पोरेट डिजिटल ट्रांसफार्मेशन' समूह का गठन किया।
- बाजार के विस्तार और बाजार पहुंच पर ध्यान देने के साथ ही निर्यात रणनीतियों की वैश्विक गतिशीलता के साथ गठबंधन किया जा रहा है।
- लंबे समय तक जीविका के लिए, कुल व्यवसाय, व्यापार–मिश्रण और भौगोलिक–मिश्रण दोनों में, नवीनता तथा अधिक विविधता लाने के लिए क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना है।

5.6.2 बीएचईएल–ईएमएल अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी उन्नयन

वर्ष 2016–17 के दौरान मुख्य अनुसंधान एवं विकास /तकनीकी उन्नयन उपलब्धियां

- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ट्रैक्शन मोटर्स का विकास, चालू परियोजना
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्ट्रिंग मॉनिटरिंग इकाइयों का विकास
- सामरिक प्रयोग के लिए समुद्री अल्टरनेटर का विकास

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बीएचईएल–ईएमएल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ढांचे की स्थापना की है जिसमें शासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता, पणधारियों के मूल्य वृद्धि और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर जोर दिया गया है।

सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व के एकभाग के रूप में नियमित आधार पर अल्पावधि (ग्रीष्मकालीन) प्रशिक्षण के अलावा विभिन्न इंजीनियरिंग छात्रों (आईटीआई से स्नातकोत्तर तक) को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

इसके परिसर में पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भेल–ईएमएल के पास एक स्थायी वनीकरण कार्यक्रम भी है।

5.6.3 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर (आरईआईएल)

आरईआईएल की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की संरक्षा करते हुए प्रतिस्पर्द्धी, सस्ते और विश्वसनीय उत्पादों/ समाधानों को उपलब्ध कराने के लिए और वर्तमान उत्पादों/प्रक्रियाओं के उन्नयन के जरिए ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करना है।

कंपनी की एक अनुसंधान विकास नीति है। कंपनी में पूर्ण रूप से युक्त नवीनतम औजारों और प्रौद्योगिकियों के साथ अनुसंधान एवं विकास केंद्र, कुशल और अनुभवी मानवशक्ति है। केंद्र को वर्ष 1965 से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास करना, संसाधनों के ईष्टतम उपयोग हेतु प्रक्रिया विशिष्टीकरण और तकनीकों का निरंतर सुधार, राष्ट्रीय मानकों के तुलनीय गुणवत्ता

में निरंतरता, इसके विद्यमान उत्पादों की उपयोगिता और उपभोक्ता जरूरतों को पूरा करने हेतु नए उच्च तकनीक उत्पादों के साथ–साथ विद्यमान उत्पादों के नए उच्चतर भिन्न रूपों का विकास करना है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में चल रही प्रमुख परियोजनाएं निम्नानुसार हैः

1. आरएमयू – सौर जल पम्पन प्रणाली हेतु रिमोट मॉनिटरिंग यूनिट
2. अगली पीढ़ी का डीपीयू
3. सोलर ईवी चार्जिंग स्टेशन (एसईवीसीएस)
4. सोलर पंप कंट्रोलर

5.6.4 एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी ने उत्पाद प्रौद्योगिकी सुधारने और उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अलग–अलग उत्पादों की अनुसंधान एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी सभी विनिर्माण इकाइयों में अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों की स्थापना की है।

अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने और नए उत्पाद विकसित करने के अपने प्रयासों में अनुसंधान एवं विकास पर कंपनी का फोकस रहा है। उत्पाद प्रौद्योगिकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता और मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मकता में ग्राहकों की आवश्यकताओं के विशिष्ट संदर्भ में प्रत्येक सहायक कंपनी में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित की जाती हैं। मुख्य जोर वर्तमान उत्पादों का अतिरिक्त विशिष्टताओं के साथ उन्नयन करना, डिजाइन आप्टिमाइजेशन और सौन्दर्यता में सुधार पर है। इन प्रयासों के फलस्वरूप कई नए उत्पाद सामने आए हैं और साथ ही वर्तमान उत्पादों का उन्नयन हुआ है। एचएमटी के अधिकार क्षेत्र के अलग–अलग उत्पाद क्षेत्रों में किए गए/नियोजित अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को विशिष्ट रूप से निम्नानुसार दर्शाया गया हैः

एचएमटी लिमिटेड (खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी प्रभाग)

निम्नलिखित उत्पाद विकास गतिविधियां नियोजित हैं:

क) क्रेटवाशर –सीआरउब्लू 01, क्षमता 1000 क्रेट/घंटा

ख) शाफ्ट रिड्यूसिंग गियर बॉक्स के साथ ट्रिपलैक्स प्लंगर पम्प

ग) दबाव नियंत्रण के लिए मैनुअल से हाइड्रोलिक रूपों में होमोजेनिसर का संशोधन

घ) आईआरसीटीसी के लिए खाद्य ट्रोलियों का विकास

5.6.5 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

कंपनी की सभी विनिर्माता इकाइयों के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी स्वयं की अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं हैं। अनुसंधान एवं विकास का मुख्य बल उत्पाद प्रौद्योगिकी में आत्म–निर्भरता प्राप्त करने, मौजूदा उत्पादों को अतिरिक्त विशेषताओं के साथ उन्नत बनाने पर है। इसके अलावा एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, हैदराबाद को डीएसआईआर द्वारा इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास मान्यता प्रदान की गई। बैंगलुरू यूनिट ने क्रमशः मेटल कटिंग आरएंडडी एवं सीएनसी आरएंडडी के लिए इन–हाउस आरएंडडी मान्यता हेतु आवेदन किया है।

अनुसंधान एवं विकास एक सतत प्रक्रिया है और कंपनी के विभिन्न प्रचालनों से इसका निकट संबंध है तथा उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त हो सकते हैं। उपलब्ध प्रौद्योगिकियों तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केन्द्रित विशेष प्रयोजन वाली मशीनों के अनुसार नए उत्पाद डिजाइन, विकसित और निर्मित करने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी विकास आयोजनाएं वैल्यू इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पादन की लागत में कटौती को सुसाध्य

बनाने पर केन्द्रित हैं, जिनसे कि विदेशी संस्थानों तथा आईआईटी आदि से व्यवहार्य आयात प्रतिस्थापन के साथ–साथ संयुक्त कार्य व्यवस्था मुहैया कराई जा सके।

"हेडस्टाक ऑफ फोर गाइड वे लेथ" तथा "वाई–एक्सिस एसबी सीएनसी 30 टीएमवाई के साथ टर्न मिल सेन्टर का विकास" के विश्लेषण हेतु डिजाइन एवं विकास को देखते हुए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फर्म मैसर्स फ्रानहोफर के साथ तकनीकी करार किया है। तकनीकी सहयोग करार पर मैसर्स फ्रानहोफर, जर्मनी तथा एचएमटी मशीन टूल्स लि. के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत सरकार ने केपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने संबंधी योजना के तहत मंजूरी दी है। बैंगलुरू और कलामसेरी यूनिटों में क्रमशः हेडस्टाक ऑफ फोर गाइड वे लेथ तथा ''वाई–एक्सिस एसबी सीएनसी 30 टीएमवाई के साथ टर्न मिल सेन्टर का विकास'' का डिजाइन और विकास प्रगति पर है। दिसंबर 2017 के अंत तक प्रोटोटाइप के तैयार हो जाने की संभावना है।

एचएमटी मशीन टूल्स ने क्लासरूम शिक्षा तथा चालू उद्योग प्रौद्योगिकी के बीच अन्तर को मिटाने की दृष्टि से प्रशिक्षण केन्द्र के लिए अनुसंधान एवं विकास के तहत लचीली विनिर्माण प्रणाली तैयार की है।

❖ **उत्पाद और विकास प्रौद्योगिकी उन्नयन आयोजनाएं**

- सीएनसी स्प्रिंग गाइडिंग मशीन का डिजाइन और विकास
- फ्लो–फोर्मिंग मशीन का डिजाइन और विकास
- कंबाइंड पिन एंड जर्नल गाइडिंग मशीन का डिजाइन और विकास
- सरफेस व्हील लेथ का डिजाइन और विकास
- सीएनसी मल्टी टूलिंग शैल टर्न मशीन का डिजाइन और विकास
- नौसेना उपकरण हेतु डायरेक्टिंग गियर का डिजाइन और विकास
- कलामसेरी और अजमेर यूनिटों में कम कीमत वाली सीएनसी लेथ और वर्टिकल मशिनिंग केंद्र का डिजाइन, विकास, विनिर्माण।

5.6.6 नेपा लिमिटेड

कंपनी का अनुसंधान एवं विकास केन्द्र वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के पास पंजीकृत है। इस केन्द्र में अपेक्षित सुविधाएं उपलबध हैं तथा कंपनी प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा लेखन और मुद्रण ग्रेडों के उत्पादन के लिए नवीनतम उपकरण अधिप्राप्त कर रही है।

5.6.7 एंड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी के विभिन्न प्रभागों द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्य निम्नानुसार हैं:–

(i) निम्नलिखित के लिए कदम उठाए गए हैं :

क) कंपनी की स्विच गियर यूनिट ने ऊर्जा बजट वाले 3 स्टार रेटिड 250 केवीए के वितरण ट्रांसफार्मर आरंभ किए हैं, इनका निर्माण किया है और बीईएससीओएम को 250 केवीए के 79 वितरण ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति की है।

(ii) प्राप्त लाभ जैसे कि उत्पाद विकास, लागत कटौती अथवा आयात प्रतिस्थापन :

क) कंपनी इंजीनियरिंग प्रभाग ने वर्ष 2016–17 में ट्यूब एक्सिएल फ्लोफैन की 80 प्रतिशत रेंज विकसित की है। ट्यूब एक्सिएल फ्लोफैन की शेष 20 प्रतिशत उत्पाद रेंज 2017–18 के उतरार्ध में विकसित की जाएगी। कंपनी को

वर्ष 2016–17 में ट्यूब एक्सिएल फ्लो और सेन्ट्रीफुगल फैन–वेंटीलेशन टाइप के लिए ₹ 91.14 लाख के ऑडर मिले हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान किया गया कुल प्रेषण ₹ 20.24 लाख है। ₹ 70.90 लाख के शेष ऑडर को वर्ष 2017–18 के उत्तरार्ध में निष्पादित किया जाएगा। वर्ष 2017–18 में इस उत्पाद लाइन में नया ऑडर ₹ 215.00 लाख होने की संभावना है।

ख) बिना बोल्ट वाले कंपोजिट लाइनर, उत्पादकता सुधार के रूप में कार्या के नवीनीकरण हेतु प्लाज्मा कटिंग का उपयोग और लागतों में कटौती जैसे प्रक्रिया सुधार से लाभ प्राप्त हुए हैं।

5.6.8 भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)

प्रौद्योगिकी उन्नयन/अधिग्रहण और उत्पाद डिजाइन एवं विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र

सेंट्रीफुगल पंप एरिया

क) पंप मॉडल डीवीएमएक्स 6x8x11ई की वर्किंग प्रेसर रेंज बढ़ाने के लिए ड्राइंगों में संशोधन किया जा रहा है।

ख) समय और लागत की बचत करने के लिए डीवीएमएक्स और एसएमके पंप मॉडलों में कास्टिंग कवर्स के बदले बनाए गए बियरिंग कवर का विकास

ग) एसएमके 4x6x15 पंप मॉडल की दक्षता और हैड बढ़ाने के लिए एमएनएनआईटी में अनुसंधान कार्य चल रहा है।

रेसिप्रोकेटिंग कंप्रैसर एरिया

वर्ष 2008–09 में आईओसीएल, बरौनी को दो एचडी/2 हाइड्रोजन मेक–अप कंप्रैसरों की आपूर्ति की गई थी। संतोषजनक कार्य निष्पादन के 6 वर्षों के बाद (–1000-C के निश्चित बिंदू के साथ) गैस की संरचना में पूर्ण रूप से बदलाव आ गया, जिसके परिणामस्वरूप पैकिंग रिंग, राइडर रिंग और पिस्टन रिंग अधिक घिस गए।

5.6.9 ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बीबीजे ने अपनी नेतृत्व स्थिति को बरकरार रखने के लिए अनुसंधान एवं विकास की महत्ता को समझा है। सीमित संसाधनों और कर्मचारियों के सम्मिलित प्रयासों के बीच प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए बीबीजे ने इस्पात पुलों के लिए नई लांचिग स्कीम विकसित की है। बीबीजे ने क्रियाशील लाइनों पर पूर्व स्टील ब्रिज को बहुत कम समय में नव निर्मित गार्डरों से प्रतिस्थापित करने के लिए एक प्रभावी निर्माण स्कीम विकसित की है। हाल ही में बीबीजे ने डीएमआरसी की मुंगेर में गंगा पर पुल बनाने की परियोजना तथा अन्य परियोजनाओं के लिए भी फॉरवर्ड लांचिंग योजना विकसित की है। बीबीजे ने अपव्यय कम करने के लिए संरचना के लिए उपयुक्त कटिंग योजनाएं विकसित की हैं। परियोजना निष्पादन की निगरानी करने और जब कभी आवश्यक हो, अधिक समय और लागत से बचने के लिए नए सॉफ्टवेयर आधारित प्रौद्यागिकी की स्थापना करके प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

5.6.10 सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई)

सभी तीनों इकाइयों में प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी उपाय किए गए हैं। 1200 टीपीडी क्लिंकराइजेशन स्ट्रीम की एक अलग लाइन की संस्थापना करके, जिसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाएगी, बोकाजन यूनिट की क्षमता बढ़ाई गई है। अन्य संबंधित कार्यकलाप जैसे ब्रॉड गेज लाइन डालनाए सड़क निर्माण, रोपवे को मजबूत बनाना, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करना आदि किए जा रहे हैं। तांदुर यूनिट की विभिन्न प्रौद्योगिकी उन्नयन

योजनाएं स्वीकृत योजना के एक भाग के तौर पर कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई हैं। राजबन में वैकल्पिक ईंधन के रूप में पेट कोक का उपयोग प्रारंभ कर दिया गया है। तांदुर फ्लाई ऐश हैंडलिंग सिस्टम के साथ–साथ सीमेंट मिल की क्लोज सर्किटिंग को वरीयता दी जा रही है। उपलब्ध सीमित संसाधनों से अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप किए जा रहे हैं जिनका लक्ष्य संयंत्र प्रोसेस/प्रचालन में सुधार करना है।

नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने पत्र सं. 30/11/2014–15/एनएसएम, दिनांक 17 फरवरी, 2016 के द्वारा सीपीएसई योजनाओं के तहत एक करोड़ प्रति मेगावाट की दर से वीजीएफ सहायता के साथ 6 मेगावाट के ग्रिड संबद्ध सोलर पीवी संयंत्रों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। 6 मेगावाट के सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए दिनांक 26.12.2016 को सीसीआई और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनवीवीएन) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

5.6.11 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई)

कंपनी के कार्य की प्रकृति को देखते हुए, अनुसंधान एवं विकास के लिए क्षेत्र सीमित हैं, क्योंकि ईपीआई ग्राहक की आवश्यकताओं पर आधारित कार्य करती है। तथापि, ईपीआई तेज, टिकाऊ और किफायती निर्माण के लिए प्री–कास्ट/प्री–फेबरिकेटिड संरचना तकनीकों जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी सक्रिय रूप से उपलब्ध कराती है।

आधुनिक औद्योगिक परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट परियोजना आधारित सहयोगों की व्यवस्था भी की जाती है। ईपीआई, प्रौद्योगिकी और निर्माण तकनीकों को अपग्रेड करने तथा उचित डिजाइनिंग और वैल्यू इंजीनियरिंग के पहलुओं को देखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। नए तथा अद्यतन डिजाइन सॉफ्टवेयर आंतरिक इंजीनियरिंग क्रियाकलापों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

परियोजना निष्पादन के दौरान ईपीआई ने सड़कों/चाहरदीवारी आदि के निर्माण के लिए खुदाई करके निकाली गई सामग्री का इस्तेमाल किया है जिससे निर्माण लागत में बचत हुई है। ईपीआई अभी–अभी अवार्ड की गई "नमामि गंगे परियोजना" में जीरो डिस्चार्ज के साथ सीवेज ट्रीटमेन्ट, रिसाइक्लिंग के साथ ऑनलाइन ट्रीटमेन्ट डीसेलेनाइजेशन के लिए इको–सेनेटाइजेशन, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए प्रभावी माइक्रोआर्गेनिज्म प्रौद्योगिकी (बेक्टिरियल प्रौद्योगिकी) जैसी नई पद्धतियों का इस्तेमाल करने का विचार कर रही है।

कर्मचारियों को उनकी तकनीकी जानकारी का विकास करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और संगोष्ठियों में प्रायोजित किया जाता है।

5.6.12 ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर)

कंपनी अनुसंधान और विकास प्रयासों के साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता मानकों के उन्नयन का लगातार प्रयास कर रही है। कंपनी ने वायर ऑटोमोटिव रिम सील अग्नि सुरक्षा प्रणाली, आईटी और ग्राहक परियोजना स्थल पर नेटवर्किंग, सौर विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन, जमीन के ऊपर 33 केवी की कैबल नेटवर्किंग, सस्पेंशन बेले ब्रिज आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक विस्तार किया है और कंपनी ने इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तथा जानकारी को ग्रहण करने की सफल व्यवस्था की है।

5.6.13 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

बीएस IV मानकों के अनिवार्य अनुपालन हेतु वर्तमान तिपहिया मॉडलों का भारत स्टेज (बीएस-III) से भारत स्टेज-IV में उन्नयन करना। इसके अंतर्गत शामिल किए गए माडलों में विक्रम 1000 सीजी विक्रम 1500 सीजी, विक्रम 450, विक्रम 750 डी शामिल है।

अध्याय

6

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

6.1 इस विभाग का सतत प्रयास रहा है कि इस विषय पर अल्पसंख्यकों का और अधिक कल्याण करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के दायित्वों की जांच की जाए। अ.जा./अ.ज.जा./अ. पि.व., विकलांगों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नियुक्ति/पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का इस विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुपालन किया जाता है।

6.2 भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की उचित मॉनिटरिंग के लिए निदेशक/उप सचिव रैंक के संपर्क अधिकारी की देखरेख में विभाग में एक अजा/अजजा प्रकोष्ठ काम कर रहा है।

6.3 सरकार ने सरकारी क्षेत्रों में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों को नहीं भरे जाने के कारणों का गहन विश्लेषण करने हेतु एक समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर विभाग ने संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभाग के साथ–साथ इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज में अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. इत्यादि के बेकलॉग को कम करने की दिशा में हुई प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

6.4 सीपीएसईज के कार्य बल में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति बड़ी संख्या में शामिल हैं। सभी सीपीएसईज में उनके मुख्य कार्य बल में एकीकरण पर जोर दिया जाता है और उनकी जाति, धर्म और धार्मिक आस्थाओं के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। आवास आदि सुविधाएं सभी कर्मचारियों को समान शर्तों पर प्रदान की जाती हैं। हर वर्ष कौमी एकता/सद्भावना दिवस का आयोजन किया जाता है जहां महिलाओं और बालकों सहित समाज के सभी वर्गों के लोग एकता, राष्ट्रीय एकता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने के लिए उसमें भाग लेते हैं।

6.5 इस विभाग के अधीन प्रचालनरत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों को अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों का पालन करने का परामर्श दिया गया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विकलांगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का पालन किया जाता है। विकलांगों को विशेष वाहन भत्ता, उपयोगकर्ता के अनुकूल शौचालयों, लिफ्ट आदि की सुविधा से युक्त भूतल पर रिहायशी आवास, व्यवसाय कर के भुगतान से छूट, आने–जाने की पहिवहन सुविधा, चिकित्सा उपस्करों और सामान्य चिकित्सा सहायता के प्रावधान जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों को ब्रेल प्रतीक चिह्न प्रदान किए जाते हैं और वे टेलीफोन बूथ चलाने, बेंत की कुर्सी की मरम्मत आदि के कार्य में लगे हैं। मंद बुद्धि बच्चों और दृष्टिहीनों के लिए विशेष स्कूल चलाए जा रहे हैं। ये सुविधाएं उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने और मुख्य धारा के कर्मचारियों से उनका जुड़ाव सुगम बनाने के लिए प्रदान की जा रही हैं। भेल भी त्रिची, भोपाल, हैदराबाद और हरिद्वार केन्द्रों पर

विशेष देखभाल विद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कर रहा है।

6.6 भारी उद्योग विभाग शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को संशोधित कारें खरीदने के लिए उत्पाद कर पर पात्रता छूट का लाभ लेने के लिए अनिवार्यता प्रमाण–पत्र जारी करता है। सरकारी प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में, इस संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ–पत्र की बजाय स्वयं सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। विस्तृत पात्रता शर्तें विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान, कुल 171 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए और 132 व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र जारी किए गए तथा 01.04.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि के दौरान, 326 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए और 174 व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र जारी किए गए।

6.7 पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणी के प्रतिनिधित्व हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा शुरू किए गए पोर्टल (www.rrcps.nic.in) के माध्यम से भारी उद्योग विभाग में प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार, अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और अशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के बारे में वार्षिक आँकड़े कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को ऑनलाइन भेजे जाते हैं।

6.8 नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के मामले में सिविल अपील सं. 9096/2013 में अवमानना याचिका सं. 499/2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28.04.2015 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 22 मई, 2015 के अपने पत्र सं. 36012/39/2014–स्था.(रेज) के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों को अशक्त व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान शुरू करने के लिए कहा था। तद्नुसार, इस विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उद्यमों ने अशक्त व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है जिसके फलस्वरूप, लोक निर्माण विभागों की अधिकतर रिक्तियां भर दी गई हैं।

अध्याय

7

महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण

7.1 भारी उद्योग विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज लगातार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी रूप में महिलाओं के साथ भेदभाव न हो। स्टॉफ के सभी सदस्यों को भारत के संविधान में व्यवस्थित लिंग आधारित समान मुख्यधारा और न्याय के सिद्धांतों के प्रति सचेत किया जाता है।

7.2 सरकार द्वारा लिंग समानता के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन तथा कामकाजी महिलाओं को न्याय के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मानवाधिकारों के प्रति, विशेषकर महिला कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटारे के लिए विभाग में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है। विभाग महिलाओं को बैठकों, संगोष्ठियों, प्रतिस्पर्द्धाओं, प्रशिक्षण आदि जैसी सभी गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे उनको कार्य बल की मुख्य धारा में पूर्णरूपेण जुड़ना सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

7.3 जेंडर बजटिंग के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों का भारी उद्योग विभाग और विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उन क्षेत्रों/सेवाओं का पता लगाने के उद्देश्य से अनुपालन किया जाता रहा है जहाँ जेंडर संबंधी समानता को बढ़ावा देने के लिए स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा पहल की जा सकती है।

अध्याय

8

सतर्कता

8.1 इस विभाग में विभाग के कर्मचारियों और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा संगठनों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के सतर्कता मामलों पर गौर करने के लिए संयुक्त सचिव रैंक का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी है। उनके सहयोग के लिए सतर्कता अनुभाग के साथ–साथ एक निदेशक तथा एक अवर सचिव हैं।

8.2 सतर्कता अनुभाग के मुख्य कार्य क्षेत्र हैं:–

- ❖ भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के साथ–साथ विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों से निपटना।
- ❖ सतर्कता मामलों की आवधिक समीक्षा करना।
- ❖ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों और पीईएसबी की सिफारिशों के आधार पर अन्य सभी नियुक्तियों के संबंध में, जिनमें एसीसी के साथ–साथ भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृति अपेक्षित होती है, सतर्कता मंजूरी जारी करना।
- ❖ सतर्कता मामलों के संबंध में सूचना के प्रवाह को कारगर बनाने के लिए सीवीसी, सीबीआई और भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई के सीवीओज के साथ संपर्क रखना।
- ❖ प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं के मुद्दों पर परामर्श देना।
- ❖ बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों से संबंधित आरोप पत्र की संवीक्षा करना।
- ❖ विभाग के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड–स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की मॉनिटरिंग करना, उन्हें पूरा करना तथा उनका अनुरक्षण करना।
- ❖ भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणिकाओं की प्रस्तुति की मॉनिटरिंग करना।
- ❖ आईएएस/आईपीएस/आईएफएस अधिकारियों और सीएसएस/सीएसएसएस के ग्रुप ''ए'' के अधिकारियों के संबंध में स्पैरो (स्मार्ट परफोर्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग ऑनलाइन विंडो) के तहत एपीएआर भरना।

8.3 सतर्कता अनुभाग निवारक सतर्कता पर भी पर्याप्त जोर देता है और व्यापक पारदर्शिता लाने के बारे में आईटी के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रहा है। जहां कहीं अपेक्षित है उपयुक्त मामलों में दंडात्मक उपाय भी किए जाते हैं और इसके बाद अति सावधानी रखी जाती है।

8.4 भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने और फैलाने के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा 30.102017

से 04.11.2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

8.5 सतर्कता मामले सामान्यतः जटिल प्रकृति के होते हैं, जिनके लिए विभिन्न प्रकार की और विस्तृत सूचनाओं, टिप्पणियों और पीएसईज के सीवीओ की सहायता के आरोपों के विश्लेषण की जरूरत होती है। लंबे समय से लंबित मामलों की पहचान के लिए भरसक प्रयास किए गए और सबसे पुराने मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने हेतु जांच कराई जा सके। वर्ष 2017 की शुरूआत में 41 सतर्कता मामले/शिकायतें थीं। वर्ष के दौरान 46 नए मामले/शिकायतें प्राप्त हुईं। 41 मामलों में जांच पूरी की गई और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन तथा जहां आवश्यक था वहां सतर्कता आयोग के परामर्श से उनका निपटान कर दिया गया।

8.6 भारी उद्योग विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड स्तर के 55 अधिकारियों के भर्ती/पुष्टि/विस्तार/सेवा–निवृत्ति/त्याग–पत्र संबंधी मामलों में सीवीसी द्वारा सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तथा भारी उद्योग विभाग के सीवीओ द्वारा 94 अधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए सतर्कता मंजूरी प्रदान की गई थी।

अध्याय

9

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

9.1 भारी उद्योग विभाग का हिन्दी अनुभाग "श्रमेव जयते" उद्घोष का पालन करते हुए भारत की अस्मिता राजभाषा हिन्दी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने की दिशा में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रहा है। इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए राजभाषा प्रभारी, संयुक्त सचिव महोदय की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आवधिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और राजभाषा हिन्दी में कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपाय सुझाए गए।

9.2 14 सितंबर, 2017 को हिंदी दिवस के अवसर पर, विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों की श्रेणी के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

9.3 वर्ष 2017–18 के दौरान विभाग के राजभाषा निरीक्षण दल ने हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए विभाग के नियंत्रणाधीन उद्यमों की विभिन्न यूनिटों/कार्यालयों का निरीक्षण किया और उनके कार्यपालकों को राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु उपयुक्त सुझाव व दिशा–निर्देश दिए।

9.4. मंत्रिमंडल नोट, अधिसूचनाएं, संकल्प, टिप्पणियां, परिपत्र, संसदीय प्रश्न तथा संसद के दोनों पटलों पर रखे जाने वाले कागजात, वार्षिक रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट, विलंब विवरण, सामान्य आदेश तथा नागरिक चार्टर आदि द्विभाषी रूप में जारी किए गए।

9.5 विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर पर अपना कार्य स्वयं हिन्दी में करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग की पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री, श्री अनंत गीते की अध्यक्षता में दिनांक 09 नवंबर, 2017 को गंगटोक, सिक्किम में आयोजित की गई। यह बैठक अत्यंत प्रभावशाली ढ़ंग से हुई, जिसमें भारी उद्योग विभाग के हिंदी में सरकारी कामकाज की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई।

9.6 विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की राजभाषा के प्रति अभिरूचि बढ़ाने और अपना समस्त कार्य हिन्दी में करने हेतु दिनांक 01.09.2017 से 15.09.2017 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के अधिकारियों/स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान किया गया।

9.7. विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी राजभाषा अधिनियम और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए सशक्त प्रयास करते रहे हैं।

हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित एक प्रतियोगिता का चित्र

सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए संगोष्ठियां, प्रतियोगिताएं एवं हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में भी हिन्दी पखवाड़ा/हिन्दी सप्ताह/हिन्दी माह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

अध्याय

10

सेवोत्तम का कार्यान्वयन

10.1 भारी उद्योग विभाग प्रभावी और जिम्मेदार प्रशासन के लक्ष्य और उत्कृष्टता सेवा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। भारत सरकार के सेवोत्तम ढ़ांचे को इस विभाग में कार्यान्वित किया गया है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

10.1.1 **नागरिक/ग्राहक चार्टर (सीसीसी)** विभाग का वर्ष 2015–16 के लिए नागरिक/ग्राहक चार्टर तैयार किया गया है और विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2016–17 के लिए नागरिक/ग्राहक चार्टर (सीसीसी) की अगली समीक्षा तारीख मार्च 2018 में है। यह विभाग अपने नागरिक/ग्राहक चार्टर में दर्शाए गए सेवा मानकों के अनुसार नागरिकों, विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, उद्योग एसोसिएशनों, सांविधिक निकायों, प्रशासनिक निकायों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को सेवाएं प्रदान करता है। नागरिक/ग्राहक चार्टर में शामिल विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा मानक निर्धारित किए गए हैं। नागरिक/ग्राहक चार्टर की समीक्षा पिछली–बार मार्च, 2017 में की गई थी।

10.1.2 **शिकायत निवारण तंत्र:** विभाग ने शिकायतों के निवारण की मॉनिटरिंग के लिए श्री बी. जे. महन्ता, संयुक्त सचिव को जन शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। विभाग सीपीजीआरएएम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त करता है। शिकायत निवारण की मॉनिटरिंग संयुक्त सचिव द्वारा आवधिक रूप से की जाती है। इसके अतिरिक्त, ऑफलाइन शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। दिनांक 01.04.2017 से 30.12.2017 तक की अवधि के दौरान 1721 शिकायतें प्राप्त हुईं और कुल मिलाकर 1720 शिकायतों का निपटान किया गया। आज की तारीख में इस विभाग से संबंधित शिकायतों के निपटान की दर 98% है।

10.1.3 आईएसओ:9001:2008 प्रमाणीकरण का कार्यान्वयन

प्रथम चरण में भारी उद्योग विभाग की तीन इकाइयों नामतः ऑटो इंजीनियरिंग उद्योग, पीई XI और तकनीकी सेवा स्कंध (बी) को आईएसओः 9001:2008 प्रदान किया गया है। प्रमाणन निकाय मैसर्स डेट नॉर्के वेरिटॉस ने उपर्युक्त तीनों इकाइयों का अंतिम ऑडिट करने के पश्चात् आईएसओ प्रमाण–पत्र जारी किए। विभाग के शेष अनुभागों के लिए आईएसओः 9001:2008 प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू की गई है।

10.1.4 डिजिटलीकरण

पारदर्शिता, सटीकता और सामयिक प्रतिक्रियाओं तथा कागज के अभिलेखों में कमी लाने, उनके भण्डारण, पुनः निर्माण और रखरखाव संबंधी लागत में कमी लाने के लिए सभी आधिकारिक अभिलेखों को डिजिटाइज करने के भारत सरकार के प्रयासों को और आगे बढ़ाने की दिशा में अब तक इस विभाग के रिकॉर्ड के अधिकांश भाग को डिजिटाइज कर दिया गया है। यह प्रक्रिया चल रही है तथा विभाग के सभी अभिलेखों को डिजिटाइज किया जा रहा है।

10.2 भारी उद्योग विभाग में आईटी संबंधी पहल

प्रधान मंत्री जी के अद्भुत प्रयासों के फलस्वरूप, भारत डिजिटल इंडिया में बदल रहा है। ई– सरकारी सेवाएं न केवल ई–गवर्नेंस में एक प्रभावी और कुशल तरीके से परिवर्तित हो रही हैं। इसको हासिल करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने उत्साहपूर्वक चरणबद्ध रूप से कई पहल की हैं। इसने अपने स्वदेशी आईटी प्लेटफॉर्म को उन्नत किया है, जिससे उपलब्ध प्रौद्योगिकी के संबंध में इसका कार्यबल सशक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिकार–क्षेत्र में आने वाले सभी सीपीएसईज और स्वायत्त निकायों को निदेश देता है और उसकी मॉनिटरिंग करता है।

2017–18 के दौरान, ई–ऑफिस के कार्यान्वयन में उच्च–स्तर पर गति लाने, फेम–इंडिया पोर्टल का उन्नयन करने, विभागीय वेबसाइट की विशिष्टताओं को बढ़ाने तथा फेम इंडिया स्कीम संबंधी एमआईएस, डीबीटी एमआईएस के जरिए कान्टेन्ट कार्यकलापों की मॉनिटरिंग करने तथा पीडब्ल्यूडी स्कीम के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत देने, विभिन्न इंट्रानेट एप्लीकेशन/एमआईएस आदि के प्रचालन को हाइलाइट किया जाएगा। भारी उद्योग विभाग ने उद्योग 4.0 कार्यान्वयन को भारत की नीति में लागू किया है, जो इंटरनेट थिंग्स टेक्नोलॉजी द्वारा पूर्णरूपेण जुड़ गया है।

राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, का भारी उद्योग विभाग में स्थित सूचना–विज्ञान प्रभाग भारी उद्योग विभाग और इसके सभी संगठनों में एनआईसी समर्थित सेवाएं परामर्शी सेवाएं, ई–गवर्नेंस के विकास एवं कार्यान्वयन संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। यह विभाग की वेबसाइट की भी देखरेख करता है। यह भारी उद्योग विभाग के ऑन–लाइन ई–गवर्नेंस सेवा पोर्टल को ऐक्सेस करने को सुविधाजनक बनाता है तथा जरूरत के अनुरूप विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

10.2.1 भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट

उद्योग के साथ–साथ नागरिकों के साथ सूचना, नीतियों, प्रक्रियाओं, फीडबैक, कार्य–निष्पादन, बजट, आरटीआई आदि के प्रभावी प्रसार हेतु भारी उद्योग विभाग ने अपनी वेबसाइट http://heavyindustry.gov.in, http://dhi.nic.in शुरु की। नया क्या है टैग के तहत नवीनतम पहलों, नोटिस और घटनाओं का प्रसारण वैश्विक रूप से सर्वाधिक पहुंच प्रदान करता है। नीति–निर्माण में उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, निर्धारित तारीख के भीतर उनसे फीडबैक लेना भी व्यवहार में है। क्षेत्रीय–वार नीति, प्रक्रिया, स्कीम, आरटीआई, नागरिक चार्टर, मिशन प्लान, बजट, सहायता अनुदान का ब्यौर, जीएसटी कार्यान्वयन आदि इस वेबसाइट में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। चूंकि यह कांटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पर आधारित है, इसलिए बीस उपयोगकर्ताओं को अपनी–अपनी वेबसाइट की मदों को अद्यतन करने के लिए प्रत्यय–पत्र दिए गए हैं। अपडेशन को नियमित रूप से मॉनिटर करने के लिए एक आटोमेटिक ईमेल अलर्ट सक्रिय किया गया है। वेबसाइट की सामग्री मॉडरेशन गतिविधि की मॉनिटरिंग करने और ऑडिट लॉग का पता लगाने हेतु इंट्रानेट में एक एक्सक्लूसिव एमआईएस सिस्टम विकसित और लागू किया गया है। इस वेबसाइट के लिए साइबर सुरक्षा आडिट और एसटी क्यूसी प्रमाण पत्र दोनों प्राप्त किए गए थे। इस वेबसाइट का हिंदी रूपान्तर भी उपलब्ध कराया गया है, जिसे हिंदी अनुभाग द्वारा नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। 2017 के दौरान, वैश्विक विजिटर 71% से अधिक हैं। देशवार यूएस विजिटर 41% के साथ शीर्ष पर हैं और उसके बाद भारत, चीन, कनाडा और आस्ट्रेलिया हैं।

10.2.2 फेम–इंडिया स्कीम (डीबीटी)

भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम 2011 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत शुरू की गई, 2013 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलीटी मिशन प्लान 2020 जारी किया गया। यह मांग प्रोत्साहन संवितरण तंत्र की संरचना के अंतर्गत है। माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रोंग हाइब्रिड, प्लग–इन–हाइब्रिड और विशुद्ध इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकियों और बैटरी स्पेसिफिकेशन जैसी वाहन की प्रत्येक श्रेणी के लिए सब्सिडरी राशि निर्धारित की गई है। यह भारी उद्योग विभाग के तहत नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड द्वारा कार्यान्वित एवं मॉनिटर की जाती है। यह डीबीटी स्कीमों की एक ऐसी स्कीम है जो इन–काइन्ड मोड के तहत श्रेणीबद्ध है।

इन स्कीमों के डिजिटलीकरण के तहत प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ कार्य–क्षमता बढ़ाने पारदर्शिता लाने के लिए http://fameindia.gov.in/index.aspx. पर फेम इंडिया पोर्टल शुरू किया गया है। इस ऑन–लाइन पोर्टल में इस स्कीम के जीवन–चक्र की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटाइज कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत इस समय सोलह मूल उपकरण विनिर्माणकर्ता (ओईएम), सत्तर कार मॉडल पंजीकृत हैं। अब तक 172–715 वाहनों के लिए कुल ₹ 206 करोड़ की प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है। डैश बोर्ड में इसका राज्यवार कार्य–निष्पदान दर्शाया गया है। यह ई–वाहनों के बाद होने वाले लाभों को भी दर्शाता है। नवंबर, 17 की स्थिति के अनुसारए विद्युतीकरण के कारण 198,89,906 लीटर ईंधन की बचत हुई। प्रतिदिन 41045 लीटर ईंधन की बचत होती है। सीओ 2 में प्रतिदिन 102,758 किग्रा की कमी आई और सीओ 2 में 498,59,018 किग्रा की कमी आई। अंतर्निहित एमआईएस रिपोर्टें भी मॉनिटरिंग और प्रबंधन के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराई गई हैं। ओईएम–वार संस्वीकृतियां राज्यवार/विनिर्माता–वार/माह–वार प्रगति आदि जैसी विभिन्न रिपोर्टें भी सीमित उपयोगकर्ताओं के लिए शामिल की गई हैं। डीबीटी की अनुमति के अनुसार लाभार्थियों के ऑन–लाइन डेमोग्राफिक आधार अभिप्रमाणन का एकीकरण भी सक्षम किया जा रहा है।

10.2.3 पी डब्ल्यू डी स्कीम (डीबीटी) के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत

यह डीबीटी स्कीमों में से एक है जिसे इन–काइन्ड मोड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस स्कीम में उन लाभानुभोगियों को प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है जो अपनी जरूरत का हवाला देते हुए कार खरीदने हेतु उत्पाद शुल्क में छूट लेते हैं। यह प्रक्रिया लिंक में उपलब्ध कराई गई है। एमआईएस के साथ एक डीबीटी एवं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में विकसित और क्रियानवित किया गया है। एईआई अनुभाग द्वारा इसको नियमित रूप से अद्यतन भी किया जाता है। अब तक लगभग उन 175 लाभानुभोगियों के आंकड़े रखे गए हैं, जिन्होंने इस लाभ को प्राप्त करने के लिए प्रमाण–पत्र प्राप्त किए। एमआईएम समेकित और राज्यवार रिपोर्ट तैयार करता है। इसे लाभार्थी की आधार आईडी के साथ लिंक और सत्यापित किया गया है।

10.2.4 ई–ऑफिस कार्यान्वयन

नेशनल ई–गवर्नेंस डिवीजन के तहत भारी उद्योग विभाग में इसके सभी मॉड्यूल्स के साथ ई–ऑफिस लागू कर दिया गया है तथा सभी ने कार्य करना शुरू कर दिया है। ई–फाइल मॉड्यूल्स के सफल कार्य–निष्पादन हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ 5.5.0.2 संस्करण में अपग्रेड कर दिया गया है। ईएमडी, ई–अवकाश, पीआईएमएस जैसे अन्य मॉड्यूल्स को भी नवीनतम संस्करण में अपग्रेड कर दिया गया है। एनआईसी द्वारा डीएससी/ई–हस्ताक्षर एकीकरण, ई–मेल द्वारा डायरी करना, फाइलों का स्थानांतरण, ई–आवतियां, विशिष्ट परिचालन आदि विषयों पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थीं। केएमएस के माध्यम से परिपत्र/नोटिस प्रकाशित करने के लिए ई–ऑफिस के करीब 251 उपयोगकर्ताओं में से लगभग बीस अधिकारियों को अधिकृत किया गया

है। डीएससी, ई–हस्ताक्षर और ई–मेल द्वारा डायरी करने के साथ एकीकरण हेतु आवश्यक सुविधा भी शुरू की गई है। कार्य–निष्पादन को मॉनिटर करने के उद्देश्य से भारी उद्योग विभाग की एनआईसी टीम द्वारा इंट्रानेट आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित एवं लागू की गई है।

10.2.5 इन्टरनेट एप्लिकेशंस

वेब आधारित विभिन्न इन्टरानेट ऑफिस ऑटोमेशन एप्लिकेशंस और सेक्टोरल एप्लिकेशंस संचालित की जाती हैं। ऑन–लाइन स्टेशनरी, प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित संदर्भों हेतु एम/एस प्रणाली, न्यायालयी मामले, वीआईपी संदर्भ, संसद संदर्भ, ऑन–लाइन एंगेजमेंट, कर्मचारी कॉर्नर आदि जैसे ऑफिस आटोमेशन संचालित किए गए हैं। समय–वार लंबित मामले, संयुक्त सचिव/निदेशक/अनुभाग/सीपीएसईज के पास लंबित मामले, निपटाए गए मामलों की सूची जैसी विभिन्न रिपोर्टें भी उबलब्ध कराई गई हैं। सीपीएसईज निष्पादन मॉनिटरिंग प्रणाली, ऑटो सेक्टर और केपिटल गुड्स सेक्टर संबंदी कार्य–निष्पादन जैसे सेक्टोरल डाटाबेस कार्यान्वयनाधीन है।

10.2.6 ऑनलाइन ई–गवर्नेंस सेवाएं

भारी उद्योग विभाग में सामान्य सेवाओं स्पैरो से युक्त और ऑनलाइन ई–गवर्नेंस पोर्टल जैसे आईएएस, सीएसएस, आईपीएस अधिकारियों के लिए स्पैरो (स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्रैजल रिपोर्ट रिकार्डिंग विंडो) सुप्रिमों/एवीएमएस पोर्टल, लीगल इंफारमेशन एंड ब्रिफिंग (एलआईएमबीएस), ई–सुविधा, ई–समीक्षा, ई–खरीद, जेम, सीपीजीआरएएम पोर्टल, पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम), एनडीएसएपी पोर्टल, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध हैं।

10.2.7 आईसीटी अवसंरचना

नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अनुभागों से साथ–साथ अधिकारियों के स्तर पर भी नए हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/सहायक उपकरण शामिल किए गए हैं ताकि कार्य–निष्पादन बेहतर किया जा सके। भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार और अधिक फॉयरवाल, प्रबंधनीय नेटवर्क उपकरण लगाकर साइबर सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। लैन/वैन/ईमेल/वाईफाई सेवाओं को वायरस मुक्त सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित पैच मैनेजमेंट और वायरस डिटेक्शंस सिस्टम को भी उन्नत किया गया है।

सीपीएसईज के साथ–साथ मासिक प्रगति के दौरान वीसी बैठकों के आयोजन हेतु सम्मेलन कक्ष में एक समर्पित वीसी स्टूडियो स्थापित किया गया है। भारी उद्योग विभाग से वरिष्ठ अधिकारियों और सीपीएसईज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को वीसी बैठकें आयोजित करने के लिए वेब इनेब्ल्ड कंट्रोलिंग के साथ डेस्कटॉप विडियो कांफ्रेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

उपस्थिति प्रणाली को सुगम बनाने के लिए डेस्कटॉप बीएएस डिवाइसेस, टेबलेट बेस्ड बीएएस डिवाइसेस को भी अमल में लाया गया है। आईपीवी 6 माइग्रेशन भी प्राप्त कर लिया गया है।

10.2.8 सोशल मीडिया

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार भारी उद्योग विभाग का एक आधिकारिक ट्वीटर एकाउन्ट (@heindustry) शुरू किया गया है और इसे भारी उद्योग विभाग द्वारा नियमित रूप से व्यवस्थित किया जा रहा है। यह उद्योग/नागरिकों के साथ और अधिक प्रभावकारी रूप से आपस में सूचना साझा करने का सीधा माध्यम होगा।

10.2.9 भारी उद्योग विभाग के सीपीएसईज मे आईटी

सभी सीपीएसईज को आईपीवी 6 के अनुपालन के साथ आईसीटी बुनियादी सुविधाओं को अपग्रेड करने हेतु कहा गया है। अधिकतर सीपीएसईज के पास अपने स्वयं के डोमेन नाम हैं और उन्होंने अपनी प्रगति का प्रसार करने के लिए अपनी वेबसाइट लांच

की है। उनके वेब लिंक्स भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वीसी बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन करने के उद्देश्य से कुछ सीपीएसईज ने पहले से ही समर्पित वीसी स्टूडियो स्थापित कर दिए हैं। कुछ के पास एनआईसी डेस्कटॉप वीसी सुविधा मौजूद है, जिनमें वे आंतिरक बैठकों का भी आयोजन किया करते हैं। सभी को ऑनलाइन ई–गवर्नेंस एप्लिकेशन्स जैसे ई–टेंडरिंग, सरकारी ई–मार्केट, पीएफएमएस आदि से जुड़ने के अनुदेश दिए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग (31.12.2017 की स्थिति के अनुसार)

उद्योग में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां लाने के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए भारी उद्योग विभाग ने विभिन्न देशों से सहयोग किया है और निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लिया है।

- इस विभाग के अधीन सीपीएसई एंड्रयू यूल एंड कंपनी के संयुक्त सचिव प्रभारी और टाइड वाटर ऑयल कंपनी के सह–प्रवर्तक ने 16 व 17 फरवरी, 2017 को लंदन में आयोजित 21वीं आईसीआईएस वर्ल्ड बेस ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स कॉफ्रेंस में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की और उन्होंने गोल्डथोरपे में ग्रैनविले मैनुफैक्चिरिंग कंपनी का भी दौरा किया ताकि टाइड वाटर द्वारा ग्रैनविले ऑयल्स और कैमिकल्स का अधि ाग्रहण करने के उपरांत व्यापार एकीकरण और विकास की प्रगति को अद्यतन किया जा सके। मिस्टर गैरी हॉलैंड, प्रबंध निदेशक ने व्यापार की प्रगति पर एक प्रस्तुति दी। विडोल उत्पादों के विनिर्माण को यूके टोल ब्लेंडर से ग्रैनविले में शिफ्ट करने, उत्पाद निरूपण को मजबूत करने, उत्पादों का यूएई और बहरीन में निर्यात करने, यूके में विडाल रेंज की शुरूआत करने, नए ग्राहकों का नामांकन करने, विशेष योजना के साथ ग्रैनविले की शीतकालीन सूची में उत्पादों का आरंभिक संवर्धन शुरू करने और नजदीकी प्लाट का अधिग्रहण करके कंपनी का आगे विस्तार करना आदि से संबंधित मुद्दों पर की गई पहल पर विचार–विमर्श किया गया था।
- 14 से 17 मार्च, 2017 तक जेनेवा में आयोजित डब्ल्यू पी 29 (वर्ल्ड फोरम फॉर हारमोनाइजेशन ऑफ व्हीकल रेगुलेशंस) के 171 वें सत्र में भाग लेने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में नैट्रिप के सीईओ के साथ–साथ निदेशक (ऑटो), भारी उद्योग विभाग, शामिल हुए।
- वर्ष 2015 और 2016 में अपनी प्रतिभागिता की शानदार सफलता के बाद और इस संवेग को बनाए रखने तथा भारत और जर्मनी के बीच सहयोग के क्षेत्र खोजने के लिए, सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में भारी उद्योग विभाग ने 24 से 28 अप्रैल, 2017 तक हनोवर मैसे, 2017, जर्मनी में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। भारतीय विनिर्माण सेक्टर पर 57 वर्गमीटर की एक केंद्रीय प्रदर्शन मंजुषा में तकनीकी प्रगति, नीतिगत पहलों, मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत स्कीमों पर बल देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर की विभिन्न उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। विभाग ने (i) उद्योग 4.0 के माध्यम से नवप्रवर्तन में सहयोग हेतु भारतीय और जर्मन उद्योगो के बीच महत्वपूर्ण सह–क्रिया उत्पन्न करने (ii) इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी अंतरण को सरल एवं सुसाध्य बनाने (iii) ''विशेषकर भारत और जर्मनी में प्रचालनरत जर्मन और भारतीय कंपनियों के संदर्भ में डिजिटलीकरण'' पर पैनल चर्चा करने (iv) विशिष्ट क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी खोज और प्रौद्योगिकीय रूझानों का सर्वेक्षण करने और (v) औद्योगिक तथा साइट भ्रमण करने के उद्देश्य से औद्योगिक दक्षता हेतु उद्योग के एकीकीरण पर एक राउंड टेबल बैठक आयोजित की।
- दिनांक 2–3 मई, 2017 को बर्लिन, जर्मनी में ऑटोमोटिव सेक्टर के भारत–जर्मनी संयुक्त कार्य दल की 10 वीं बैठक में संयुक्त सचिव (ऑटो), भारी उद्योग विभाग, ने सह–अध्यक्ष के रूप में भाग लिया

और उन्होंने परियोजनाओं, चार्जिंग अवसंरचना और शहरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जायजा लेने के लिए दिनांक 4 व 5 मई, 2017 को हेलसिंकी, फिनलैंड का भी दौरा किया।

- सचिव (भारी उद्योग) ने दिनांक 1 से 3 जून, 2017 के दौरान रूस के सैंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) 2017 में भाग लेने के लिए भारी उद्योग विभाग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारी उद्योग विभाग ने ''केपिटल गुड्स'' पर एक सत्र आयोजित किया जो कि एसपीआईईएफ–2017 की विभाग की मुख्य प्रस्तुति थी, जिसमें हैवी इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, निर्माण मशीनरी और प्रोसेस संयंत्र उपकरणों को शामिल किया गया था। दोनों देशों से लगभग 50 सीईओ ने इस सत्र में भाग लिया था। सचिव (भारी उद्योग) ने सत्र को संबोधित किया और रूसी तथा विश्वव्यापी व्यापार समुदाय के लिए मेक इन इंडिया के सुअवसरों के बारे में बताया। उन्होंने फरवरी, 2016 में आरंभ की गई नई एकीकृत केपिटल गुड्स नीति के फलस्वरूप भारत में केपिटल गुड्स सेक्टर में उभर रहे बहुत सारे सुअवसरों को भी साझा किया, जिसमें एनएमपी के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में 25% का योगदान करने के लिए विनिर्माण को बढ़ाने तथा केपिटल गुड्स सेक्टर के उत्पादन को 2013–14 में 30 बिलियन अमरीकी डालर से 17–19% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर से 2022 में 80 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया।

- दिनांक 20–23 जून, 2017 तक यूएन ईसीई जेनेवा में आयोजित डब्ल्यू–पी–29 (वाहन विनियमों के सामंजस्य के लिए विश्व मंच) के 172 वें सत्र में भाग लेने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में भारी उद्योग विभाग को भी शामिल किया गया था। संयुक्त सचिव (ऑटो) ने भारी उद्योग विभाग का प्रतिनिधित्व किया। नैट्रिप, एआरएआईस, सिआम और एक्मा के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया।

- इस विभाग के अंतर्गत एक सीपीएसई, एंड्रयू यूल एंड कंपनी के प्रभारी संयुक्त सचिव ने 3 से 6 जुलाई, 2017 में जेएक्सटीजी (टाइड वाटर ऑयल कंपनी के संयुक्त उद्यम भागीदार) का टोनेन जनरल के साथ विलय के पश्चात और भावी योजना पर विचार–विमर्श करने हेतु उनके वरिष्ठ प्रबंधन से मिलने के लिए टोक्यो, जापान में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एंड्रयू यूल समूह की टाइड वाटर ऑयल कंपनी में 26.3% की शेयर धारिता है और वह उसकी सह–संस्थापक कंपनी है। प्रतिनिधिमंडल ने जेएक्सटीजी के, प्रबंध निदेशक के साथ इसकी मुख्य आर एंड डी सुविधा सीटीआरएल का दौरा किया। सीटीआरएल में दी जा रही सुविधाओं और किए जा रहे विकास कार्यों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। हाल ही में विकसित लुब्रिकेंट्स के विशेष प्रदर्शन के साथ प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूचि वाले क्षेत्रों जैसे–जल निरोधक विशिष्टता वाले जंग–रोधक (ii) विशेष गियर ऑयल्स एवं (iii) मरीन ऑयल्स में विकास कार्यों में प्रगति देखी और सीटीआरएस से आग्रह किया गया कि वे भारत में इन्हें आरंभ करने की संभावनाओं का पता लगाएं।

- जर्मन ऑटोमोटिव उद्योग एसोसिएशन के आमंत्रण पर माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय) ने फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में 15 सितंबर, 2017 को आईए, इंडिया डे–भारत यूरोप ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी सम्मेलन में भारी उद्योग विभाग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। आईए, द्विवार्षिक सम्मेलन है और यह ऑटोमोटिव उद्योग की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है जिसमें समस्त ऑटोमोटिव मूल्य वर्धित श्रृंखला में से बहुत भारी संख्या में आपूर्तिकर्ता भाग लेते हैं। माननीय मंत्री जी ने उक्त सम्मेलन में आए श्रोताओं को स्वागत भाषण दिया और उन्हें 14 सितंबर, 2017 को हुई आईएए उद्घाटन प्रदर्शनी में भी भाग लेने के लिए सम्माननीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस संस्था के कार्यक्रम के आयोजन में एक भागीदार एसोसिएशन के रूप में इंडियन ऑटो एवं ऑटो कम्पोनेंट एसोसिएशन जैसेकि एक्मा और

सिआम ''न्यू मोबिलिटी वर्ल्ड'' प्रदर्शनी का हिस्सा थे, जिसमें कनेक्टेड कारें, स्वचालित ड्राईविंग, मोबिलिटी सेवाओं, शहरी मोबिलिटी और ई–मोबिलिटी जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोबिलिटी मुद्दों को दिखाया गया।

- संयुक्त सचिव (ऑटो), भारी उद्योग विभाग ने ऑटोमोटिव पर इंडो–जर्मन कार्य दल की बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की, जो फ्रैंकफर्ट में 15 सितंबर, 2017 को आईएए इंटरनेशनल मोटर शो के मौके पर आयोजित की गई थी। यह कार्य दल, ऑटो सेक्टर से संबंधित मुद्दों जैसे– प्रौद्योगिकी, विनियमन नीतियां, वैकल्पिक ईंधन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आदि पर चर्चा करने तथा जानकारी साझा करने के लिए प्रत्येक वर्ष एकत्रित होते हैं।

- संयुक्त सचिव (एचई एंड एमटी), भारी उद्योग विभाग ने ईएमओ– 2017 मेला, हनोवर में उद्योग 4.0 प्लेटफार्म के अध्ययन तथा उद्योग 4.0 के लिए मुख्य समाधान प्रदाताओं के साथ परस्पर संपर्क हेतु 19 से 22 सितंबर, 2017 तक जर्मनी में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 'न्यू इंडिया' सेमिनार, कंवेंशन सेंटर में संयुक्त प्रतिभागिता में 'इंडिया डे' मनाने के लिए कार्यशाला में भारी उद्योग विभाग, बौश, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, आईएमटीएमए, यूनाइटेड ग्राइंडिंग्स तथा टाटा मटेरियल्स की ओर से भारत के विकास, भारत में विनिर्माण में वृद्धि और इस परिप्रेक्ष्य में उद्योग 4.0 की भूमिका संबंधी विभिन्न पहलुओं पर बहुत सारी प्रस्तुतियां दी गईं।

- सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में भारी उद्योग विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने 'मेक इन इंडिया –स्वीडन 2017' में भाग लेने के लिए 12 से 13 अकतूबर, 2017 तक स्टॉकहोम, स्वीडन का दौरा किया। सचिव (भारी उद्योग) ने इस कार्यक्रम में वाहनों, वाहन कलपुर्जों और केपिटल गुड्स के लिए निवेशक गोलमेज बैठकों में वक्ता के रूप में भाग लिया। सचिव (भारी उद्योग) 'मेक इन इंडिया– स्वीडन 2017' में आयोजित नवाचार सत्र में भी शामिल हुए। चूंकि सरकार ऑटो नीति, जिसका नई ऊर्जा (एनईवी) अहम घटक है, बनाने की प्रक्रिया में है, इसलिए उन्हें स्वीडन की अग्रणी ऑटो कंपनियों–स्केनिया तथा वॉल्वो की उन्नत वाहन प्रौद्योगिकियों के बारे में संक्षेप में जानकारी दे दी गई थी।

- निदेशक (ऑटो), भारी उद्योग विभाग ने जेसिक फोरम, टोक्यो के आमंत्रण पर 23–24 नवंबर, 2017 को मनीला, फिलीपीन्स में आयोजित एशियाई क्षेत्र में 8 वें सार्वजनिक तथा निजी संयुक्त फोरम–22 वीं एशिया सरकार/उद्योग की बैठक में भाग लिया। 8वें सार्वजनिक और निजी संयुक्त फोरम की थीम थी, '' वाहन विनियमों की अंतरराष्ट्रीय सुसंगतता पर तैयारियां तथा उद्योगों और सरकारों द्वारा अनुमोदन को परस्पर मान्यता'' सत्र के दौरान विषयों में (i) 1958 के करार से सहमत होने की प्रक्रिया (ii) जेसिक का समर्थन अथवा 1958 के करार को स्वीकार और उपयोग करना (iii) डब्ल्यू पी 29 में उपस्थिति पर रिपोर्ट और (iv) 1958 के करार को स्वीकार कर लेने का अनुभव तथा 1958 के करारों की समीक्षा 3 से किस प्रकार एशियाई प्रभावित होते हैं (पैनल चर्चा) सम्मिलित थे।

- सड़क सुरक्षा हेतु कार्रवाई दशक के कार्यान्वयन के लिए गतिविधियों में गति लाने पर 29.11.2017 से 1.12.2017 तक फुकेट, थाईलैंड में हुई विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) दक्षिण पूर्वी एशिया मंत्रालयी बैठक में भाग लेने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में भारी उद्योग विभाग को शामिल किया गया। उपर्युक्त बैठक में संयुक्त सचिव (ऑटो) ने भारी उद्योग विभाग का प्रतिनिधित्व किया।

अध्याय

11

सूचना का अधिकार

11.1 भारी उद्योग विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी अनुदेशों को कार्यान्वित किया गया है। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अलग से लोक प्राधिकारी बनाने के आदेश दिए गए हैं।

11.2 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किए गए **"आरटीआई ऑनलाइन"** वेब पोर्टल को 18.07.2013 से भारी उद्योग विभाग में चालू कर दिया गया है। अवर सचिव अथवा समकक्ष स्तर के सभी अधिकारियों को सीपीआईओ पदनामित किया गया है तथा निदेशक/उप सचिव अथवा समकक्ष स्तर के सभी अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुरूप विभाग की वेबसाइट पर सूचना का स्वतः प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक/उप सचिव रैंक के अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

11.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के निबन्धनों के अनुसार सूचना के स्वतः प्रकटीकरण के कार्यान्वयन हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा टॉस्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर विभाग में कई कदम उठाए गए हैं ताकि विभाग की वेबसाइट पर सूचना स्वतः प्रकट और अद्यतन हो सके। सक्रिय रूप से तुरत प्रकटीकरण संबंधी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त सचिव रैंक के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

11.4 आरटीआई आवेदनों/अपीलों के प्रभावी और तत्काल निपटान के लिए सरकार ने सीपीएसईज/स्वायत निकायों को डीओपीटी के 'आरटीआई ऑनलाइन' पोर्टल से जोड़ने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले के क्रियान्वयन के एक भाग के रूप में भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सीपीएसईज के आरटीआई मामलों से सम्बन्धित नोडल अधिकारी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया गया है।

11.5 विभाग में उपयोग में लाई जाने वाली मुद्रित लेखन–सामग्री पर आईटीआई का लोगो लगाया जा रहा है। भारी उद्योग विभाग और इसके नियंत्रणाधीन सीपीएसईज में सीआईसी को तिमाही आरटीआई रिटर्न ऑनलाइन प्रस्तुत की गईं।

11.6 विभाग में वर्ष 2016–17 के दौरान, आरटीआई के तहत 860 आवेदन और 54 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 826 आवेदनों और 51 अपीलों का निपटान किया गया। 01.04.2017 से 31.12.2017 की अवधि में, 502 आवेदन और 42 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 445 आवेदनों और 24 अपीलों का निपटान किया गया।

अनुबंध–I

भारी उद्योग विभाग के बीच कार्य आबंटन
प्रशासन अनुभाग के संबंध में सूचना

भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय का एक विभाग था। 15 अक्टूबर, 1999 से एक अलग मंत्रालय अर्थात् भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय बनाया गया है। इस मंत्रालय में भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग हैं। भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित मदों को देखता है:–

क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यमों से संबंधित कार्य:–

1 हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

2 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

3 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

(i) बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

संयुक्त उद्यम

(i) एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड

4 एचएमटी लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

(i) एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

(ii) एचएमटी (मशीन्स टूल्स) लिमिटेड

5 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

6 एंड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

(i) हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड

7 सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

8 हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

(i) नगालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड

(ii) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

(iii) जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड

9 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

सहायक कंपनी:

(i) सांभर साल्ट्स लिमिटेड

10 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड

11 नेपा लिमिटेड

12 ब्रेथवेट, वर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

13 भारत पंप्स एण्ड कंप्रेशर्स लिमिटेड

14 रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड

15 ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

परिसमाप्त/परिसमापनाधीन,समाप्त/समापनाधीन/बंद हो गईं/बंदीकरण के अधीन, अन्य विभागों/संगठनों को हस्तांतरित कर दिए गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायक कंपनियां:

1. भारत ऑफ्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड
2. भारत लैदर कार्पोरेशन लिमिटेड
3. टेनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
4. रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन
5. भारत यंत्र निगम लिमिटेड
6. नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

7. नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
8. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड
9. साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
10. जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड
11. लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
12. रेरॉल बर्न लिमिटेड
13. वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड
14. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड
15. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
16. मांडया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड
17. टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
18. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
19. एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड
20. एचएमटी (वाचिज) लिमिटेड
21. एचएमटी (चिनार वाचिज) लिमिटेड
22. एचएमटी लिमिटेड– (केवल ट्रैक्टर डिवीजन, पिंजौर)
23. तुंगभद्रा स्टील प्लांट्स लिमिटेड
24. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
25. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
26. इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड (कोटा इकाई– बंद होने की प्रकिया में है और पलक्काड़ इकाई–संबंधित राज्य सरकार को हस्तांतरणाधीन)

ख) स्वायत्त निकायः

i) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई)

ii) दी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई)

iii) नेट्रिप इंपलीमेंटेशन सोसाइटी (नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए)

iv) नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी)

v सेन्ट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नालॉजी इंस्टिट्यूट (सीएमटीआई)

ग. अन्य विषयः

1 सभी उद्योगों के लिए भारी इंजीनियरिंग उपकरण का विनिर्माण

2 हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज

3 मशीन टूल्स एवं स्टील प्लांट उपकरण सहित मशीनरी उद्योग

4 ट्रैक्टर और अर्थमूविंग उपकरण सहित ऑटो उद्योग

5 ऑटोमोबाइल इंजन सहित सभी प्रकार के डीजल इंजन

6 डेवलपमेंट काउंसिल फॉर हेवी इलेक्ट्रिकल एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज

7 डेवलपमेंट काउंसिल फॉर टेक्सटाइल मशीनरी इंडस्ट्री

8 डेवलपमेंट काउंसिल फॉर मशीन टूल्स इंडस्ट्री

9 डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ऑटोमोबाइल एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज

अनुबंध–1(क)

भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची (विनिवेश/बंद किए जाने की स्थिति के साथ)

क्र.सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) का नाम	सीपीएसई की स्थिति
1	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)	...
2	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, (बीएचईएल)	महारत्न
3	भारत पंप्स एण्ड कंप्रेशर्स लिमिटेड, (बीपीसीएल)	मिनिरत्न / विनिवेश के अधीन
4	बीएचईएल–इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड (बीएचईएल–ईएमएल)	...
5	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)	...
6	ब्रिज एंड एफ कंपनी लिमिटेड, (बी एण्ड आर)	मिनिरत्न / विनिवेश के अधीन
7	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि– (सीसीआई)	विनिवेश के अधीन
8	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (ईपीआई)	मिनिरत्न / विनिवेश के अधीन
9	एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड	मिनिरत्न
10	एचएमटी लिमिटेड	...
11	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	...
12	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी)	...
13	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, (एचसीएल)	बंद होने की प्रक्रिया में है
14	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिण्ट लिमिटेड	मिनिरत्न / विनिवेश के अधीन
15	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी)	मिनिरत्न
16	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ)	परिसमापनाधीन
17	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड (एचएसएल)	...
18	एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड	बंद होने की प्रक्रिया में है
19	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड	बंद होने की प्रक्रिया में है
20	एचएमटी वाचेज लिमिटेड	बंद होने की प्रक्रिया में है
21	हुगली प्रिंटिग कंपनी लिमिटेड (हुगली)	...
22	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएलके),	बंद होने की प्रक्रिया में है
23	नेपा लिमिटेड (नेपा)	...
24	नगालैड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)	...
25	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि. (आरईआईएल)	मिनिरत्न
26	रिचर्डसन एण्ड क्रुडास लिमिटेड (आरएण्डसी)	...
27	सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल)	...
28	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड (एसआईएल)	विनिवेश के अधीन
29	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल)	परिसमापनाधीन
30	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड (टीएसपीएल)	बंद होने की प्रक्रिया में है
31	टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, (टीसीआईएल)	परिसमापनाधीन

भारी उद्योग विभाग का संगठन चित्र (01.01.2018 की स्थिति के अनुसार)

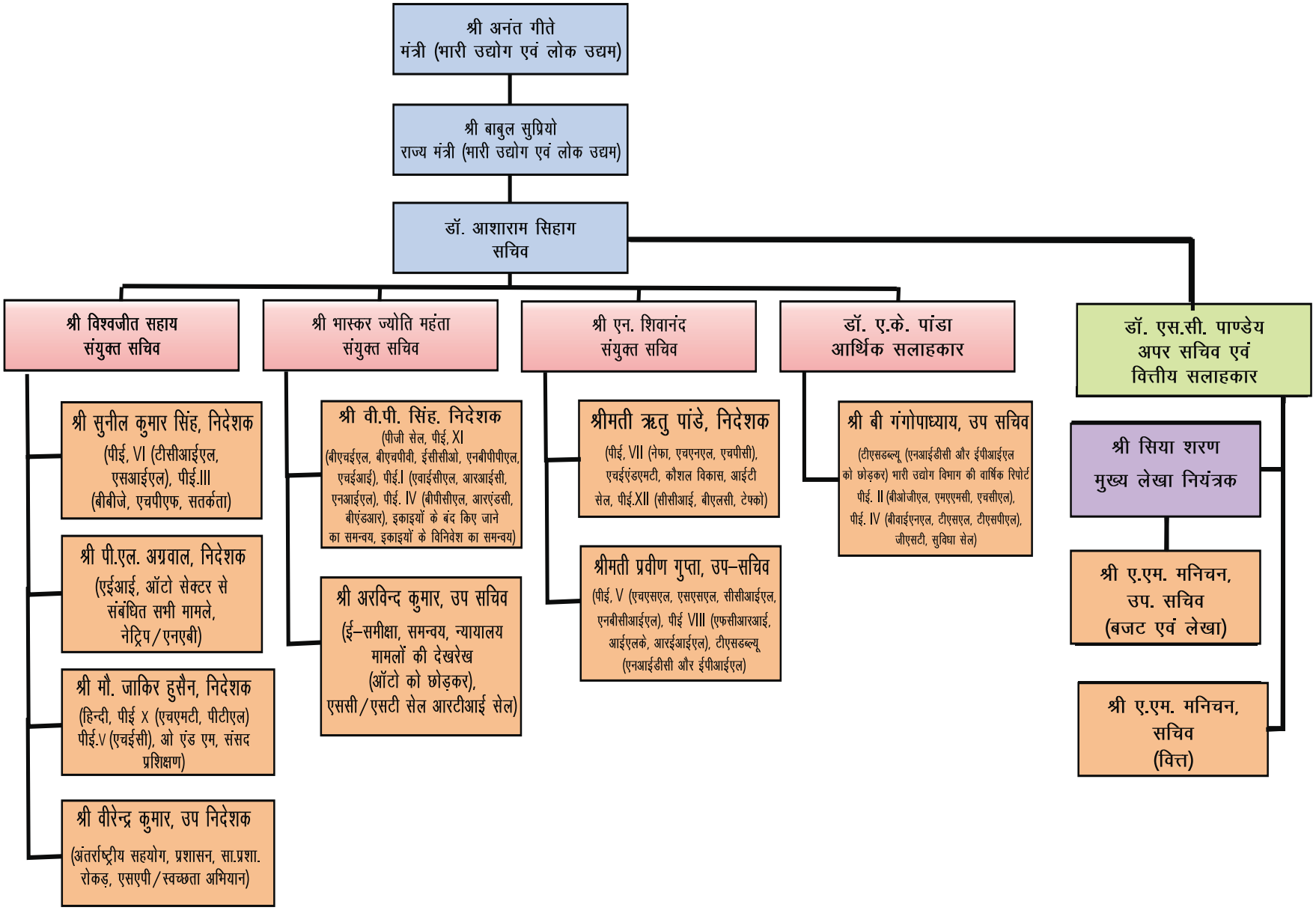

अनुबंध III

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सामान्य सूचना

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय की अवस्थिति	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का स्थापना वर्ष	31–3–2017 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक (करोड़ में)
1	एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाई एंड सीएल), कोलकाता	1919	187.90
2	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1979	6.28
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि., (बीएचईएल), नई दिल्ली	1964	5541.00
4	बीएचईएल–ईएमएल	2011	10.96
5	ब्रेथवेट, वर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (बीबीजे) कोलकाता	1987	19.82
6	भारत पंप्स एण्ड कंप्रेशर्स लि., (बीपीसीएल) इलाहाबाद	1970	104.69
7	रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लि., (बी एंड आर), मुम्बई	1973	27.11
8	ब्रिज एण्ड रुफ कंपनी (इंडिया) लि., (बी एंड आर), कोलकाता	1920	261.90
9	हेवी इंजीनियरिंग कार्पो. लि., (एचईसी), रांची	1958	396.76
10	एचएमटी लि., (धारक कंपनी), बेंगलुरू	1953	144.97
11	एचएमटी (मशीन टूल्स) लि., बेंगलुरू	2000	341.00
12	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि., बेंगलुरू	1974	5.00
13	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि., (आरईआईएल), जयपुर	1981	43.17
14	स्कूटर्स इण्डिया लि., (एसआईएल), लखनऊ	1972	61.76
15	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआई), नई दिल्ली	1965	724.52
16	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. (एचपीसी), कोलकाता	1970	952.46
17	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिण्ट लि., (एचएनएल), वेल्लोर, कोट्टयम	1983	484.44
18	हिन्दुस्तान साल्टस लि., (एचएसएल), जयपुर	1958	15.84
19	सांभर साल्ट्स लि., (एसएसएल) जयपुर	1964	35.77
20	नेपा लि., (नेपा), नेपा नगर	1947	109.22
21	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि., (ईपीआई), नई दिल्ली	1970	25.39
22	नगालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी), जिला–मोकोकचुआंग, नगालैण्ड	1971	64.89
	योग		9564.85

अनुबंध IV

31.3.2017 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अजा, अजजा और अपिव सहित कर्मचारियों की स्थिति

क्र.सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या				कर्मचारियों की संख्या			
		कार्यपालक	सुपरवाइजर	कामगार/अन्य	कुल	अजा	अजजा	अपिव	पीडब्ल्यूडी और उनकी प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एवाईसीएल	224	88	14473	14785	2450	4384	7450	69
2	हुगली प्रिंटिंग	10	4	33	47	2	0	0	0
3	बीएचईएल	11590	7645	20586	39821	8014	2644	12348	929
4	बीबीजे	57	7	51	115	7	0	5	0
5	बीएचईएल.ईएमएल	19	4	151	174	12	6	116	3
6	बीपीसीएल	86	16	289	391	62	3	120	1
7	आरएण्डसी	4	2	3	9	4	2	3	0
8	बीएण्डआर	710	366	231	1307	165	11	72	21
9	एचईसी	735	106	614	1455	308	309	231	16
10	एचएमटी (धारक कंपनी)	35	12	222	269	46	2	36	6
11	एचएमटी (एमटी)	332	182	1137	1651	306	74	474	25
12	एचएमटी (इंटरनेशनल)	16	9	3	28	2	2	0	0
13	आरईआईएल	73	81	85	239	47	9	56	5
14	एसआईएल	86	20	154	260	72	1	82	0
15	सीसीआई	162	204	299	665	102	69	106	3
16	एचपीसी	288	96	1157	1541	176	151	155	0
17	एचएनएल	103	34	358	495	43	1	156	11
18	एचएसएल	17	19	36	72	10	2	9	2
19	एसएसएल	13	22	75	110	20	7	44	2
20	नेपा	196		558	754	45	13	57	2
21	ईपीआई	316	36	20	372	65	10	62	4
22	एनपीपीसी	6	3	129	138	3	126	9	0
	योग	15078	8956	40664	64698	11961	7826	21591	1099

अनुबंध V

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन निष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2014–15 (वास्तविक)	2015–16 (वास्तविक)	2016–17 (वास्तविक)	2017–18 (अनुमानित)	2018–19 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7
1	एवाईसीएल	358.55	357.51	270.70	391.00	427.00
2	हुगली प्रिंटिंग	16.19	16.92	15.96	17.00	17.00
3	बीएचईएल	30947.00	26050.00	28840.00	28500.00	31000.00
4	बीएचईएल–ईएमएल	21.88	40.96	32.13	73.61	97.88
5	बीबीजे	196.54	166.61	105.30	250.00	250.00
6	बीपीसीएल	77.69	69.67	75.52	123.50	125.00
7	आरएण्डसी	71.19	20.21	19.28	20.50	25.00
8	बीएण्डआर	1428.59	1707.01	1746.44	1650.00	1700.00
9	एचईसी	319.58	340.68	364.84	513.77	626.21
10	एचएमटी (धारक कंपनी)	53.66	37.18	19.38	11.48	13.89
11	एचएमटी (एमटी)	181.50	201.44	183.83	183.83	230.00
12	एचएमटी (इंटरनेशनल)	33.40	33.91	23.98	36.00	44.00
13	आरईआईएल	224.40	214.32	230.37	240.00	250.00
14	एसआईएल	204.47	110.64	102.95	156.74	173.71
15	सीसीआई	449.54	436.23	336.30	350.06	379.56
16	एचपीसी	784.05	403.72	170.12	0.00	0.00
17	एचएनएल	336.72	342.80	324.64	237.45	0.00
18	एचएसएल	6.90	4.51	5.82	10.52	25.56
19	एसएसएल	21.31	18.41	20.51	25.45	55.15
20	नेपा	102.12	70.99	30.31	0.00	135.70
21	ईपीआई	1031.28	1295.46	1621.45	1500.00	1550.00
22	एनपीपीसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	36866.56	31939.18	34539.83	34290.91	37125.66

अनुबंध VI

भारी उद्योग विभाग के अधीन के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का (कर पूर्व) लाभ (+) हानि (–)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2014–15 (वास्तविक)	2015–16 (वास्तविक)	2016–17 (वास्तविक)	2017–18 (अनुमानित)	2018–19 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7
(क) केसाक्षेउ के लाभ में चल रहे उद्यम						
1	एवाईसीएल	12.96	8.35	27.39	9.21	8.72
2	हुगली प्रिंटिंग	0.10	0.29	0.23	0.11	0.25
3	आरएण्डसी	-3.64	-10.07	14.94	18.74	20.00
4	बीएण्डआर	17.89	5.03	27.25	16.50	17.00
5	बीबीजे	74.06	68.89	28.04	17.51	15.00
6	सीसीआई	40.08	53.51	42.33	12.48	13.68
7	ईपीआई	41.21	38.19	4.12	3.40	14.73
8	एचएमटी (इंटरनेशनल)	1.66	0.87	0.26	3.32	4.00
9	बीएचईएल	2140.00	-1164.00	628.00	450.00	550.00
10	एचएसएल	-4.95	-1.13	0.40	1.51	2.65
11	आरईआईएल	20.96	17.78	17.37	16.60	17.25
(क) लाभ में चल रही कंपनियों का उप–योग		2340.33	-982.29	790.33	549.38	663.28
(ख) केसाक्षेउ के हानि में चल रहे उद्यम						
12	एसआईएल	11.09	5.48	-10.27	3.11	4.71
13	बीपीसीएल	-47.76	-60.00	-82.39	-38.70	-38.15
14	एचईसी	-241.69	-144.77	-82.27	-96.98	-78.39
15	एचएनएल	-7.81	-43.61	-60.15	-94.07	0.00
16	एचपीसी	-331.29	-389.96	-450.00	-272.76	0.00

क्र.सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2014–15 (वास्तविक)	2015–16 (वास्तविक)	2016–17 (वास्तविक)	2017–18 (अनुमानित)	2018–19 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7
17	एचएमटी (धारक कंपनी)	-96.57	-17.14	-239.49	-1.84	-2.03
18	एचएमटी (मशीन टूल्स)	-134.94	-121.64	-127.95	-80.95	-79.41
19	नेपा	-48.71	-70.12	-68.62	8.75	-69.42
20	बीएचईएल–ईएमएल	-3.96	-2.98	-3.79	0.55	5.08
21	एनपीपीसी	-15.38	-17.39	-14.47	-19.96	-17.89
22	एसएसएल	-9.83	-8.90	-8.55	-7.69	0.52
(ख) हानि में चल रही कंपनियों का उप–योग		-926.85	-871.03	-1147.95	-600.54	-274.98
सकल योग (क और ख)		1413.48	-1853.32	-357.62	-51.16	388.30

अनुबंध VII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय

		कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन और मजदूरी					कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक उपरिव्यय				
क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2014–15 (वास्तविक)	2015–16 (वास्तविक)	2016–17 (वास्तविक)	2017–18 (अनुमानित)	2018–19 (अस्थायी)	2014–15 (वास्तविक)	2015–16 (वास्तविक)	2016–17 (वास्तविक)	2017–18 (अनुमानित)	2018–19 (अस्थायी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एवाईसीएल	37.47	44.38	40.85	40.09	40.72	0.09	0.12	0.17	4.39	3.80
2	हुगली प्रिंटिंग	18.74	16.26	18.58	16.35	16.35	0.96	0.83	1.10	0.85	1.00
3	बीएचईएल	17.61	20.65	18.72	22.46	21.29	2.56	2.82	2.53	2.61	2.43
4	बीबीजे	8.43	10.81	15.99	6.28	6.40	0.31	0.42	0.84	0.72	0.72
5	बीएचईएल.ईएमएल	35.00	19.00	25.00	13.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	बीपीसीएल	63.70	84.90	80.90	42.11	40.00	2.50	1.90	1.40	0.73	0.80
7	आरएण्डसी	1.18	2.36	3.31	3.50	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	बीएण्डआर	7.68	8.99	9.46	10.91	12.65	1.50	1.41	1.51	2.42	2.94
9	एचईसी	33.92	28.52	26.73	22.13	19.07	0.25	-1.20	-0.23	0.02	0.07
10	एचएमटी (धारक कंपनी)	152.00	148.00	95.00	100.00	78.00	13.00	11.00	6.00	7.00	5.00
11	एचएमटी (एमटी)	91.00	70.00	64.00	54.00	48.00	12.00	11.00	11.00	11.00	10.00
12	एचएमटी (इंटरनेशनल)	18.00	16.00	16.00	23.00	14.00	1.20	0.90	0.00	1.70	1.70
13	आरईआईएल	9.48	10.22	9.70	11.61	14.30	0.65	1.57	1.43	1.51	1.65
14	एसआईएल	18.26	20.46	25.63	18.72	19.04	2.06	2.17	2.80	2.05	1.92
15	सीसीआई	11.20	11.60	15.11	13.36	13.06	4.94	4.47	9.54	8.44	8.25
16	एचपीसी	17.98	31.71	0.00	0.00	0.00	7.32	9.44	0.00	0.00	0.00
17	एचएनएल	14.41	15.24	15.92	25.35	0.00	1.66	3.51	5.48	5.64	0.00
18	एचएसएल	78.02	164.48	104.26	66.35	30.34	6.22	8.04	3.67	3.03	1.46
19	एसएसएल	39.51	38.72	43.35	36.98	19.06	3.46	3.32	3.74	3.33	1.66
20	नेपा	14.26	49.97	138.40	0.00	31.08	3.50	2.80	1.59	0.00	0.85
21	ईपीआई	6.04	5.18	4.21	5.07	5.10	0.64	0.87	0.58	0.67	0.71
22	एनपीपीसी	8.32	8.15	8.40	8.65	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अनुबंध VIII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केसाक्षेउ के ऑर्डर बुक की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	केसाक्षेउ	1.10.2013 की स्थिति के अनुसार	1.10.2014 की स्थिति के अनुसार	1.10.2015 की स्थिति के अनुसार	1.10.2016 की स्थिति के अनुसार	1.10.2017 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1	एवाईसीएल	90.63	90.66	37.45	81.39	67.02
2	हुगली प्रिंटिंग	2.38	11.31	8.89	11.07	7.72
3	बीएचईएल	102300.00	103700.00	112300.00	103300.00	101380.00
4	बीबीजे	282.82	124.54	360.70	414.93	426.63
5	बीएचईएल–ईएमएल	15.73	14.31	50.49	36.13	21.32
6	बीपीसीएल	195.19	116.49	154.35	137.02	105.54
7	आरएण्डसी	35.44	72.07	15.92	19.17	11.67
8	बीएण्डआर	1229.87	964.80	1255.79	834.10	1489.16
9	एचईसी	1386.10	1435.01	1460.21	1139.26	1056.24
10	एचएमटी (धारक कंपनी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	एचएमटी (एमटी)	325.75	214.22	307.57	291.72	264.16
12	एचएमटी (इंटरनेशनल)	8.84	7.95	57.23	9.19	4.38
13	आरईआईएल	71.54	137.57	67.40	202.67	167.86
14	एसआईएल	-	-	-	-	-
15	सीसीआई	22.74	3.39	5.93	6.67	5.26
16	एचपीसी	495.88	209.40	398.67	135.27	42.19
17	एचएनएल	-	-	-	-	-
18	एचएसएल	3.29	5.79	5.46	3.45	3.63
19	एसएसएल	3.09	7.33	8.23	8.84	10.20
20	नेपा	85.33	54.95	51.39	7.61	0.00
21	ईपीआई	3383.83	7099.61	9811.61	9669.89	8651.67
22	एनपीपीसी	-	-	-	-	-
	योग	109938.45	114269.40	126357.29	116308.38	113714.65

*स्टॉक एवं बिक्री के लिए माल उत्पादित किया जाता है इसलिए लागू नहीं है।

अनुबंध IX

भारी उद्योग विभाग के अधीन केसाक्षेउ का निर्यात निष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं	साक्षेउ	2013–14 (वास्तविक)			2014–15 (वास्तविक)			2015–16 (वास्तविक)			2016–17 (वास्तविक)			2017–18 (अनुमानित)		
		वास्तविक	डीम्ड	कुल	वास्तविक	डीम्ड	कुल	वास्तविक	डीम्ड	कुल	वास्तविक	डीम्ड	कुल	वास्तविक	डीम्ड	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	एवाईसीएल	1.86		1.86	2.19		2.19	4.49		4.49	1.78		1.78	3.65		3.65
2	बीएचईएल	2422.00	16608.00	19030.00	1418.00	11539.00	12957.00	1265.00	10300.00	11565.00	1178.00	8779.00	9957.00	2160.00	5860.00	8020.00
3	बीपीसीएल		7.10	7.10		12.03	12.03		9.76	9.76	1.75		1.75	1.5		1.50
4	बी एंड आर	11.94		11.94	3.70		3.70	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
5	एचईसी	10.63		10.63			0.00			0.00			0.00			0.00
6	एचएमटी (एमटी)	7.25		7.25	7.75		7.75	0.53		0.53	1.96		1.96	9.00		9.00
7	एचएमटी (आई)	25.08		25.08	33.40		33.40	33.91		33.91	23.98		23.98	40.00		40.00
8	आरईआईएल	2.80	0	2.80	1.54	0	1.54	0.23	0	0.23	0.22		0.22	0.50		0.50
9	एसआईएल	0.38		0.38	0.049		0.05	0		0.00			0.00	0.2		0.20
10	एचएसएल	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00
11	बीएचईएल–ईएमएल	0.82	0.00	0.82	0.77	0.00	0.77	0.49	0.00	0.49	1.46		1.46	0.50		0.50
12	ईपीआईएल	340.85	0.00	340.85	591.42		591.42	497.78		497.78	550.97		550.97	600.00		600.00
13	एचएनएल	0.090		0.090	0.18		0.18	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00
	योग	2823.70	16615.10	19438.80	2059.00	11551.03	13610.03	1802.43	10309.76	12112.19	1760.12	8779.00	10539.12	2815.35	5860.00	8675.35

अनुबंध X

31.3.2017 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रदत्त पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ (+) हानि (–)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	प्रदत्त पूंजी		निवल मूल्य	संचयी लाभ (+)/ हानि (–)
		सरकारी/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के धारित उद्यम	अन्य		
1	2	3	4	5	6
1	एवाईसीएल	87.28	10.51	180.58	50.27
2	हुगली प्रिंटिंग	1.03	0.00	3.97	1.26
3	बीएचईएल	308.69	180.83	32294.00	31805.00
4	बीबीजे	103.73	0.00	306.17	185.31
5	बीएचईएल–ईएमएल	5.35	5.15	-2.23	-12.73
6	बीपीसीएल	53.53	0.00	-109.72	-193.26
7	आरएण्डसी	156.61	0.00	-289.09	-445.70
8	बीएण्डआर	54.63	0.36	323.09	268.11
9	एचईसी	606.08	0.00	-336.68	-1043.65
10	एचएमटी (धारक कंपनी)	1128.06	76.03	205.30	-1101.75
11	एचएमटी (एमटी)	276.60	0.00	-1104.93	-1361.94
12	एचएमटी (इंटरनेशनल)	72	0.00	31.56	30.84
13	आरईआईएल	6.25	6.00	110.72	98.47
14	एसआईएल	80.03	5.35	88.42	3.04
15	सीसीआई	811.41	0.00	-13.82	-806.90
16	एचपीसी	817.30	0.00	-805.79	-1660.76
17	एचएनएल	99.99	0.00	82.42	-17.58
18	एचएसएल	42.06	0.00	33.89	-16.38
19	एसएसएल	1.00	0.00	-33.88	-42.32
20	नेपा	424.02	0.65	49.62	-634.13
21	ईपीआई	35.42	0.007	230.53	195.11
22	एनपीपीसी	65.99	0.63	-93.86	-160.33
	योग	5237.06	285.52	31150.27	25139.98

2017 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अध्याय – 2017 की रिपोर्ट सं. 9 का अध्याय VIII भारी उद्योग विभाग से संबंधित है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और आंतरिक दिशानिर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय हुआ।

बीएचईएल ने सीवीसी दिशानिर्देशों और बीएचईएल की खरीद नीति का उल्लंघन करते हुए कीमत बोलियां खोलने के बाद विक्रेता की तकनीकी स्वीकार्यता पर सवाल उठाया और विक्रेता और मशीन के बारे में बार–बार की गई सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को अनदेखा किया, जिसके कारण विलम्ब हुआ, कीमत बोली अमान्य हो गई और पुनः निविदा बन गई। आखिरकार, पुनः निविदा में, बीएचईएल ने ₹ 5.57 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

संकेताक्षर

एएआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन हेतु अपीलीय प्राधिकारी
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया
एवाईसीएल	एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी
बीबीजे	ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
बीबीयूएनएल	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
बीईएमएल	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड
बीएचईएल	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचपीवी	भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड
बीआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड
बीएलसी	भारत लैदर कार्पोरेशन लिमिटेड
बीओजीएल	भारत ऑफ्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड
बीपीसीएल	भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड
बीपीएमई	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
बीसीएल	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड
बीडब्लयूईएल	भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
बीवाईएनएल	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
बीआरपीएसई	लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड
सीसीआई	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
सीसीआईएल	साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
सीईए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीसीईए	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति
सीएनसी	कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
सीपीएसई	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
ईएफवी	पर्यावरण अनुकूल वाहन
ईओटी	इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्राली
ईपीसी	इंजीनियरी प्राप्ति और उत्पादन
ईपीआई	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
एफसीआरआई	फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट
एफएफपी	फाउण्ड्री फोर्ज संयंत्र
एचसीएल	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
एचएमबीपी	हेवी मशीन बिल्डिंग पलांट
एचएमटी (आई)	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएमटीपी	हेवी मशीन टूल्स संयंत्र
एचपीसी	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड
एचएनएल	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिण्ट लिमिटेड
एचपीएफ	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनयुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
एचएसएल	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
आईएल	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
आईसीजीसीसी	एकीकृत कोल गैसीकरण कंबाइंड साइकिल
आईसीईएमए	इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
आईएमटीएमए	इंडियन मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन

जेपीएमएल	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
जेवीसी	संयुक्त उद्यम कंपनी
जेसप	जेसप कंपनी लिमिटेड
केवी	किलो वोल्ट
केडब्ल्यू	किलो वाट
लगन जूट	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
ओए	प्रचालन एजेन्सी
एमएएमसी	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड
एमएएक्स	मेन ऑटोमैटिक एक्सचेंज
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओएचआईएण्डपीई	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
एमटी	मीट्रिक टन
एमयूएल	मारुति उद्योग लिमिटेड
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पियर्स
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एनबीसीआईएल	नेशनल बाइसिकिल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
नेपा	नेपा लिमिटेड
एनपीसीआईएल	न्यूक्लिअर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनआईडीसी	नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
नैट्रिप	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
पीएमएमएआई	प्लास्टिक मोल्डिंग मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया
पीपीएमएआई	प्रोसेस प्लांट एण्ड मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया
पीटीएल	प्रागा टूल्स लिमिटेड
आरएण्डसी	रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड
आरआईसी	रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
आरटीआई	सूचना का अधिकार अधिनियम
एसआईएल	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड
एसएसएल	सांभर साल्ट्स लिमिटेड
टीएएफसीओ	टनेरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
टीएजीएमए	टूल्स एंड गेज मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन ऑफ इंडिया
टीसीआईएल	टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
टीएमएमए	टेक्सटाइल मशीनरी मैनयुफैक्चरर्स एसोसिएशन
टीएसएल	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
टीएसपीएल	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
वीआरडीई	व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट
डब्ल्यूआईएल	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड

लोक उद्यम विभाग

विज़न

''प्रभावी, लाभप्रद एवं वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी
केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम''

मिशन

''कॉरपोरेट अभिशासन, निष्पादन मूल्यांकन, मानव संसाधन प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास के जरिए सीपीएसईज़ के प्रबंधन और निष्पादन में सतत सुधार करना ताकि उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाया जा सके।''

प्रस्तावना
लोक उद्यम विभाग (डीपीई)

1. अपनी 52वीं रिपोर्ट में, तीसरी लोक सभा (1962–67) की प्राक्कलन समिति ने एक केन्द्रीकृत समन्वय यूनिट के गठन की जरूरत पर बल दिया जो लोक उद्यमों की निष्पादकता का निरन्तर मूल्यांकन भी कर सके। इसके फलस्वरूप, वित्त मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की वर्ष 1965 में स्थापना की गई। तदनुपरांत, सितम्बर 1985 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों का पुनर्गठन होने पर,बीपीई को उद्योग मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया। मई 1990 में, बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया और अब इस विभाग का नाम 'लोक उद्यम विभाग' (डीपीई) है। वर्तमान में यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा है।

2. लोक उद्यम विभाग सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) का नोडल विभाग है और सीपीएसई से संबंधित नीतियां तैयार करता है। यह विशेष रूप से, सीपीएसईज़ में निष्पादकता में सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और कार्मिक प्रबंधन के बारे में नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है। इसके अलावा यह केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संबंध में बहुत से क्षेत्रों के संबंध में सूचना भी एकत्र करता है और लोक उद्यम सर्वेक्षण के रूप में उसका रखरखाव करता है।

3. अपनी भूमिका का निर्वहन करने के क्रम में यह विभाग अन्य मंत्रालयों, केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों तथा संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है। भारत सरकार के कार्य आबंटन नियमों के अनुसार लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषयों का आबंटन किया गया है :

- औद्योगिक प्रबंधन पूल सहित तत्कालीन लोक उद्यम ब्यूरो से संबंधित शेष कार्य।
- सभी लोक उद्यमों को प्रभावित करने वाले सामान्य नीति संबंधी मामलों का समन्वय।
- समझौता ज्ञापन तंत्र सहित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन एवं निगरानी।
- लोक उद्यमों के लिए स्थायी मध्यस्थता तंत्र से संबंधित मामले।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में कर्मचारियों को परामर्श, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास।
- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में पूंजीगत परियोजनाओं एवं व्यय की समीक्षा।
- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्य–निष्पादन में सुधार लाने तथा लोक उद्यमों की अन्य क्षमता निर्माण पहलों के लक्ष्यगत उपाय।
- लोक उद्यमों के पुनरुद्धार, पुनर्गठन या बन्द करने तथा उनके लिए तंत्र से संबंधित सलाह देना।
- लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन से संबंधित मामले।

- इन्टरनेशनल सेन्टर फार पब्लिक इन्टरप्राइजेज़ से संबंधित मामले।
- 'रत्न' दर्जा देने सहित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वर्गीकरण।
- लोक उद्यम सर्वेक्षण।

4. लोक उद्यम विभाग के प्रमुख भारत सरकार के सचिव होते हैं। विभाग की संस्वीकृत पद संख्या 119 अधिकारियों/कर्मचारियों की है। लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक ढांचा **अनुबंध–I** में दिया गया है।

अध्याय

1

लोक उद्यम सर्वेक्षण

1.1 लोक उद्यम सर्वेक्षण

लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के कार्यनिष्पादन पर लोक उद्यम सर्वेक्षण् प्रकाशित करता है जिसे प्रत्येक बजट सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत किया जाता है। लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2016–17 (57वां सर्वेक्षण) को संसद के बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा। इस समय,लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2016–17 (57 वां सर्वेक्षण) के लिए सूचना संकलित और उसे तैयार करने का कार्य चल रहा है।

1.2 वर्ष 2015–16 के दौरान केन्द्रीय केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यनिष्पादन का सारांश नीचे दिया जा रहा है:–

1.2.1 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशसनिक नियंत्रण में दिनांक 31.03.2016 तक 320 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम थे। इन 320 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में से 244 प्रचालनरत हैं जबकि 76 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को अभी अपना व्यवसाय शुरु करना है।

1.2.2 244 प्रचालनरत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में से वर्ष 2015–16 के दौरान 165 केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों ने लाभ प्रदर्शित किया जबकि 78 केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को इस वर्ष घाटा हुआ। वर्ष 2015–16 में लाभ में चल रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (165) का 'निवल लाभ'1,44,523 करोड़ रुपए था। वर्ष के दौरान घाटे में चल रहे उद्यमों (78) का 'निवल घाटा' 28,756 करोड़ रुपए रहा। 244 प्रचालनरत सीपीएसईज़ का समग्र निवल लाभ वर्ष 2014–15 में 1,02,866 करोड़ रू. से 12.54 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015–16 में 1,15,767 करोड़ रू. हो गया। विगत वर्ष 2014–15 की तुलना में केंद्रीय राजकोष में सीपीएसईज़ के योगदान में वर्ष 2015–16 के दौरान 38.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.2.3 संचयी निवेश (चुकता पूंजी तथा दीर्घ अवधि ऋण) जो दिनांक 31.03.1951 में 5 उद्यमों में 29 करोड़ रू. था,वह 31.03.2016 तक 320 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में 11,71,844 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। वर्ष 2015–16 में 'सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में 'निवेश' वर्ष 2014–15 की तुलना में 6.96: बढ़ा है, इसी प्रकार इस वर्ष के दौरान 'नियोजित पूंजी' में 5.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1.2.4 पूर्व वर्ष अर्थात 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का कार्यनिष्पादन **अनुबंध–2** में दिया गया है।

1.3 अनुसंधान विकास एवं परामर्शों (आरडीसी) के संबंध में स्कीम

लोक उद्यम विभाग केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) तथा राज्य स्तरीय लोक उद्यमों (एसएलपीईज़) के कार्यपालकों के लिए अनुसंधान विकास एवं परामर्श (आरडीसी) की योजना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत विभिन्न उत्कृष्टता केंद्रों यथा आईआईएम्स, आईआईटीज़, आईआईपीए, नई दिल्ली आदि में सीपीएसईज़ तथा एसएलपीईज़ के कार्यपालकों के ज्ञान एवं कौशल के उन्नयन के लिए विभिन्न विषयों पर प्रबंधन विकास

कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए सभी 11 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विषय	संस्थान	स्थान	प्रशिक्षण की अवधि
1.	**इंड–ए एस**	आई सी ए आई	दिल्ली	5 से 9 जून, 2017
2.	**जी एस टी एवं इसका कार्यान्वयन**	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान	फरीदाबाद	21 से 23 जून, 2017
3.	**व्यावसायिक माहौल में प्रभावी अंतरक्रिया**	एस एस सी आई	हैदराबाद	28 से 30 जून, 2017
4.	**परियोजना प्रबंधन**	आई आई एम शिलॉग	शिलॉग	3 से 7 जुलाई, 2017
5.	**कॉरपोरेट अभिशासन भूत, वर्तमान, भविष्य**	आई आई एम बंगलौर	बंगलौर	31 जुलाई से 2 अगस्त, 2017
6.	**व्यावसायिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नेतृत्व एवं सहायक तत्व**	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान	नई दिल्ली	7 से 11 अगस्त, 2017
7.	**जोखिम प्रबंधन**	आई आई एम रांची	रांची	21 से 23 अगस्त, 2017
8.	**व्यक्तिगत उत्कृष्टता हेतु क्षमता निर्माण**	आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन	बंगलौर	28 अगस्त से 1 सितम्बर, 2017
9.	**इंड–ए एस**	भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान	गोवा	5 से 8 सितम्बर, 2017
10.	**गैर वित्तीय कार्यपालकों के लिए वित्त**	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	गंग टोक	9 से 13 अग्तूबर, 2017
11.	**माल सूची एवं आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन**	आई आई टी गुवाहाटी	गुवाहाटी	6 से 10 नवम्बर, 2017

1.3.1 लोक उद्यम विभाग की आर डी सी योजना स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित छह कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं:

क्र.सं.	विषय	संस्थान	स्थान	कार्यशाला की तारीख
1.	**जी एस टी का आधार**	आई सी एम ए आई	दिल्ली	28 जुलाई, 2017
2.	**लोक उद्यम सर्वेक्षण,2016–17 की ऑन लाईन डाटा इनपुट शीट भरने के लिए निर्देश**	आई सी ए आई	दिल्ली	4 अगस्त, 2017
3.	**लोक उद्यम सर्वेक्षण,2016–17 की ऑन लाईन डाटा इनपुट शीट भरने के लिए निर्देश**	आई सी ए आई	मुम्बई	24 अगस्त, 2017
4.	**जी एस टी का आधार**	आई सी एम ए आई	मुम्बई	15 सितम्बर, 2017
5.	**कम्पनी अधिनियम 2013 में हाल ही में किए गए परिवर्तन**	भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान	दिल्ली	22 सितम्बर, 2017
6.	**निविदा प्रक्रिया, प्रापण् और संविदा के लिए किए गए रक्षोपायों पर कार्यक्रम**	एन पी सी	दिल्ली	17 नवम्बर, 2017

1.4 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) रिपोर्टों को संसद में रखा जाना

1.4.1 लोक उद्यम विभाग नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की रिपोर्टों को प्रत्येक वर्ष संसद में प्रस्तुत करता है तथा लोक उद्यम समिति एवं सी एण्ड एजी को लेखापरीक्षा पैरा पर की गई कार्रवाई (एटीएन) को प्रस्तुत करने के संबंध में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संपर्क करता है। सी एंड एजी की रिपोर्ट अर्थात केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट 2017 की संख्या 6 (अनुपालन लेखापरीक्षा) तथा मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वर्ष 2017 की रिपोर्ट संख्या 9 (अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां) को क्रमशः 5.4.2017 को लोक सभा तथा राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया।

1.5 लोक उद्यम सर्वेक्षण के अपग्रेड करने हेतु अध्ययन

लोक उद्यम सर्वेक्षण की विश्लेषणात्मक विषय–वस्तु, समग्र डिज़ाइन और प्रस्तुतिकरण में सुधार करने के लिए विभाग ने राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाली बाह्य एजेन्सियों से बोली आमंत्रित की। लोक उद्यम सर्वेक्षण को अपग्रेड करने हेतु अध्ययन करने का कार्य 'क्राइसिल' को दिया गया है। दिसम्बर, 2017तक रिपोट मिलने की संभावना है।

अध्याय

2

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को स्वायत्तता

2.1 सरकार का प्रयास केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को स्वायत्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्धित कम्पनियाँ बनाना है। संस्था के अंतर्नियमों के तहत, केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मंडल, बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा संबंधी अन्य मामलों में स्वायत्त होते हैं। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम का निदेशक मण्डल सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए व्यापक नीति संबंधी दिशानिर्देशों के अध्यधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है।सरकार ने महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के निदेशक मण्डलों को अधिक शक्तियां प्रदान की हैं जिनका उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।

2.2 महारत्न योजना

2.2.1 महारत्न योजना जिसे 2010 में लागू किया गया था, का मुख्य उद्देश्य बड़े केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को सशक्त करना है ताकि वे अपने संचालनों का विस्तार कर सकें और वैश्विक रूप से बड़ी कंपनी के रूप में उभर सकें।

2.2.2 महारत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध – 3** पर हैं।

2.2.3 वर्ष के दौरान, भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था।

2.2.4 वर्तमान में आठ महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं – (i) कोल इण्डिया लिमिटेड (ii) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (iii) गेल इण्डिया लि. (iv) इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (v) एनटीपीसीलि. (vi) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लि. तथा (vii) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. (viii) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.।

2.3 नवरत्न योजना

2.3.1 सरकार ने 1997 में नवरत्न स्कीम लागू की थी ताकि उन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की पहचान हो सके जिन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त हैं और वैश्विक रूप से अग्रणी कंपनी बनने के उनके अभियान में सहयोग दिया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत, नवरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्ड को (i) पूंजीगत व्यय (ii) संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश (iii) विलयन एवं अधिग्रहण (iv) मानव संसाधन प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

2.3.2 इस समय 16 नवरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम हैं जो निम्नानुसार हैं:

(i) भारत इलैक्ट्रानिक्स लि0

(ii) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0

(iii) इंजीनियर्स इंडिया लि0

(iv) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि0

(v) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0

(vi) महानगर टेलीफोन निगम लि0

(vii) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि0

(viii) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0

(ix) नेवेली लिग्नाइट कारपोरशन लि0

(x) एनएमडीसी लि0

(xi) ऑयल इंडिया लि0

(xii) पॉवर फाइनेंस कारपोरशन लि0

(xiii) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0

(xiv) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0

(xv) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि0

(xvi) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0

2.3.3 नवरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्डों को प्रत्यायोजित शक्तियों तथा प्रत्यायोजित नवरत्न शक्तियों के प्रयोग करने की शर्तें/दिशानिर्देश **अनुबंध–4** में हैं।

2.4 मिनीरत्न योजना

2.4.1 अक्तूबर 1997 में, सरकार ने यह निर्णय भी किया था कि लाभ अर्जित करने वाली अन्य कम्पनियों को कुछ पात्रता शर्तों के अध्यधीन अधिक स्वायत्तता दी जाए तथा अधिक वित्तीय शक्तियॉ प्रत्यायोजित की जाएँ ताकि उन्हें और अधिक दक्ष व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इन कम्पनियों को मिनीरत्न कहा जाता है और इनकी दो श्रेणियॉ हैं, श्रेणी–। तथा श्रेणी–।। ।

2.4.2 मिनीरत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध–5** पर हैं।

2.4.3 वर्तमान में 74 मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम (श्रेणी–। के 59 तथा श्रेणी–।। के 15) हैं। इन 74 मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की सूची **अनुबंध–6** पर है।

अध्याय

3

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन और बोर्डों को अधिक सक्षम बनाना

3.1 कारपोरेट अभिशासन–पृष्ठभूमि

3.1.1 कॉरपोरेट अभिशासन में शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं, विनियामक प्राधिकरणों तथा समुदाय के संबंध में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कॉरपोरेट निकायों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सामान्य भाषा में इसका अर्थ सभी हितधारकों के संबंध में कारपोरेट आचरण से है चाहे वे आंतरिक हों या बाह्य। कॉरपोरेट अभिशासन का अर्थ प्रबन्धन प्रणाली की पारदर्शिता है और इसमें कम्पनी के कार्यचालन से सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाविधि शामिल हैं। यह एक ऐसी प्रणाली की व्यवस्था करता है, जिसके द्वारा शेयरहोल्डरों, निदेशकों, लेखापरीक्षकों एवं प्रबंधन के बीच नियंत्रण एवं संतुलन की एक पद्धति तैयार करने के प्रयास के अलावा कॉर्पोरेट सत्ताओं को निदेशित एवं नियंत्रित किया जाता है।

3.1.2 पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा हितधारकों के विश्वास में वृद्धि करने के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांतों के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में जहां बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का निवेश होता है, के संदर्भ में अच्छी कारपोरेट अभिशासन प्रक्रियाओं को अपनाने एवं लागू करने की निरन्तर जरूरत है, मार्च, 2010 में सरकार द्वारा सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए अनिवार्य कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुमोदन किया गया था।

3.1.3 इन दिशानिर्देशों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल का संघटन, लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति, सहायक कम्पनियां, प्रकटन, आचार एवं नीति संहिता, जोखिम प्रबन्धन तथा रिपोर्टिंग शामिल हैं। इसमें केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित उपबंध भी शामिल किए गए हैं। चूंकि कारपोरेट अभिशासन की अवधारणा, गत्यात्मक प्रकृति की है, अतः यह भी प्रावधान किया गया है कि इन दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा ताकि इन्हें समय–समय पर प्रचलित विनियमों, अधिनियमों, आदि के अनुरूप बनाया जा सके।

3.1.4 इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध–7** पर हैं।

3.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों को अधिक सक्षम बनाना

3.2.1 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्ड की संरचना पर नीतिगत दिशा–निर्देश तैयार करता है। वर्ष 1991 से अपनाई जा रही लोक उद्यम नीति का अनुसरण करते हुए लोक उद्यमों के बोर्डों को सक्षम बनाने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा कई उपाय किए गए हैं। वर्ष 1992 में जारी दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों के रूप में बाहर से व्यावसायिकों को शामिल किया जाना चाहिए तथा ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या का कम–से–कम एक तिहाई होनी चाहिए। कार्यपालक अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मामले में

गैर सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की संख्या कम से कम बोर्ड की संख्या की आधी होनी चाहिए। दिशानिर्देश में यह प्रावधान भी है कि बोर्ड में सरकारी निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के छठे हिस्से से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम दो होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बोर्ड में कुछ कार्यात्मक निदेशक होने चाहिए जिनकी संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या की आधी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.2.2 जहां तक केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति का संबंध है, इनके लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं :

अनुभव के मानदण्ड

(i) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिनके पास संयुक्त सचिव या इससे ऊपर के पद पर 10 वर्षों का अनुभव हो।

(ii) व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सीएमडी/सीईओ के रूप में या अनुसूची–'क' केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यात्मक निदेशकों के रुप में सेवानिवृत्त हुए हों। उन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पूर्व मुख्य कार्यपालक तथा पूर्व कार्यात्मक निदेशकों के नामों पर उस केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचार नहीं किया जाएगा जिससे वे सेवानिवृत्त हुए हों। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सेवारत मुख्य कार्यपालक/निदेशक किसी भी केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्डों में गैर सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(iii) संस्थानों के शिक्षाविद्/निदेशक/विभागाध्यक्ष तथा प्रोफेसर जिनके पास प्रबंधन,वित्त, मार्केटिंग, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन या कानून जैसे प्रासंगिक डोमेन में अध्यापन या अनुसंधान का 10 वर्षों का अनुभव हो।

(iv) सुविख्यात व्यक्ति जिनके पास कम्पनी के प्रचालन क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र का 15 वर्षों से अधिक का अनुभव हो।

(v) निजी कंपनियों, यदि कम्पनी (क) स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो या (ख) असूचीबद्ध हो परन्तु लाभ अर्जित करने वाली हो तथा जिसका वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपए से कम न हो, के पूर्व मुख्य कार्यपालक।

(vi) महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके पास उद्योग, व्यवसाय अथवा कृषि या प्रबंधन का प्रामाणिक ट्रैक रिकॉर्ड हो।

(vii) विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रुप में नियुक्ति के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निजी कम्पनियों के सेवारत मुख्य कार्यपालकों तथा निदेशकों के नाम पर भी विचार किया जा सकता है।

शैक्षणिक योग्यता के मानदण्ड

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक डिग्री

आयु संबंधी मानदण्ड

आयु का दायरा 45 से 65 वर्ष (न्यूनतम/अधिकतम आयु) के बीच होना चाहिए।

तथापि, इसमें प्रख्यात व्यवसायिकों के लिए स्पष्ट कारण दर्ज करते हुए अधिकतम 70 वर्ष तक छूट दी जा सकती है।

3.2.3 गैर–सरकारी निदेशकों के रुप में नियुक्ति संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है। सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में गैर–सरकारी निदेशकों का चयन सर्च समिति द्वारा किया जाता है जिससे वर्तमान में अध्यक्ष, सचिव (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) हैं, सचिव (लोक उद्यम विभाग), केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव तथा दो गैर–सरकारी सदस्य हैं। सर्च समिति की सिफारिश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करता है।

3.2.4 वर्ष 2017 के दौरान सर्च समिति ने 4 बैठकें कीं और विभिन्न सीपीएसईज़ के निदेशक मण्डल पर गैर सरकारी निदेशकों के 134 पदों को भरने के लिए नामों की सिफारिश की।

3.2.5 प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई थी कि वे अपने संबंधित प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सीपीएसईज़ के निदेशक मण्डल में अपेक्षित संख्या में गैर सरकारी निदेशकों और कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

3.2.6 कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति लोक उद्यम चयन मण्डल की सिफारिश से तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाती है। सरकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा पदेन क्षमता में की जाती है।

3.2.7 लोक उद्यम विभाग ने सीपीएसईज़ के नव नियोजित गैर सरकारी निदेशकों तथा सरकारी निदेशकों के क्षमता निर्माण हेतु सात उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए थे। प्रतिभागी निदेशकों को नव अधिनियमित कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में उनकी भूमिका तथा उत्तरदायित्वों और बोर्डों के बेहतर प्रचालन से संबंधित मुद्दों पर संवेदनशील बनाया गया था।

(i) नई दिल्ली में 30 एवं 31 जनवरी, 2017 को जिसमें विभिन्न सीपीएसईज़ के 21 गैर सरकारी निदेशकों ने भाग लिया।

(ii) राय पुर में 27 एवं 28 फरवरी, 2017 को जिसमें विभिन्न सीपीएसईज़ के 33 गैर सरकारी निदेशकों ने भाग लिया।

(iii) पुड्डुचेरी में 17 एवं 18 मार्च, 2017 को जिसमें विभिन्न सीपीएसईज़ के 26 गैर सरकारी निदेशकों ने भाग लिया।

(iv) देहरादून में 29 एवं 30 मई, 2017 को जिसमें विभिन्न सीपीएसईज़ के 16 गैर सरकारी निदेशकों ने भाग लिया।

(v) जम्मू में 30 जून, 2017 को जिसमें विभिन्न सीपीएसईज़ के 32 गैर सरकारी, कार्यात्मक और सरकारी निदेशकों ने भाग लिया।

(vi) वडोदरा में 18 अगस्त, 2017 को जिसमें विभिन्न सीपीएसईज़ के 40 गैर सरकारी, कार्यात्मक और सरकारी निदेशकों ने भाग लिया।

(vii) गैंगटोक में 5 एवं 6 अक्तूबर, 2017 को जिसमें विभिन्न सीपीएसईज़ के 41 गैर सरकारी निदेशकों ने भाग लिया।

3.3 अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः वर्ष के दौरान, एक भारतीय शिष्ट मण्डल ने डॉ0 मधुकर गुप्ता, अपर सचिव, लोक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में और सदस्यों के रुप में श्री कैलाश भण्डारी, उप निदेशक (लोक उद्यम विभाग), श्री के. श्रीकान्त, निदेशक, वित्त (पीजीसीआईएल), श्री एम. के. राजपाल, कार्यकारी निदेशक (गेल), श्री प्रशांत लोखण्डे, सलाहकार (आर्थिक एवं वाणिज्य), भारतीय दूतावास, बीजिंग और सुश्री रोचस सुकन्या जया, तीसरे सचिव (आर्थिक), भारतीय दूतावास के साथ 20 से 22 सितम्बर, 2017 को बीजिंग में आयोजित एस ओ ई रिफोर्म एण्ड गवर्नेंस पर ब्रिक्सि फोर्म की दूसरी बैठक में भाग लिया और वक्तव्य दिया।

अध्याय

4

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली

4.1 समझौता ज्ञापन,कार्यनिष्पादन के परिमापन हेतु सामान्यतया नए वित्त वर्ष के आरम्भ होने से पहले निर्धारित लक्ष्यों संबंधी मानकों और वर्ष के अंत में परिणामों के आकलन पर भारत सरकार/होल्डिंग कंपनी अर्थात मुख्य शेयर होल्डर और केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के प्रबंधन के बीच परस्पर किया गया एक समझौता और अनुबंध है।

4.2 भारत सरकार ने समझौता ज्ञापन प्रणाली की शुरूआत वर्ष 1986 में अर्जुन सेन गुप्ता समिति रिपोर्ट (1984) द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर की थी। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि केन्द्रीय सरकारी उद्यम अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ 5 वर्षों के लिए समझौता करे जबकि उसकी प्रगति की समीक्षा वार्षिक रूप से की जाएगी। वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन प्रणाली पर काफी जोर दिया गया था। उक्त नीतिगत वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में एमओयू प्रणाली के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया ताकि इस प्रणाली में समय के साथ–साथ लगभग सभी उद्यमों को शामिल किया जा सके, जो नीचे वर्णित है:

वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या	वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या
1987-88	4	2009-10	197
1991-92	72	2010-11	198
2001-02	104	2011-12	197
2002-03	100	2012-13	196
2003-04	96	2013-14	197
2004-05	99	2014-15	214
2005-06	102	2015-16	215
2006-07	113	2016-17	231
2007-08	144	2017-18	198
2008-09	147		

4.3 समझौता ज्ञापन नीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत प्रबन्ध

4.3.1 समझौता ज्ञापन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति : समझौता ज्ञापन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति सचिवों की समिति है जिसे शीर्ष समिति के रूप में सरकार द्वारा गठित किया गया है ताकि वे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापन में की गई वचनबद्धताओं के संदर्भ में उनके कार्य निष्पादन का निर्धारण कर सकें। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा की जाती है और इनमें वित्त सचिव, सचिव

(व्यय), सी ई ओ (नीति आयोग), सचिव (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन), अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन बोर्ड), मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग अध्यक्ष, प्रशुल्क आयोग शामिल है। समझौता ज्ञापन पर उच्चाधिकार समिति द्वारा केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यनिष्पादन के आकलन हेतु सिद्धान्तों और मानकों के निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश दिए जाते हैं।

4.3.2 समझौता ज्ञापन पर अंतर्मंत्रालीय समिति :– समझौता पर अंतर्मंत्रालीय समिति में अध्यक्ष के रुप में सचिव, लोक उद्यम विभाग, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव पद से नीचे न हो (सदस्य), सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे के न हो (सदस्य), अपर सचिव, नीति आयोग या उनके प्रतिनिधि संयुक्त सचिव पद से नीचे के न हो (सदस्य) शामिल हैं। सचिव, लोक उद्यम विभाग यदि आवश्यक समझे तो किसी ऐसे अधिकारी का चयन कर सकते हैं जो वित्त विशेषज्ञ हो, संयुक्त सचिव/सलाहकार (समझौता ज्ञापन), डीपीई समिति को सचिवालीय सहायता देते हैं।

अंतर्मंत्रालयी समिति की भूमिका समझौता ज्ञापन लक्ष्यों का अनुमोदन करना है और इस प्रकार मूल्यांकित स्कोर और रेटिंग की सिफारिश उच्चाधिकार समिति को करना है।

4.3.3 पूर्व वार्ता समिति (पी एन सी) :– पूर्व वार्ता समिति (पूर्व में समझौता ज्ञापन स्थायी समिति) की भूमिका कार्यनिष्पादन में सुधार के आकलन और लक्ष्य निर्धारण हेतु सबसे उचित और उपयुक्त मानकों के निर्धारण में आईएमसी की सहायता करना है। समझौता ज्ञापन लक्ष्यों और मानकों के संबंध में वर्तमान प्रवृत्ति को देखने, उस पर विचार– विमर्श, बातचीत करने और उसकी सिफारिश करने के लिए प्रत्येक मामले में पूर्व वार्ता बैठक आई एम सी के बैठक से पहले आयोजित की जाती है। पूर्व वार्ता समिति में सलाहकार (समझौता ज्ञापन), लोक उद्यम विभाग, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव/सलाहकार, संबंधित सलाहकार, संबंधित सलाहकार (नीति आयोग), निदेशक (समझौता ज्ञापन) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं।

4.4 समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशः लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2017–18 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों को अंतिम रुप दे दिया है। दिशानिर्देशों की एक प्रतिलिपि **अनुबंध–8** में दी गई है।

4.5 समझौता ज्ञापन आकलन

4.5.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यम के समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन, वर्ष के अंत में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (होल्डिंग के साथ साथ सहायक) की वास्तविक उपलब्धियों ओर समझौता ज्ञापन लक्ष्यों की तुलना के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित	198	197	196	197	214	215	231
प्रस्तुत आकलन रिपोर्टें	161	175	189	187	200	191	185

4.5.2 पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा प्राप्त की गई समझौता ज्ञापन रेटिंग की तुलना निम्न प्रकार है:

रेटिंग	वर्षों के दौरान प्रत्येक रेटिंग के तहत लोक उद्यमों की संख्या										
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
उत्कृष्ट	46	55	47	73	67	76	75	76	73	57	49
बहुत अच्छा	37	34	34	31	44	39	39	38	53	58	52
अच्छा	13	15	25	20	24	33	37	36	41	28	38
औसत	06	08	17	20	24	25	36	29	26	22	26
खराब	00	00	01	01	02	02	02	08	7	26	19
कुल	102	112	124	145	161	175	189	187	200	191	184*

* एक सीपीएसई को अन्तिम रुप दिया जा रहा है।

अध्याय

5

स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए)

5.1 लोक उद्यम विभाग में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए) का गठन वर्ष 1989 में ओएनजीसी बनाम **समाहर्त्ता,** केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.3.1989 और 30.6.1993 के कार्यालय ज्ञापन के तहत दिशानिर्देशों के अनुपालन में किसी केन्द्रीय सरकारी उद्यम और केंद्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों/बैंकों/पत्तनों (कर मामलों और रेल मंत्रालय के मामलों को छोड़कर) के बीच तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पारस्परिक वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने के लिए किया गया है।

5.2 पीएमए दिशा–निर्देशों को समय–समय पर संशोधित किया गया है और इन्हें पिछली बार 11.04.2017 को संशोधित किया गया था। इन विवादों को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) को सौंपना अपेक्षित होता है ताकि उनके निपटान हेतु उन्हें स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को भेजा जा सके। विवाद की मौजूदगी के संबंध में प्रथमदृष्टया संतुष्ट हो जाने के बाद सचिव, लोक उद्यम विभाग मध्यस्थता हेतु विवाद को स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को भेजते हैं। इन मामलों में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 लागू नहीं होता है। मामले में प्रस्तुतिकरण/प्रतिवाद के लिए किसी पार्टी की ओर से बाहरी वकील को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन पक्षकार अपने पूर्णकालिक विधि अधिकारियों की सहायता ले सकते हैं।

5.3 मध्यस्थ सम्बद्ध पक्षकारों को मामले के तथ्य और उनके दावे तथा प्रतिदावे प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करता है। पक्षकार उनके समक्ष अपने दावे प्रस्तुत करते हैं। लिखित रिकार्ड तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर मध्यस्थ एक अधिनिर्णय देता है। मध्यस्थ के अधिनिर्णय के विरूद्ध उस निर्णय को समाप्त करने अथवा उसमें संशोधन करने के लिए सचिव, विधि मंत्रालय को अपील की जा सकती है। सचिव, विधि मंत्रालय का निर्णय पक्षों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी है तथा निर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय/अधिकरण में अपील नहीं की जा सकती है।

5.4 पीएमए की स्थापना स्व–समर्थित आधार पर की गई है और विवादग्रस्त पक्षकार को मध्यस्थता शुल्क (भुगतान डीडीओ, डीपीई के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाता है) का समान रूप से वहन करना होता है जिसका परिकलन मध्यस्थ द्वारा दिशानिर्देशों में उल्लिखित फार्मूले के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2017–18 दौरान मध्यस्थता शुल्क के रूप में पक्षकारों से 1,36,06,422 रुपए एकत्र किए गए।

5.5 इसके आरम्भ से लेकर 15.12.2017 के अंत तक पी एम ए के मध्यस्थ को 453 मामलें संदर्भित किए गए थे जिनमें से 391 मामलों के संबंध में निर्णय (अवार्ड) प्रकाशित किए जा चुके हैं जबकि 24 अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए।

5.6 वर्ष 2017–18 के आरम्भ में 45 पुराने मामले थे और वर्ष के दौरान 10 नए मामले संदर्भित किए गए जिससे कुल 55 मामले हो गए। वर्ष के दौरान 15.12.2017 तक 15 मामलों पर निर्णय लिया गया और 02 मामले अनिश्चित काल के लिए बन्द किए गए और इस प्रकार 38 शेष हैं।

5.7 समय–समय पर लोक विभाग मध्यस्थ के निर्णय के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है।

अध्याय

6

मजूरी नीति और श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण

6.1 लोक उद्यम विभाग अन्य कार्यों के साथ–साथ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेश कमण्डल स्तर और उससे निचले स्तर के पदधारण करने वाले कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन में संशोधन करने और कामगारों की मजूरी निर्धारण की नीति के सम्बन्ध में भारत सरकार के नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। यह विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों केकर्मचारियों की वेतन नीति और कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन से सम्बन्धित मामलों में सलाह प्रदान करता है। अधिकांश रूप से केन्द्रीय सरकारी उद्यम औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडी, (पद्धति के वेतनमानों का अनुसरण कर रहे हैं। कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) पद्धति और वेतनमानों का भी अनुसरण किया जा रहा है। लोक उद्यम विभाग आईडी, कर्मचारियों के संबंध में तिमाही आधार पर महंगाई भत्ता आदेश भी जारी करता है। सीडीए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के आदेश छमाही आधार पर जारी किए जाते हैं।

6.2 तीसरी वेतन संशोधन समिति

6.2.1 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डल स्तर और निदेशक मण्डल स्तर के नीचे के कार्यपालकों एवं असंगठित पर्यवेक्षकों के वेतनमानों में 01 जनवरी, 2017 से संशोधन के लिए न्यायाधीश (सेवानिवृत) सतीश चन्द्रा की अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों और उन पर लिए गए निर्णयों के आधार पर लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.2017 के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं।

6.3 आईडीए पैटर्न के अधीन कामगारों हेतु मजूरी संशोधन

6.3.1 लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 24 नवम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के संघबद्ध कामगारों के साथ वेतन के सम्बन्ध में बातचीत के आठवें दौर (जो सामान्य रूप से 01 जनवरी, 2017 से लागू है) के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

6.4 केन्द्रीय सरकारी लोकउद्यमों में सीडीए पद्धति के अधीन कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

6.4.1 69 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कुछ उन लिपिकीय कर्मचारियों, संघबद्ध संवर्गों और कार्यपालकों के लिए सीडीए पद्धति वेतनमान लागू हैं जो 01 जनवरी,1986 से 31 दिसम्बर,1988 तक इन कम्पनियों के कर्मचारी थे और उस समय सीडीए पद्धति पर वेतनमान ले रहे थे। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12 मार्च,1986 के निर्देशों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति (एचपीसीसी) नियुक्त की गई थी। इस समिति ने 24 नवम्बर,1988 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी और इसकी सिफारिशें इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में क्रियान्वित की गई थी। बाद में दिनांक 28 अगस्त,1991 के तत्पश्चात निर्देशों साथ पठित उच्चतम न्यायालय के दिनांक 03 मई,1990 के निर्देश के अनुसरण में आईडीए पद्धति और सम्बन्धित वेतनमान 01 जनवरी,1989 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन

उद्यमों में लागू किए गए थे। डीपीए का. ज्ञा. दिनांक 10 अगस्त, 2009 में स्पष्ट किया गया कि 'नियुक्ति' में चयन, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति शामिल है। अतएव, पदोन्नति पर नियुक्ति सहित सभी नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार आईडीए पैटर्न के वेतनमानों के अन्तर्गत होनी चाहिए।

6.4.2 लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 17.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीडीए प्रणाली का अनुसरण करने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के वेतनमानों एवं भत्तों में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संशोधन कर दिया है। वेतन संशोधन का लाभ उन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के उन कर्मचारियों के लिए है जो घाटे में नहीं हैं और जो वेतन संशोधन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति सरकार से बिना किसी बजटीय सहायता के स्वयं अपने संसाधनों से करने की स्थिति में हैं।

अध्याय 7

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वर्गीकरण

7.1 केन्द्रीय सरकारी लोकउद्यमों को चार अनुसूचियों में बांटा गया है; यथा 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ'। केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के श्रेणीकरण का निहितार्थ मुख्यतया संबंधित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के संगठनात्मक ढांचे और निदेशक मण्डल स्तर के पदधारी के वेतन के संबंध में है। इसकी "रत्न स्कीम" के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों को स्वायत्तता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

7.2 प्रारंभ में, साठ के दशक के मध्य में सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में उनके महत्व तथा उनकी समस्याओं की जटिलता के आधार पर किया गया था। बाद के वर्षों में लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वर्गीकरण/पुनवर्गीकरण के उद्देश्य से विविध मानदण्डों का विकास किया है। यह वर्गीकरण गुणात्मक मानदण्डों यथा निवेश, नियोजित पूंजी, निवल बिक्री, कर पूर्व लाभ, कर्मचारियों व यूनिटों की संख्या, अतिरिक्त क्षमता, प्रति कर्मचारी राजस्व, नियोजित बिक्री/पूंजी क्षमता प्रयोग, प्रति कर्मचारी का अतिरिक्त मूल्य और गुणात्मक कारक जैसे राष्ट्रीय महत्व, कंपनी द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जटिलता, प्रौद्योगिकी स्तर, विस्तार की संभावनाएं एवं क्रियाकलापों का विविधीकरण, तथा अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा आदि पर आधारित हैं। अन्य कारक, जहां कहीं उपलब्ध हैं, शेयर मूल्यों, एमओयू रेटिंग, महारत्न/नवरत्न/मिनीरत्न दर्जा और आईएसओ प्रमाणन से सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, निगम के अत्यधिक रणनीतिक महत्व से संबंधित कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान प्रक्रिया में संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय में तथा लोक उद्यम विभाग में प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा लोक उद्यम विभाग इस मामले में लोक उद्यम चयन मण्डल से विचार विमर्श करता है। वर्तमान में (30 नवम्बर, 2016 तक) अनुसूची 'क' में 64, अनुसूची 'ख' में 68, अनुसूची 'ग' में 45 तथा अनुसूची 'घ' में 4 केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की अनुसूची–वार सूची **अनुबंध–9** पर दी गई है।

7.3 वर्ष 2016 के दौरान कामराजार पोर्ट लि. में निदेशक (प्रचालन) और निदेशक (समुद्री सेवाएं) के पदों को पुनः नामित कर क्रमशः निदेशक (पत्तन प्रचालन) और निदेशक (व्यापार विकास एवं परियोजनाएं) किया गया है।

7.4 वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए गए :–

(i) केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में उच्च प्रबंधकीय पदधारियों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को लिखने पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे ताकि एपीएआर समय पर भरी जा सके और यह व्यवस्था हो कि यदि किसी वित्त वर्ष की एपीएआर उस वित्त वर्ष के अंत के 31 दिसम्बर तक नहीं भरी गई हो, तो उसके बाद कोई टिप्पणी दर्ज न की जाए और अधिकारी का मूल्यांकन वर्ष के समग्र रिकार्ड और स्वः आकलन के आधार पर किया जाए यदि उसने समय पर स्वः आकलन प्रस्तुत किया हो।

(ii) ए सी सी के निर्देशों के अनुसरण में सभी प्रशानिक मंत्रालयों/विभागों को इस संबंध में अनुदेश जारी किए गए थे कि केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डल में अंशकालिक नामित निदेशकों का कार्यकाल केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के गैर सरकारी निदेशकों के लिए निर्धारित कार्यकाल के समान 03 वर्षों के लिए नियत किया जाए या अधिवर्षिता की तिथि तक या अगले आदेशों तक किया जाए।

(iii) ए सी सी के निर्णय के आधार पर, सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए थे कि मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अनुसूची 'ग' एवं 'घ' सीपीएसईज़ में बोर्ड स्तर के पदों के संबंध में अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था अनुमोदित करने के अपने अधिकार को दिनांक 17 अगस्त, 2005 के निर्देशों के पैरा III में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन सौंपी गई इस अतिरिक्त प्रभार की अवधि पर ध्यान दिए बिना संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री को प्रत्यायोजित कर दिया है।

अध्याय

8

रूग्ण एवं घाटा उठाने वाले सीपीएसईज़ का पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन

8.1 प्रस्तावना

8.1.1 लम्बे समय से केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समय के अनुसार केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की संख्या, उनका निवेश, लाभ और केंद्रीय राजकोष में उनका योगदान निरंतर बढ़ रहा है। जबकि एक समूह के रूप में केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम प्रगति के पथ पर है पर कुछ केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठा रहे हैं। चूंकि केंद्रीय सरकारी लोक उ़द्यम गतिशील बाजार परिस्थितियों में परिचालन करते हैं अतः उनके कार्य–निष्पादन में उतार–चढ़ाव स्वाभाविक होते हैं। यद्यपि कई मामलों में संचित हानि उनके निवल मूल्य से अधिक हो गई है रूग्ण हो गए हैं। यद्यपि घाटे/रुग्णता के कारण इकाई दर इकाई अलग–अलग हो सकते हैं तथापि सरकार ने केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन में सुधार के कई उपाए किए हैं। कंपनियों की निरंतर प्रगति और उन्हें जीवनक्षम बनाए रीखने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों से यह आशा की जाती है कि वे वाणिज्यिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। सरकार का यह विचार है कि रुग्ण/घाटा उठाने वाले रूग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का पुनरुद्वार/पुनगर्ठन उनके कार्यनीतिक और राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में और उनके व्यापारिक बाधाओं का निपटान करते हुए किया जाना चाहिए। तदनुसार रूग्ण/घाटा उठाने वाले रूग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन हेतु योजनाएं संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मंडलों द्वारा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तैयार और क्रियान्वित की जाती हैं।

8.2 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में घाटे और रूग्णता के कारण

8.2.1 घाटे और रूग्णता के कारण उद्यम वार अलग अलग से हैं। तथापि केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में रूग्णता की कुछ सामान्य समस्याओं में पुराने संयंत्र एवं मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी कम क्षमता उपयोग, कम उत्पादन, खराब ऋण–इक्विटी अवसंरचना, अत्याधिक जनशक्ति, कमजोर विपणन कार्यनीति, कड़ी प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक योजना में कमी, सरकारी आदेशों पर निर्भरता, अधिक ऋण भार, अत्याधिक इनपुट लागत संसाधनों की कमी आदि शामिल है। उदारीकरण और सुधरती आर्थिक व्यवस्था के साथ बहुत से केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम जो तेजी से विकास नहीं कर पाए, निजी कम्पनियों से पीछे रह गए। अंतः, विभिन्न उपायों के जरिए इन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में "रूग्णता" से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं।

8.2.2 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के लिए बहु–तंत्र विद्यमान था। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 में यथापरिभाषित रुग्ण औद्योगिक कम्पनियोंको औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित किया जाता है जो पुनर्गठन योजना का सुझाव देता है। लोक उद्यम पुनर्गठनबोर्ड (बीआरपीएसई) जिसे संदर्भित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनर्गठन/

पुनरुद्धार करने के लिए सरकार को सलाह देने के लिए वर्ष 2004 में सृजित किया गया था, को नवम्बर, 2015 में बन्द कर दिया गया है।

8.3 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के तंत्र को सुदृढ़ बनाना

8.3.1 सरकार ने केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के तंत्र एवं प्रक्रिया को समयबद्ध, व्यापक, निष्पादन उन्मुख एवं सक्ष्म बनाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहु स्तरीय स्थिति को दूर करने का निर्णय लिया है ताकि रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का समय से पुनरुद्धार/पुनर्गठन सुनिश्चित किया जा सके। यह निर्णय लिया गया है कि रुग्ण/शुरुआती रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का पुनरुद्धार/पुनर्गठन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के रणनीतिक, राष्ट्रीय एवं व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए। तदनुसार, सरकार ने बीआरपीएसई को बन्द कर दिया है तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उनके अधीन प्रचालनरत केन्द्रीय सरकारी लोक उमों की रुग्णता की निगरानी करने तथा सक्ष्म प्राधिकारी के अनुमोदन से इसके लिए उपाय करने के लिए जिम्मेदार होंगे।लोक उद्यम विभाग ने "रुग्ण/शुरुआती रुग्ण तथा कमजोर केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरुद्धार के लिए तंत्र को युक्तिसंगत बनाना; पुनगर्ठन का सामान्य सिद्धान्त एवं तंत्र" पर दिनांक 29 नवम्बर, 2015 को दिशानिर्देश जारी किया है जिनका पालन प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके प्रशासनिक नियंत्रण में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन अथवा बन्द करने के लिए प्रस्तावों को तैयार करते समय किया जाना है। दिशानिर्देश **अनुबंध–10** में दिए गए हैं।

8.3.2 ये दिशानिर्देश रूग्ण या शुरूआती रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनर्गठन/पुरूद्धार के तंत्र को सृदृढ़ बनाने तथा इसी प्रयोजन के लिए बहु–विकल्पों को प्रतिस्थापित करने के लिए बनाए गए है।

8.4 रुग्ण, शुरुआती रुग्ण तथा कमजोर सरकारी लोक उद्यमों की परिभाषाः

(i) रुग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम

रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी सीपीएसई को रुग्ण माना जाता है यदि ये निम्नलिखित मॉनदंडों में से किसी एक को पूरा करती हैं :

(क) यदि इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के तहत रुग्ण घोषित किया गया हो।

(ख) यदि इसका निवल मूल्य नकारात्मक हो।

(ii) प्रारंभिक रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम

दिशा निर्देशों के अनुसार किसी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम को प्रारंभिक रुग्ण तब माना जाता है जब यह निम्न 01 मानक को पूरा करती हैः

(क) यदि किसी वित्त वर्ष में इसका निवल मूल्य उसकी प्रदत पूंजी के 50% से कम हो।

(ख) यदि इसने निरन्तर 3 वर्षों तक घाटा उठाया हो।

(iii) कमजोर केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम

दिशा निर्देशों के अनुसार किसी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को कमजोर या कम कार्य निष्पादित तब माना जाएगा जब यह निम्न में से एक मानक पूरा करता है।

(क) यदि पिछले 3 वर्षों के दौरान इसका कुल कारोबार या इसके प्रचालनात्मक लाभ में औसतन 10% से अधिक की गिरावट हो।

(ख) यदि इसका कर पूर्व लाभ अन्य स्रोतों से होने वाली आय से कम हो।

(ग) यदि इसके ट्रेड रिसीवेबल और इन्वैटरीज केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निवल मूल्य के 50% अधिक है।

(घ) यदि कम्पनी के विरुद्ध दावे जो देनदारियां नहीं हैं, इसके निवल मूल्य से ज्यादा है।

(ड.) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन में कमजोरी के आरंभिक लक्षणों को पहचानते हुए यथा निर्धारित कोई अन्य मानक।

निवल मूल्यों के सभी संदर्भों में इसका अभिप्राय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

8.4.1 दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने नियंत्रण के अधीन कार्यरत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को रुग्ण, प्रारंभिक रूग्ण और कमजोर श्रेणियों में वित्त वर्ष के समाप्त होने से 06 माह के भीतर या वार्षिक लेखा को अन्तिम रूप दिए जाने के 01 माह के भीतर जो भी पहले हो, श्रेणीकृत करेगा। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग दिशानिर्देशों में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए पुनरुद्धार/पुनर्गठन/बन्द करने का रोड़ मैप तैयार करेगा। इस कार्य को विद्यमान रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मामले में इन दिशानिर्देशों के जारी होने के 03 माह के भीतर और किसी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के रुग्ण बनने के वित्त वर्ष के अन्त से 09 माह के भीतर किया जाएगा।

8.4.2 प्रशासनिक मंत्रालय निम्न कार्रवाई करेगा :–

(क) प्रशासनिक मंत्रालय कमजोर केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को "पर्यवेक्षण और गहन समीक्षा" में रखेगा ताकि ऐसे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में रूग्णता के शुरुआती कारणों को पकड़ा जा सके। इसमें, निदेशक मण्डल में स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्यों को नामित करना, निदेशक मण्डल स्तर पर उपचारात्मक, व्यापारिक, प्रचालनात्मक और वित्तीय उपाय करने के लिए तिमाही गहन समीक्षा या विशेष समीक्षा करना, गिरते कार्य–निष्पादन या गैर कार्य–निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना या प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा यथोचित और आवश्यक कोई अन्य उपाय शामिल हो सकता है।

(ख) प्रशासनिक मंत्रालय पुर्गठगन/पुनरुद्धार योजना को तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ करेगा जिसमें वित्त वर्ष के समाप्त होने से 06 माह के भीतर या वार्षिक लेखा को अन्तिम रूप दिए जाने के 01 माह जो भी पहले हो,के भीतर दी गई श्रेणी के आधार पर रुग्ण/प्रारंभिक रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का विनिवेश या निजीकरण या बन्द करने का विकल्प शामिल है।

(ग) रुग्ण और प्रारंभिक रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए पुनर्गठन और पुनरुद्धार योजना वित्त वर्ष के समाप्त होने के 09 माह के भीतर तैयार की जाएगी।

(घ) व्यापारिक वातावरण, प्रचालनात्मक मामले, प्रौद्योगिकी विकल्पों और उन क्षेत्रों की वित्तीय व्यवहारिकता जिसमें ऐसे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम प्रचालनरत है, में अनुभवी और विशेषज्ञता वाली बाह्य विशेषज्ञ एजेंसी को भारत सरकार कार्य सौंप सकती है और यह प्रशासनिक मंत्रालय के पर्यवेक्षण में भावी रोड़ मैप तैयार करने का कार्य करेगी।

8.4.3 रूग्ण/घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों हेतु पुनरूद्धार पैकेजों के कार्यान्वयन की निरन्तर निगरानी के लिए नीति आयोग में एक समिति गठित की गई है।

8.5 रूग्ण/और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को समय बद्ध रुप से बन्द करने और उनकी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान संबंधी दिशानिर्देश

8.5.1 लोक उद्यम विभाग ने "रूग्ण/घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को समय बद्ध रुप से बन्द करने और उनकी चल एव अचल परिसम्पत्तियों के निपटान" के लिए 07 सितम्बर, 2016 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। विस्तृत दिशानिर्देश **अनुबंध – 11** में दिए गए हैं।

8.5.2 इन दिशानिर्देशों का आशय इन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमो को बन्द करने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों को शीघ्र पूरा करना है और इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग जैसे नोडल विभागों/संगठनों द्वारा दी जाने वाले अपेक्षित सहायता सहित प्रशानिक मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के उत्तरदायित्वों का उल्लेख है।

8.6 रूग्ण/और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को समय बद्ध रुप से बन्द करने की प्रयोज्यता

8.6.1 ये दिशानिर्देश सभी रूग्ण/घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों पर लागू होंगे जब :–

(i) सी सी ई ए/मंत्रिमण्डल से प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा बन्द करने का अनुमोदन ले लिया गया है; या

(ii) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/नीति आयोग के प्रस्ताव/सिफारिश पर सी सी ई ए/मंत्रिमण्डल द्वारा बन्द करने का सिद्धान्त रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया हो; या

(iii) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ने केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को बन्द करने का निर्णय ले लिया हो।

अध्याय 9

परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सीआरआर) स्कीम

9.1 लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2001–02 से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के युक्तिसंगत कर्मचारियों के लिए कांउसलिंग, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन (सीआरआर) की स्कीम लागू की जा रही है। सी आर आर योजना को नवम्बर, 2007 में संशोधित किया गया था ताकि उसके कार्यक्षेत्र और कवरेज को बढ़ाया जा सके। यदि वी आर एस विकल्पधारी स्वयं उसमें शामिल नहीं होना चाहता तो इसके लिए वी आर एस विकल्पधारी का एक आश्रित भी पात्र होगा। प्रशिक्षण प्रदाताओं के नेटवर्क में विस्तार करने और प्रशिक्षण, डिजाइन एवं डिलीवरी की मानकीकृत पद्धति का पालन करने के लिए स्कीम में फरवरी, 2016 में पुनः संशोधन किया गया है।

9.2 परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना के उद्देश्यः–

1. सीपीएसइज़ के पृथक्कृत कर्मचारियों को मुख्य धारा में लाना और इस प्रकार राष्ट्रीय आय में योगदान करना।
2. नए वातावरण में समायोजन तथा नये काम–धन्धे अपनाने के लिए तैयार होने में वीआरएस/वीएसएस विकल्पधारियों/आश्रितों को सक्षम बनाने के लिए उनका पुनराभिमुखीकरण ।
3. पुनर्नियोजन हेतु वीआरएस/वीएसएस विकल्पधारियों/आश्रितों का कौशल विकास।
4. प्रशिक्षु को उत्पाद/सेवा के चयन में सहायता करने के लिए विभिन्न उद्योग एसोसिएशनों की जानकारी जो कि सीआरआर स्कीम का एक घटक भी है।
5. केंद्रीय एवं राज्य सरकार की विभिन्न ऋण सहायता/सब्सिडी स्कीमों की जानकारी।

9.3 सीआरआर योजना के मुख्य घटक परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन हैं।

परामर्शः परामर्श पृथक्कृत कर्मचारियों के पुनर्स्थापना कार्यक्रम के लिए बुनियादी पूर्वापेक्षा है। पृथक्कृत कर्मचारियों को सुनिश्चित आजीविका गंवाने के आघात को सहने तथा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग की आवश्यकता होती है और साथ ही विवेकपूर्ण ढंग से प्रतिपूर्ति राशि की आयोजना हेतु भी सहायता की जरूरत होती है। उन्हें बाजार अवसरों के नए माहौल के प्रति अवगत कराने की भी आवश्यकता है ताकि अपनी योग्यता एवं विशेषज्ञता के आधार पर वह आर्थिक कार्यकलाप कर सकें और उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बने रह सकें।

पुनर्प्रशिक्षणः ऐसे प्रशिक्षण का उद्देश्य पृथक्कृत कर्मचारियों को पुनर्स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना है। प्रशिक्षुओं को नए रोजगार शुरू करने तथा अपनी नौकरी गंवाने के पश्चात लाभकारी प्रक्रिया में पुनः शामिल होने के लिए आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/उन्मुखीकरण हासिल करने में सहायता की जाएगी। काउंसिलिंग के दौरान तय किए गए व्यवसाय के अनुसार ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अल्पावधि कार्यक्रम होंगे।

पुनर्नियोजनः प्रयास किया जाएगा कि काउंसिलिंग तथा पुनर्प्रशिक्षण प्रयासों के जरिए ऐसे पृथक्कृत कर्मचारियों को उत्पादन प्रक्रिया में पुनर्नियोजित किया जाए। कार्यक्रम के अंत में वीआरएस/वीएसएस विकल्पधारी/आश्रित को स्व/सवेतन रोजगार के

वैकल्पिक व्यवसायों में शामिल होने में सक्षम होना चाहिए। यद्यपि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पृथक्कृत कर्मचारी को वैकल्पिक रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा,तथापि नया रोजगार शुरू करने के लिए अभिज्ञात नोडल प्रशिक्षण एजेंसियों के साथ साथ संबंधित सीपीएसईज़ द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

9.4 सीआरआर स्कीम का लक्षित समूह अनन्य है और सरकार की अन्य कौशल विकास स्कीमों से हट कर है। अधिकांशतः वीआरएस/वीएसएस विकल्पधारियों की आयु 58 वर्ष से कम है। कार्यक्रम में प्रावधान है कि यदि वीआरएस विकल्पधारी स्वयं उसमें शामिल नहीं होना चाहता तो स्कीम के लाभ वी आर एस विकल्पधारी के एक आश्रित को भी दिए जा सकते हैं।

9.5 योजना की सफलता के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पृथक्कृत कर्मचारियों को कार्य मुक्त करने से पहले उनकी क्षतिपूर्ति/देयताओं का भुगतान करके उनके कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। कर्मचारियों के साथ लम्बे संबंधों के कारण केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम पुनः प्रशिक्षण संबंधी उनकी आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

9.6 इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
2001-02	8064
2002-03	12066
2003-04	12134
2004-05	28003
2005-06	32158
2006-07	34398
2007-08	9728
2008-09	9772
2009-10	7400
2010-11	9265
2011-12	9400
2012-13	7506
2013-14	3230
2014-15	2525
2015-16	3150
2016-17	1576
कुल	**1,90,375**

9.7 सीआरआर स्कीम–2016–17

9.7.1 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के अंतर्गत सेवा छोड़ने वाले सीपीएसईज़ के कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों को एक वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विकास परियोजना शुरू करने के लिए दिनांक 28 सितम्बर, 2016 को लोक उद्यम विभाग, राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) एवं राष्टीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रशिक्षण का लक्ष्य समग्र भारत (झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र) में वीआरएस विकल्पधारियों को नए रूप से कौशल–युक्त बनाना है। परियोजना के दायरे में निम्नलिखित शामिल था:

- सीपीएसईज़ के पृथक्कृत कर्मचारियों को काउंसिलिंग, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन प्रदान करना।
- वीआरएस विकल्पधारियों या उनके आश्रितों का कौशल प्रशिक्षण तथा प्रमाणन।
- प्रशिक्षण के पश्चात पुनर्नियोजन (स्व अथवा सवेतन रोजगार)।

9.7.2 वर्ष 2016–17 के दौरान, सीआरआर स्कीम के लिए 2.42 करोड़ रू. (सं.अ.) का आवंटन किया गया था। 2000 वीआरएस/वीएसएस विकल्पधारियों/आश्रितों को कवर करने के लक्ष्य की तुलना में 1576 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया और 887 को पुनर्नियोजित (स्व अथवा सवेतन रोजगार) किया

गया है। वर्ष के दौरान देश भर में फैले 6 पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों/एजेंसियों द्वारा 24 स्थानों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

9.7.3 प्रशिक्षण पूरा होने के उपरांत सभी 1576 अभ्यर्थियों का संबंधित एसएससीज़ द्वारा मूल्यांकन किया गया है और आज की तारीख तक लगभग 56% अभ्यर्थियों को पुनर्नियोजित किया जा चुका है। इस परियोजना में काउंसिलिंग के जरिए अभ्यर्थियों की महत्वाकांक्षा का पता लगाना और यह सुनिश्चित करने के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल था कि वे अपने आजीविका के विकल्पों का पता लगाने के लिए स्व/सवेतन रोजगार हेतु पूर्णतः सक्षम हैं।

9.7.4 प्रशिक्षण भागीदारों का विवरण निम्नानुसार है:

प्रशिक्षण भागीदार	कुल प्रशिक्षित	कुल मूल्यांकित	कुल प्रमाणित	नियोजन		
				कुल	स्व–रोजगार	सवेतन रोजगार
एचसीएफ	350	350	350	191	104	87
एमपीकॉन	300	300	195	111	88	23
माइक्रोसिस	100	100	86	39	21	18
ओरियन	150	150	122	108	26	82
केआईआईटी	440	440	360	280	217	63
लॉरस	236	236	8	158	0	158*
कुल	**1576**	**1576**		**887**	**456**	**431**

9.8 विभिन्न स्थानों पर कौशल प्रशिक्षण की झलकियां

9.8.1 चूंकि सीआरआर स्कीम एक अनन्य परियोजना है, अधिकांशतः प्रशिक्षण मौके पर सहायता और व्यावहारिक सत्रों के जरिए दिया जाता है जिससे वीआरएस/वीएसएस विकल्पधारियों को नया अथवा अद्यतन कौशल प्राप्त करने में सहायता मिली है जो जीवन में नया व्यवसाय अपनाने में सहायक होगी जिससे अर्थक्षम आजीविका के अवसर सुनिश्चित होंगे। दिसम्बर, 2016 से जून,2017 के दौरान विभिन्न स्थानों पर निम्नानुसार प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे:

प्रशिक्षण भागीदार	व्यवसाय	क्षेत्र	लक्ष्य	राज्य	अवस्थिति
एमपीकॉन	सहायक सौंदर्य थैरेपिस्ट	सौंदर्य एवं स्वास्थ्य	21	छत्तीसगढ़	दुर्ग
	हस्तनिर्मित अगरबत्ती निर्माता	हस्तशिल्प	84	छत्तीसगढ़	दुर्ग
	सिलाई मशीन प्रचालक	वस्त्र	55	छत्तीसगढ़	दुर्ग
	हस्त कशीदाकारी कर्ता	वस्त्र	55	छत्तीसगढ़	दुर्ग
	अचार बनाने वाला तकनीशियन	खाद्य प्रसंस्करण	55	महाराष्ट्र	मानेसर
	जैम, जेली एवं केचप प्रसंस्करण तकनीशियन	खाद्य प्रसंस्करण	30	महाराष्ट्र	बालाघाट
केआईआईटी	मोबाइल फोन हार्डवेयन मरम्मत तकनीशियन	इलेक्ट्रानिक्स	150	झारखंड	घाटशिला, रामगढ़
	खुदरा बिक्री एसोसिएट	खुदरा	230	बिहार	बरौनी
	सौंदर्य थैरेपिस्ट	सौंदर्य एवं स्वास्थ्य	60	झारखंड	रामगढ़

प्रशिक्षण भागीदार	व्यवसाय	क्षेत्र	लक्ष्य	राज्य	अवस्थिति
एचसीएफ	वस्तुसूची क्लर्क	संभार–तंत्र	140	कर्नाटक	मेंगलुरू
	लाइट मोटर व्हेकल ड्राइवर लेवल 3	ऑटोमोटिव	90	कर्नाटक	तुमकुर
	सीसी कैमरा संस्थापना	इलेक्ट्रानिक्स	60	कर्नाटक	तुमकुर
	टीवी मरम्मत तकनीशियन	इलेक्ट्रानिक्स	60	कर्नाटक	बेंगलुरू
माइक्रोसिस	घरेलू डाटा एंट्री ऑपरेटर	आईटी–आईटीईएस	41	पश्चिम बंगाल	दासनगर
	जैम, जेली एवं केचप प्रसंस्करण तकनीशियन	खाद्य प्रसंस्करण	44	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
	संस्थापना तकनीशियन (कम्प्यूटिंग एवं सहायक सामग्री)	इलेक्ट्रानिक्स	15	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
लॉरस	घरेलू डाटा एंट्री ऑपरेटर	आईटी–आईटीईएस	236	कर्नाटक	तुमकुर, बेल्लारी
ओरियन	मोबाइल फोन हार्डवेयन मरम्मत तकनीशियन	इलेक्ट्रानिक्स	60	पश्चिम बंगाल	नियामतपुर
	खुदरा बिक्री एसोसिएट	खुदरा	90	पश्चिम बंगाल	बीजापुर

9.9 कौशल प्रशिक्षण कक्षाएं

फोटोः तुमकुर, कर्नाटक में सीसी कैमरा संस्थापना कार्य भूमिका

फोटोः बेंगलुरू, कर्नाटक में वस्तुसूची क्लर्क कार्य भूमिका

फोटोः दुर्ग, छत्तीसगढ़ में सिलाई मशीन प्रचालन का प्रशिक्षण

फोटोः रामगढ़, झारखंड में खुदरा बिक्री एसोसिएट की कार्य भूमिका

9.10 मूल्यांकन

9.11 प्रमाणन

9.12 सीआरआर स्कीम (2016–17) के अंतर्गत सफलता की कुछ कहानियां

1. पवन कुमार

पवन के पिताजी ने 80 के दशक की शुरूआत में भारतीय यूरेनियम निगम लि. (यूसीआईएल), घाटशिला में पम्प प्रचालक के रूप में आजीविका का अर्जन शुरू किया था। इसके अतिरिक्त वे नखारा बाजार में साइकिल की मरम्मत में छोटे–मोटे कार्य करके अतिरिक्त आय अर्जित करते थे। उन दिनों में छोटी–मोटी समस्याओं के अतिरिक्त उनका जीवन–यापन सही प्रकार से हो रहा था। सेल्स मैन के रूप में उन्हें 3,000 रू./– प्रतिमाह का वेतन मिलता था जो उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व मिल में उनका अंतिम वेतन था।

उन्हें जनवरी, 2016 में सेवामुक्त कर दिया गया। उन्हें आजीविका के नुकसान तथा बढ़ते हुए आर्थिक भार की परेशानी से गुजरना पड़ा। 2,00,000 रू./– की पृथक्करण प्रतिपूर्ति से अधिक राहत नहीं मिल पाई; उसका अधिकांश हिस्सा सामाजिक दायित्वों को पूरा करने और पिछले ऋणों को चुकाने में खर्च हो गया। पुत्र की रूचि तथा उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए उन्होंने अपने पुत्र पवन को काउंसिलिंग और कौशल प्रशिक्षण के लिए भेजने का विकल्प लिया। पवन को केएसआरएम, केआईआईटी विश्वविद्यालय द्वारा खुदरा बिक्री एसोसिएट के संबंध में 60 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की सिफारिश की गई। प्राप्त ज्ञान तथा कौशल का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने पितृस्थल पर एक छोटी सी दुकान खोली और अपने दृष्टिकोण को परम्परागत बिक्री से बदलकर वाणिज्यिक बिक्री कर लिया है। अब उनकी पारिवारिक आय 7,500 रू./– से अधिक हो गई है। तकलीफ और दुविधा के दिनों को भुलाकर पवन अब खुशी एवं आजादी के साथ जी रहे हैं।

2. सुवाशीष दास

सुवाशीष दास वीआरएस विकल्पधारक चुन्नीलाल दास के आश्रित हैं जो हावड़ा, पश्चिम बंगाल में हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लि. (एचडीपीईएल) में कार्य करते थे। चुन्नीलाल ने लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सीआरआर स्कीम के सुनहरे अवसर का लाभ उठाया था।

काउंसिलिंग सत्र के दौरान सुवाशीष ने माना कि उनके पिता के वीआरएस के पश्चात कोई सतत आय नहीं थी और वे अपने लिए रोजगार प्राप्त करने हेतु संघर्ष कर रहे थे। काउंसिलिंग के बाद सुवाशीष ने संस्थापना तकनीशियन (कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरण) के प्रशिक्षण में रुचि दिखायी। वे सीखने के इच्छुक थे और धीरे–धीरे उन्होंने इस कार्य के लिए अपेक्षित कौशल प्राप्त कर लिया।

उनको यह भी समझ में आ गया कि इस क्षेत्र में दक्ष व्यक्तियों की कमी है। प्रशिक्षण भागीदार माइक्रोसिस के सक्रिय सहयोग से सुवाशीष ने कोणनगर, हावड़ा स्थित सृष्टि कम्प्यूटर्स में 6000/– रुपये प्रतिमाह के वेतन पर प्रशिक्षु हार्डवेयर इंजीनियर की नौकरी

प्राप्त की। सुवाशीष अपनी नौकरी से संतुष्ट हैं और अच्छा अनुभव प्राप्त करके वे उज्ज्वल एवं संभावनापूर्ण भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं तथा उनका लक्ष्य बड़े आईटी संगठनों के लिए कार्य करना है।

3. मंजू कुमारी झा

21 वर्षीय मंजू कुमारी झा का जन्म धनबाद, झारखंड के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके अभिभावकों ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद दैनिक रोजगार प्रारंभ कर दिया था। उनके अभिभावकों की आय परिवार के गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं थी। वित्तीय बाधाओं के कारण मंजू अपनी उच्चतर शिक्षा जारी नहीं रख पाईं।

उन्हें केआईआईटी द्वारा आयोजित विज्ञापन अभियान कार्यक्रम के जरिए सीआरआर प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी हुई। मंजू ने खुदरा बिक्री व्यापार में दाखिला लिया और अच्छे अंकों के साथ अपना कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया। प्रशिक्षण के पश्चात उन्होंने एक स्थानीय दुकान कोट्टकल आयुर्वेद शॉप में 5000/– रुपये प्रतिमाह के वेतन पर अकाउंटेंट की नौकरी प्रारंभ की और 6 माह के भीतर उनका वेतन बढ़कर 6000/– रुपये प्रतिमाह हो गया। उन्होंने घर की मरम्मत के लिए परिवार द्वारा लिया गया ऋण भी चुका दिया। मंजू अपने मित्रों तथा अपने समुदाय के अन्य लोगों से भी इस पाठ्यक्रम की सिफारिश करती हैं।

4. प्रवात कुमार शर्मा

प्रवात कुमार के पिता रामचन्द्र ने 25 वर्ष पूर्व सेंट्रल कोल फील्ड लि. (सीसीएल), रामगढ़ में मकैनिक के रूप में नौकरी प्रारंभ की थी।

उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उन्हें नौकरी से सेवानिवृत्ति लेनी पड़ेगी और दयनीय जीवन बिताना पड़ेगा। संचयी घाटे के कारण सीसीएल को वीआरएस स्कीम के जरिए अपने स्टाफ में कटौती करनी पड़ी। इस असामरिक घटना का शिकार होने के कारण रामचन्द्र एकांतप्रिय हो गए। परंतु कब तक? दिनों दिन बढ़ता आर्थिक भार असहनीय हो गया और पुत्री की शादी ने उन्हें और अधिक वित्तीय तथा भावनात्मक बोझ तले दबा दिया। उनके पुत्र प्रवात जो कि स्नातक थे,उन्होंने परिवार को सहारा देने के लिए छोटी–मोटी नौकरियां कीं। उन्होंने काउंसिलिंग सत्र में भाग लिया जहां उन्हें खुदरा बिक्री पाठ्यक्रम करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया, इसके पश्चात प्रवात ने रांची में एक छोटी खुदरा दुकान खोली और अब वे प्रतिमाह लगभग 8500/– रुपये कमाते हैं। अब रामचन्द्र प्रसन्न हैं और संतुष्ट सेवानिवृत्ति पश्चात जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

5. टीना तिवारी

टीना के पति बसंत जो ड्राइवर थे, उन्हें सेंट्रल कोल फील्ड लि. (सीसीएल), रामगढ़ द्वारा जनवरी में वीआर स्कीम के अंतर्गत कार्यमुक्त कर दिया गया। उन्होंने अपनी बचत तथा प्रति पूर्तिराशि का अधिकांश हिस्सा अपने इकलौते पुत्र की उच्चतर शिक्षा पर व्यय कर दिया। उनके पुत्र ने राज्य के बाहर एक कंपनी में नौकरी प्रारंभ की परंतु उसकी आय

इतनी नहीं थी कि वह अपने माता–पिता को कुछ पैसे भेज सके। चूंकि टीना के पति गंभीर रोग से ग्रस्त थे, अतः टीना ने आजीविका कमाने का निर्णय लिया।

कई बार काउंसिलिंग के बाद टीना का चयन मुसाबोनी केंद्र में ब्यूटीशियन के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किया गया। अब टीना अपने घर से ही कार्य करती हैं और प्रतिमाह 5000/– रुपये से अधिक कमाती हैं।

6. श्रीकांत एमएस

श्रीकांत एमएस को वर्ष 2016 में वीआरएस स्कीम के अंतर्गत एचएमटी से सेवानिवृत्त होना पड़ा। प्रशिक्षण भागीदार एचसीएफ को श्रीकांत का आवेदन प्राप्त हुआ और उन्हें काउंसिलिंग हेतु बुलाया गया तथा उन्हें बंग्लौर में टीवी मरम्मत तकनीशियन का कार्य शुरू करने की सलाह दी गई क्योंकि वे उद्यमी के रूप में कार्य करने के इच्छुक थे। टीवी मरम्मत तकनीशियन का प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद उन्होंने एचसीएफ के स्थानीय सहकारी बैंक के साथ संपर्क के जरिए एक छोटी टीवी मरम्मत की दुकान खोली है। उन्हें औसतन 18000/–रुपये प्रतिमाह की आमदनी होती है।

7. जयन्ना डी

जयन्ना का जन्म और पालन–पोषण तुमकुर जिले में हुआ था और वर्ष 2015 में उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तक उन्होंने एचएमटी वॉच फैक्ट्री में काम किया। जयन्ना ने एचसीएफ प्रशिक्षण केंद्र में काउंसिलिंग सत्र में भाग लिया और सीसीटीवी संस्थापना का प्रशिक्षण लेने में रुचि दिखाई। उन्होंने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया और 15000/– रुपये की कार्यशील पूँजी के साथ उन्होंने सीसीटीवी संस्थापना का अपना लघु व्यवसाय प्रारंभ किया है।

8. नरेंद्रनाथ बीसी

नरेंद्रनाथ बीसी को वर्ष 2012 में केआईओसीएल द्वारा वीआरएस स्कीम के अंतर्गत सेवा मुक्त कर दिया गया था। काउंसिलिंग सत्र के दौरान नरेंद्रनाथ ने टीवी मरम्मत तकनीशियन पाठ्यक्रम का विकल्प लिया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्होंने अपनी दुकान खोली और अब वे अपने जीवन से काफी संतुष्ट हैं।

9. भूनेश्वरी साहू

भूनेश्वरी साहू अपने माता–पिता के साथ दुर्ग, छत्तीसगढ़ में रहती थीं। उनके पिता ने भिलाई इस्पात संयंत्र की खानों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प लिया। वे वीआरएस से प्राप्त लाभराशि को किसी ऐसे बचत विकल्प या कार्यकलाप में निवेश करना चाहते थे जिससे उन्हें नियमित आय हो सके परंतु उन्हें कोई उचित विकल्प प्राप्त नहीं हो पाया। इसी बीच उनकी पुत्री भुवनेश्वरी साहू जिसने अपना मैट्रिकुलेशन पूरा किया था, भी अपने परिवार की सहायता के लिए बेहतर अवसर की तलाश में थी।

इस समय उसको सेवानिवृत्त एवं उनके आश्रितों के लिए एम. पी. सी. ओ. एन. द्वारा कार्यान्वित की जा रही सीआरआर स्कीम के बारे में पता चला। उसने परामर्श सत्र ज्वाइन किया तथा असिस्टेंट ब्यूटी थेरैपिस्ट कार्य का चयन किया। प्रशिक्षण के बाद उसने अपना खुद का ब्यूटी पार्लर शुरू किया। लगभग 20,000/– रुपए मासिक कारोबार के साथ उसे 8,000/– रुपए का लाभ मार्जिन मिल रहा है। वह अपने परिवार के प्रति इस बात के लिए आभारी है कि उसे सकारात्मक माहौल दिया गया। वह सभी संबंधित लोगों की आभारी है कि उसे कौशल एवं उद्यमशीलता की योग्यता दी गई तथा उसे अपने सपनों को साकार करने में सहायता मिली।

10. पशुपति

पशुपति को 2014 में एस एम टी से वी आर एस स्कीम के अंतर्गत पृथक कर दिया गया उनको एच सी एफ द्वारा सबको एकत्र करके तथा परामर्श के दौरान सी आर आर स्कीम के बारे में पता चला तथा उन्होंने मोटर डाइविंग पाठ्यक्रम का चयन किया। मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण पूरा करने के बाद तथा एच सी एफ कार्यक्रम संयोजक की सहायता से उनको वाहन के लिए वित्त मिला और उन्होंने उबर के साथ अपना स्वयं का कार्य शुरु किया। अब कार की मासिक की ई एम आई देने के बाद वह प्रतिमाह लगभग 10,000/– रुपए बचत कर पा रहे हैं।

11. तुलसी राजपूत

तुलसी राजपूत ने अपना मैट्रिककुलेशन पूरा करने के बाद व्यवसाय शुरू करना चाहा क्योंकि उसके पिता ने भिलाई स्टील संयंत्र से वी आर एस ले लिया था। वह एक अवसर की तलाश में थी जहां वह स्वयं अपने स्तर पर छोटा निवेश कर सके। परन्तु ऐसे कार्य का चयन एक चुनौती थी। समय के इस मोड़ पर उसको अपने पिता के द्वारा सी आर आर स्कीम के बारे पता चला। जिन्होंने उसे इस स्कीम का लाभ लेने के लिए नामित किया। उसने नोडल एजेंसी द्वारा प्रबंधित किए गए तीन दिवसीय सत्र ज्वाइन किया तथा उसे विभिन्न अवसरों एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिली और उसे उसका लाभ हुआ। उसने त्रैमासिक ब्यूट पार्लर पाठ्यक्रम कार्य का चयन किया। इस कार्यक्रम ने उसके अन्तर आत्मविश्वास पैदा किया तथा कार्यक्रम पूरा करने के तुरन्त बाद उसने अपना ब्यूटी पार्लर शुरु कर दिया। शुरुआती सफलता से वह प्रेरित हुई क्योंकि उसे प्रति माह औसत 8,000/– रुपए का मार्जिन प्राप्त हुआ। उसको ऐसा लगता है यह उसके सपनों की शुरुआत है।

12. मानस कान्ति सूर

मानस कान्ति सूर हुग्ली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) से स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत वर्ष 2016 में हटा दिए गए तथा उसके बाद उन्होंने कौशल विकास कार्यक्रम ज्वाइन कर लिया। परामर्श के दौरान मानस कान्ति सूर को डोमेस्टिक डाटा एंट्री आपरेटर पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी मिली तथा उन्होंने इसमें अपना नामांकन करा लिया। इस पाठ्यक्रम से नवीनतम प्रौद्योगिकी जानकारी तथा बाजार की जरुरतों के साथ कम्प्यूटर प्रयोग में पर्याप्त अनुभव मिला। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद मानस को प्रीतम अप्लायंसेस, सेवराफुली ब्रांच में कार्यालय से हटकर काम करने का अवसर मिला। वह 7,500/– रुपए प्रति माह पर कार्य कर रहे हैं।

अध्याय 10

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस)

10.1 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस)

10.1 कुछ केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, सरकार ने अक्तूबर, 1988 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की घोषणा की थी। बाद में लोक उद्यम विभाग (भारत सरकार) द्वारा मई, 2000 में एक व्यापक पैकेज अधिसूचित किया गया था।

अक्टूबर, 1988 में वीआरएस स्कीम शुरू होने के बाद मार्च, 2017 तक वीआरएस के अन्तर्गत लगभग 6.25 लाख कर्मचारियों को रिलीज किया जा चुका है।

10.2 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जो स्वयं अपने अतिरिक्त स्रोतों से इसे वहन कर सकें

10.2.1 वित्तीय रूप से सक्षम सरकारी क्षेत्र के उद्यम, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का व्यय स्वयं वहन कर सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अपनी योजना स्वयं बना सकते हैं और इसका विकल्प लेने वाले कर्मचारियों के लिए काफी आकर्षक बना सकते हैं। वे सेवा के प्रत्येक पूरे हुए वर्ष के लिए 60 दिन के वेतन (केवल मूल वेतन+महंगाई भत्ता) के तुल्य क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। बहरहाल, ऐसी क्षतिपूर्ति सेवा की शेष अवधि के वेतन से अधिक नहीं होगी।

10.3 मामूली लाभ वाले अथवा घाटा उठाने वाले/ रुग्ण/अर्थअक्षम केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाः

10.3.1 मामूली रूप से लाभ अर्जित करने वाली/घाटा उठाने वाली रुग्ण एवं अर्थ अक्षम कंपनियां निम्नलिखित मॉडल में से किसी एक को अपना सकती हैं :

गुजरात मॉडल जिसके अंतर्गत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन तथा सेवानिवृत्ति होने तक सेवा की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के 25 दिनों के वेतन की प्रतिपूर्ति का आकलन किया जाता है, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति अधिवर्षिता के लिए शेष बची अवधि के लिए कुल वेतन से अधिक नहीं होगी।

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) मॉडल, जिसके अनुसार पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के परिलाभों (वेतन+महंगाई भत्ता) अथवा सेवा की शेष अवधि के कुल परिलाभ, इनमें से जो भी कम हो, अनुग्रह राशि प्राप्त कर सकते हैं। जो कर्मचारी कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 60(साठ) महीने का वेतन/मजूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और बशर्ते यह शेष बची हुई सेवा अवधि के लिए वेतन/मजूरी की राशि से अधिक न हो।

अध्याय

11

कार्यपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.1 केंद्रीय सरकारी उद्यम (सीपीएसईज़) अपने स्वयं के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम तैयार करते हैं जिसके अंतर्गत वे मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों को अपने स्वयं के प्रबंधन संस्थानों द्वारा या भारत के प्रमुखप्रबंधन प्रशिक्षण संस्थानों की सेवाएं आउटसोर्स द्वारा प्राप्त करके, प्रबंधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास तथा उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं।

11.2 लोक उद्यम विभाग लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप), नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक मंडल का पदेन सदस्य है। अपर सचिव, लोक उद्यम विभाग लोक उद्यम संस्थान (आईपीई), हैदराबाद के गवर्नरों के बोर्ड के सदस्य हैं।

11.3 भारत उद्यम संवर्द्धन अंतरराष्ट्रीय केन्द्र (आईसीपीई) का संस्थापक सदस्य है, इस संस्थान को विकासशील देशों के अंतःसरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था ताकि वे आर्थिक एवं सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपने लोक उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार ला सकें। वर्तमान में आईसीपीई के महानिदेशक पद पर भारत द्वारा धारित है। आईसीपीई अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, कंसलटेंसी कार्य करके और प्रलेखन एवं प्रकाशन कार्यकलापों के जरिए सूचना का प्रसार करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जिसका उद्देश्य कारपोरेट अभिशासन, प्रबंधन और अन्य संबंधित क्षेत्रों से संबंधित बहुत से मुद्दों पर कल्पना एवं व्यवहार के बीच अंतर को कम करने का है।

अध्याय

12

कारपोरेट, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सततता

12.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले सभी कारपोरेट जिनमें केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम शामिल हैं जो इसकी सीएसआर नीति के अनुसरण में 500 करोड़ रुपए निवल मूल्य या 1000 करोड़ रुपए के कारोबार या 5 करोड़ रुपए के निबल लाभ के संदर्भ में निर्धारित नियत सीमा से अधिक हों, को पिछले तत्काल 3 वर्षों के दौरान हुए कम्पनी औसत लाभ (कर पूर्व लाभ) का न्यूनतम 2% व्यय करने का शासनादेश है।

12.2 वर्ष 2014 में सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पर जारी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों को माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के अनुमोदन से अगस्त, 2016 में वापस ले लिया गया है। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों से अपेक्षित है कि वे अब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा इसके अन्तर्गत कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सीएसआर नियमावली एवं इस अधिनियम की अनुसूची VII, जिसमें केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा किए जा सकने वाले कारपोरेट की सूची दी गई है, में निहित प्रावधानों का अनुपालन करें।

12.3 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा अगस्त, 2016 में सीएसआर के अन्तर्गत कार्यकलापों के चयन एवं कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं विधिवत ध्यान देने के बारे में सलाह जारी की गई है। लोक उद्यम विभाग द्वारा अगस्त, 2016 में सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध करते हुए एक और सलाह जारी की गई है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को 'स्वच्छ भारत' के लिए सीएसआर फण्ड का 33% व्यय करने के लिए 'स्वच्छ भारत एवं गंगा पुनर्जीवन पर सचिवों के दल' की सिफारिशों को उनके ध्यान में लाएं तथा स्वच्छ भारत मिशन के पूरा होने तक सीएसआर के अन्तर्गत स्वच्छ भारत कोष के लिए तदनुसार योगदान करने/भाग लेने की सलाह दें।

12.4 वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लोक उद्यम विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की सीएसआर यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए ओएनजीसी लिमिटेड, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स के सहयोग से दिनांक 04– 06 मई 2017 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में एक तीन दिवसीय 'सीएसआर मेला' का आयोजन किया था।

12.5 केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की सीएसआर उपलब्धियां, पूरी की गई सीएसआर परियोजनाएं/ कार्यकलाप, किए जाने के लिए योजनाबद्ध कार्य, सर्वोत्तम प्रक्रियाएं, सफलता की कहानियां, शिक्षा, स्वास्थ्य देख–रेख, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, खेलों को बढ़ावा देना , स्वच्छ– भारत, स्वच्छता, समाज के वंचित वर्गों का उत्थान, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में की गई सीएसआर गतिविधियों को केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों, मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों तथा लाभार्थियों जैसे सभी स्टेक होल्डरों को जोड़ते हुए एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदर्शित की गईं।

12.6 माननीय मंत्री (भारीउद्योग एवं लोक उद्यम) तथा माननीय राज्य मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) ने सचिव लोक उद्यम विभाग तथा अपर सचिव

लोक उद्यम विभाग एवं विभिन्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की उपस्थिति में प्रगति मैदान नई दिल्ली में दिनांक 4 मई 2017 को' सीएसआर मेला' का उद्घाटन किया। कुल 120 संगठनों जिनमें 81 महारत्न, नवरत्न तथा मिनीरत्न एवं अन्य सीएसआर अर्हता प्राप्त केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम, केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग तथा 34 गैर सरकारी संगठन/ कार्यान्वयन एजेंसियां शामिल थीं, ने इस मेले में अपना स्टाल स्थापित किया तथा उसमें सीएसआर में उपलब्धियों, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं तथा पोस्टरों, फोटोग्राफों, लघु वीडियो फिल्मों, स्लाइड प्रदर्शनों तथा मॉडलों आदि के माध्यम से अपनी सफलता की कहानियों का प्रदर्शन भी किया।

12.7 इसके अलावा सीएसआर से संबंधित पहलुओं/ विषयों पर क्रमबद्ध रूप से 8 संगोष्ठियों का आयोजन भी किया गया:

- सीएसआर– द गेम चेंजर इन स्पोर्टर्स
- सीएसआर– एज प्राइम इंजन फॉर स्वच्छ भारत
- इन्क्यूबेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी थ्रू सीएसआर
- सीएसआर कौशल विकास का दिग्दर्शक तथा जीविका प्रदाता
- प्री स्कूल, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रदान करने में सीएसआर की भूमिका
- सामाजिक न्याय एवं कल्याण एजेंडा को आगे बढ़ाने में सीएसआर की भूमिका
- सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं पुनर्स्थापना के लिए सीएसआर का उपयोग
- सीएसआर में स्वास्थ्य एवं पोषण कार्याकलापों के लिए स्कोप एवं अवसर

12.8 भारत सरकार के सचिवों, पूर्व सचिवों, अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों, वरिष्ठ लोक उद्यम कार्यपालकों में से लिए गए विशेषज्ञों, श्री पी गोपीचंद (बैडमिंटन), सुश्री मैरीकॉम (बॉक्सिंग), श्री सोमदेव देववर्मन (लॉन टेनिस), श्री खजान सिंह (तैराकी), सुश्री कर्णम मलेश्वरी (वेट लिफ्टिंग), श्री भाईचुंग भूटिया (फुटबॉल), सीएसआर मैग्जीनों के मुख्य संपादक, अग्रणी स्वायत्त संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया तथा स्टेक होल्डरों के लाभ के लिए अपने विचार –विमर्श तथा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अपना योगदान दिया।

अध्याय

13

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट

13.1 उद्योग पर विभाग आधारित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 216वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि लोक उद्यम विभाग को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा नीतियों और दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने में सार्थक और प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। इसके अनुपालन में लोक उद्यम विभाग समझौता ज्ञापन दिशानिर्देश 2015–16 में प्रावधान किया गया है जिसमें लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का पालन न करने पर एक अंक काटने की व्यवस्था है। समझौता ज्ञापन 2016–17 में और कड़े उपाय किए गए हैं जिसमें केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने पर "उत्कृष्ट" श्रेणी को कम करके बहुत अच्छा करने के साथ वित्तीय निहितार्थ भी होंगे तथा अन्य मामलों में 5 अंक काट लिए जाएंगे। उन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों जिनको 2016–17 में एसीआर दी गई है, की सूची **अनुलग्नक– 12** में है।

अध्याय

14

राजभाषा नीति

14.1 लोक उद्यम विभाग का हिन्दी अनुभाग मुख्यतः राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के विविध उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। हिन्दी अनुभाग उन दस्तावेजों के अनुवाद के लिए उत्तरदायी है, जिन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किया जाना अपेक्षित है। चूंकि, इस विभाग के 80% से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, इसलिए इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

14.2 वर्ष 2016–17 के दौरान सभी संकल्पों, अधिसूचनाओं, सूचनाओं, परिपत्रों, संसद के सभा–पटल पर रखे जाने वाले कागजातों आदि को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया है। हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाए जाने हेतु भी प्रयास किए गए। लोक उद्यम विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति अपर सचिव की अध्यक्षता में काम कर रही है।

14.3 राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 01 सितम्बर, 2017 से 15 सितंबर, 2017 तक "हिन्दी पखवाड़ा" आयोजित किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान अधिकारियों तथा संविदा पर कार्यरत कर्मियों सहित कर्मचारियों के लिए चार प्रतियोगिताओं, यथा हिंदी श्रुतलेखन, भाषा ज्ञान, हिंदी निबंध तथा चित्रवर्णन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

14.4 इस विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यचालन के सम्बन्ध में "लोक उद्यम सर्वेक्षण" नामक वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाती है। यह एक विशाल एवं विस्तृत प्रलेख है जिसे विभाग द्वारा अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। लोक उद्यम विभाग की वार्षिक रिपोर्ट भी हिन्दी और अंग्रेजी में प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है।

अध्याय

15

महिलाओं का कल्याण

15.1 भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित हैं। संविधान न केवल महिलाओं के मामले में समानता का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि सरकार को भी महिलाओं के हित में सकारात्मक विचारण की शक्ति सौंपता है। लोकतांत्रिक नीति के कार्यढांचे के भीतर हमारे कानून, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का उन्नयन है।

15.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, निरापद तथा स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने के लिए विभाग में एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन भी किया जा चुका है। यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से इस विभाग में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत करा दिया गया है। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निगरानी रखने और उसे रोकने के लिए लोक उद्यम विभाग ने 29 मई, 1998 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को पहले से ही विस्तृत दिशानिर्देश एवं मानदण्ड जारी कर दिए हैं।

15.3 विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 123 है, जिनमें से 7 महिला कर्मचारियों सहित 76 अधिकारी/कर्मचारी हैं। लोक उद्यम विभाग ने स्वस्थ तथा सौहार्द्रपूर्ण माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है ताकि महिला कर्मचारी सम्मान, गरिमा के साथ और बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।

अध्याय 16

योजनागत निधि व्यय का विवरण

लोक उद्यम विभाग अनुदान संख्या 45 2017–18		
योजनाएं	**(रुपये हजार में)**	
	संशोधित अनुमान 2017–18	**कुल व्यय 2017–18 (18.12.2017 तक)**
योजना		
सीआरआर स्कीम		
प्रकाशन	0	0
अन्य प्रशासनिक व्यय	500	0
व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	3000	216
सहायता अनुदान	25500	9100
सीआरआर स्कीम एनईआर **(सहायता अनुदान)**	1000	0
आरडीसी स्कीम		
घरेलू यात्रा व्यय	2000	243
विदेश यात्रा व्यय	500	0
प्रकाशन	2000	414
अन्य प्रशासनिक व्यय	9000	7276
व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	9500	5939
सहायता अनुदान	10000	7139
आईसीपीई को योगदान	10000	0
आरडीसी स्कीम एनईआर **(सहायता अनुदान)**	7000	1150
कुल	**80000**	**31477**

अध्याय

17

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य के लिए सेवाओं में आरक्षण

17.1 बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर नियुक्तियों के संबंध में कार्मिक एवं भर्ती नीतियों को संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन द्वारा तैयार किया जाता है। तथापि, सामान्य महत्व के मामलों में, भारत सरकार द्वारा उन उद्यमों को नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जिसे उन उद्यमों द्वारा अपने स्वयं की कारपोरेट नीतियां तैयार करते समय ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा औपचारिक राष्ट्रपतिक निदेश संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यमों को जारी किए जाते हैं ताकि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु नियोजन के संबंधमें आरक्षण उसी तर्ज पर करें जैसा कि केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों में लागू हैं।

17.2 लोक उद्यम विभाग द्वारा एससी और एसटी हेतु आरक्षण पर सभी महत्वपूर्ण अनुदेश शामिल करके एक व्यापक राष्ट्रपतिक निदेश सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को 25 अप्रैल, 1991 को जारी किए गए थे ताकि उन्हें औपचारिक रूप से केंद्रीय सरकारी उद्यमों को जारी किया जा सके। आवश्यक परिवर्तनों और संशोधनों को भी केंद्रीय सरकारी उद्यमों को सूचना एवं अनुपालन हेतु उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के जरिए परिपत्रित किया जाता है।

17.3 तत्पश्चात, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल कमीशन) की सिफारिशों के आधार पर और इंदिरा साहनी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हेतु रिक्तियों में 27: आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो सेवाओं में आरक्षण के संबंध में नीति तैयार करता है, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर समय–समय पर अनुदेश जारी करता रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण को 8.9.1993 से लागू कर दिया गया था। लोक उद्यम विभाग केंद्रीय सरकारी उद्यमों को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के जरिए अनुपालन हेतु इन निर्देशों को भेजता रहा है। एक व्यापक राष्ट्रपति निदेश जिनमें ये सारे अनुदेश शामिल थे, को लोक उद्यम विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को दिनांक 27 जुलाई,1995 के डीपीई का.ज्ञा. के तहत भेज दिया है ताकि वे अपने नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों को ये निदेश औपचारिक रूप से जारी कर सकें।

17.4 अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27% आरक्षण के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% के उप कोटा के आवंटन से संबंधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों को भी लोक उद्यम विभाग केदिनांक 2 जनवरी, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के तहत प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों (केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित) को उनके नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों में लागू करने के प्रयोजनार्थ भेज दिया गया है।

17.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु मौजूदा कोटा तथा रिक्तियों में आरक्षण हेतु पात्र अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों का कोटा निम्नानुसार है:

आरक्षण के लिए कोटा

श्रेणी	प्रबंधकीय / कार्यपालक स्तर / पर्यवेक्षक स्तर	कुशल श्रमिक	अकुलशल श्रमिक
अनुसूचितजाति (एससी)	15%	15%	15%
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	7.5%	7.5%	7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% का उप कोटा जोड़कर)	27%	27%	27%
शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति *	4%	4%	4%
पूर्व सैनिक तथा युद्ध में मारे गए सैनिकों पर आश्रित व्यक्ति	–	14.5%	24.5%

* दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार

17.6 आरक्षित पदों को समय पर भरने और बैकलॉग को समाप्त करने की आवश्यकता पर समय–समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों के जरिए बल दिया गया है। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों को सलाह दें कि वे मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में भरे न गए आरक्षित पदों को भरने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। इसके अतिरिक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने हेतु समय–समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों को भी ये निर्देश दिए हैं कि वे समयबद्ध तरीके से इन रिक्तियों को भरें।

17.7 लोक उद्यम विभाग ने प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के जरिए केंद्रीय सरकारी उद्यमों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण के लिए ऐसी ही योजना के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं। भूतपर्व सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि केंद्रीय सरकारी उद्यमों में उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। ऐसे केंद्रीय सरकारी उद्यम, जो एजेंसी / डीलरशिप प्रदान करने की स्थिति में हैं, को सलाह दी गई है कि वे भूतपूर्व सैनिकों को ऐसी एजेंसियां / डीलरशिप आवंटित करने के लिए कोटा आरक्षित करें।

17.8 लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों में शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार देने के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का अनुसरण करते हुए 11.03.1997 को केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों को राष्ट्रपतिक निदेश जारी किए हैं। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के साथ, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु आरक्षण, सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले अभिज्ञात समूह 'क' एवं 'ख' पदों पर भी लागू होगा।

अनुबंध–1
(पैरा 4)

लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक ढांचा

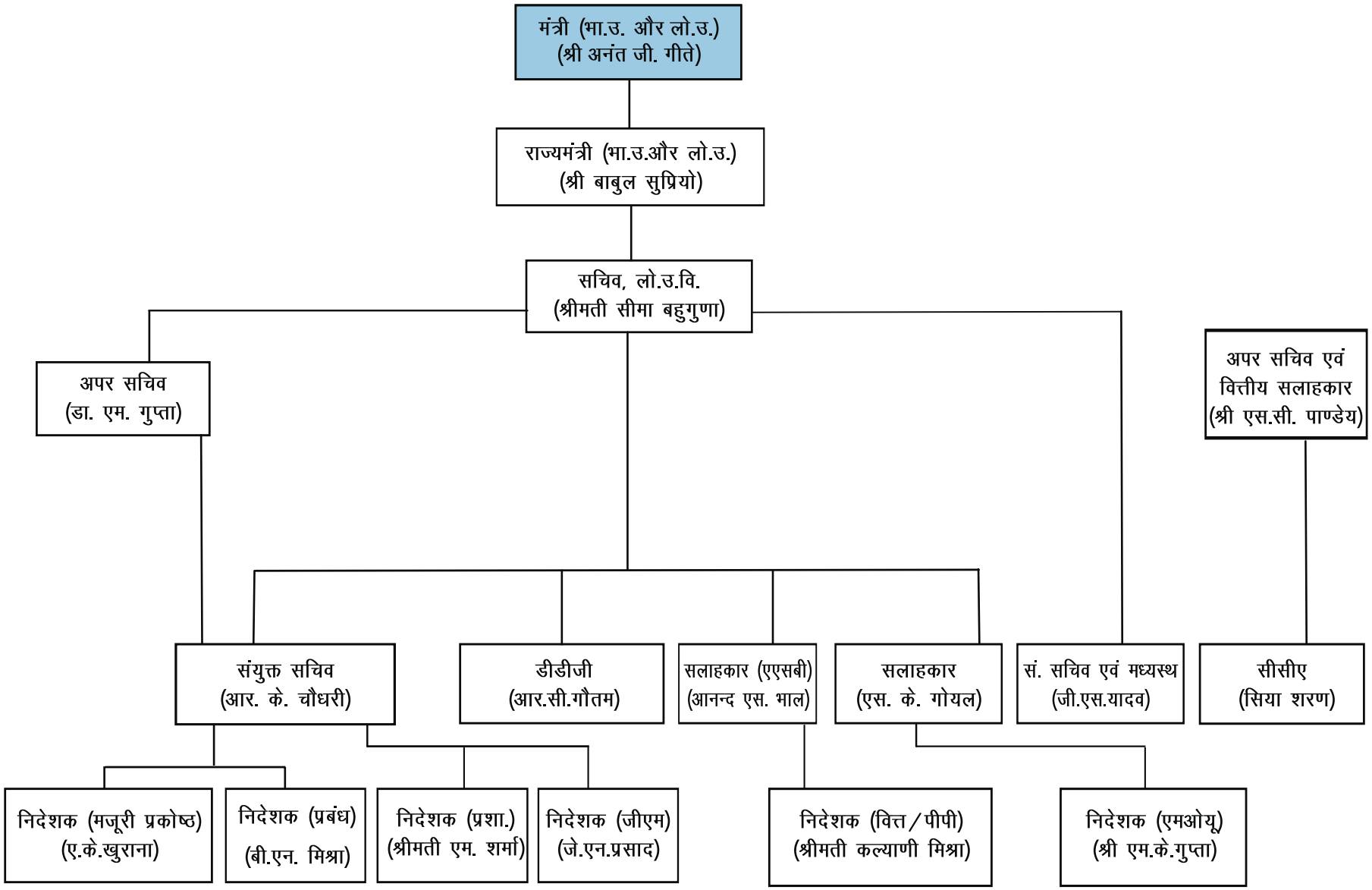

अनुबंध–2
(पैरा 1.2)

वर्ष 2015–16 के दौरान केंद्रीय सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन

रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	मद / संकेतक	2015–16	2014–15	2014–15 की तुलना में वृद्धि
1.	प्रचालनरत सीपीएसई की सं.	244	236	3.39
2.	(प्रचालनरत) सीपीएसई का कारोबार	1854667	1995176	(-)7.04
3.	(प्रचालनरत) सीपीएसई की आय	1764749	1965638	(-)10.22
4.	सीपीएसई में निवेश	1171844	1095554	6.96
	4.1 कुल प्रदत्त पूंजी	228334	213020	7.19
	4.2 कुल निवेश (इक्विटी जमा दीर्घावधिक ऋण)	1171844	1095554	6.96
	4.3 नियोजित पूंजी (प्रदत्त पूंजी+दीर्घावधिक ऋण और आरक्षित निधि एवं अधिशेष	1968311	1866944	5.43
5.	(लाभ अर्जित करने वाले) सीपीएसई का लाभ	144523 (165)	130364 (159)	10.86
6.	(घाटा उठाने वाले) सीपीएसई का घाटा	28756 (78)	(-) 27498 (76)	4.57
7.	न लाभ न घाटा उठाने वाले सीपीएसईज़	1	1	0
8.	समग्र निवल लाभ	115767	102866	12.54
9.	सीपीएसई की आरक्षित निधि एवं अधिशेष	796467	771389	3.25
10.	सीपीएसई का निवल मूल्य	1020737	984409	3.69
11.	केन्द्रीय राजकोष में सीपीएसई का योगदान	278075	200593	38.63
12.	सीपीएसई का विदेशी मुद्रा का अर्जन	77216	103071	(-)25.08
13.	सीपीएसई का विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन (आउटगो)	388045	544561	(-) 28.74

अनुबंध–3
(पैरा 2.2.2)

महारत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं

महारत्न का दर्जा प्रदान करने हेतु पात्रता सम्बन्धी मानदण्ड :– निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यम महारत्न का दर्जा प्रदान करने पर विचार किए जाने के पात्र हैं :–

(क) नवरत्न श्रेणी का उद्यम हो

(ख) सेबी के विनियमों के अन्तर्गत न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता सहित भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल वार्षिक कारोबार का औसत 25,000 करोड़ रूपये से अधिक का हो

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उसका औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ रूपये से अधिक हो

(ड.) गत तीन वर्षों के दौरान उसका औसत कर पश्चात वार्षिक निवल लाभ 5000 करोड़ रूपए से अधिक रहा हो

(च) वैश्विक स्तर पर प्रभावी उपस्थिति हो या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालनरत हो ।

महारत्न दर्जा प्रदान करने/समाप्त करने की प्रक्रिया: महारत्न दर्जा देने तथा साथ ही उनका पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया नवरत्न दर्जे हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया की भांति ही है।

महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रत्यायोजित शक्तियां: (1) महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल, नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करने के साथ–साथ संयुक्त उद्यमों / सहायक कम्पनियों में निवेश तथा बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के सृजन की संवर्धित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास अधिकार हैं–(क) भारत में या विदेश में वित्तीयसंयुक्त उद्यम स्थापित करना तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में इक्विटी निवेश करना तथा (ख) भारत में या विदेश में विलयन या अधिग्रहण जो कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रू0 (नवरत्न सीपीएसई के लिए 1,000 करोड़ रू0) की अधिकतम सीमा के साथ संबंधित सीपीएसई द्वारा एक परियोजना में उसके निवल मूल्य के 15: की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा। सभी परियोजनाओं में ऐसे इक्विटी निवेश तथा विलयन एवं अधिग्रहण पर कुल मिलाकर अधिकतम सीमा संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 30% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास ई–9 स्तर तक के बोर्ड से नीचे स्तर के पदों के सृजन का अधिकार है।

(2) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग महारत्न सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

(i) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव संबंधित सीपीएसईज के निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग ऐसे प्रस्तावों पर मामला दर मामला आधार पर नीति आयोग की सहमति प्राप्त करेगा और उपयुक्त निर्णय के लिए निदेशक मण्डल में अपने प्रतिनिधि के जरिए निदेशक मण्डल के विचार–विमर्श हेतु स्टेक होल्डर्स के रूप में प्रस्तावों पर अपनी ठोस राय तैयार करेगा।

(iii) सरकारी निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाते समय बहुसंख्यक शेयर धारक होने के कारण ऐसे प्रस्तावों पर सरकार के विचार निदेशक मण्डल के समक्ष उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत किए जाएँ। निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय संयुक्त उद्यमों और सहायक निकायों की स्थापना के लिए निवेश हेतु तभी लिए जाने चाहिए जब बोर्ड की बैठक में सरकारी निदेशक उपस्थित हों।

अनुबंध–4
(पैरा 2.3.3)

नवरत्न योजना की मुख्य विशेषताएं

1. **नवरत्न दर्जा प्रदान करने हेतु पात्रता शर्तें:** लोक उद्यम जो मिनीरत्न–I, अनुसूची 'क' हैं और जिन्होंने पिछले पांच वर्षो में से तीन में' उत्कृष्ट' अथवा' बहुत अच्छा' एमओयू रेटिंग प्राप्त की हैं और जिनका 6 अभिज्ञात कार्यनिष्पादन पैरामीटरों में कार्यनिष्पादन का' संयुक्त अंक' 60 अथवा उससे अधिक है, नवरत्न दर्जा दिए जाने के लिए पात्र हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए संबंधित सीपीएसई के अंक का आकलन किया जाता। संयुक्त अंक का आकलन करने के लिए, लोक उद्यमों पर उनकी सामान्य प्रयोजनीयता के आधार के आधार पर छः (6) निष्पादन संकेतकों को अभिज्ञात किया गया है। निष्पादन संकेतकों का चयन इस प्रकार से किया गया है ताकि लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जा सके, चाहे वे विनिर्माण क्षेत्र से हों या सेवा क्षेत्र से। पहचान किए गए 6 निष्पादन संकेतक इस प्रकार हैं:–

क्र.सं.	निष्पादन संकेतक	अधिकतम भार
1.	निवल मूल्य की तुलना में निवल लाभ	25
2.	उत्पादन की कुल लागत अथवा सेवा लागत की तुलना में जनशक्ति लागत	15
3.	नियोजित पूंजी की तुलना में पीबीडी आईटी	15
4.	कुल कारोबार की तुलना में पीबी आईटी	15
5.	अर्जन प्रतिशेयर	10
6.	अंतर क्षेत्रीय कार्यनिष्पादन	20
	कुल	**100**

2. नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल को जो शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, वो निम्नानुसार हैं:

(i) **पूंजीगत व्यय:** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई मदों को खरीदने के लिए अथवा उहें बदलने के लिए पूंजीगत व्यय उपगत करने की शक्तियां हैं।

(ii) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनैतिक के गठबंधन:** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों अथवा रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने के और क्रय द्वारा अथवा अन्य व्यवस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी एवं जानकारी प्राप्त करने की शक्तियां हैं।

(iii) **संगठनात्मक पुनःसंरचना:** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास लाभ केन्द्रों, भारत और विदेश में कार्यालय खोलने, नए कार्यकलाप केन्द्र सृजित करने आदि सहित संगठनात्मक पुनर्संरचना करने की शक्तियां हैं।

(iv) **मानव संसाधन प्रबंधनः** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को ई–6 स्तर तकके पदों का सृजन करने की और गैर–निदेशक स्तर के निदेशकों तक सभी पदों को समाप्त करने की और इसी स्तर तक सभी नियुक्तियां करने की शक्तियां हैं। इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल को आंतरिक स्थानांतरण करने की और पदों को पुनः पदनामित करने के लिए और सशक्त किया गया है। नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल के पास, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती आदि) से संबंधित शक्तियों को बोर्ड की उप–समितियों को अथवा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को, जैसा भी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, आगे प्रत्यायोजित करने की शक्तियां हैं।

(v) **संसाधनों का एकत्रीकरणः** इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को घरेलू पूंजीगत बाजारों से ऋण लेने और अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने के लिए इस शर्त के अध्यधीन शक्ति दी गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक/आर्थिक संकार्य विभाग का अनुमोदन, जैसा भी आवश्यक हो, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए।

(vi) **संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियांः** (1)नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को भारत अथवा विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यम एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने की शक्तियां इस शर्त के साथ प्रत्यायोजित की गई हैं कि सीपीएसई का इक्विटी निवेश निम्नलिखित तकसीमित रहना चाहिएः–

(i) किसी भी परियोजना में रु. 1000 करोड़,

(ii) किसी एक परियोजना में सीपीएसई के निवलमूल्य का 15%,

(iii) सभी संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों में सीपीएसई के निवलमूल्य का 30%

(2) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग नवरत्न सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगाः

(i) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव संबंधित सीपीएसईज के निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग ऐसे प्रस्तावों पर मामला दर मामला आधार पर नीति आयोग की सहमति प्राप्त करेगा और उपयुक्त निर्णय के लिए निदेशक मण्डल में अपने प्रतिनिधि के जरिए निदेशक मण्डल के विचार–विमर्श हेतु स्टेक होल्डर्स के रूप में प्रस्तावों पर अपनी ठोस राय तैयार करेगा।

(3) सरकारी निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाते समय बहुसंख्यक शेयर धारक होने के कारण ऐसे प्रस्तावों पर सरकार के विचार निदेशक मण्डल के समक्ष उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत किए जाएँ। निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय संयुक्त उद्यमों और सहायक निकायों की स्थापना के लिए निवेश हेतु तभी लिए जाने चाहिए जब बोर्ड की बैठक में सरकारी निदेशक उपस्थित हों।

(vii) **विलयन और अधिग्रहणः** इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास विलयन और अधिग्रहण की शक्तियां हैं बशर्ते कि (क) यह प्रगति योजना अनुसार हो और केंद्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्य क्षेत्र में हो: (ख) शर्तें/सीमा ऐसी होगी जैसी संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम की स्थापना के मामले होती है (ग) विदेश में निवेश के मामले में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति को सूचित करते रहना होगा। इसके साथ–साथ

विलयनों और अधिग्रहणों संबंधित शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यम के लोक उद्यम स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(viii) **सहायक कंपनियों का सृजन/विनिवेश:** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को इस शर्त के अधीन परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, नई इक्विटी निकालनेऔर सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी लेने हेतु शक्तियां प्राप्त हैं कि नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों के संदर्भ में शक्तियां प्रत्यायोजित होगी और इस परंतुक के साथ कि सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित (सहायक कंपनी सहित) केंद्रीय सरकारी उद्यम का स्वरूप नहीं बदलेगा और ऐसे नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपनी सहायक कंपनी से निकलने से पहले सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

(ix) **कार्यात्मक निदेशकों के विदेशी दौरे:** केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के पास ये शक्तियां हैं कि वे प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचना देते हुए आपातकालीन स्थिति में कार्यात्मक निदेशकों हेतु 05 दिन के लिए व्यापारिक विदेशी दौरे (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि को छोड़कर) अनुमोदित कर सकते हैं।

3. प्रत्यायोजित नवरत्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शर्तें/दिशानिर्देश:

क) इन प्रस्तावों को संगत कारकों का विश्लेषण करके और प्रत्याशित परिणाम और लाभों की मात्रा का निर्धारण करके निदेशक मंडल को लिखित में और काफी समय पहले ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जोखिम वाले कारक, यदि कोई हों, तो उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

ख) सरकारी निदेशक, वित्तीय निदेशक और संबंधित कार्यकारी निदेशक को मुख्य निर्णय लिए जाने के दौरान प्रस्तुत रहना चाहिए विशेष रूप से तब जब ये निर्णय निवेश, व्यय अथवा संगठनात्मक/पूंजी पुनर्संरचना से संबंधित हो।

ग) अधिमानतः ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए।

घ) यदि किसी महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिया गया हो तो एक बहुमत निर्णय लिया जाना चाहिए, परंतु ऐसा निर्णय लेते समय कम से कम एक तिहाई निदेशक मौजूद रहने चाहिए। आपत्तियां, असहमतियां, रद्द करने के और निर्णय लेने के कारणों को लिखित में और विस्तारपूर्वक तैयार कर लिया जाना चाहिए।

ड.) सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी अथवा कोई आपातकालीन उत्तरदायित्व भी नहीं होगा।

च) ये केन्द्रीय सरकारी उद्यम गैर–सरकारी निदेशकों की सदस्यता वाले बोर्ड की लेखा समिति की स्थापना सहित आंतरिक मॉनीटरिंग की पारदर्शी और प्रभावी प्रणालियों की भी स्थापना करेंगे।

छ) सभी प्रस्ताव, जहां वे पूंजीगत व्यय निवेश अथवा अन्य मामलों से संबंधित हैं जिसमें काफी मात्रा में वित्तीय अथवा प्रबंधकीय प्रतिबद्धताएं शामिल हैं अथवा जहां उनका केन्द्रीय सरकारी उद्यम की अवसंरचना और कार्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, को व्यावसायिकों और विशेषज्ञों की सहायता से अथवा उनके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और उचित मामलों में वित्तीय संगठनों अथवा इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रसिद्ध व्यावसायिक संगठनों द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वित्तीय मूल्यांकन में ऋण अथवा इक्विटी भागीदारी के जरिए मूल्यांकन करने वाले संगठनों की सहभागिता भी होनी चाहिए।

ज) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों और रणनीतिक भागीदारी में शामिल होने के प्राधिकार का प्रयोग, समय–समय पर जारी सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

झ) प्राधिकार के और अधिक प्रत्यायोजन की प्रक्रिया से पहले प्रथम चरण के रूप में इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्ड में कम से कम चार और गैर–सरकारी निदेशकों को शामिल करके पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

ञ) इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने प्रोग्रामों को लागू करने के संसाधन, उनके अपने आंतरिक संसाधनों अथवा पूंजीगत बाजार सहित अन्य स्रोतों के जरिए लिए जाने चाहिए। तथापि, जहां कहीं भी सरकारी गारंटी, बाह्य डोनर एजेंसियों के मानक शर्तों के अंतर्गत अपेक्षित है, उसे प्रशासनिक मंत्रालय के जरिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी सरकारी गारंटी नवरत्न दर्जे को प्रभावित नहीं करेगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय हित की सरकारी प्रायोजित परियोजनाएं लागू करने के लिए और सरकारी प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को उनका नवरत्न दर्जा बनाए रखने के लिए अयोग्य नहीं बनाएगी। तथापि, ऐसी परियोजनाओं के लिए, निवेश संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएंगे न कि संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा।

अनुबंध–5
(पैरा 2.4.2)

मिनीरत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं

1. मिनी रत्न दर्जा प्रदान करने हेतु योग्यता और मानदण्ड निम्नवत हैः–

(i) **श्रेणी–i** केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा गत तीन वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया होना चाहिए, इन तीन वर्षों में से कम से कम एक वर्ष में 30 करोड़ रुपये या इससे अधिक कर पूर्व लाभ होना चाहिए और निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।

(ii) **श्रेणी–ii** केंद्रीय सरकारी उद्यमों को गत तीन वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित करें चाहिए और उसका निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।

(iii) केंद्रीय सरकारी उद्यम और अधिक शक्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने ऋणों के भुगतान/सरकार को बकाया ऋणों पर ब्याज भुगतान करने में कोई चूक नहीं की हो।

(iv) ये केंद्रीय सरकारी उद्यम सरकार से बजटीय सहायता या गारंटी पर निर्भर नहीं होंगे।

(v) संवर्धित अधिक शक्तियों का प्रयोग करने से पहले, पहली कार्रवाई के रूप में कम से कम 03 गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करके इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(vi) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय यह निर्णय लेगा कि संवर्धित शक्तियों का प्रयोग करने से पहले क्या केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम श्रेणी–I/श्रेणी–II कंपनी की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

2. वर्तमान में इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को प्रदान की गई निर्णय लेने की शक्तियां इस प्रकार से हैं:–

(i) पूंजीगत व्ययः

(क) **श्रेणी–I केंद्रीय सरकारी उद्यमों हेतुः** सरकार के अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद आदि पर 500 करोड़ तक या निवल मूल्य के बराबर, जो भी कम हो, पूंजी व्यय करने की शक्ति।

(ख) **श्रेणी–II में केंद्रीय सरकारी उद्यमों हेतुः** सरकार के अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद आदि पर 250 करोड तक यानि वल मूल्य के 50% के बराबर है, जो भी कम हो, पूंजी व्यय करने की शक्ति

(ii) संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियांः

(क) **श्रेणी–I केंद्रीय सरकारी उद्यमः** भारत में संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी स्थापित करना इस शर्त पर कि

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम का किसी परियोजना में निवेश केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के निवल मूल्य का 15% तक या 500 करोड़ रुपए तक, जो भी कम हो, होना चाहिए। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निवल मूल्य की कुल 30% तक है।

(ख) **श्रेणी–II केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमः** भारत में संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी की स्थापना इस शर्त पर कि केंद्रीय सरकारी उद्यम का किसी परियोजना में निवेश केंद्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य का 15ः तक या 250 करोड़ रुपये तक जो भी कम हो, होना चाहिए। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निवल मूल्य की कुल 30% तक है।

(2) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग मिनीरत्न सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगाः

(i) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव संबंधित सीपीएसईज के निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग ऐसे प्रस्तावों पर मामला दर मामला आधार पर नीति आयोग की सहमति प्राप्त करेगा और उपयुक्त निर्णय के लिए निदेशक मण्डल में अपने प्रतिनिधि के जरिए निदेशक मण्डल के विचार–विमर्श हेतु स्टेक होल्डर्स के रूप में प्रस्तावों पर अपनी ठोस राय तैयार करेगा।

(3) सरकारी निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाते समय बहुसंख्यक शेयर धारक होने के कारण ऐसे प्रस्तावों पर सरकार के विचार निदेशक मण्डल के समक्ष उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत किए जाएँ। निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय संयुक्त उद्यमों और सहायक निकायों की स्थापना के लिए निवेश हेतु तभी लिए जाने चाहिए जब बोर्ड की बैठक में सरकारी निदेशक उपस्थित हों।

(iii) **विलयन और अधिग्रहणः** इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास विलयन और अधिग्रहण की शक्तियांहैं बशर्ते कि (क) यह प्रगति योजना अनुसार हो और केंद्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्य क्षेत्र में होः (ख) शर्त/सीमा ऐसी होगी जैसी संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम की स्थापना के मामले होती है (ग) विदेश में निवेश के मामले में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति को सूचित करते रहना होगा। इसके साथ–साथ विलयनों और अधिग्रहणों संबंधित शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यम के लोक उद्यम स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

iv) **मानव संसाधन विकास (एचआरडी) हेतु स्कीमः** कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण या अनिवार्य सेवानिवृत्ति स्कीमों आदि से संबंधित स्कीमें तैयार और क्रियान्वित करना। इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास यह शक्तियां है कि वे निदेशक मण्डल से निचले स्तर के कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती आदि) संबंधी शक्तियां केंद्रीय सरकारी उद्यम के निदेशक के निर्णय अनुसार निदेशक मण्डल की उप–समिति या केंद्रीय सरकारी उद्यम के कार्यपालकों को प्रदत्त कर सकते हैं।

v) **कार्यात्मक निदेशकों के विदेशी दौरेः** इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के पास ये शक्तियां हैं कि वे प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचना देते हुए आपातकालीन स्थिति में कार्यात्मक निदेशकों हेतु 05 दिन के लिए व्यापारिक विदेशी दौरे (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि को छोड़कर) अनुमोदित कर सकते हैं।

(vi) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधनः** प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम, रणनीतिक गठबंधन करने और क्रय या अन्य व्यवस्थाओं के जरिए प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति समय–समय पर जारी सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार होगा।

(vii) **सहायक कंपनियों का सृजन/विनिवेशः** परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, नई इक्विटीज फ्लोट करने और सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी लेने हेतु यह शर्त है कि मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों के संदर्भ में शक्तियां होगी और इसके अतिरिक्त यह प्रावधान है कि सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित (सहायक कंपनी सहित) केंद्रीय सरकारी उद्यम का स्वरूप नहीं बदलेगा और ऐसे मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपनी सहायक कंपनी से निकलने से पहले सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त शक्तियों को उसी शर्तों पर प्रदत्त किया जाएगा जो नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों पर लागू होगी।

अनुबंध–6
(पैरा 2.4.3)

मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची

मिनीरत्न श्रेणी–I सीपीएसई

1. एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया
2. अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
4. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
5. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
6. बीईएमएल लिमिटेड
7. भारत संचार निगम लिमिटेड
8. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
9. केन्द्रीय भण्डारण निगम
10. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
11. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
13. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14. एड्सिल (इंडिया) लि.
15. कामराजार पोर्ट लिमिटेड
16. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
17. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
18. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
19. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
20. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
21. हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड
22. आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
23. एचएससीसी (इंडिया) लि.

24. भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
25. इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड
26. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड
27. इंडियन रेनिवेल इंजीनरी डैवलपमेंट एजेंसी लि.
28. इंडियन ट्रेड प्रमोशनऑर्गेनाइजेशन
29. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
30. केआईओसीएल लिमिटेड
31. मझगांव डॉक लिमिटेड इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
32. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
33. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड
34. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
35. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
36. एमएमटीसी लिमिटेड
37. एमएसटीसी लिमिटेड
38. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
39. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
40. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
41. एनएचपीसी लिमिटेड
42. नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
43. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
44. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
45. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
46. पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड
47. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
48. रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
49. रेल विकास निगम लिमिटेड
50. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
51. राइट्स लिमिटेड

52. एसजेवीएन लिमिटेड
53. सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
54. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
55. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
56. दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
57. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
58. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
59. वापकोस लिमिटेड

मिनीरत्न श्रेणी–II सीपीएसई

60. आर्टीफिशियल लिम्ब्स मैन्यू. कार्पो. ऑफ इंडिया
61. भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड
62. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (आई) लिमिटेड
63. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
64. केन्द्रीय रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड
65. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
66. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
67. फेरो निगम लिमिटेड स्क्रैप
68. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
69. इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
70. मेकॉन लिमिटेड
71. मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
72. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
73. पी ई सी लिमिटेड
74. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

अनुबंध–7
(पैरा 3.1.4)

केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों की मुख्य–मुख्य बातें निम्नवत हैं

निदेशक मण्डल का गठन

1. निदेशक मण्डल के गठन के मामले में इन दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मण्डल की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए; तथा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम 2 तक सीमित होगी। कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में गैर–सरकारी निदेशकों की कुल संख्या निदेशक मंडल की कुल सदस्य संख्या के कम–से–कम 50% होगी। गैर कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में कम से कम एक तिहाई निदेशक गैर–सरकारी निदेशक होंगे। सरकार ने गैर–सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति पर विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यताओं, आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित पूर्व निर्धारित मानदण्डों का भी निर्धारण किया है। इन मार्ग निदेशों में सम्बन्धित खण्डों का समावेश किया गया है ताकि गैर–सरकारी निदेशकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके तथा हितों के सम्भावित संघर्ष से बचा जा सके। यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान द्वारा नामित निदेशकों को गैर–सरकारी निदेशक नहीं माना जाएगा।

2. यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि निदेशक मण्डल की बैठकें प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार तथा साल में 4 बार आयोजित की जाएँ तथा सभी सम्बन्धित जानकारी निदेशक मण्डल को प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त निदेशक मण्डल को सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धकों के लिए आचार संहिता बनानी चाहिए। इस सम्बध में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सहायता देने के लिए दिशानिर्देशों में एक मॉडल संहिता शामिल की गई है। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया गया है कि निदेशक मण्डल को एकीकरण तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणाली का सुरेखण सुनिश्चित करना चाहिए और कम्पनी को निदेशक मण्डल के नए सदस्यों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

लेखापरीक्षा समिति

3. लेखापरीक्षा समिति से सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के द्वारा एक अर्हताप्राप्त तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति स्थापित की जाए और उसमें कम–से–कम 3 निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त इस समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए जिसका अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। लेखापरीक्षा समिति को कम्पनी के वित्तीय मामलों में काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं और साल में इसकी कम–से–कम 4 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

सहायक कम्पनियाँ

4. सहायक कम्पनियों के मामले में यह प्रावधान किया गया है कि धारक कम्पनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहायक कम्पनी के निदेशक मण्डल में निदेशक हों और धारक कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति सहायक कम्पनियों से

सम्बन्धित सभी वित्तीय विवरणों की समीक्षा करेगी। सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण लेन–देन एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी धारक कम्पनी के निदेशक मण्डल को देना अपेक्षित है।

प्रकटन

5. प्रकटन सम्बन्धी प्रावधानों के अन्तर्गत सभी लेन–देन को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय विहित लेखांकन मानकों का अनुपालन किया जाए और यदि कोई अन्तर हो तो उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। साथ ही, निदेशक मण्डल को जोखिम निर्धारण तथा न्यूनतमीकरण प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया जाए तथा वरिष्ठ प्रबन्धन ऐसे सभी वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेन का प्रकटन निदेशक मण्डल के समक्ष करे जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो अथवा जहां संघर्ष की कोई सम्भावना हो।

अनुपालन

6. दिशानिर्देशों में यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन सम्बन्धी एक पृथक भाग हो जिसमें अनुपालन से संबंधित ब्यौरा हो। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षकों/कम्पनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष महोदय के भाषण में नैगम अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अनुपालन का भी उल्लेख किया जाएगा और इसे कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग बनाया जाएगा। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अपने प्रशासनिक मंत्रालयों को त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है और सम्बन्धित मंत्रालय लोक उद्यम विभाग को समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

अनुबंध–8
(पैरा 4.4)

वर्ष 2017–18 और उसके बाद समझौता ज्ञापन के लिए दिशानिर्देश

1. **समझौता ज्ञापन (एमओयू):** समझौता ज्ञापन, प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग/नियंत्रक सीपीएसई यानी बहुमत शेयरधारक और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) के प्रबंधन के बीच चयनित मानदण्डों पर बातचीत से तय सहमति या अनुबंध होता है जिसमें लक्ष्यों का निर्णय आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष के आरंभ में ले लिया जाता है और कार्य–निष्पादन के मापन हेतु वर्ष के अंत में परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। यह करने के लिए, सीपीएसई **परिशिष्ट– i** पर दिए गए प्रपत्र में संक्षेप और **परिशिष्ट– iii** में रूझानों का विश्लेषण प्रदान करेगा।

2. **समझौता ज्ञापन का प्रयोजन:** इस समझौता ज्ञापन का प्रयोजन, इसमें सहमत लक्ष्यों के लिए चुने गए मापदंडों पर सीपीएसई के प्रबंधन के कार्य–निष्पादन का मापन करना है ताकि संगठन के कार्य– निष्पादन के महत्वपूर्ण संकेतकों में सुधार किया जा सके।

3. **स्कोप:** सभी सीपीएसई (नियंत्रक और सहायक उपक्रमों) के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक हैं। शीर्ष/ नियंत्रक कंपनियां, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती हैं जबकि सहायक कंपनियां अपनी संबंधित शीर्ष/नियंत्रक कंपनियों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी।

4. **समझौता ज्ञापन से छूट:** निम्नलिखित सीपीएसई को अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा समझौता ज्ञापन प्रणाली से छूट दी जा सकती है:

   i. परिसमापन के तहत सीपीएसई, जहां परिसमापक पहले से ही नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि, प्रशासनिक मंत्रालय को डीपीई को संक्षेप आलेख सहित इन सीपीएसई की सूची उपलब्ध कराएगा।

   il. जो सीपीएसई चालू नहीं है अथवा जिसमें कोई कर्मचारी नहीं है अथवा प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिश पर किसी अन्य आधार पर।

5. **मानदण्ड:** सीपीएसई अलग–अलग परिस्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। इसे देखते हुए, निम्नलिखित दिशा–निर्देश बनाए गए हैं :–

5.1 वहाँ इस तरह के आपरेशनों, परिचालन से राजस्व, परिचालन से लाभ और निवेश पर प्रतिफल (उदाहरणार्थ पीएटी/ निवल मूल्य का अनुपात) जैसे वित्तीय प्रदर्शन को मापने के लिए एक समान मानदण्ड होंगे। यह उन सीपीएसई को छोड़कर, सभी सीपीएसई पर लागू होगा जो सरकारी अनुदान पर आश्रित हो या अनुदान के वितरण आदि जैसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) का कार्य करते हैं। इसलिए, बीआईआरएसी जैसे सीपीएसई को छोड़कर कुल 50 प्रतिशत भारण वाले सभी सीपीएसई के लिए 3 वित्तीय मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। अनिवार्य मानक **परिशिष्ट– ii (भाग –क)** पर दिए गए हैं।

5.2 शेष 50 प्रतिशत भारण के लिए, चयन हेतु मानदण्डों की सूची सुझाई गई है जो उस क्षेत्र के चयन पर निर्भर करती है जिसमें सीपीएसई काम कर रहा है। वित्तीय क्षेत्रों के लिए **परिशिष्ट– ii (भाग –ख)** पर अलग प्रपत्र दिया गया

है और शेष परिचालित सीपीएसई के लिए प्रपत्र **परिशिष्ट– ii (भाग –ग)** पर पर दिया गया है। कार्य–निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और प्रासंगिक मानकों का सुझाव, पूर्व निगोसिएशन कमेटी (पीएनसी) द्वारा अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) को दिया जाता है। सभी मामलों में आईएमसी, पीएनसी द्वारा दिए गए सुझावों पर उचित निर्णय लेगी चाहिए।

5.3 बंद/निर्माणाधीन/पुनःनिर्मित किए जा रहे सीपीएसई के लिए मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं, आईएमसी द्वारा निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानदण्ड और लक्ष्यों का सुझाव देने का काम पीएनसी पर छोड़ दिया गया है। ऐसे सीपीएसई के लिए, मानदण्डों का सुझाव देने और यथाशीघ्र वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने के लिए लक्ष्य तय करने पर जोर दिया जाना चाहिए। बंद किए जा रहे सीपीएसई के लिए, लक्ष्य इसे समयबद्ध तरीके से बंद करना सुनिश्चित होना चाहिए। इन सीपीएसई के लिए प्रपत्र **परिशिष्ट– IV** पर है।

5.4 सुझाए गए मानदण्डों के संबंध में परिभाषा और स्पष्टीकारण, **परिशिष्ट– V** पर दिए गए हैं।

6. समझौता ज्ञापन की रैंकिंगः

i. एक 'खराब प्रदर्शन' को उत्कृष्ट प्रदर्शन'से अलग करने की दृष्टि से, समझौता ज्ञापन में पांच विभिन्न प्रदर्शन रेटिंग यथाः उत्कृष्ट', बहुत अच्छा'', 'अच्छा', 'औसत' और 'खराब' निर्धारित की गई हैं।

ii. सीपीएसई की रेटिंग, सभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सीपीएसई के कार्यनिष्पादन के अलावा सीपीएसई की श्रेणी–वार रेटिंग (महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न, अन्य) और सीपीएसई की क्षेत्र–वार रैंकिंग (खनन, बिजली, पेट्रोलियम, वित्त, परामर्श आदि) केवल यह स्वीकार करने के प्रयोजनों के लिए ही की जाएगी कि वे अपनी–अपनी श्रेणी/क्षेत्र में कहां खडे हैं।

7. एमओयू का लक्ष्यः

i. तय लक्ष्य यथार्थवादी, विकास उन्मुख और प्रेरक होने चाहिएं। आमतौर पर उत्कृष्ट के लिए लक्ष्य विगत 5 वर्षों में हासिल सर्वश्रेष्ठ से कमतर नहीं होना चाहिए और यह चालू वर्ष (उस वर्ष से तत्काल पिछला वर्ष जिसके लिए लक्ष्य तय किए गए हैं) की अपेक्षित उपलब्धि से कमतर नहीं होना चाहिए जब तक कमतर लक्ष्य तय करने के विशेष कारण न हों और ये प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग द्वारा विधिवत समर्थित न हों।

ii. एक बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने पर, लक्ष्य में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं होगी। समझौता ज्ञापन के लक्ष्य बिना शर्त और गैर– अनंतिम होते हैं।

8. **प्री–निगोशिएशन समिति (पीएनसी)** : प्री–निगोशिएशन समिति (जिसे पहले समझौता ज्ञापन संबंधी स्थायी समिति के रूप में जाना जाता था) की भूमिका कार्य–निष्पादन में सुधार और लक्ष्यों के मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और प्रासंगिक मानकों का निर्धारण करने में आईएमसी की मदद करने की होगी। प्रवृत्तियों पर चर्चा करने, बातचीत करने, और समझौता ज्ञापन के मानदण्डों एवं लक्ष्यों की सिफारिश करने के लिए आईएमसी की बैठक से पूर्व प्रत्येक मामले में प्री–निगोशिएशन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। प्री–निगोशिएशन समिति की संरचना, अभी तक स्थायी समिति के समान ही होगी।

9. **अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी)** : एमओयू के लक्ष्यों का निर्णय आईएमसी द्वारा लिया जाएगा। समिति की संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। समिति की संरचना में कोई भी परिवर्तन कैबिनेट सचिव के अनुमोदन से किया जाएगा।

10. **समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने की समय सीमाः** सभी दस्तावेजों/अनुलग्नकों के साथ मसौदा समझौता ज्ञापन, सभी सीपीएसई और उनकी सहायक कंपनियों के संबध में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को आगामी वर्ष के लिए **प्रत्येक वर्ष की 21 नवंबर तक** प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अनुमोदन के उपरांत मसौदा समझौता ज्ञापन, सभी दस्तावेजों/अनुलग्नकों के साथ आगामी वर्ष के लिए **प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर तक** भेज दिया जाना चाहिए। मसौदा समझौता ज्ञापन की प्रति डीपीई के अलावा आईएमसी सदस्यों को भी भेजी जाए। यदि दिशा–निर्देश जारी करने में विलंब हो, तो सचिव, डीपीई इन तारीखों को आगे बढ़ा सकता है।

11. **मसौदा समझौता ज्ञापन के साथ अनुलग्नकः** सीपीएसई को समझौता ज्ञापन विहित अनुलग्नकों और नीचे उल्लेखित दस्तावेजों के साथ प्रासंगिक प्रपत्र में भेजना चाहिए।

i. समझौता ज्ञापन के अनुसार, परिचालित सीपीएसई के लिए विधिवत भरे गए एप I, एन II, (भाग–क और भाग–ख या भाग–ग) और एप III (भाग–क और भाग–ख), और बंद हो रही/निर्माणाधीन/पुनः निर्माणाधीन सीपीएसई के लिए अनुलग्नक (I और IV) साथ संलग्न किए जाएं।

ii. नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की प्रति

iii. नवीनतम तिमाही/अर्द्धवार्षिक परिणाम

iv. नवीनतम वार्षिक योजना एवं वार्षिक बजट की प्रति

v. कॉरपोरेट योजना की प्रति

vi. पिछले वर्ष की आईएमसी बैठक का कार्यवृत्त

12. **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रियाः** आईएमसी द्वारा संस्तुत मानदण्डों, लक्ष्यों और भारण के आधार पर समझौता ज्ञापन, नियंत्रक/स्वतंत्र सीपीएसई के मामले में सीपीएसई के सीएमडी और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव के बीच और सहायक कंपनी के मामले में सहायक कंपनी के सीईओ/एमडी और नियंत्रक कंपनी के सीएमडी/एमडी के बीच 31 मार्च (अर्थात उस वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पूर्व जिसके लिए लक्ष्य तय किए गए हैं) या आईएमसी की बैठक के कार्यवृत्त जारी किए जाने से 21 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो, तक बिना किसी विपथन हस्ताक्षरित कर दिए जाएं। यदि किसी विचलन का पता चलता है, तो आईएमसी का कार्यवृत्त माना जाएगा और सीपीएसई के कार्यनिष्पादन को अगले कमतर रेटिंग पर कम कर दिया जाएगा।

13. **समझौता ज्ञापन का मूल्यांकनः** सीपीएसई के समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन वास्तविक पर उपलब्धियों और समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के आधार पर वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है। सीपीएसई (नियंत्रक और सहायक कंपनी) को सीपीएसई के बोर्ड के अनुमोदन के बाद और प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम विभाग के लिए अंकेक्षित खातों के आधार पर **30 सितंबर (ठीक पिछले वर्ष के संबंध में) अथवा डीपीई द्वारा सूचित किसी अन्य तारीख को या उससे पहले** कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। समझौते ज्ञापन की उपलब्धि मे आंकडे और सूचना, जो लेखा परीक्षित खातों/वार्षिक रिपोर्ट से सत्यापित नहीं किए जा सकते, प्रत्येक मानदण्ड के लिए अलग से दिए गए बोर्ड के संकल्प के जरिए प्रमाणन आधार पर आश्रित होगा।

यदि मूल्यांकन के समय में, यह देखा जाता है कि संभवत किसी सीपीएसई ने हल्के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए संबंधित वर्ष के लिए अपना अनुमानित प्रदर्शन कमतर बताया है, डीपीई/ आईएमसी, ऐसे सीपीएसई के सीएमडी

को बुला सकता है ताकि आईएमसी द्वारा मूल्यांकन किए जाने को स्पष्ट किया जा सके और सीएमडी द्वारा दिए गए औचित्य के आधार पर अंक और रेटिंग दिए जा सकें।

14. **समझौते ज्ञापन का स्कोर और रेटिंगः** समझौते ज्ञापन का स्कोर कार्य–निष्पादन और लक्ष्यों के संबंध में सभी मानदण्डों का समग्र है।

14.1 समझौता ज्ञापन के समग्र स्कोर के आधार पर सीपीएसई की रेटिंग की प्रणाली इस प्रकार हैः

संचयी अंक		रेटिंग
से अधिक	के बराबर या उससे कम	
90	100	उत्कृष्ट
80	90	बहुत अच्छा
70	80	अच्छा
50	70	औसत
0	50	खराब

14.2 पैरा 14.1 के अनुसार, स्कोर और रेटिंग नीचे उल्लेखित अतिरिक्त पात्रता मानदंडों को पूरा के अध्यधीन होंगेः

क. **अतिरिक्त पात्रता मानदंड (1)** : सीपीएसई को निम्न शर्तों का अनिवार्य रूप से, पालन करना होगा जिसमें विफल रहने पर, इसके समझौता ज्ञापन की रेटिंग को अगली निचली रेटिंग पर कमतर कर दिया जाएगा सिवाय यदि सीपीएसई की रेटिंग 'खराब' हो अर्थात 'उत्कृष्ट रेटिंग' वाले सीपीएसई को 'बहुत अच्छा' माना जाएगा और कुल स्कोर 90.00 पढ़ा जाएगा और 'बहुत अच्छी रेटिंग' वाले सीपीएसई को 'अच्छा' माना जाएगा और कुल स्कोर 80.00 पढ़ा जाएगा आदि इत्यादि।

i. कंपनी अधिनियम, 2013 या प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन जिसके तहत इन्हें विनियमित किया गया है (उस हद तक जो सीपीएसई के दायरे में हैं)।

ii. सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में, समझौते के सूचीबद्ध प्रावधानों का (उस हद तक जो सीपीएसई के दायरे में हैं)।

iii. डीपीई के वित्तीय निहितार्थ वाले दिशा–निर्देशों का अनुपालन ।

iv. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक लेखाओं में निधियों में किसी भी राशि का गलत विनियोजन नहीं बताया गया अथवा लाभ/हानि (अधिशेष/ घाटा)/आस्तियों/देनदारियों को प्रचालन से राजस्व के 5 प्रतिशत से अधिक/कम नहीं बताया है।

v. समय की बढ़ोत्तरी की मांग किए बिना एजीएम का नियंत्रण।

vi. प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के माध्यम से द्वारा डीपीई को समझौते ज्ञापन का मसौदा/समझौता ज्ञापन मूल्यांकन तारीख निर्धारित तक प्रस्तुत करना।

vii. आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त से विचलन के बिना समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।

ख. **अतिरिक्त पात्रता मानदंड (2):** सीपीएसई का निम्नलिखित का भी अनिवार्य रूप से पालन करना होगा, जिसमें विफल रहने पर इसके समग्र समझौता ज्ञापन अंक प्रत्येक शर्त का अनुपालन न करने के लिए प्रत्येक एक अंक कम कर दिया जाएगा और तदनुसार रेटिंग में परिवर्तन कर दिया जाएगा।

i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का अनुपालन।

ii. स्वच्छ भारत गतिविधियों के लिए सीपीएसई द्वारा सीएसआर फंड के आवंटन के संबंध में डीपीई दिशा निर्देशों का अनुपालन।

iii. डिजिटल इंडिया पर डीपीई के दिशा निर्देशों का अनुपालन।

iv. इस संबंध में समय–समय पर जारी और विशेष तौर पर निर्धारित किसी नीति (उपर्युक्त ii और iii में उल्लिखित से इतर), से संबंध में डीपीई दिशा निर्देशों का अनुपालन।

ग. निदेशक मंडल द्वारा संकल्प के माध्यम से पुष्ट/ प्रमाणित किए जाने के लिए अतिरिक्त पात्रता मानदंड में से प्रत्येक का अनुपालन।

15. **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न करने वाले या एमओयू मूल्यांकन प्रस्तुत न करने वाले सीपीएसईज:** निर्धारित तारीख को निर्धारित समय के भीतर अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के जरिए समझौता ज्ञापन/ समझौता ज्ञापन मूल्यांकन प्रस्तुत न करने वाले सीपीएसईज को 'खराब' श्रेणी दी जाएगी। निर्धारित समय के संबंध में सचिव, लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। निर्धारित तारीखें दिशा निर्देशों के पैरा 10 और 13 में दी गई हैं।

16. **स्कोर और रेटिंग का अनुमोदन:** डीपीई द्वारा, प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के माध्यम से समझौता ज्ञापन आधार पर कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा। सीपीएसई के समझौता ज्ञापन के स्कोर और रेटिंग के परिणाम, आईएमसी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। आईएमसी मूल्यांकन की जांच कर सकती है और जहाँ भी उसे आवश्यक महसूस हो, स्कोर और रेटिंग को संशोधित कर सकती है। सीपीएसई का स्कोर और इसकी रेटिंग, अनुमोदन के लिए एचपीसी के अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे। स्कोर और रेटिंग, एचपीसी के अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद अंतिम होंगे।

परिशिष्ट–I

सीपीएसई के बारे में संक्षिप्त विवरण

1.	सीपीएसई का नाम			
2.	दर्जा (कृपया सही का चिह्न लगाएं): डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार		रूग्ण / शुरूआती रूग्ण / कमजोर / कोई नहीं	
3.	रूग्णता के कारण, यदि लागू हों			
4.	क्या बीआईएफआर के पास पंजीकृत है, यदि हां तो उसका विवरण			
5.	सीपीएसई की अनुसूची (कृपया सही का चिह्न लगाएं)		क / ख / ग / घ / कोई नहीं	
6.	वह प्रयोजन जिसके लिए सीपीएसई की स्थापना की गई है और अब उसका मुख्य व्यापार			
7.	सहायक कंपनियों की संख्या एवं नाम पिछले पांच वर्षों के दौरान उनमें निवेश की गई राशि तथा उनके लाभ में हिस्से के विवरण सहित		यदि एक से अधिक सहायक कंपनी हो तो अलग से पृष्ठ संलग्न किया जाए। प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में अलग से तथा संचयी (समेकित) रूप से जानकारी दी जाए।	
	वर्ष*	**सहायक कंपनी का नाम**	**निवेश की गई राशि (रू.)**	**उसके लाभ में हिस्सा (रू.)**
	2011-12			
	2012-13			
	2013-14			
	2014-15			
	2015-16			
8.	संयुक्त उद्यमों की संख्या एवं नाम पिछले पांच वर्षों के दौरान उनमें निवेश की गई राशि तथा उनके लाभ में हिस्से के विवरण सहित		यदि एक से अधिक संयुक्त उद्यम हो तो अलग से पृष्ठ संलग्न किया जाए। प्रत्येक संयुक्त उद्यम के संबंध में अलग से तथा संचयी (समेकित) रूप से जानकारी दी जाए।	
	वर्ष*	**संयुक्त उद्यम का नाम**	**निवेश की गई राशि (रू.)**	**उसके लाभ में हिस्सा (रू.)**
	2011-12			
	2012-13			
	2013-14			
	2014-15			
	2015-16			
9.	पूर्व में अनुमोदित पुनरूद्धार योजना का विवरण			

*नोटः समझौता ज्ञापन के बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए एमओयू 2017–18 के पश्चात एक और वर्ष जोड़ा जाए और प्रथम वर्ष को हटा दिया जाए ताकि उपलब्ध कुल आंकड़े पिछले पांच वर्षों के लिए हों।

परिशिष्ट–II

अनिवार्य मापदंड

भाग क

(सरकारी अनुदान का संवितरण करने वाले सीपीएसईज़ को छोड़कर सभी सीपीएसईज़ पर अनुप्रयोज्य)

क्र. सं.	वित्तीय निष्पादन मापदंड	इकाई	अंक	वर्तमान वर्ष (अनुमान)	5 वर्षों का सर्वोत्तम	वर्ष .... के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य					% सुधार*
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	औसत 40%	खराब 20%	
1	**कारोबार** प्रचालनों से राजस्व	करोड़ रू.	10								
2	**प्रचालनात्मक लाभ/घाटा**										
	प्रचालनात्मक लाभ वाले सीपीएसईज़ (अन्य आय, असाधारण एवं अपवाद मदों को छोड़कर कर पूर्व लाभ/सरप्लस):– प्रचालनों से राजस्व के रूप में प्रचालनात्मक लाभ/सरप्लस (निवल)	%	20								
	प्रचालनात्मक घाटे वाले सीपीएसईज़ (अन्य आय, असाधारण एवं अपवाद मदों को छोड़कर घाटा/कमी):– पिछले वर्ष की तुलना में प्रचालनात्मक घाटे/कमी में गिरावट	%									
3	**निवेश पर आय:**										
	लाभ कमाने वाले सीपीएसईज़ जिनका कोई संचयी घाटा नहीं है: पीएटी या सरप्लस/औसत निवल मूल्य	%	20								
	घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ या संचयी घाटे वाले सीपीएसईज़: पिछले वर्ष की तुलना में कुल आय के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय में कमी	%									
	कुल (क)		50								

*वर्तमान वर्ष के प्रत्याशित वास्तविक आंकडों की तुलना में समझौता ज्ञापन वर्ष हेतु बहुत अच्छा के लक्ष्य के लिए सुधार किए जाएंगे।

अन्य मापदंड
(भाग–ख)
वित्त के क्षेत्र वाले सीपीएसईज़ को छोड़कर सभी प्रचालनात्मक सीपीएसईज़ पर अनुप्रयोज्य

क्र. सं.	निष्पादन मापदंड	इकाई	अंक	वर्तमान वर्ष (अनुमान)	5 वर्षों का सर्वोत्तम	वर्ष ..... के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य					% सुधार*
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	औसत 40%	खराब 20%	
1	क्षमता उपयोग/उत्पादन/जेनरेशन/पारेषण आदि		0–10								
2	वर्ष के दौरान प्राप्त नए ऑर्डर	करोड़ रू.	0–10								
3	प्रचालनों से राजस्व के प्रतिशत के रूप में निर्यात	%	0–10								
4	नए उत्पादों या नई विशेषताओं वाले उत्पाद का विकास या उनसे राजस्व		0–10								
5	कोई भी उत्पादन दक्षता मापदंड		0–10								
6	समयावधि को पार किए बिना ग्राहकों के ऑर्डरों/करारों को पूरा करने की उपलब्धि	%	0–10								
7	अनु. एवं विकास, अभिनवता, प्रौद्योगिकी उन्नयन मापदंड		0–10								
8	बाजार हिस्से में वृद्धि	%	0–10								
9	कैपेक्स (करोड़ रू. में)		0–10								
10	वर्ष के दौरान जारी/पूरी की गई कैपेक्स संविदाओं के कुल मूल्य की तुलना में समयावधि/लागत से आगे बढ़े बिना, वर्ष के दौरान जारी/पूरी की गई कैपेक्स सं. विदाओं/परियोजनाओं के मूल्य का प्रतिशत	%	0–10								
11	प्रचालनों से राजस्व (निवल) की तुलना में संसाधित वस्तुओं एवं जारी कार्य की वस्तुसूची	%	0–10								
12	प्रचालनों से राजस्व (निवल) की तुलना में एक वर्ष से पुरानी वस्तुसूची में कमी	%	0–10								
13	प्रचालनों से राजस्व (सकल) के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्तियां (निवल)	दिवस	0–10								
14	कंपनी के विरूद्ध ऐसे दावों में कमी जिन्हें ऋण न माना गया हो	%	0–10								
15	संयुक्त उद्यम में निवेष पर आय (लाभ/घाटे में हिस्सा)	%	0–10								
16	अलग से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न करने वाली सहायक कंपनियों के संबंध में उपलब्धियां		0–10								
17	पुनरूद्धार की उपलब्धि से संबंधित मापदंड		0–10								
18	मानव संसाधन से संबंधित मापदंड		10 तक								
19	कोई अन्य क्षेत्र–विशिष्ट परिणामोन्मुख मापन–योग्य मापदंड		0–10								
	कुल (ख)		50								

'वर्तमान वर्ष के प्रत्याशित वास्तविक आंकडों की तुलना में समझौता ज्ञापन वर्ष हेतु बहुत अच्छा के लक्ष्य के लिए सुधार किए जाएंगे।

अन्य मापदंड

परिशिष्ट–II (भाग–ग)

वित्त क्षेत्र में प्रचालनरत सभी सीपीएसईज़ पर अनुप्रयोज्य

क्र. सं.	वित्तीय निष्पादन माप. दंड	इकाई	अंक	वर्तमान वर्ष (अनुमान)	5 वर्षों का सर्वोत्तम	वर्ष ..... के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य					% सुधार*
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	औसत 40%	खराब 20%	
1	संवितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि	%	10–20								
2	कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में सूक्ष्म वित्त पोषण लाभार्थियों को संवितरित ऋण	%	0–10								
3	बकाया ऋण/कुल ऋण (निवल)	%	10								
4	एनपीए/कुल ऋण (निवल)	%	10								
5	सदृश अंकों वाले सीपीएसईज़/निकायों की तुलना में बंधपत्रों के जरिए निधि की उगाही की लागत		0–10								
6	आकस्मिक देयताएं: कंपनी के विरूद्ध ऐसे दावों में कमी जिन्हें ऋण न माना गया हो	%	0–5								
7	संयुक्त उद्यम में निवेश पर आय (लाभ/घाटे में हिस्सा) – संयुक्त उद्यम वाले सीपीएसईज़	%	0–5								
8	अलग से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न करने वाली सहायक कंपनियों के संबंध में उपलब्धियां		0–5								
9	मानव संसाधन से संबंधित मापदंड		10 तक								
10	कोई अन्य क्षेत्र–विशिष्ट परिणामोन्मुख मापन–योग्य मापदंड		0–10								
11	कुल		50								

*'वर्तमान वर्ष के प्रत्याशित वास्तविक आंकडों की तुलना में समझौता ज्ञापन वर्ष हेतु बहुत अच्छा के लक्ष्य के लिए सुधार किए।

भाग – क
रुझान विश्लेषण

क्र. सं.	वित्तीय निष्पादन मापदण्ड	यूनिट	लक्ष्य बनाम वास्तविक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	वर्तमान वर्ष	
									वास्तविक तक	अनुमानित
1	प्रचालनों से राजस्व सकल	रुपए करोड़								
	प्रचालनों में राजस्व : निवल		वास्तविक							
			एमओयू							
2	(क) कर पूर्वलाभ	रुपए करोड़								
	(ख) अन्य आय									
	(ग) विशेष एवं अपवाद मदें									
	(घ) पूर्व अवधि मदें									
	(ड.) प्रचालन लाभ/घाटा (क–ख+/–ग+/–घ)		वास्तविक							
			एमओयू							
3	(क) पी ए टी	रुपए करोड़								
	(ख) वर्ष के अंत में निवल मूल्य									
	(ग) औसत निवल मूल्य									
	(घ) पी ए टी/ निवल मूल्य	%	वास्तविक							
			एमओयू							
	(ड.) प्रदत्त शेयर पूंजी									
	(च) भारत सरकार का शेयर									
	(छ) रिज़र्व एवं सरप्लस									
4	कुल व्यय	रुपए करोड़								
5	कुल आय									
6	कुल व्यय/कुल आय	%								
7	अन्य आय के ब्यौरे									
	(क) ब्याज	रुपए करोड़								
	(ख) लाभांश									
	(ग) अन्य आय									
	(घ) कुल									
8	(क) नकद एवं बैंक शेष एवं तुल्य									
	(ख) म्युच्युल फंड में निवेश									
	(ग) सहायक कम्पनी/संयुक्त उद्यम के अलावा शेयर में निवेश									
	(घ) कुल (क+ख+ग)									
	(ड.) नकद क्रेडिट/ओवर ड्राफ्ट ऋण/अल्पावधि ऋण									
	(च) चालू खाता शेष									
9	प्रदत्त/वर्ष के लिए घोषित लाभांश, लाभांश कर को छोडकर									

टिप्पणी : पिछले पाँच वर्षों (लेखापरीक्षित) के लिए वास्तविक आंकड़े और वर्तमान वर्ष के लिए अनुमानित आंकड़ों के रूझान दिए जाएंगे अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में वह वर्ष जिसके संबंध में लक्ष्यों के संबंध में बातचीत की गई है।

(भाग–ख) – रुझान विशलेषण

क्र. सं.	वित्तीय निष्पादन मापदण्ड	यूनिट	लक्ष्य बनाम वास्तविक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	वर्तमान वर्ष	
									वास्तविक तक	अनुमाति
1	प्रत्येक उत्पाद के संबंध में प्रतिष्ठापन क्षमता									
2	प्रत्येक उत्पाद के संबंध में क्षमता उपयोग		वास्तविक							
			एमओयू							
3	बिक्री में प्रत्येक उत्पाद का योगदान	%								
4	वर्ष के दौरान प्राप्त नए आर्डर	रुपए करोड़	वास्तविक							
			एमओयू							
5	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में निर्यात	%	वास्तविक							
			एमओयू							
6	नई विशेषताओं वाले नए उत्पाद अथवा उत्पादों से विक. ास अथवा उनसे प्राप्त राजस्व्		वास्तविक							
			एमओयू							
7	उत्पादन कौशल मापदण्ड		वास्तविक							
			एमओयू							
8	समयावधि के अन्दर ही ग्राह. कों के आर्डर/करारों को पूरा करने संबंधी उपलब्धि	%	वास्तविक							
			एमओयू							
9	अनुसंधान एवं विकास, नवपरिवर्तन, प्रौद्योगिकी उन्नयन मापदण्ड		वास्तविक							
			एमओयू							
10	बाज़ार शेयर	%	वास्तविक							
			एमओयू							
11	कैपेक्स		वास्तविक							
			एमओयू							
12	केपेक्स के कुल मूल्य के अनुपात में निर्दिष्ट समय एवं लागत को पार किए बिना चल रही/पूर्ण हो गई केपेक्स संविदाएं/ परियोजनाएं	%	वास्तविक							
			एमओयू							
13	तैयार माल की सूची और कार्य प्रगति पर	रुपए करोड़								
14	तैयार माल की सूची और आर ओ (निवल) की तुलना में चल रहा कार्य	%	वास्तविक							
			एमओयू							

क्र. सं.	वित्तीय निष्पादन मापदण्ड	यूनिट	लक्ष्य बनाम वास्तविक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	वर्तमान वर्ष	
									वास्तविक तक	अनुमाति
15	एक वर्ष से अधिक तैयार माल की सूची	रुपए करोड़	वास्तविक							
16	आरओ के प्रतिशत के रूप में एक वर्ष से अधिक तैयार माल की सूची	%	वास्तविक							
			एमओयू							
17	व्यापार प्राप्तियां (कुल)	रुपए करोड़	वास्तविक							
			एमओयू							
18	आरओ (सकल) के कुल दिनों के रूप में व्यापार प्राप्तियां	दिन	वास्तविक							
			एमओयू							
19	कंपनी के विरूद्ध दावे और जिन्हें निम्न द्वारा स्वीकार या उठाया नहीं गया :									
	केन्द्रीय सरकारी विभाग	रुपए करोड़								
	राज्य सरकारें / स्थानीय प्राधिकरण									
	सीपीएसईज़									
	अन्य									
	कुल		वास्तविक							
			एमओयू							
20	संवितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि		वास्तविक							
			एमओयू							
21	बकाया ऋण/कुल ऋण (निवल)		वास्तविक							
			एमओयू							
22	एनपीए/कुल ऋण (निवल)		वास्तविक							
			एमओयू							
23	एक समान दर्जे वाली सीपीएसईज़ / निकायों की तुलना में निधियां एकत्र करने की लागत		वास्तविक							
			एमओयू							
24	संयुक्त उद्यम में निवेश पर रिटर्न (लाभ/यदि का शेयर)	%	वास्तविक							
			एमओयू							
25	लक्ष्य निर्धारण के लिए कोई अन्य परिणामोन्मुखी मापदण्ड		वास्तविक							
			एमओयू							

टिप्पणी : पिछले पाँच वर्षों के वास्तविक आंकड़ों (लेखापरीक्षित) के और वर्तमान वर्ष के अनुमानित आंकड़ों के लिए रुझान दर्शाए जाएंगे अर्थात, पिछले वर्ष से उस वर्ष के संबंध में जिसके संबंध में लक्ष्य बातचीत द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं।

आर ओ : संचालनों से प्राप्त राजस्व

आय एवं व्यय के बीच के अंतराल को भरने के लिए बन्द होने वाली, निर्माणाधीन/पुनः निर्माण की जा रही सीपीएसईज़, सरकारी सहायता पर निर्भर सीपीएसईज़ पर अनुप्रयोज्य

क्र. सं.	वित्तीय मापदण्ड एवं निष्पादन मापदण्ड	इकाई	अंक	वर्तमान वर्ष (अनुमानित)	5 वर्षों में सर्वोत्तम	वर्ष के लिए एमओयू लक्ष्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	औसत 40%	खराब 20%
1	सर्वथा उचित मापदण्डों और लक्ष्यों का सुझाव पीएनसी द्वारा दिया जाएगा जिस पर आईएमसी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ऐसे सीपीएसईज के लिए इस बात पर जोर दिया जाएगा। कि जल्द से जल्द वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने हेतु मापदण्ड सुझाए जाएं और लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। बन्द हो रहे सीपीएसईज़ के लिए, समयबद्ध रुप से उन्हें बन्द करने को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।									
2										
3										
4										
	कुल		100							

लक्ष्यों के लिए परिभाषाएं और व्याख्यात्मक टिप्पणियां

अनुसूची III में अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 में कहीं भी परिभाषित प्रयुक्त शब्द एक समान होने चाहिए, जो 1 एएस/ लेखा मानक अन्यथा निर्दिष्ट अनुसार प्रवर्तनीय होंगे। सभी वित्तीय आंकड़े अंकेक्षित वार्षिक लेखा या वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर लिए जाएंगे। खंड 8 सीपीएसई आय तथा व्यय विवरण तैयार करने के लिए, लाभ/हानि का तात्पर्य आधिक्य/घाटा होगा। एप– II में प्रयुक्त शब्द भी निम्नांकित अनुसार स्पष्ट किए जाते हैं :–

(क) परिशिष्ट–II (भाग–क):

1. **संचालन से राजस्वः** इसे सीपीएसई के अंकेक्षित वार्षिक लेखा में प्रस्तुत अनुसार लिया जाएगा। टर्नओवर का लक्ष्य शुद्ध उत्पाद शुल्क, सेवा कर, जीएसटी, आदि होगा चाहे उसे संचालन से राजस्व में कमी या व्यय शीर्ष के तहत प्रदर्शित किया जाए। अनुसूची III के अनुसार, किसी कंपनी के संदर्भ में, जो वित्तीय कंपनी नहीं हो, संचालन से प्राप्त राजस्व में सम्मिलित होंगेः (क) उत्पाद का विक्रय (ख) सेवा का विक्रय (ग) अन्य संचालन राजस्व। वित्तीय कंपनी के संदर्भ में, संचालन से प्राप्त राजस्व में सम्मिलित राजस्व होंगे (क) ब्याज आय; तथा (ख) वित्तीय सेवाओं से प्राप्त अन्य आय।

   यदि उत्पाद का मूल्य वैधानिक प्राधिकारों/अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शी तंत्र द्वारा विनियमित किया जाता है, संचालन के राजस्व में समायोजन मूल्यों में विभिन्नता के लिए निश्चित की जा सकती है, अर्थात, जहां लक्ष्य इस शर्त के साथ तय किया जाता है कि मूल्य /निविष्टि लागत (जैसे, उर्वरक के मामले में एक उसी के रूप में मानी जाने वाली प्राकृतिक गैस) की विविधता में समायोजन विनियामक व्यवस्था के द्वारा तय किया जाएगा, आदि, लक्ष्य का समायोजन मूल्यांकन के समय मूल्यों में विविधता के संदर्भ में किया जाएगा। इस उद्देश्य से, पहले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा और तब प्रवर्तनीय मूल्य लागू करने के बाद वित्तीय लक्ष्य आएंगे जिससे कि मूल्यांकन के समय कोई अस्पष्टता न रहे।

2. **परिचालन हानि/घाटा पर परिचालन लाभ/अतिरेक या कमीः** इसका अर्थ है अन्य आय को छोड़कर कर पूर्व लाभ/सरप्लस जिसमें विशिष्ट एवं आपवादिक वस्तुओं पर विचार नहीं किया जाएगा। धारा 8 सीपीएसई, जो लाभ और हानि खाता की बजाए आय और व्यय का विवरण तैयार कर रहे हैं,लाभ/हानि का अर्थ होगा सरप्लस/घाटा। इसका उद्देश्य है परिचालनों से लाभ निकालना। इसे ऑडिट किए हुए वार्षिक खाते में दिए गए आंकड़ों की मदद से प्राप्त किया जाएगा। विशिष्ट एवं आपवादिक वस्तुओं, पूर्व अवधि वस्तुओं को छोड़ा जा सकता है यदि वे ऑडिट किए हुए वार्षिक खाते में पृथक दिखाए गए हों। विनिमय दर, कच्चे माल या तैयार माल की नियामक कीमतों में परिवर्तन या अन्य किसी कारण से लक्ष्य में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा क्योंकि लक्ष्य को परिचालन लाभ और परिचालन से मिलने वाले राजस्व के अनुपात के रूप में निर्धारित किया जाएगा। कीमत में परिवर्तन होने पर, भाज्य (अंश) में परिवर्तन के साथ–साथ भाजक (हर) में परिवर्तन होगा, इस तरह अनुपात, एक बड़े हद तक कीमत निपरेक्ष होगा।

   घाटे में चल रहे सीपीएसई की स्थिति में घाटे में कमी करना लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि लक्ष्य को हानि के लिए स्थिर नहीं किया जा सकता। यह कमी पिछले वर्ष की हानि के संदर्भ में विचाराधीन वर्ष के अंतर्गत होगी। उत्कृष्ट श्रेणी के लिए, हानि में कमी का लक्ष्य 100 प्रतिशत होनी चाहिए या लाभ का लक्ष्य का निरपेक्ष रूप में होना चाहिए।

3. **पीएटी / निवल मूल्य या शेयरधारकों की निधिः** लाभ कमाने वाले सीपीएसई जिनकी संचित हानियां न हों, अनुपात होगा कर बाद का लाभ (पीएटी)/निवल मूल्य। पीएटी को ऑडिट किए हुए वार्षिक खाते से प्राप्त किया जाएगा। विनिमय दर, कच्चे माल या तैयार माल की नियामक कीमतों में परिवर्तन के कारण से लक्ष्य में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। निवल–मूल्य का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) में परिभाषित किया गया है, यानी, चुकता शेयर पूंजी का कुल मूल्य तथा संचित हानियों के कुल मूल्य को काटकार निकाला गया लाभ एवं प्रतिभूति प्रीमियम खाते से निर्मित सभी आरक्षित निधि, आस्थगित व्यय तथा विविध व्यय जिसे बट्टे–खाते मे नहीं डाला गया हो, ऑडिट किए हुए बैलेंस शीट के अनुसार लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से निर्मित आरक्षित निधि, अवमूल्यन और समामेलन का पुनरांकन शामिल है। यह अनुपात निवेश या शेयरधारकों के कोष पर रिटर्न देता है। यद्यपि, यदि बड़े मूल्य की कोई विशिष्ट वस्तु है तो मूल्यांकन के समय इसे ही ध्यान में रखा जाएगा।

घाटे में चल रहे सीपीएसई या संचित हानियों वाली सीपीएसई की स्थिति में मानदंड यह होगा कि पिछले वर्ष की तुलना में कुल आय के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय में कमी की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उत्कृष्ठता के लिए लक्ष्य होगा उस हद तक कमी कि निवल हानि कम से कम शून्य स्तर पर आ जाए। इसी तरह पहले वर्ष के परिचालन वाले सीपीएसई के लिए, लक्ष्य हो सकता है 100 या कम के उत्कृष्ट लक्ष्य के साथ कुल आय के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय।

ख. परिशिष्ट–II (खण्ड–ख) :

1. **क्षमता उपयोगः** हाल तक विनिर्माण उद्योगों की स्थिति में 'नोट्स टू अकाउंट' का एक भाग रहा है। इस मानदंड के तहत लक्ष्य निर्धारित करने में पहले के वार्षिक खातों का संदर्भ लिया जा सकता है। इस लक्ष्य का उद्देश्य है सीपीएसई के निष्पादन को भौतिक/मात्रात्मक स्वरूप में दर्शाना जिससे वस्तुओं और सेवाओं का प्रमात्रीकरण होता है। क्षमता उपयोग का संदर्भ संस्थापित क्षमता के संदर्भ में हो सकता है या मूल्यांकित क्षमता के, जहां जैसा उपलब्ध हो। लक्ष्य संस्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में या मूल्यांकित क्षमता या उत्पादन/निर्माण/पारेषण के निरपेक्ष रूप में दिया जा सकता है।

2. **वर्ष के दौरान प्राप्त हुए नए ऑर्डर (आदेश) :** परामर्शी या निर्माण क्षेत्र में यह मुख्य रूप से सीपीएसई के लिए एक मानदंड हो सकता है। केवल वर्ष के दौरान जो ऑर्डर प्राप्त होंगे उन्हें ही लिया जाएगा।

3. **परिचालन से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में निर्यातः** यह मानदंड निर्यात की क्षमता वाले सीपीएसई के संदर्भ में लिया जा सकता है। लक्ष्य होगा निर्यात आय में वृद्धि करना। निर्यात में शामिल हैं वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री।

4. **विकास या नए उत्पादों या नई विशेषताओं वाले उत्पाद से प्राप्त राजस्वः** यह मानदंड वहा अपनाया जा सकता है जहां सीपीएसई नवाचारी कार्य में संलग्न हो अथवा जिनके पास नए उत्पाद विकसित करने की क्षमता हो। इस मानदंड का उद्देश्य है नए उत्पाद/विशेषताएं (फीचर्स) विकसित करना और साथ ही उनके व्यावसायीकरण को प्रोत्साहन देना।

5. **उत्पादन क्षमता मानदंडः** कोई भी सेक्टर आधारित परिणाम उन्मुख मापनीय मानदंड जिससे पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में वृद्धि संभव होती हो, जैसे कि, विशिष्ट ऊर्जा उपभोग में कमी, प्रति इकाई उत्पादन के लिए कच्चे माल के आगत में कमी आदि।

6. **बिना समय सीमा पार किए ग्राहक के ऑर्डर/समझौते के लक्ष्यों की पूर्तिः** यह ग्राहकों से मिलने वाले ऑर्डर के आधार पर विनिर्माण करने वाले सीपीएसई तथा परामर्शी संगठनों के लिए एक अनिवार्य मानक है जहां विलंब होने पर पेनल्टी आरोपित हो सकता है। उत्कृष्ट स्तर का लक्ष्य 100 प्रतिशत होगा।

7. **आरएंडडी, नवाचार, तकनीकी उन्नयनः** आरएंडडी उपलब्धियों, नवाचार या तकनीकी उन्नयन के व्यावसायीकरण से परिचालन में दक्षता या लागत में कमी को इस शीर्षक के तहत लिया जा सकता है।

8. **बाजार शेयर में वृद्धिः** यह मानदंड वहां लिया जा सकता है जहां बाजार शेयर को मापने के लिए पारदर्शी प्रणाली मौजूद हो।

9 **कैपेक्सः** पूंजी व्यय (कैपेक्स) का अर्थ है कोई भी ऐसा व्यय जो स्थिर संपत्ति के अधिग्रहण/संयोजन के लिए किया जाए जो स्थिर संपत्ति का हिस्सा बने। कैपेक्स विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधिकरण के लिए हो सकता है। इसे संग्रहण आधार पर लिया जाता है न कि नकदी आधार पर। कैपेक्स का निर्धारण विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधिाकरण केलिए उपलब्ध व्यवहार्य परियोजनाओं, नकदी और बैंक जमा या संचित कोषों, निवल–मूल्यों, उधारी आदि के आधार पर होता है। कैपेक्स अपने खुद के कोषों से हो सकता है या निवल–मूल्य के एवज में उधारी पर या बजटीय सहायता के जरिए भी हो सकता है। **पर्याप्त कोषों या उधारी की क्षमता वाले तथा जिनके पास विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधिकरण लिए उपलब्ध व्यवहार्य व्यावसायिक अवसर हो, ऐसे सीपीएसई के लिए कैपेक्स अनिवार्य लक्ष्य होगा।** विनिर्माण से जुड़े सीपीएसई की स्थिति में जो एक मानक के रूप में कैपेक्स नहीं लेते हों, वहां इसके औचित्य के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथोचित विधि से समर्थन किया गया होना चाहिए। विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधिकरण लिए कुछ परियोजनाएं हो सकती हैं जिनके लिए परियोजना पूरी होने की अवधि एक वर्ष से अधिक हो। ऐसी स्थितियों में, परियोजना का विवरण यानी– कुल लागत, निर्धारित पूर्णता अवधि, व्यय राशि, वर्ष के दौरान हासिल किए जाने वाले लक्ष्य, वित्तीयन के स्रोत (स्वयं/उधारी/बजटीय सहायता) आदि प्रत्येक परियोजना के लिए अलग–अलग प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

10. **कैपेक्स संविदाओं/जारी परियोजनाओं/ बिना समय या लागत सीमा को पार किए वर्ष के दौरान पूरी हुई परियोजनाओं का प्रतिशत** कैपेक्स संविदाओं/जारी परियोजनाओं/ पूरी हुई परियोजनाओं के कुल मूल्य के संदर्भ में यह उन सीपीएसई के लिए एक अनिवार्य लक्ष्य होगा जो कैपेक्स के लिए लक्ष्य बनाए हों। **यह 150 करोड़ रु. से अधिक मूल्य के सभी जारी परियोजनाओं** के संदर्भ में लागू होगा। जहां समय और/अथवा लागत सीमा को पार किया गया हो वहां जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। लक्ष्य निर्धारण के समय सीपीएसई द्वारा वर्तमान में जारी सभी परियोजनाओं तथा/अथवा 10 सर्वोच्च परियोजनाओं की सूची सौंपी जाएगी। **एमओएसपीआई की निगरानी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं द्वारा समय /लागत सीमा का उल्लंघन को एमओएसपीआई की ओसीएमएस प्रणाली द्वारा पकड़ा जाएगा। सीपीएसई को यह सुनिश्चित करना होगा कि 150 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को एमओएसपीआई की ओसीएमएस प्रणाली में डाला गया हो और/अथवा 10 सर्वोच्च परियोजनाओं के विवरण सौंपे जाएं।** यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अंश और हर के लिए समय और लागत सीमा उल्लंघन की निगरानी के पैरामीटरएक ही समूह की परियोजनाओं से संबंधित हो।

11. **तैयार वस्तुओं की सूची और उत्पादों की बिक्री के लिए जारी कार्य के दिनों की संख्या (जहां अनुप्रयोज्य हो)।** यह मानदंड तैयार वस्तुओं की सूची और 15 दिनों से अधिक जारी कार्य के दिनों वाले सभी सीपीएसई के लिए

अनिवार्य है सिवाय उन सीपीएसई के जिनके पास भारत सरकार/प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के निर्देशानुसार न्यूनतम स्टॉक रखना जरूरी हो। तैयार वस्तुओं की सूची, जारी कार्य और वस्तुओं की बिक्री के आंकड़े ऑडिट किए वार्षिक खातों से लिए जा सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कच्चे माल, स्टोर्स और स्पेयर्स, लूज टूल तथा अन्य (यदि कोई हो) की सूची शामिल नहीं की जाएगी और ट्रांजिट वाली वस्तुएं संबंधित उप शीर्षक जारी कार्य या तैयार वस्तु, जैसा अनुप्रयोज्य हो, के अंतर्गत शामिल होंगी।

12. **परिचालनों से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में एक वर्ष से अधिक पुरानी सूची में कमी:** यह व्यवसाय करने वाली सीपीएसई के लिए मानक होगा। इन सीपीएसई को अपने स्टॉक यथासंभव शीघ्र तरलीकृत करना होगा।

13. **परिचालनों (सकल) से प्राप्त राजस्व के दिनों की संख्या वाणिज्य प्राप्य:** यह मानक सभी उन सीपीएसई के लिए अनिवार्य है जिनके पास 5 दिन से अधिक की वाणिज्य प्राप्य–वस्तुएं हों। वाणिज्य प्राप्य–वस्तुओं, परिचालनों से प्राप्त राजस्व के आंकड़े ऑडिट किए वार्षिक खातों से लिए जाएंगे। वाणिज्य प्राप्य–वस्तुओं में सभी वाणिज्य प्राप्य–वस्तुएं शामिल हैं जो बैलेंस शीट में दर्शायी गई हैं, सिवाय आस्थगित वाणिज्य प्राप्य–वस्तुओं के।

14. **कंपनी के विरुद्ध दावों में कमी को जिन्हें ऋण माना जाता है:** इसे 'आकस्मिक देयता' शीर्षक के तहत बैलेंस शीट के लिए खातों हेतु टिप्पणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर लिया जाएगा। मूल्यांकन, ओपनिंग बैलेंस (पिछले वर्ष का क्लोजिंग बैलेंस) से हुए दावों में कमी हेतु संपन्न किया जाएगा। सीपीएसईज़ द्वारा दावों को शून्य तक लाना और **दूसरों के द्वारा किए दावों में उल्लेखनीय कमी के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।** इसे निम्नलिखित द्वारा किए दावों में विभाजित किया जा सकता है:

i. केंद्रीय सरकार के विभाग

il. राज्य सरकार के विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण

iii. सीपीएसईज़

iv. अन्य

15. **संयुक्त उपक्रम में रिटर्न (लाभ/हानि का शेयर)** : संयुक्त उपक्रमों में निवेश करने वाले (राइट ऑफ करने के बाद) सीपीएसई के लिए यह एक अनिवार्य मानदंड होगा। लाभ तथा हानि का शेयर संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी में वास्तविक लाभ तथा हानि (पीएटी) के अनुसार होगा।

16. **पृथक एमओयू साइन न करने वाले सहायक सीपीएसई के संदर्भ में लक्ष्य:** यह सहायक कंपनियों वाले सीपीएसई और एमओयू साइन न करने वाले सीपीएसईज़ के लिए एक अनिवार्य मानदंड होगा। यह मानदंड सीपीएसई की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

17. **पुनरूद्धार के लक्ष्य हेतु मानदंड:** जहां सीपीएसई के पुनरूद्धार/पुनर्गठन को योग्य प्राधिकार द्वारा स्वीकृत किया जाता हो और पुनरूद्धार योजना कार्यांवयन में हो, ऐसी स्थिति में पुनरूद्धार हेतु लक्ष्य को सीपीएसई की पुनरूद्धार योजना के समयबद्ध कार्यांवयन के लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।

18. **मानव संसाधन संबंधी मापदंडः** समझौता ज्ञापन में एचआर मापदंड के लिए 10 अंक होंगे। वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने, ऑनलाइन सतर्कता रिपोर्टिंग प्रणाली तथा उत्तराधिकार योजना में से प्रत्येक के लिए दो अंक होंगे, जबकि कुल 4 अंक वाले अन्य एचआर मापदंडों का चयन विभिन्न मापदंडों में से किया जाएगा जो समझौता ज्ञापन में प्रयोग के लिए उपयुक्त समझे जाएंगे।

19. **कोई अन्य सेक्टर विशेष के परिणाम–अभिमुख माप्य मानदंडः** इस मद के तहत सेक्टर विशेष के परिणाम–अभिमुख माप्य मानदंड को लिया जा सकता है। जो मानदंड प्रक्रिया अभिमुख हो, यानी जो मानदंड प्रशिक्षण, मानव संसाधन इत्यादि से जुड़े हों, उन्हें नहीं लिया जा सकता है। मानदंड के न्यूनतम भार को 3 के रूप में रखा जा सकता है, ताकि इसे सीपीएसएए द्वारा समुचित ध्यान दिया जा सके।

(ग) परिशिष्ट ।। (भाग ग):

1. **संवितरित ऋण / उपलब्ध कुल फंड (प्रतिशत में)** : इसे वर्ष के दौरान संवितरित कुल ऋण तथा कुल उपलब्ध फंडों के आधार पर निकाला जाएगा। कुल उपलब्ध फंडों में शामिल है वर्ष के आरंभ में मौजूद नकद तथा बैंक की शेष जमा राशियां, वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर पूंजी, उगाही किए ऋण/वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान, इस उद्देश्य से किसी स्रोत से प्राप्त कोई फंड, परिसंपत्तियों की बिक्री, वर्ष के दौरान प्राप्त पुनर्भुगतान/पूर्व–भुगतान और परिसंपत्तियों में किसी निवेश से कमी।

2. **कुल संवितरण के एक प्रतिशत के रूप में माइक्रो फाइनेंस के लिए संवितरित ऋणः** इस लक्ष्य का मकसद है बड़े लाभार्थियों की तुलना में माइक्रो फाइनेंस लाभार्थियों के लिए संवितरित ऋणों की प्रतिशतता को बढ़ाना।

3. **अतिदेय ऋण / कुल ऋण (सकल) (प्रतिशत में)** : बकाया ऋण की राशि पर जिसे अभी रिकवर नहीं किया गया और कुल ऋण (सकल) लेखापरीक्षित खातों पर आधारित होगा।

4. **एनपीए / कुल ऋण (सकल) (प्रतिशत में)** : एनपीए की राशि नेट एनपीए होगी जो उस नियामक फ्रेमवर्क के आधार पर होगी, जिसके तहत सीपीएसई संदर्भ वर्ष की अंतिम तिथि पर कार्य निष्पादन संपन्न करता है। ऋण परिसंपत्तियां (सकल) लेखा परीक्षित बैलेंस शीट पर आधारित होगा।

5. **समान रूप से रेटेड सीपीएसई/प्रतिष्ठानों की तुलना में बॉन्ड के जरिए फंडों की उगाही की लागतः** यह बाजार से फंड उगाही करने के लिए सीपीएसई के लिए एक अनिवार्य मानदंड होगा। उत्कृष्ट लक्ष्य यह होगा कि फंड की उगाही समान रूप से रेटेड सीपीएसई/प्रतिष्ठानों की तुलना में सस्ती दरों पर की जाए।

6. **इसे 'आकस्मिक देयता' शीर्षक के तहत बैलेंस शीट के लिए खातों हेतु टिप्पणी में दी गई संख्याओं के आधार पर लिया जाएगा। मूल्यांकन, ओपनिंग बैलेंस (पिछले वर्ष का क्लोजिंग बैलेंस) से हुए दावों में कमी हेतु संपन्न किया जाएगा। सीपीएसईज़ द्वारा दावों को शून्य तक लाने,दूसरों के द्वारा किए दावों में और उल्लेखनीय कमी के लिए प्रयास करना चाहिए। इसे निम्नलिखित द्वारा किए दावों में विभाजित किया जा सकता है:**

   i. केंद्रीय सरकारी विभाग
   ii. राज्य सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकरण
   iii. सीपीएसईज़
   iv. अन्य

7. **संयुक्त उपक्रम में रिटर्न (लाभ/हानि का शेयर)** : संयुक्त उपक्रमों में निवेश (राइट ऑफ करने के बाद) के लिए यह सीपीएसई का एक अनिवार्य मानदंड होगा। लाभ तथा हानि का शेयर संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी में वास्तविक लाभ तथा हानि (पीएटी) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

8. **पृथक एमओयू साइन न करने वाले सहायक सीपीएसई के संदर्भ में लक्ष्यः** यह सीपीएसई के सहायक होने और एमओयू साइन न करने के लिए एक अनिवार्य मानदंड होगा। यह मानदंड सीपीएसई की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

9. **मानव संसाधन संबंधी मापदंडः** समझौता ज्ञापन में एचआर मापदंड के लिए 10 अंक होंगे। वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने, ऑनलाइन सतर्कता रिपोर्टिंग प्रणाली तथा उत्तराधिकार योजना में से प्रत्येक के लिए दो अंक होंगे, जबकि कुल 4 अंक वाले अन्य एचआर मापदंडों का चयन विभिन्न मापदंडों में से किया जाएगा जो समझौता ज्ञापन में प्रयोग के लिए उपयुक्त समझे जाएंगे।

10. **कोई अन्य सेक्टर विशेष के परिणाम–अभिमुख माप्य मानदंडः** इस शीर्ष के तहत सेक्टर विशेष के परिणाम–अभिमुख माप्य मानदंड को लिया जा सकता है। जो मानदंड प्रक्रिया अभिमुख हो, यानी जो मानदंड प्रशिक्षण, मानव संसाधन इत्यादि से जुड़े हों, उन्हें नहीं लिया जा सकता है। मानदंड के न्यूनतम भार को 3 के रूप में रखा जा सकता है, ताकि इसे सीपीएसएए द्वारा समुचित ध्यान दिया जा सके।

(घ) विविधः

ऐसी स्थिति में जहां अनुलग्नक II (खंड ख या ग) के तहत कोई उपयुक्त पैरामीटर न हो, भारांक निवेश के रिटर्न को दिया जा सकता है।

अनुबंध–9

(पैरा–7.2)

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की श्रेणी–वार सूची
नवम्बर, 2017 के अनुसार

अनुसूची 'क'

1. एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया
2. एयर इंडिया लिमिटेड
3. बीईएमएल लिमिटेड
4. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
5. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
6. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7. भारत संचार निगम लिमिटेड
8. केन्द्रीय भण्डारण निगम
9. कोल इंडिया लिमिटेड
10. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
12. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
14. फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड
15. भारतीय खाद्य निगम
16. गेल (इंडिया) लिमिटेड
17. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
18. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
19. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
20. हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
21. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
22. एचएमटी लिमिटेड
23. आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
24. आई टी आई लिमिटेड
25. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
27. भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड

28. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
29. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड
30. एमएमटीसी लिमिटेड
31. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
32. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
33. मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड
34. मेकॉन लिमिटेड
35. एमओआईएल लिमिटेड
36. मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड
37. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
38. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड
39. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
40. एनएचपीसी लिमिटेड
41. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड
42. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड
43. एनटीपीसी लिमिटेड
44. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
45. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
46. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
47. ऑयल इंडिया लिमिटेड
48. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
49. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
50. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
51. पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
52. राइट्स लिमिटेड
53. रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
54. रेल विकास निगम लिमिटेड
55. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
56. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
57. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
58. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
59. सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
60. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

61. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
62. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
63. दूरसंचार कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड
64. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

अनसूची 'ख'

1. एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
2. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
3. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
4. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
5. भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड
6. भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड
7. ब्रह्मपुत्र क्रेकर्स और पॉलिमर्स लिमिटेड
8. ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड
9. जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहयोग परिषद
10. ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
11. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.
12. ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
14. सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
15. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
16. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
17. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
18. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
19. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
20. कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
21. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
22. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
23. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
24. कामराजार पोर्ट लिमिटेड
25. फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
26. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
27. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
28. हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड

29. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
30. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड
31. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
32. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
33. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
34. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
35. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
36. एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.
37. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
38. एचएमटी वाचेज लिमिटेड
39. भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
40. भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन
41. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
42. इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड
43. भारतीय रेअर अर्थ्स लिमिटेड
44. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
45. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
46. एमएसटीसी लिमिटेड
47. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
48. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
49. मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
50. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
51. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
52. नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड
53. नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
54. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
55. नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
56. नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
57. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
58. उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
59. पीईसी लिमिटेड
60. पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड
61. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

62. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
63. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
64. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
65. यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
66. वापकोस लिमिटेड
67. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुसूची 'ग'

1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन एवं वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड
2. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड
3. बीबीजे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
4. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
5. बीएचईएल इलैक्ट्रिक मशीन्स लिमिटेड
6. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
7. बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
8. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
9. सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड
11. केन्द्रीय रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड
12. प्रमाणन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड
13. दिल्ली पुलिस आवास निगम
14. शैक्षिक कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि.
15. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लि.
16. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
17. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
18. हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड
19. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी लिमिटेड
20. हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड
21. हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड
22. एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड
23. एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड

24. हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
25. एच एस सी सी (इंडिया) लि.
26. होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
27. जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
28. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
29. नगालैंड पल्प और पेपर कंपनी लिमिटेड
30. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
31. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
32. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
33. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
34. भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
35. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
36. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
37. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
38. नेपा लिमिटेड
39. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
40. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
41. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
42. रिचर्डसन और क्रूडास (1972) लिमिटेड
43. एसटीसीएल लिमिटेड
44. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
45. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

अनुसूची 'घ'

1. हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड
2. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लि.
3. उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
4. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

अनुबंध–10
(पैरा 8.3.1)

"रूग्ण/ शुरूआती तौर पर रूग्ण एवं कमजोर केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार और पुनर्संरचना हेतु तंत्र को युक्तिसंगत बनानाः पुनर्संरचना हेतु सामान्य सिद्धांत एवं तंत्र" के लिए दिशानिर्देश

ये दिशानिर्देश रूग्ण अथवा शुरूआती तौर पर रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्संरचना/ पुनरूद्धार या उन्हें बंद करने के लिए तंत्र को युक्तिसंगत बनाने तथा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध बहु प्रक्रियाओं के विकल्पों को प्रतिस्थापित करने के लिए हैं।

2. रूग्ण और शुरूआती तौर पर रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्संरचना/पुनरूद्धार के लिए कई तंत्र मौजूद हैं। रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 में यथा परिभाषित रूग्ण औद्योगिक कंपनियों को औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के पास भेजा जाता है जो पुनर्संरचना योजना का सुझाव देता है और संवर्धनकर्ताओं एवं हितबद्ध पक्षकारों से त्याग एवं वचन बद्धताओं की मांग करता है। केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय के मार्गदर्शन के अंतर्गत स्वयं तैयार की गई उद्यम की पुनर्संरचना या पुनरूद्धार योजना पर विचार करने के लिए दिनांक 6 दिसम्बर 2004 के संकल्प सं. 16(25)/2004–वित्त के जरिए सरकार को सलाह देने हेतु लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय भी लोक हित में किसी ऐसे केंद्रीय सरकारी उद्यम के लिए पुनरूद्धार अथवा पुनर्संरचना योजना तैयार कर सकता है जिसमें रूग्ण या प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों का व्यापक पुनर्संरचना, विनिवेश, बंद करना आदि शामिल हो और उसे उपयुक्त निर्णय के लिए सीधे सक्षम प्राधिकरण को भेज सकता है।

3. कारगर कार्यचालन हेतु किसी केंद्रीय सरकारी उद्यम के पर्यवेक्षण का प्राथमिक दायित्व उसके प्रशासनिक मंत्रालय का होता है और रूग्ण एवं प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्संरचना और पुनरूद्धार के लिए अंतिम निर्णय लेने या कमजोरी के प्रारंभिक चिह्न दर्शाने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए उचित उपाय करने हेतु अंतर–मंत्रालयी परामर्श के बाद और आवश्यकतानुसार पीआईबी/ईएफसी तंत्र के जरिए वित्त मंत्रालय की सहमति से, जैसा भी आवश्यक हो, के बाद सक्षम प्राधिकरण अंतिम राय कायम करेगा। इस प्रक्रिया को समयबद्ध, व्यापक, निष्पादन आधारित और कुशल बनाना लोक हित में होगा ताकि आगे और घाटे को कम करने के लिए ऐसे निर्णय समयबद्ध रूप से लिए और कार्यान्वित किए जाएं। अतः ऐसे मामलों में अनुपालन किए जाने वाले व्यापक सिद्धांत और निर्देशों का निर्धारण किए जाने की जरूरत है।

4. दिशानिर्देशः

4.1. कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XIX में रूग्ण कंपनियों के पुनर्संरचना और पुनर्स्थापन तथा अध्याय XX में कंपनियों का प्रचालन समाप्त करने का उल्लेख किया गया है। यह निर्णय कि क्या कोई कंपनी रूग्ण हो गई है, न्याधिकरण (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण) द्वारा लिया जाएगा। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को केंद्रीय सरकारी उद्यमों के ऋणों की जानकारी रखनी होती है और केंद्रीय सरकारी उद्यम को कंपनी अधिनयम 2013 के उपबंधों के अंतर्गत रूग्ण निकाय घोषित किए जाने हेतु उपयुक्त माने जाने की स्थिति आने से बचने के लिए अग्रिम कार्रवाई करनी होती है।

4.2. प्रशासनिक मंत्रालय अपने केंद्रीय सरकारी उद्यमों को निम्नलिखित श्रेणियों में विशिष्ट क्रम में वर्गीकृत करने के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर अथवा वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिए जाने के एक माह के भीतर, जो भी पहले हो, प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में उनके निष्पादन का विश्लेषण करेगा।

4.2.1 **रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमः** किसी केंद्रीय सरकारी उद्यम को रूग्ण माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित में से किसी मानदंड को पूरा करता होः

क. यदि उसे कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार रूग्ण घोषित किया गया हो।

ख. यदि उसका निवल मूल्य ऋणात्मक हो।

4.2.2 **प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमः** किसी केंद्रीय सरकारी उद्यम को प्रारंभिक रूप से रूग्ण तब माना जाएगा जब वह निम्नलिखित मानदण्ड में से किसी एक को पूरा करता होः

क यदि उसका निवल मूल्य किसी वित्त वर्ष में प्रदत्त पूंजी के 50% से कम हो।

ख यदि उसने निरंतर तीन या इससे अधिक वर्षों में हानि उठाई हो।

4.2.3 **कमजोर केंद्रीय सरकारी उद्यमः** किसी केंद्रीय सरकारी उद्यम को कमजोर या इष्टतम से कम स्तर पर निष्पादन करने वाला माना जाएगा यदि वह इन में से किसी एक मानदण्ड को पूरा करता होः

क. यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान उसके कारोबार या प्रचालनात्मक लाभों में औसतन 10% से अधिक की गिरावट आई हो।

ख यदि उसका कर पूर्व लाभ अन्य स्रोतों से आय से कम हो।

ग यदि उसकी व्यापार प्राप्तियां और वस्तु–सूची केंद्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 50% से अधिक हो।

घ यदि ऋण के रूप में अभिज्ञात न किए गए कंपनी के विरूद्ध दावे उसके निवल मूल्य से अधिक हों।

ड. सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन में कमजोरी के प्रारंभिक चिह्नों को ज्ञात करने के लिए निर्धारित कोई अन्य मानदण्ड।

4.3. निवल मूल्य के सभी संदर्भों में उसका तात्पर्य वही होगा जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(57) के अंतर्गत परिभाषित है।

4.4 प्रशासनिक मंत्रालय निम्नलिखित कार्रवाई करेगाः

क. प्रशासनिक मंत्रालय ऐसे कमजोर केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कमजोरी के प्रारंभिक चिह्नों को रोकने के लिए उन्हें **"पर्यवेक्षण एवं गहन समीक्षा"** के अधीन रखेगा। इसमें बोर्ड में स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्यों का नामांकन, बोर्ड स्तर पर व्यावसायिक, प्रचालनात्मक एवं वित्तीय संबंधी सुधारात्मक उपायों के लिए तिमाही गहन समीक्षा या विशेष समीक्षा, गिरते हुए निष्पादन या गैर–निष्पादन के लिए जवाबदेही तय करना या प्रशासनिक मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा उपयुक्त समझे गए या जरूरी कोई अन्य सुधारात्मक उपाय शामिल हो सकता है।

ख. प्रशासनिक मंत्रालय पुनर्संरचना/पुनरूद्धार योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा जिसमें वित्त वर्ष की समाप्ति के छह माह अथवा वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिए जाने के एक माह, जो भी पहले हो, के भीतर ऊपर दिए गए वर्गीकरण के अनुसार रूग्ण एवं प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए विनिवेश

अथवा निजीकरण या बंद करने के विकल्प शामिल होंगे।

ग. रूग्ण एवं प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए पुनर्संरचना और पुनरूद्धार योजना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर तैयार की जाएगी।

घ. व्यावसायिक माहौल, प्रचालनात्मक मुद्दों, प्रौद्योगिकी विकल्पों और ऐसे केंद्रीय सरकारी उद्यम के प्रचालन के क्षेत्र में वित्तीय व्यवहार्यता का अनुभव एवं विशेषज्ञता रखने वाले किसी बाह्य विशेषज्ञ एजेंसी को सरकार द्वारा नियोजित किया जाएगा तथा वह भावी कार्ययोजना तैयार करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के पर्यवेक्षण में कार्य करेगी।

4.5 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग एजेंसी और अन्य विशेषज्ञों की सहायता से आवश्यकतानुसार पुनर्संरचना एवं पुनरूद्धार योजना तैयार करेगा और उसमें विशिष्ट रूप से निम्नलिखित शामिल होंगेः

4.5.1 प्रासंगिकता और कार्यचालन का परिप्रेक्ष्यः

क. केंद्रीय सरकारी उद्यम के गठन की पृष्ठभूमि और प्रयोजन

ख. कंपनी के विकास पर उसके प्रभाव के साथ–साथ आर्थिक एवं विनियामक माहौल

ग. उदारीकरण और उसके व्यावसायिक प्रचालन पर उसका प्रभाव

घ. नए व्यवसाय अवसरों, अपनी आर्थिक व्यवहार्यता को पुनःप्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने की प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने की केंद्रीय सरकारी उद्यमों की क्षमता

ड. केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार या उसकी रूग्णता की शुरूआत को रोकने के लिए किए गए प्रयास और विशेष हस्तक्षेप तथा केंद्रीय सरकारी उद्यम के स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव।

4.5.2 पुनर्संरचना/पुनरूद्धार हेतु कार्यनीतिक योजना :

क. प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग को घरेलू एवं वैश्विक क्षेत्रगत व्यावसायिक माहौल के आलोक में केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा पूरा किए गए राष्ट्रीय और कार्यनीतिक हितों को स्पष्ट रूप से सामने लाना चाहिए।

ख. राष्ट्रीय कार्यनीतिक या रक्षा हितों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी उद्यमों की विशिष्ट भूमिका को दर्शाने के लिए घरेलू अथवा अन्य देशों के निजी क्षेत्र में अन्य प्रदाताओं के जरिए वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति हेतु मौजूदा बाजारों का विश्लेषण किए जाने की जरूरत है।

ग. व्यावसायिक माहौल और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किसी केंद्रीय सरकारी उद्यम को देश के कार्यनीतिक हितों की पूर्ति हेतु **उच्च वरीयता या वरीयता वाले केंद्रीय सरकारी उद्यम** के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का संदर्भ लिया जाएगा।

घ. सभी अन्य रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यम जिनसे किसी कार्यनीतिक राष्ट्रीय/रक्षा हितों की पूर्ति अपेक्षित नहीं है, उन्हें **गैर वरीयता** वाले केंद्रीय सरकारी उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

4.5.3 पुनर्संरचना/पुनरूद्धार हेतु व्यावसायिक योजना :

क. उच्च वरीयता या वरीयता वाले केंद्रीय सरकारी उद्यम

क) उच्च वरीयता वाले सभी केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए कार्यनीतिक राष्ट्रीय हित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य व्यावसायिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय योजना तैयार की जाएगी।

ख) कार्यनीतिक व्यवसाय मॉडल के लिए सरकारी नीति समाभिरूपता हेतु अपेक्षा को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ताकि ऐसे उद्यमों की आर्थिक व्यवहार्यता को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो, ऐसे कार्यनीतिक प्रचालनों के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण किया जाना होगा।

ग) उच्च वरीयता वाले क्षेत्र के लिए सरकार से विशिष्ट वित्तीय एवं गैर–वित्तीय सहायता की मांग करते हुए व्यावसायिक योजना तैयार की जाएगी। इसमें कार्यनीतिक विनिवेश या संयुक्त उद्यम आदि शामिल होंगे।

ख. गैर–वरीयता वाले केंद्रीय सरकारी उद्यम

क) गैर वरीयता वाली श्रेणी के केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए लघु या मध्यम अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक और आर्थिक व्यवहार्यता मॉडल पर व्यवसाय योजना तैयार की जाएगी।

ख) व्यवसाय मॉडल को निष्पादन दक्षता बेंचमार्कों, आर्थिक प्रचालन के व्यवहार्य स्तर और समय के साथ व्यवहार्यता एवं सततधारणीयता हेतु व्यवसाय कार्यनीति को सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी अंगीकरण/उन्नयन हेतु निर्देश पर आधारित होना चाहिए।

ग) विलय, पृथक्करण या विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों के जरिए व्यवसाय का पुनर्संरचना ।

घ) मध्यावधि एवं दीर्घावधि में सततधारणीय होने के लिए उसे वांछनीय बाजार हिस्से का समर्थन करना चाहिए।

ड.) व्यावसायिक माहौल, आर्थिक व्यवहार्यता और वित्तपोषण के पैटर्न के संबंध में व्यवसाय योजना से जुड़े पूर्वानुमानों को बाजार में वैधता प्राप्त होनी चाहिए और उनकी विश्वसनीयता स्थापित होनी चाहिए।

4.5.4 प्रचालनात्मक पुनर्संरचनाः

क. व्यवसाय योजना को ध्यान में रखते हुए, अपेक्षित मानव संसाधन का आकलन करने और उसे युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है।

ख. यह देखा जाए कि केंद्रीय सरकारी उद्यम द्वारा न्यूनतम अवधि में इस योजना के कार्यान्वयन के जरिए मौजूदा वैश्विक/घरेलू बेंचमार्कों के अनुसार क्षेत्रगत कुशलता बेंचमार्कों को मध्यावधि में प्राप्त किया जा सके।

ग. अपेक्षित प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने हेतु विकल्प और संयुक्त उद्यम, विनिवेश या निजीकरण सहित विभिन्न प्रबंधन विकल्पों के जरिए आवश्यकतानुसार उनके उन्नयन को प्रचालनात्मक पुनर्संरचना योजना में शामिल किया जाएगा।

घ. नई प्रौद्योगिकी के सतत प्रापण और उसका उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित व्यवसाय योजना के अनुसार विभिन्न प्रचालनों के विलय या पृथक्करण के विकल्प।

4.5.5 वित्तीय पुनर्संरचना योजनाः

क. उच्च वरीयता वाले और वरीयता वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए कार्यनीतिक राष्ट्रीय/रक्षा हित में न्यूनतम और अपरिहार्य व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के साथ वित्तपोषण के विभिन्न तरीकों को शामिल करते हुए व्यापक वित्तीय पुनर्संरचना योजना तैयार की जानी चाहिए। वित्तीय योजना के अंतर्गत अनुमत्य सीमाओं के भीतर विनिवेश के जरिए सीमित निजी निवेश पर भी विचार किया जाएगा।

ख. अन्य (गैर–वरीयता प्राप्त) केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में वित्तीय योजना प्रचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित होनी चाहिए। निजी और/या संस्थागत वित्तपोषण प्राप्त करने के विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जाएगा।

ग. अगले पांच वर्षों के लिए अनुमानित लाभप्रदता/नकद प्रवाह के विवरण। ये पूर्वानुमान व्यावहारिक और बाजार वैध होंगे।

4.6 रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्संरचना/पुनरूद्धार/बंद करने के लिए पालन किया जाने वाला तंत्र और पद्धति

क) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त पैरा 4.2 के अनुसार केंद्रीय सरकारी उद्यम को रूग्ण सीपीएसई, प्रारंभिक रूप से रूग्ण सीपीएसई या कमजोरी के प्रारंभिक चिह्नों वाले सीपीएसई के रूप में वर्गीकृत करेगा। ऐसा वित्त वर्ष की समाप्ति के छह माह अथवा वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिए जाने के एक माह, जो भी पहले हो, के भीतर किया जाएगा। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तदनुसार लोक उद्यम विभाग को भी सीपीएसई के दर्जे की सूचना देगा।

ख) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए पुनर्संरचना/पुनरूद्धार/बंद करने हेतु भावी योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा मौजूदा रूग्ण सीपीएसई के मामले में इन दिशानिर्देशों को जारी किए जाने के तीन माह के भीतर और धीरे–धीरे रूग्ण हो रहे किसी सीपीएसई के मामले में वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर किया जाएगा।

ग) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग व्यवसाय, प्रचालनात्मक और वित्तीय पुनर्संरचना योजनाएं तैयार करने के लिए विश्वसनीय विशेषज्ञ संगठन की सेवाएं लेगा। नियोजित किए जाने पर ऐसी विशेषज्ञ संस्था को व्यावसायिक रूप से विश्वसनीय, कार्यान्वयन योग्य और वास्तविकता पर आधारित पुनर्संरचना योजना तैयार करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सीधे नियंत्रण में कार्य करना चाहिए। विशेषज्ञ(विशेषज्ञों)/विशेषज्ञ संगठन (संगठनों) को नियोजित करने के आरएफपी चरण के दौरान बाजार वैधीकरण के लिए उपयुक्त तंत्र अपनाया जाना चाहिए और बाजार वैधीकरण की जांच की जानी चाहिए तथा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा भी उसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

घ) विभिन्न चरणों के लिए विनिर्दिष्ट समय–सीमा के साथ कार्यान्वयन योजना को वस्तुपरक, परिमाणनीय और निगरानी तंत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए।

अनुबंध–11

(पैरा 8.5.1)

विषयः रूग्ण/घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) को समयबद्ध तरीके से बंद करने और उनकी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान हेतु दिशानिर्देश।

सरकार ऐसे रूग्ण/घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम जिन्हें बंद करने का निर्णय काफी समय पूर्व लिया गया था, उन्हें बंद करने में असामान्य विलम्ब एवं लिए गए अतिरिक्त समय के प्रति चिंतित है। ऐसे सीपीएसईज़ के लिए सरकार द्वारा अपने अल्प संसाधनों का और अधिक दोहन करके बजटीय सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार अब यह सुनिश्चित करना चाहेगी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय को वित्तीय क्षतिपूर्ति का भुगतान, उत्तरदायित्वों, विधिक जवाबदेहियों का निर्वहन, समयबद्ध तरीके से भूमि एवं चल परिसम्पत्तियों का निपटान/नकदीकरण सुनिश्चित करके कार्यान्वित किया जाए।

सीपीएसईज़ को बंद करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों को शीघ्र पूरा करने और नोडल विभागों/संगठनों द्वारा अपेक्षित सहायता सहित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसईज़ के दायित्व के निर्धारण के लिए, रूग्ण/घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) को समयबद्ध तरीके से बंद करने तथा उनकी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान हेतु दिशानिर्देशों में निम्नानुसार निर्धारण किया गया है:

1 **अनुप्रयोज्यताः** ये दिशानिर्देश सभी रूग्ण/घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ पर लागू होंगे, जहां–

(i) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा सीपीएसई को बंद किए जाने के लिए सीसीईए/मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो; या

(ii) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/नीति आयोग के प्रस्ताव/सिफारिश पर सीसीईए/मंत्रिमंडल द्वारा बंद किए जाने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया हो।

(iii) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ने सीपीएसई को बंद करने का निर्णय लिया हो और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कार्रवाई चल रही हो।

नोटः ये दिशानिर्देश परिसमापन की प्रक्रियाधीन उन सीपीएसईज़ पर लागू नहीं होंगे जहां परिसमापक की नियुक्ति की जा चुकी है। तथापि, ऐसे सीपीएसईज़ के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग नीति आयोग के परामर्श से और परिसमापन प्रक्रिया की विधिक अपेक्षाओं के अनुसार सीपीएसई को बंद किए जाने एवं उसकी चल/अचल परिसम्पत्तियों के निपटान से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

2 **परिभाषाएं:**

(i) बंद किए जाने हेतु मंत्रिमंडल/सीसीईए के निर्णय की सूचना देते हुए कार्यवृत्त जारी किए जाने की तारीख आरंभ की तारीख होगी। वे सीपीएसई जिनको बंद किए जाने के लिए अनुमोदन पहले ही प्राप्त किया जा चुका है, उनके संबंध में आरंभ की तारीख इन दिशानिर्देशों को जारी किए जाने की तारीख होगी।

(ii) बंद किए जाने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन के संबंध में मंत्रिमंडल/सीसीईए का निर्णय सूचित करते हुए कार्यवृत्त जारी किए जाने की तारीख अथवा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा बंद किए जाने के निर्णय की तारीख, जैसा भी मामला हो, तैयारी की तारीख होगी।

(iii) सीपीएसईः केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की पूंजीगत पुनर्संरचना के बारे में डीआईपीएएम द्वारा दिनांक 27.5.2016 के का.ज्ञा. सं. 5/2/2016–नीति के जरिए दी गई ''सीपीएसई'' की परिभाषा इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ लागू होगी जो कि निम्नानुसार हैः

''वे सभी कॉर्पोरेट निकाय जिनमें भारत सरकार और/या सरकार द्वारा नियंत्रित एक या अधिक कॉर्पोरेट निकाय का नियंत्रणकारी हित हो।

(i) कॉर्पोरेट निकाय में कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अंतर्गत अथवा सीमित जवाबदेही भागीदारी को छोड़कर किसी अन्य अधिनियम, जो भी लागू हो, के अंतर्गत निगमित निकाय शामिल होंगे।

(ii) नियंत्रणकारी हित का तात्पर्य निदेशक मंडल के बोर्ड के संघटन पर नियंत्रण; या कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक का उपयोग अथवा उस पर नियंत्रण या सदस्यों, निदेशक मंडल अथवा किसी अन्य सदृश कार्यपालक संघटन यथा प्रशासी निकाय, कार्यपालक समिति आदि की बैठक में 50 प्रतिशत से अधिक मताधिकार का उपयोग करने की क्षमता से होगा।

कोई ऐसा कॉर्पोरेट निकाय जिसमें भारत सरकार और/या सहायक कंपनियों सहित सीपीएसईज़ निदेशक मंडल के बोर्ड के संघटन पर नियंत्रण रखते हों; या कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक का उपयोग अथवा उस पर नियंत्रण रखते हों, उसे भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय माना जाएगा।''

नोटः इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ सीपीएसई की उपर्युक्त परिभाषा में बैंक एवं बीमा कंपनियां शामिल नहीं होंगे।

(iv) भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) एक सीपीएसई है, जैसे एनबीसीसी/ईपीआईएल जिसे भूमि के निपटान के प्रबंधन, रख–रखाव एवं सहायता हेतु बंद किए जा रहे सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/बोर्ड द्वारा नामित किया गया हो।

(v) नीलामी एजेंसी (एए) एक सीपीएसई है जैसे एमएसटीसी, जिसे पारदर्शी तरीके से ई–नीलामी के जरिए चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान हेतु बंद किए जा रहे सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/बोर्ड द्वारा नामित किया गया हो।

3. बंद किए जाने के निर्णय से पूर्व तैयारी संबंधी कार्यकलाप

दिशानिर्देशों के पैरा 1(ii) और (iii) में उल्लिखित सीपीएसईज़ ऐसे सीपीएसईज़ के लिए अग्रिम तैयारी संबंधी कार्यकलाप करेंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल होगाः

3.1 सांविधिक बकायों का आकलनः सीपीएसईज़ अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के पर्यवेक्षण में केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों को देय राजस्वों, करों, उपकरों एवं दरों के लिए सांविधिक बकायों/देयताओं का आकलन करेंगे।

3.2 कर्मचारियों के बकायों का आकलनः

(i) कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के लिए सीपीएसई जिस वेतनमान में कार्रवाई कर रहा है, उस पर ध्यान दिए बिना 2007 के कल्पित वेतनमान पर वीआरएस/वीएसएस पैकेज तैयार करना। ऐसे पैकेज के लिए वित्तीय भार का आकलन।

(ii) जब तक कि कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस का विकल्प दे कर/पृथक कर के या उन्हें पुनर्स्थापित करके कार्यमुक्त नहीं कर दिया जाता, तब तक कर्मचारियों के संबंध में मजूरी/वेतन और सांविधिक बकायों के भुगतान हेतु अपेक्षित निधि का आकलन।

(iii) निधि की आवश्यकता तथा समय–सीमाओं को चरणबद्ध करके उपर्युक्त (i) और (ii) के लिए कुल अनुमानित बजटीय सहायता।

3.3 सेक्योर्ड ऋणदाताओं आदि के लिए देयताओं का आकलन

(i) सेक्योर्ड ऋणदाता वे हैं जिनके पक्ष में कंपनी की परिसम्पत्ति पर प्रभार का सृजन किया गया हो और कंपनी पंजीयक के पास उसे दर्ज/पंजीकृत किया गया हो।

(ii) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग एकमुश्त अदायगी (ओटीएस) के रूप में न्यूनतम मूल्य पर सेक्योर्ड ऋणदाताओं के बकायों का निपटान करने के लिए उनके साथ वार्ता करेगा। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सेक्योर्ड ऋणदाताओं के साथ भुगतान अनुसूची, ब्याज एवं अर्थदंड छूट सहित सर्वोत्तम अदायगी की समीक्षात्मक जांच करेगा ताकि उसके लिए न्यूनतम बजटीय सहायता अपेक्षित हो।

(iii) न्यूनतम मूल्य पर निपटान हेतु सेक्योर्ड ऋणदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों तथा सांविधिक बकायों पर कार्रवाई करने और इस प्रकार निर्धारित कुल राशि के आकलन का सेक्योर्ड ऋणदाताओं को भुगतान।

(iv) वित्त मंत्रालय के परामर्श से सरकारी गारंटियों द्वारा कवर की जाने वाली देयताओं के निपटान हेतु रूपरेखाओं का निर्धारण किया जाएगा।

3.4 केंद्र सरकार को प्रदेय बकायों का आकलनः समय–समय पर सहायता स्वरूप दिए गए ऋण के रूप में प्राप्त की गई राशि के लिए केंद्र सरकार को प्रदेय बकायों को मूल बकाया राशि और उस पर ब्याज के रूप में अलग–अलग करके उनका आकलन किया जाएगा।

3.5 अन्य देयताओं का आकलनः प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सेक्योर न किए गए ऋणदाताओं सहित उन सभी अन्य देयताओं का आकलन करेगा जिनका भुगतान किया जाना है।

3.6 चल परिसम्पत्तियों का आकलनः

(i) संयंत्रों एवं मशीनरियों सहित चल परिसम्पत्तियों के रिकॉर्ड को अद्यतन बनाना। सभी चल परिसम्पत्तियों की वस्तु–सूची को किसी स्वतंत्र तीसरे पक्ष यथा सनदी लेखाकारों की फर्म से सत्यापित/प्रमाणित कराया जाना चाहिए।

(ii) चल परिसम्पत्तियों के बुक मूल्य के साथ–साथ अनुमानित मौजूदा बाजार मूल्य और सीपीएसई/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी बिक्री से प्राप्य मूल्य का आकलन।

(iii) जहां चल परिसम्पत्तियां पट्टादाता से पट्टे पर ली गई हों, वहां पट्टादाता से इस संबंध में विचार–विमर्श कि वह उसे बाजार मूल्य पर वापस लेगा अथवा उसकी नीलामी कराना चाहेगा।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि क्या चल परिसम्पत्तियों का उपयोग धारक सीपीएसई, यदि कोई हो, द्वारा अथवा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाएगा।

(v) यह सुनिश्चित करना कि फैक्टरी/कार्यालय भवन (सुपरस्ट्रक्चर) का निपटान चल परिसम्पत्तियों के साथ या भूमि के साथ किया जाना अपेक्षित है।

(vi) बंद की जा रही सीपीएसई के ब्रांड नाम, प्रतिष्ठा, ट्रेडमार्क आदि का बाजार मूल्य सुनिश्चित करना।

3.7 ट्रेड प्राप्तियों, प्रतिभूतियों, ऋणों एवं अग्रिमों आदि सहित प्राप्तियों का आकलन

3.8 बंद किए जाने हेतु अपेक्षित बजटीय सहायता का आकलन

(i) केंद्र सरकार द्वारा निधि जारी किए जाने की समय–सीमाओं/चरणों के साथ, कंपनी को बंद किए जाने के लिए वित्तपोषण हेतु अपेक्षित कुल अनुमानित निधि जिसमें उपर्युक्त पैरा 3.1 से 3.5 में उल्लिखित देयताएं शामिल होंगी।

(ii) निधियों को चरणबद्ध रूप से जारी करने एवं समय–सीमाओं के साथ बजटीय सहायता हेतु अपेक्षा का परिकलन करते समय परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली ऐसी राशि जो बंद किए जाने की प्रक्रिया के दौरान देयताओं के निपटान हेतु उपलब्ध हो, सहित सीपीएसई के अपने संसाधनों पर विचार किया जाएगा।

3.9 भवनों सहित अचल परिसम्पत्तियां:

(i) जियो–मैपिंग तथा शीर्ष–विलेख, पट्टे पर ली गई भूमि, स्वतंत्र भूमि, पट्टे की शर्तें, पट्टे की शेष अवधि, भूमि का मौजूदा उपयोग, भूमि के उपयोग से संबंधित एफएआर एवं अन्य अधिकार, क्या अधिप्रापण के समय सीपीएसईज़/केंद्र सरकार द्वारा भूमि क्षतिपूर्ति (आंशिक/पूर्ण) प्रदान की गई है, प्रदत्त क्षतिपूर्ति की राशि, भूमि के अधिग्रहण की स्थिति, अधिक्रमण यदि कोई हो, आदि जैसे विवरणों के साथ भूमि रिकॉर्डों को अद्यतन बनाना।

(ii) यदि विकल्प उपलब्ध हो तो सार्वजनिक प्रयोजन/आर्थिक कार्यकलापों के विस्तार आदि के लिए, अन्य केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/विभागों के कार्यालयों या लोक उद्यमों/संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए भूमि के उपयोग को प्रशासित करने वाले स्थानीय कानूनों के अनुसार सदृश या समान कार्यकलापों हेतु आगे उपयोग किए जाने के प्रयोजनार्थ बंद किए जाने के लिए अभिप्रेत सीपीएसई की पट्टे पर ली गई भूमि के उपयोग/निपटान के संबंध में राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना।

(iii) विद्यमान सर्किल दरों या मौजूदा अधिप्रापण लागत पर भूमि का मूल्यांकन (आरएंडआर व्ययों को छोड़कर)।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि क्या अचल परिसम्पत्तियों का उपयोग धारक सीपीएसई, यदि कोई हो, द्वारा या प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें असफल रहने पर भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) की नियुक्ति करना और उसके साथ जानकारी साझा करना।

4. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के अंतर्गत सीपीएसईज़:

वे सीपीएसईज़ जो रूग्ण हैं और बीआईएफआर के अंतर्गत पंजीकृत हैं अथवा जिनके संबंध में एआईआईएफआर में कार्रवाई लंबित है, उनके लिए नीति आयोग कंपनी की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विश्लेषण करने के उपरांत प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को कार्रवाई के दो वैकल्पिक मार्गों अर्थात बीआईएफआर के अंतर्गत नकदीकरण या उपयुक्त वित्तीय पुनर्गठन के जरिए सीपीएसई को बीआईएफआर के दायरे से बाहर निकालने, के संबंध में सलाह देगा। यदि नीति आयोग सीपीएसई को बीआईएफआर के दायरे से बाहर निकालने का सुझाव देता है तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उस कंपनी के निवल मूल्य को सकारात्मक बनाने के लिए अपेक्षित सीमा तक भारत सरकार के ऋण एवं उस पर ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा ताकि रूग्ण सीपीएसई को बीआईएफआर के दायरे से बाहर निकाला जा सके।

5. बंद करने के लिए केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों के उत्तरदायित्व

जहां मंत्रिमण्डल/सीसीइए द्वारा सीपीएसईज़ को बन्द करने का निर्णय अथवा बन्द करने हेतु सिद्धान्त रूप में अनुमोदन दिया गया है, उन मामलों में केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशकों द्वारा बंद करने के प्रस्ताव को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में अपेक्षित सभी प्रकार की सहायता और सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा न करने पर प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों को हटाने पर विचार करेगा और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त भार संबंधित संयुक्त सचिव को और अन्य कार्यात्मक निदेशकों का कार्यभार प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी को दे दिया जाएगा। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों सहित कार्यात्मक निदेशकों को हटाने संबंधी सूचना पीईएसबी को दे दी जाएगी।

6. बन्द करने के सैद्धन्तिक/निर्णय के पश्चात प्रशासनिक मंत्रालय की भूमिका

दिशानिर्देशों के उपर्युक्त पैरा 1 (ii) और (iii) में उल्लिखित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के संदर्भ में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम को बन्द करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने और उसे 03 माह के भीतर मंत्रिमण्डल/सीसीईए के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होगा। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वित्तीय बोझ, देयताओं के ब्यौरे, विक्रय हेतु पेश चल और अचल परिसम्पत्तियों सहित सभी संबंधित ब्यौरों को केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के बन्द करने के प्रस्ताव के अनुमोदन पैरा में शामिल किया गया है।

7. बन्द करने के निर्णय के पश्चात प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की भूमिका

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को बन्द करने पर सक्षम प्राधिकरण का निर्णय प्राप्त करने के पश्चात प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग निम्नलिखित प्रक्रिया और कार्य करेगा :–

7.1 बजटीय सहायता के लिए अनुरोधः व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से उसी दिनांक से 15 दिनों के भीतर बजटीय सहायता के लिए अनुरोध करेगा। इसके लिए केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम को बन्द करने के सभी पहलुओं के क्रियान्वयन के लिए समय बद्ध ढंग से राशियों को जारी करने हेतु एक तंत्र व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा ताकि अनुरोध प्राप्त होने के एक माह के भीतर निधियों को जारी किया जा सके सिवाय उसके जहां अनुदान की अनुपूरक मांग हेतु संसदीय अनुमोदन आवश्यक है।

7.2 देयताओं का निपटान :–

(i) यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय सरकारी उद्यम को बी आई एफ आर/ए आई आई एफ आर से बाहर लाने हेतु केन्द्रीय सरकारी उद्यम को आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुदेश देना।

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों को देय राजस्व, करों, उपकरों और दरों संबंधी वैधानिक बकायों/देयताओं, के भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यम को अनुदेश देना।

(iii) उसी दिन से 5 दिनों के भीतर कर्मचारियों और अन्य स्टेक होलडरों को बन्द करने संबंधी सूचना देने हेतु एक सामान्य नोटिस जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यम को अनुदेश देना। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत यथा लागू ढंग से बन्द करने के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सूचना/आवेदन करना। समयबद्ध सीमा/अन्तिम कट–ऑफ तिथि में वीआरएस पैकेज़ को कार्यान्वित करना और उसी दिन से तीन माह के भीतर अथवा अतिरिक्त राशि के लिए संसदीय अनुमोदन मांगने की आवश्यकता के कारण अपेक्षित अतिरिक्त समय के भीतर कर्मचारियों की मजूरी/वेतन और वैधानिक बकायों का निपटान करना।

(iv) वीआरएस का विकल्प न लेने वाले कर्मचारियों के पृथक्कीकरण के लिए कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु निर्धारित समय सीमा में कानून के अनुसार प्रतिपूर्ति के भुगतान के द्वारा कार्यवाई करना।

(v) सुरक्षित ऋणदाताओं को निपटान। आरम्भ तिथि से तीन माह के भीतर निपटान पूरा किया जाना चाहिए जब तक कि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के नियंन्त्रण से परे कोई वित्तीय बाधा न हो।

(vi) अन्य देयताओं का निपटान अगली प्राथमिकता होनी चाहिए।

7.3 परिसंपत्तियों का निपटान :–

यदि कोई केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम किसी अन्य केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम की सहायक कम्पनी है और यदि ऐसी धारक कम्पनी को ऐसी परिसम्पत्तियों की आवश्यकता है तो राज्य सरकार के परामर्श से आरम्भ तिथि से 30 दिनों के भीतर उसे बुक मूल्य पर हस्तांतरित कर देनी चाहिए। इसी प्रकार यदि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को अपने उपयोग के लिए परिसम्पत्तियों की आवश्यकता है तो आरम्भ तिथि से 30 दिनों के भीतर बुक मुल्य पर हस्तांतरित कर देनी चाहिए। शेष परिसम्पत्तियों के मामले में अगले पैरा 8, 9, 10 में उल्लिखित दिशा निर्देश लागू होंगे।

8. चल परिसंपत्तियों का निपटान

(i) केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम द्वारा संयंत्र और मशीनरी सहित चल परिसंपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के पर्यवेक्षण के अंतर्गत "तैयारी की तिथि" के तुरन्त बाद आरम्भ कर देना चाहिए।

(ii) पट्टे की परिसंपत्तियों को पट्टा दाता को उसकी इच्छानुसार हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

(iii) आवश्यकतानुसार, केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के परामर्श से चल परिसंपत्तियों के निपटान के साथ फैक्टरी भवन का भी निपटान कर सकता है।

(iv) ब्राण्ड नाम, गुडविल, ट्रेडमार्क आदि सहित चल परिसंपत्तियों की नीलामी की आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम द्वारा इस काम को आरम्भ तिथि से 03 माह के भीतर पूरा करने के लिए एक नीलामीकर्ता एजेंसी नामित की जाएगी।

(v) यदि केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित चल परिसंपत्तियों के निपटान नहीं कर पाती है तो केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम द्वारा इसे प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग और नीति आयोग को सूचित किया जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग 15 दिनों के भीतर इस मामले का निपटान करेगा और चल परिसंपत्तियों के निपटान पर निर्णय लेगा।

9. अचल परिसंपत्तियोंः भूमि और भवन का निपटान

इस बात पर विचार करते हुए कि केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की भूमि पट्टे पर या पट्टा मुक्त हो सकती है या व्यवासय और उपयोग के प्रतिबंधित अधिकारों के साथ उसे शर्त आधारित भूमि अनुदान मिला हो, केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम उक्त पैरा 3.8 में उल्लिखित मामलों की जांच के उपरांत प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के गहन पर्यवेक्षण और मार्गनिर्देशों के तहत और यथा आवश्यक राज्य सरकार (सरकारों)/पट्टाधारक के परामर्श से निम्नलिखित कार्य करेगा।

9.1 पट्टे वाली भूमि का निपटान

(i) **शर्तों के अंतर्गत पट्टा भूमि** :– पट्टा भूमि इस विशेष शर्त के साथ कि सीपीएसईज़ के बन्द किए जाने के मामले में या जिस प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी उसके लिए उपयोग न किए जाने पर राज्य को वापस कर दी जाएगी या पट्टा समझौता में विक्रय का कोई प्रावधान न होने की स्थिति में, पट्टा या भूमि अनुदान समझौते की शर्तों के अनुसार वित्तीय प्रतिपूर्ति प्राप्त होने पर इसे राज्य को वापस लौटा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में यदि भूमि अधिग्रहण के समय केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम/केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय प्रतिपूर्ति राशि दी गई है तो भूमि वापस लेते समय राज्य सरकार द्वारा या उससे अधिक राशि का पुनःभुगतान/भुगतान किया जाएगा।

(ii) **अन्य पट्टा भूमिः**– यदि पट्टे की नियम एवं शर्तों में ऐसी भूमि के उपयोग/निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंधित शर्तें नहीं है, और/या केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम को बन्द करने की स्थिति में राज्य/पट्टाधारक के पक्ष में किसी प्रकार के पूर्वक्रय अधिकार नहीं दिए गए तो ऐसी भूमि को पट्टा मुक्त भूमि के रुप में समझा जाए और पट्टे की विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तों के अध्यधीन पट्टा मुक्त भूमि के लिए यथा निर्धारित ढंग से उस पर कार्रवाई की जाए।

9.2 **पट्टा मुक्त भूमि का निपटानः** राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण के बाद सामान्यतया केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को पट्टा मुक्त भूमि आवंटित की जाती है या केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रुप से खरीदी जाती है। ऐसी भूमि के साथ भूमि उपयोग संबंधी किसी प्रकार की शर्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। भूमि उपयोग की शर्त के साथ पट्टा मुक्त भूमि के मामले में ऐसी भूमि का सर्वोत्तम संभावित उपयोग, भूमि के मूल भूमि उपयोग या स्थानीय मास्टर प्लान के अनुसार क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को ध्यान में रखते हुए जो भी बेहतर हो, किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की पट्टा मुक्त भूमि के निपटान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए :–

(i) केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सबसे पहले भूमि प्रंबंधन एजेंसी (एलएमए) के माध्यम से भमि के क्रय हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करेगी और ऐसी भूमि की मांग निर्धारित करेगी। भूमि को मंत्रिमण्डल/सीसीए के यथा आवश्यक अनुमोदन की शर्त पर निम्नलिखित प्राथमिकता आधार पर पेशकश के समय और/या चालू अधिग्रहण लागत (आर एण्ड आर लागत को छोड़कर) वर्तमान सर्किल दरों पर आबंटित किया जाएगा। यदि कोई संगठन पूरी भूमि (इसका भाग किए बिना) लेने का इच्छुक हो तो उसे अन्यों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्राथमिकता का क्रम

(क) केन्द्रीय सरकारी विभाग

(ख) केन्द्रीय सरकारी निकाय/केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम

(ग) राज्य विभाग

(घ) राज्य सरकार निकाय/राज्य स्तरीय सरकारी लोक उद्यम/राज्य प्राधिकरण

(ii) यदि उक्त श्रेणी के संगठन भूमि के किसी हिस्से को लेने के इच्छुक हों तो ऐसी स्थिति में भूमि की विकास योजना और आंतरिक ढांचागत कार्यों/सुविधाओं की योजना बनाने और उनकी व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी, जिसे एलएमए द्वारा तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग वित्त पोषण स्कीम सहित भूमि विकास योजना पर विचार करेगा, इसे अनुमोदित करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिशा–निर्देशों में दी गई प्राथमिकता के अनुसार भूमि के ऐसे हिस्सों का आवंटन/निपटान किया गया है, इस कार्य को कार्यान्वयन हेतु भूमि प्रबंधन एजेंसी या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी (एजेंसियों) को सौंप देगा।

(iii) यदि शून्य से 6 माह के भीतर कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त होता है तो अचल परिसंपत्तियों का निपटान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नीलामी एजेंसी द्वारा पारदर्शी तरीके से किसी निकाय को किया जाना है। भूमि को अनुमोदित भूमि प्रयोग, एफ ए आर तथा अन्य लागू शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा। तथापि, निविदा को अंतिम रूप देने के पहले यदि पैरा 9.2 (i) में उल्लिखित एजेंसियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो उनको अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।

(iv) उपर्युक्त शर्तों के व्यवहारिक न होने के मामले में भूमि/संपत्ति का उपयोग नीति आयोग के परामर्श से एवं मंत्रिमण्डल/सीसीईए के अनुमोदन से यथा अनुमेय रूप में सार्वजनिक उपयोग जैसे सस्ते आवास या भारत सरकार की कोई प्रमुख योजना हेतु किया जा सकता है।

(v) जहां कहीं प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को भूमि के निपटान में कोई कठिनाई आ रही हो तो वह नीति आयोग से परामर्श करेगा तथा इस संबंध में दी गई सलाह के अनुसार कार्रवाई करेगा।

9.3 राज्य सरकार के साथ वार्तालाप

संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव, भूमि के उपयोग, किसी अन्य उपयोग और राज्य सरकार को भूमि वापस लौटाने के संबंध में राज्य सरकार से बातचीत आरंभ करेंगे और इस वार्तालाप को उसी तारीख से दो माह के भीतर समाप्त करेंगे।

10. भूमि प्रबंधन एजेंसी की भूमिका

बंद होने वाले केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम का प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/ तथा बोर्ड पैरा 3.8 के अनुसार अचल संपत्ति को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) को सौंप सकता है जो:

(i) भुगतान लेकर अनुबंध आधार पर परिसंपत्ति का प्रबंधन, रख–रखाव तथा यदि आवश्यक होगा तो सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसी को लगाएगा। एलएमए यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि पर अधिक्रमण न हो, चल परिसंपत्ति की चोरी

न हो तथा परिसर सुरक्षित रहे। एलएमए अनुबंध आधार पर सीपीएसई की परिसंपत्तियों का काम–काज करने वाले कुछ प्रमुख कर्मचारियों को काम पर लेगा जो सीपीएसई के सौजन्य से सीपीएसईज़ की भूमि के रिकार्डों तथा अन्य अचल परिसंपत्तियों की देखरेख, प्रबंधन, रख–रखाव तथा अद्यतन करेंगे।

(ii) भूमि के मालिकाना हक, लीज होल्ड या फ्रीहोल्ड, लीज की शर्तों, लीज की शेष अवधि, क्या अधिग्रहण के समय जमीन का मुआवजा सीपीएसई/केंद्र सरकार द्वारा अदा किया गया, भूमि के स्वामित्व की स्थिति, अधिक्रमण यदि कोई है तथा वास्तविक आधार पर इसकी जांच जैसे विषयों के बारे में सूचना एकत्र करेंगे तथा प्रामाणिकता देंगे।

(iii) वर्तमान भूमि के उपयोग, एफएआर तथा औद्योगिक, विनिर्माण या किसी अन्य प्रयोजन की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार भूमि के प्रयोग की जांच करेगा।

(iv) लागू सर्किल रेट के आधार पर भूमि का मूल्यांकन, अधिग्रहण लागत (आरएंडआर व्यय के अलावा) निकालना तथा अधिकार (टाइटल) की प्रकृति, मास्टर प्लान एवं राज्य सरकार के प्रतिबंध, यदि कोई हो, से उत्पन्न होने वाली सीमाओं सहित भूमि/भवन के प्रयोग/मूल्यांकन के लिए आवश्यक अन्य सूचना एकत्र करना।

(v) भूमि प्रबंधन समिति (एलएमए) ऐसी सभी सूचना को एकत्र करेगी तथा सार्वजनिक डोमेन में इसे शीघ्रातिशीघ्र तथा तैयारी की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी (भूमि प्रबंधन पोर्टल पर) वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी ताकि सभी पक्षों को इसकी जानकारी हो जाए जो ऐसी भूमि लेने के लिए इच्छुक हों।

(vi) एलएमए सभी केंद्रीय/राज्य सरकार(रों)/उनकी एजेंसियों तथा अन्य पक्षों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करेगी जो संपूर्ण भूमि अथवा उसके किसी हिस्से को लेने में इच्छुक हों।

(vii) यदि प्राप्त हित अभिव्यक्तियों से एलएमए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दिशानिर्देशों में निर्धारित वरीयताओं के अनुसार अचल परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए परिसम्पत्ति या उसके एक हिस्से का आवंटन अपेक्षित होगा, तो वह मामले को प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की जानकारी में लाएगा, जो मंत्रिमंडल/सीसीईए, जैसा अपेक्षित हो, के अनुमोदन से आवंटन करेगा। एलएमए सीपीएसई/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को समग्र भूमि या उसके एक हिस्से के आवंटन/निपटान हेतु योजना का सुझाव देगा।

(viii) यदि एलएमए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भूमि के निपटान के लिए उसको पार्सलों में विभाजित किया जाना और उनके मौद्रीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसे भूमि पार्सलों का विकास अपेक्षित होगा तो एलएमए वित्तपोषण हेतु स्कीम के साथ भूमि विकास योजना तैयार करेगा और उसे विचार किए जाने एवं तत्पश्चात अनुमोदन हेतु प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत करेगा।

(ix) एलएमए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को उनके अनुमोदन के अनुसार अचल सम्पत्ति के निपटान की स्थिति की अद्यतन मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसकी प्रति नीति आयोग को भेजेगा।

(x) एलएमए भूमि प्रबंधन शुल्क के लिए पात्र होगा जो एक करोड़ रू. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन भूमि के निपटान से प्राप्त मूल्य का 0.5: होगी।

(xi) उन मामलों में जहां एलएमए के लिए निपटान की जा रही परिसम्पत्ति की निगरानी करना अपेक्षित होगा, ऐसे व्ययों की प्रतिपूर्ति प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रतिमाह वास्तविक खर्चों के आधार पर की जाएगी। ऐसा कोई व्यय करने से पूर्व जिसके लिए प्रतिपूर्ति अपेक्षित हो, एलएमए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(xii) अपने कुछ दायित्वों के निर्वहन के लिए एलएमए उचित निबंधनों एवं शर्तों पर राज्य सरकार के लोक उद्यमों को नियोजित करेगा।

11. नीलामी एजेंसी की भूमिका

नीलामी एजेंसी पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए ई–नीलामी के द्वारा कंपनी की परिसम्पत्तियों का निपटान करेगी। नीलामी एजेंसी को 25.00 लाख रू. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन नीलामी से प्राप्त राशि के 1% का भुगतान किया जाएगा।

12 नीति आयोग की भूमिका

(i) बंद करने के सभी मामलों में, नीति आयोग एक समय सीमा में निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

(ii) नीति आयोग की जगह एक ओवर साइट समिति होगी। ये समिति इस संबंध में सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य करेगी।

(iii) बंद करने हेतु अनुमोदित केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से उत्पन्न किसी समस्या/विवाद के निपटान के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग नीति आयोग के पास जाएगा। नीति आयोग ऐसे मालों के लिए फ्रेमवर्कतैयार करेगा।

13. वित्त मंत्रालय की भूमिका

(i) केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम को बंद करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का सैद्धांतिक अनुमोदन या अंतिम अनुमोदन लेते समय वित्त मंत्रालय व्यवसायिक या किसी अन्य सहायता से बजटरी सहायता के आवेदन की छानबीन कर सकता है।

(ii) एक बार वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात निधियों को निर्धारित समय सीमा में जारी किया जाएगा।

14. सभी दायित्वों के भुगतान के पश्चात परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त आय को भारत के समेकित कोष में जमा कराया जाएगा।

15. कंपनीज रजिस्ट्रार में से कंपनी का नाम हटाने हेतु कंपनीज रजिस्ट्रार को आवेदन

सभी दायित्वों के निटान एवं भुगतान के तुरंत पश्चात केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत संबंधित उपबंधों को अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।) के तहत कंपनीज रजिस्ट्रार से कंपनी का नाम हटाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार को आवेदन करने के सभी आवश्यक उपाय करेगा। इस स्तर पर निदेशक मण्डल कंपनी की सभी शेष परिसंपत्तियों को यथा आवश्यक किसी अन्य निकाय या केंद्रीय सरकार को हस्तांतरण करने के संकल्प को पारित कर सकता है।

16. समय सीमा

इन दिशा–निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमो को बंद करने के लिए विभिन्न उपायों की समय सीमा का एक मैट्रिक्स आसानी हेतु संलग्न है:

इसके अतिरिक्त उन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के संदर्भ में जिनमें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ बंद करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और अभी चल रही है, उनके लिए इन दिशा–निर्देशों के अनुसार नीति आयोग के परामर्श से एक लघु समय सीमा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा पुनः तैयार की जानी चाहिए।

सीपीएसई को बंद करने के लिए गतिविधियों की समय/सीमा

क्र.सं.	मील के पत्थर/क्रिया–कलाप	समय–सीमा	दिशा–निर्देश के पैरा सं.
क.	**तैयारी की तारीख** : मंत्रिमण्डल/सीसीईए द्वारा रुग्ण/घाटे में चल रहे सीपीएसई को बंद करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन का कार्यवृत्त जारी करने की तारीख अथवा बंद करने के लिए पशासनिक मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्णय की तारीख इसे **पी$_0$** के रूप में दिखाया गया है।		
1.	सांविधिक देय राशि का आकलन	पी$_0$ + 2 माह	3.1
	कर्मचारियों की बकाया राशि का आकलन		3.2
	सुरक्षित लेनदारों आदि के प्रति देनदारियों का आकलन		3.3
	केंद्र सरकार को देय बकाया राशि का आकलन		3.4
	अन्य देनदारियों का आकलन		3.5
	चल परिसंपत्ति का आकलन		3.6
	प्राप्तियों का अनुमान		3.7
	अपेक्षित बजटीय सहायता का आकलन		3.8
	नीति आयोग के साथ परामर्ष में बीआईएफआर से बाहर ले जाने का निर्णय यदि लागू हो।		4
2.	अचल संपत्ति के संबंधमें सभी प्रारंभिक कार्रवाई ए भू–मैपिंग और अन्य औपचारिकताओं के साथ भू.अभिलेखों को अद्यतन करने राज्य सरकारी प्रतिबद्धता, मूल्यांकन आदि प्राप्त करने	पी$_0$ + 3 माह	3.9
	बंद करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव कैबिनेट/सीसीईए के समक्ष रखा जाना		6
	'भूमि प्रबंधन पोर्टल वेब साइट' पर अचल संपत्ति/भूमि से संबंधित सूचना रखना।		10 (v)
ख.	**शून्य तारीख**: कैबिनेट सीसीईए द्वारा रूग्ण/घाटे में चल रही सीपीएसई को बंद करने के लिए अनुमोदन के मिनट के जारी होने की तारीख। सीपीएसई जहां कैबिनेट/सीसीईए ने पहले से ही सीपीएसई को बंद करने को मंजूरी दी थी के संबंध में, शून्य तारीख दिशा–निर्देशों की तारीख होगी। यह टी0 के रूप में दिखाया गया है।		
3.	बंद करने के विशय में बताते हुए कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए जनरल नोटिस जिसमें बंद होने के बारे में सूचना दी गई हो	टी$_0$ + 5 दिन	7.2 iii
	बंद करने के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सूचना देना		
4.	व्यय विभाग से बजटीय सहायता के लिए अनुरोध।	टी$_0$ + 15 दिन	7.1
	बीआईएफआर से सीपीएसई को बाहर लोने के लिए कार्रवाई		7.2.(i)
5.	होल्डिंग कंपनी/प्रषासनिक मंत्रालय/विभाग को संपत्ति का हस्तांतरण	टी$_0$ + 1 माह	7.3
6.	राजस्व, करों के प्रति सांविधिक देय राशि/देनदारियों का निपटान	टी$_0$ + 2 माह	7.2.(ii)
	एक बार निपटान के रूप में सुरक्षित लेनदारों का भुगतान		7.2.(v)
	राज्य सरकार के साथ वार्तालाप		9.3
7.	कर्मचारियों की मजूरी/वेतन एवं अन्य सांविधिक देय का भुगतान	टी$_0$ + 3 माह	7.2 (iii)
	चल संपत्तियों का निपटान		8
	राज्य सरकार को पट्टा भूमि को 'विक्रय नहीं' शर्त पर लौटाना		9.1(i)
8.	वीआरएस न लेने वाले कर्मचारियों की छटनी	टी$_0$ + 4 माह	7.2.(iv)

क्र.सं.	मील के पत्थर/क्रिया–कलाप	समय–सीमा	दिशा–निर्देश के पैरा सं.
9.	केंद्र सरकार के विभागों, केंद्र सरकार निकायों/सीपीएसईए राज्य सरकार के विभागों, राज्य सरकार निकायों/केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए पट्टे/पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री।	$टी_0$ + 6 माह	9.2 (i), (ii),
10.	क्र. सं. 9 के विकल्प के समाप्त होने बाद किसी भी संस्था को जमीन की नीलामी।	$टी_0$ + 12 माह	9.2 (iii)
11.	सीपीएसई के नाम हटाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के लिए आवेदन।	$टी_0$ + 12 माह	15
12.	किफायती आवास और भारत सरकार के अन्य प्रमुख कार्यक्रम सहित सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग।	$टी_0$ + 15 माह	9.2 (iv)

नोटः ऊपरी समयसीमा में मामला दर मामला आधार पर उपयुक्त संशोधन किया जाएगा जहां संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

Printed by : DPG # 23593541-42